खण्ड-284, अंक-7
गुरूवार, 28 ज्येष्ठ, शक संवत् 1892
(18 जून, 1970 ई0)

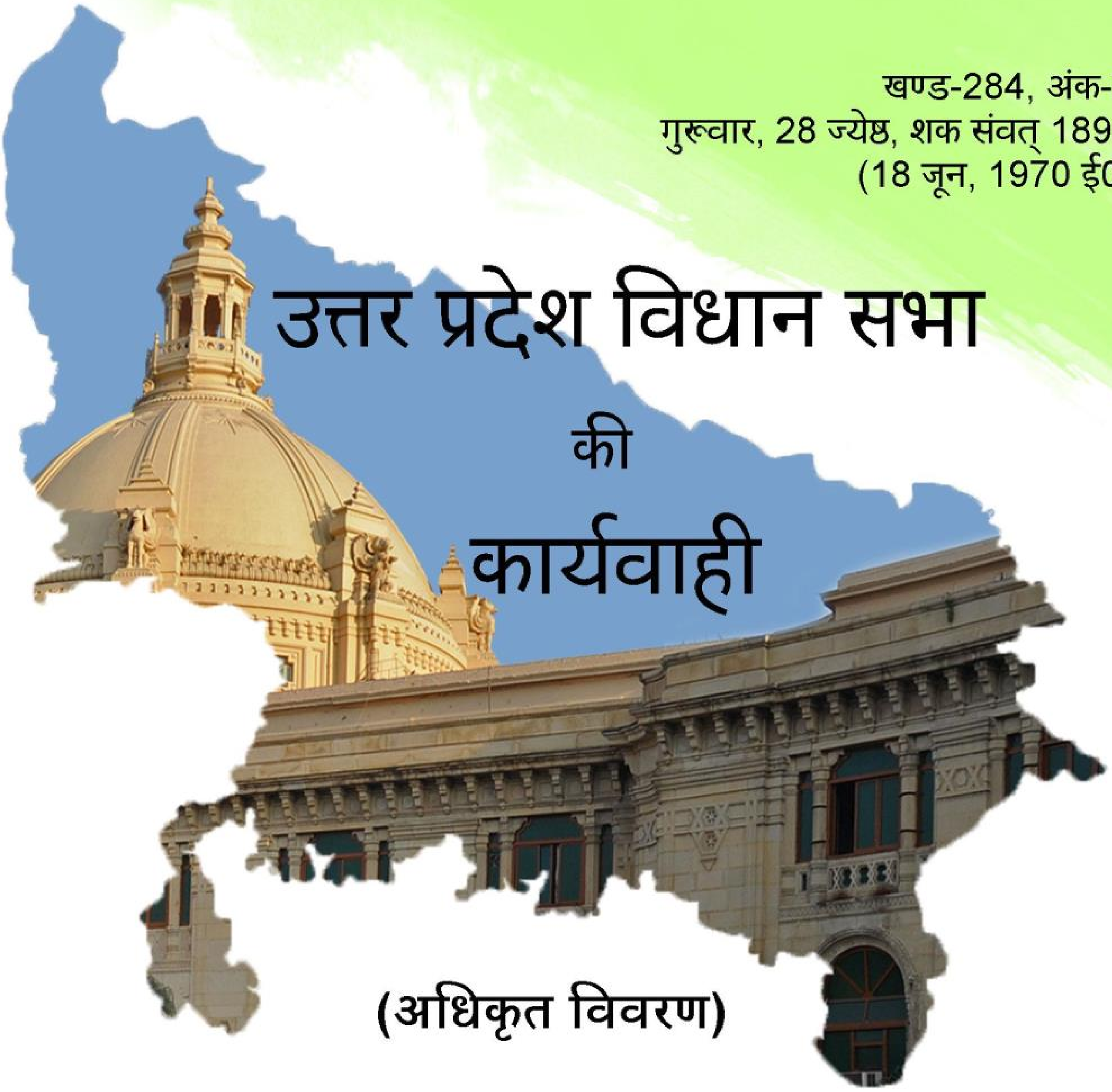

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 284 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

वषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७२७–७३१
प्रश्नोत्तर	७३१–७८३
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्तियां	७८३–७८४
समय से पूर्व वर्षा होने के कारण सदन के स्थगन की मांग ..	७८४
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्तियां	७८४–७८६
कतिपय विभागों के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफार्मेन्स) बजट को पटल पर रखने के सम्बन्ध में आपत्तियां	७८७–७९१
उत्तर प्रदेश शासन १९७०–७१ के सिंचाई, परिवार नियोजन, एवं सार्वजनिक निर्माण विभागों का कार्य पूर्ति (दिग्दर्शक परफार्मेन्स) बजट ..	७९२
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका, सेवा योजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन के पटल पर रखी गयी	७९२
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका, सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	७९२
श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा 'विप्लव' समाचार-पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट ..	७९२–७९३
दल परिवर्तन करने वाले सदस्यों के सम्बन्ध में घोषणा की मांग ..	७९३
श्री गेंदा सिंह द्वारा मंत्रि परिषद् से त्याग-पत्र देने के संबंध में घोषणा की मांग	७९३–७९५
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २१––कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २२––उपनिवेशन––अनुदान संख्या २६––नियोजन और समन्वय तथा अनुदान संख्या ४७––कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	७९५–८१३
अनुदान संख्या ३१––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या ३२––सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ४९––बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ५०––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (जारी)	८१३–८४२
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	८४२–८५७
पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	८५७–८६१
नत्थियां	८६२–८७५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार १८ जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३५३

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसेन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्णकान्त, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री

गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेई, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेज पाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनासिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री

बम्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह,, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरमसिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह,श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन श्री, (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन , श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल द्विवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री

रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिव दास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव बचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव वक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुक्रू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह वानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्त राम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखलाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब

सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्य वती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार श्री, (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा-पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, १८ जून, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में दुबारा मुस्लिम लीग का गठन

**१—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या सरकार को सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश में दुबारा मुस्लिम लीग का गठन प्रारम्भ मेरठ के श्री बशीर अहमद के नेतृत्व में हो गया है और श्री बशीर अहमद ने जिन्होंने हाल में अल-अकासा मस्जिद के जलने पर मेरठ में भारी जुलूस निकाला था, सारे प्रदेश में लीग की शाखायें खोलने की घोषणा की है ?

गृह उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

यह सही है कि उत्तर प्रदेश में दुबारा मुस्लिम लीग का गठन मेरठ के श्री बशीर अहमद के नेतृत्व में आरम्भ किया गया है। श्री बशीर अहमद ने दिनांक २९ अगस्त, १९६९ को मेरठ में एक जुलूस निकाला था जो कि अल अक्सा मसजिद के जलने से संबंधित था। उन्होंने सारे उत्तर प्रदेश में लीग की शाखायें खोलने की भी घोषणा की है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि मुसलिम लीग के कांस्टीट्यूशन तथा उसके घोषणा-पत्र का सरकार ने अध्ययन किया है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

जी नहीं, पिछला तजुर्बा उनके मुताल्लिक हमें है, वह शायद आप को अभी नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जुलूस जो निकाला गया २८ अगस्त, १९६९ को उस को रोकने के लिये या पाबन्दी लगाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की थी?

श्री चरण सिंह—

जुलूसों को रोकने और उन पर पाबन्दी लगाने का काम जिलाधीश करते हैं और उनको हमारी आम हिदायत है कि अगर कहीं शांति भंग का अन्देशा हो तो वह कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या मुख्य मंत्री जी के पास सूचना है कि प्रदेश के किन-किन जिलों में या शहरों में मुसलिम लीग की स्थापना हो चुकी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जो सूचना हमारे पास है उसके अनुसार मुरादाबाद, शाहजहांपुर, देवरिया और बरेली में मुसलिम लीग के गठन की सूचना प्राप्त हुई है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या प्रदेश में इस तरह से मुसलिम लीग की शाखायें खोले जाने पर कोई कानूनी पाबन्दी है ?

श्री चरण सिंह---

जी नहीं ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

जब से मुसलिम लीग का गठन हुआ है उसकी सभायें मेरठ के मुहल्लों और मसजिदों में हो रही हैं और उर्दू और पाकिस्तान के प्रचार के द्वारा साम्प्रदायिक और विषाक्त वातावरण पैदा हो गया है, तो क्या ऐसे वातावरण को देखते हुये सरकार कोई कदम उसके खिलाफ उठाने को तैयार है ?

श्री चरण सिंह---

यह तो ठीक है कि श्री बशीर अहमद और उनके साथी वहां उत्तेजनात्मक भाषण दे रहे हैं और उनकी गतिविधियां उत्तेजनात्मक कही जा सकती हैं ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मुसलिम लीग का पुराना तजुर्बा है और उसने अब फिर वही उद्देश्य अपने बनाये हैं तो क्या वह उसको तत्काल बैन करने के आदेश देंगे ? जो उसके पुराने उद्देश्य थे वह उन्हीं उद्देश्यों से फिर बना है तो क्या वह कृपा करके प्रारम्भ से ही उस पर बैन लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चरण सिंह---

अभी तो बैन करने की कोई बात नहीं है, वह बैन है और आज के कानून के खिलाफ नहीं है । अगर रिलीजन के नाम पर कोई संस्था बनाई जाय तो वह कानून के खिलाफ नहीं होगी । हिन्दू महासभा या मुसलिम लीग जैसे है लेकिन जहां तक उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात है इस तरह के मुख्तलिफ मजहबों के मानने वाले लोगों में विष पैदा न किया जाय और अगर कोई कराता है तो उसके खिलाफ १५३-ए वगैरह की कार्यवाही है ।

जो कानून है उसके मुताबिक ही काम किया जाता है । ६ जून को हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को आगाह कर दिया है कि अगर कहीं पर सांप्रदायिकता का वातावरण कोई पैदा करता है तो कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके भाषण उत्तेजनात्मक हैं, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह---

उनके भाषण उत्तेजनात्मक जरूर हैं। निगाह रखी जा रही है। जब कानून की जद में आयेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्वयं कार्यवाही करेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो मुस्लिम लीग नये आधार पर बनी है, उसके विधान की प्रतिलिपि सरकार को प्राप्त हो गयी है, और क्या उस विधान में पाकिस्तान के निर्माण को सहानुभूतिपूर्वक देखा गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसकी कोई प्रतिलिपि सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

अयोध्या नगरी में मद्य निषेध

**२---श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने अयोध्या नगरी में मद्य निषेध लागू करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कब से ? क्या राज्य सरकार प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थानों पर भी मद्य निषेध योजना लागू कर रही है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और कब से ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

शासन ने अयोध्या में १-७-७० से मद्य निषेध लागू करने का निश्चय किया है। उक्त तिथि से वाराणसी, इलाहाबाद व मथुरा के शहरों में भी मद्य निषेध लागू करने का निश्चय किया गया है।

श्री विश्वनाथ कपूर---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मद्य निषेध अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र में लागू किया जायगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

अयोध्या नगर में करने की बात है।

श्री विश्वनाथ कपूर---

जिस शहर की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं क्या उस में फैजाबाद भी शामिल हो जायगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

फैजाबाद उसमें शामिल नहीं होगा।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या में जो मद्य निषेध लागू करने जा रहे हैं वह कितने मील के एरिया के अन्दर लागू होगा और कितने एरिया में दुकानें बन्द कर दी जायंगी ?

श्री चरण सिंह---

एक लाइन खींच दी जायगी फैजाबाद शहर और अयोध्या कस्बे के बीच में कहीं पर।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थानों पर मद्य निषेध लागू करने का सरकार का विचार है। तो क्या देहरादून जैसे धार्मिक स्थान पर जहां पर अनेकों धार्मिक स्थान हैं और मंदिर हैं, वहां पर भी मद्य निषेध लागू करने का सरकार कष्ट करेगी ?

श्री चरण सिंह—

अगर ऐसे ही लोग वहां रहते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं तो मैं उसे धार्मिक स्थान नहीं मानता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

सरकार जो मद्य निषेध लागू करती है वह लिमिटेड रूप में एक निश्चित स्थान पर लागू करती है तो इससे एक नयी समस्या पैदा हो गयी है। जिन गांवों में, जो ऐसे शहरों के पास पड़ते हैं, शराब की दुकाने हैं, उनमें जीप गाड़ियों, साइकिलों की शराब पीने के लिये बड़ी भारी भीड़ एकत्रित हो जाती है । तो क्या सरकार जिन शहरों में मद्य निषेध लागू करने जा रही है, उनके १० या १५ मील के रेडियस मे भी लागू करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, हस्ब दस्तूर माननीय कृष्णानन्द राय ने सवाल पूछा है । वहां मजमुआ इकट्ठा हो गया है, जीपें और गाड़ियां इकट्ठी हो गई हैं । ऐसा कभी हमने लागू ही नहीं किया है, लिहाजा आपने कल्पना शक्ति से काम लिया है।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, जैसे अयोध्या नगरी का प्रश्न है । बनारस में आपने लागू किया है। तो जो शहर के शराब पीने वाले हैं वे रूरल एरिया में ला ऐंड आर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं । जिन स्थानों को आप लेंगे क्या वे १०–१५ मील के रेडियस से भी ज्यादा होंगे ?

श्री चरण सिंह—

मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है । क्योंकि माननीय मित्र वैसे ही गलती कर रहे हैं जैसे वे करते हैं । बनारस में लागू नहीं हुआ है । वहां एक जुलाई से लागू होगा ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद शहर के अन्दर ही एक अयोध्या मोहल्ला है । उसको फजाबाद और अयोध्या से काटेंगे कैसे ? मद्य निषेध एक मुहल्ले में होगा और दूसरे में नहीं होगा । अयोध्या से कितनी दूर तक लागू करने का विचार है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मद्य निषेध में कौन-कौन से पदार्थ हैं ? क्या उनमें भांग भी आती है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

चरस, गांजा व अफीम के सेवन का निषेध है।

श्री दीपनारायण मणि—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार या ऋषीकेश से बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच की जो पट्टी है उनमें भी मद्य निषेध योजना क्या लागू कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, मद्य निषेध के अन्तर्गत जो जिले हैं उनमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी-गढ़वाल और पौड़ी-गढ़वाल आते हैं ।

श्री कन्हैलाल लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद का पूरा जिला तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है, पूरा जिला तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है ? तो क्या उस पूरे जिले में मद्य निषेध करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

पूरा जिला प्रयागराज नहीं है। जहां त्रिवेणी है और उसके आस-पास के स्थान को प्रयागराज कहा जाता है ।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

जैसा आपने कहा कि धार्मिक स्थानों में मद्य निषेध कर दिया है । हरद्वार और ऋषीकेश में मद्य निषेध है लेकिन इसके बीच एकाध शराब की दूकानें हैं । मैं निवेदन करूंगा कि क्या आप इसको बन्द करने की कृपा करेंगे ? जब सारे बद्रीनाथ तक मद्य निषेध कर दिया गया है तो चूंकि वह दूकान पांच मील के रेडियस के अन्दर आती है....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न ही करें ।

श्री चरण सिंह—

यह मुझको मालूम नहीं था । लेकिन इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, धार्मिक स्थान तो प्रत्येक जिले में होते हैं, तो क्या वहां पर भी प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं तो उत्तर प्रदेश को सारे को ही धार्मिक प्रदेश मानता हूं । लेकिन हम पहले तजुर्बा कर रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पिछले तजुर्बे को देख कर कि किस तरह लोग पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों से मिलकर टिंचर-जिंजर को बेंचते हैं तथा कच्ची भट्ठियां बनाकर शराब निकाल कर उसका व्यापार करते हैं, अब उस सबको रोकने के लिये कोई एहतिहाती कार्यवाही करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

पहले क्या-क्या खराबियां रही हैं वे मुझे नहीं मालूम, शायद जायसवाल साहब को ज्यादा मालूम हो, लेकिन प्रशासन में कुछ कमजोरी रहती है, इसमें भी रही होगी । अब यह जो हमारा पवित्र उद्देश्य है मद्य निषेध लागू करने का, उसको हम पूरा करेंगे और जो भी पुरानी खराबियां होंगी उनको यथाशक्ति दूर करने की कोशिश करेंगे ।

त्रिदलीय इंजीनियरिंग उद्योग सम्मेलन, लखनऊ में केन्द्रीय वेज बोर्ड की सिफारिश लागू करने का आश्वासन

****३—श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या श्रम मंत्री ने १४ मई, १९७० को लखनऊ में त्रिदलीय इंजीनियरिंग उद्योग के सम्मेलन में कोई आश्वासन दिया था कि २० मई से केंद्रीय वेज बोर्ड की सिफारिश लागू करा दी जायगी ? यदि हां, तो क्या सिफारिशें लागू कर दी गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

जी नहीं ।

प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामगोपाल संड—

दिनांक १५ मई के स्वतंत्र भारत और नवजीवन पेपर में माननीय मंत्री जी के भाषण के अंश छपे हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट यह कहा है कि वेज बोर्ड की सिफारिशों को वे शीघ्र लागू करेंगे, तो उसको देखते हुये माननीय मंत्री जी ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मैंने वहां कोई भाषण नहीं किया था, लेकिन यह अवश्य कहा था कि सरकार इस दिशा में प्रयत्न करेगी ।

श्री रामगोपाल संड—

जब मंत्री जी सम्मेलन में गये थे तो उनके सामने मुख्य रूप से कौन-कौन सी मांगें रखी गयी थीं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जो केंद्रीय वेज बोर्ड की सिफारिशें थीं उन्हीं को लागू करने के बारे में कहा गया था । मैंने उनसे कहा था कि जहां तक सरकार का संबंध है, सरकार जल्दी से जल्दी उन्हें लागू करने की कोशिश करेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इन सिफारिशों को लागू करने के लिये वे कोई निश्चित तिथि बतायेंगे कि कब तक इनको लागू करा दिया जायेगा ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, बहुत-सी चीजें तो इसमें तय हो चुकी हैं, मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक एक महीने में ही हम यह कोशिश करेंगे कि इनको लागू कर दिया जाय ।

श्री गोविन्द सिंह—

वेज बोर्ड की सिफारिशें कब प्राप्त हुई थीं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, यह जो त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था यह पहले ९—२—७० को हुआ था । फिर १४—५—७० को हुआ । इसके कुछ लीगल पहलुओं पर विचार करना है । अधिक से अधिक एक माह में यह हो जायगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सरूपी नाई, ग्राम महमूदपुर मालनी (मुरादाबाद) के यहां डकैती

*१—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या गृह मंत्री को पता है कि ग्राम महमूदपुर मालनी, थाना सम्भल, जिला मुरादाबाद में दिनांक ९ मई, १९७० को सरूपी नाई के यहां सशस्त्र डकैती पड़ी ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

श्री शफुद्दीन उर्फ सरूपा, निवासी ग्राम मोहम्मदपुर मालनी, थाना संभल, जिला मुरादाबाद ने थाना संभल में दिनांक ९-५-७० को इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उनके घर पर दिनांक ८/९-५-७० की रात में कुछ सशस्त्र डाकुओं ने डकैती डाली।

उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर थाना संभल पर उसी दिन धारा २९५/३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ और तुरन्त जांच प्रारम्भ की गई। जांच अभी जारी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जब थानाध्यक्ष, सम्भल डकैती की जांच के लिये सरूपी के गांव गये तो क्या उनके साथ एक वह आदमी भी था जो डकैत था जिसको वहां के लोगों ने पहचान लिया था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जांच हुई, उसमें ऐसी बात नहीं पायी गयी कि उनके साथ जो आदमी था वह डकैत था।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने दरख्वास्त दी कि जो आदमी दरोगा के साथ उन लोगों के सामने आया था वह रात में डकैतों के साथ शामिल था। जब सरूपी के भाई ने उसे पहचान लिया और कहा तो उसके रिश्तेदारों को दरोगा ने पीटा, क्या इसकी जांच भी मंत्री जी ने कराई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसकी जांच वहां के क्षेत्रीय अधिकारी ने की और जांच के बाद वह इस परिणाम पर पहुंचे कि न तो एफ० आई० आर० में उसका नाम दर्ज है और न उस पर शुबहा जाहिर किया गया, इसलिये इसमें कोई सच्चाई नहीं है और कुछ लोगों के कहने से उसने कह दिया कि वह भी उसमें शामिल था।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस डकैती में कितने आदमी नामजद हैं और पहचानने के लिये कितने लोगों को कहा गया है और उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

न तो कोई नामजद है और न किसी पर शुबहा लिखवाया गया है। बाद में उसने कहा है कि लोगों के कहने से मेरा शुबहा जाता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिस समय उस व्यक्ति ने शिकायत की कि जो व्यक्ति थानेदार के साथ मौके पर आया था वह पिछली रात में डकैती में शामिल था, फिर यह कहने के बाद उस आदमी को मारा पीटा गया ? तो इस प्रकार से आतंक कर पुलिस ने उन मुल्जिमों की मदद की जो वास्तव में मुल्जिम थे और जांच ठीक से नहीं होने दी, यह शिकायत उसने लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक को दी है, तो इस शिकायत पर क्या जांच की गई और क्या सरकार फिर से उसकी जांच करायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सी० ओ० द्वारा जांच की गई और कोई भी आरोप सही नहीं पाया गया । इसलिये आगे उच्च अधिकारी द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है । वैसे जांच अभी जारी है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यह देखते हुये कि ९० परसेंट सी० ओज० ऐसे हैं जो दरोगा के खिलाफ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उनका माहवारी बंधा हुआ है, इसलिये इस मामले में किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

और किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जांच यों अभी हो रही है ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

इस डकैती में कितना माल गया है और कितने आदमियों को चोटें आई हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसमें लगभग १,४५१ रुपये का माल गया है और एक व्यक्ति को चोट आई है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

शिकायतकर्ता ने जो एस० पी० को शिकायत दी वह क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, एस० पी० को हुई शिकायत की कोई सूचना नहीं है । "अमर-उजाला" नामक अखबार में इसके बारे में निकली खबर के तथ्यों के आधार पर इसकी जांच और की गई ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जिस अमर उजाला' अखबार में निकले हुए तथ्यों के बुनियाद पर सरकार ने इस बात की जांच कराई, वे तथ्य क्या-क्या थे, जिनकी जांच हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह तो बहुत विस्तृत बात हो जायगी, कहें तो बता दूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप अखबार पूरा तो पढ़ेंगे नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं पूरे अखबार की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो तथ्य की बात कह रहा हूं ।

मैं वह तथ्य जानना चाहता हूं जिन तथ्यों की जांच की गयी जो उस अखबार में प्रकाशित हुये थे ?

श्री अध्यक्ष—

कोई तथ्य आपको मालूम हो तो आप पूछिये उसके बारे में ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अभी जवाब में कहा गया कि उसने लिखित शिकायत नहीं की एस० पी० को, इसकी सूचना उनको नहीं है, जो जांच हुई वह 'अमर उजाला' में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर हुई । मैं जानना चाहता हूं कि क्या-क्या तथ्य थे जिनके आधार पर जांच की गयी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मेरा व्यवस्था का सवाल है । बहुतों के प्रश्न बाकी हैं । २० सप्लीमेंटरी क्वैश्चन दे चुके हैं । इस पर आप ध्यान दीजिये ।

मुख्य मंत्री, चौधरी चरण सिंह के नाम खुला पत्र

*२—श्री अनन्तराम जायसाल, श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या २० मई, १९७० को प्रश्न कर्त्ता की चिट्ठी के साथ श्री राजकुमार जी एडवोकेट, पीलीभीत का माननीय मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम खुला पत्र शीर्षक का इश्तिहार मिला, जिसमें यह सूचना अंकित है कि उप अधीक्षक पुलिस, पीलीभीत श्री एन० एन० टंडन के परिवार द्वारा सरकारी जीप के दुरुपयोग को रोकवाने के लिये पीलीभीत में सिविल नाफरमानी चल रही है जिसमें अब तक १२१ व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं ? यदि हां, तो उस इश्तिहार पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां । इस संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है कि गाड़ी का प्रयोग निजी कारणों के लिये किया गया था या नहीं । अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को पता है कि जिस गाड़ी का दुरुपयोग हो रहा था और लोग गाड़ी के आगे लेटे हुये थे उस समय धीरेंद्र सहाय ने डी० एम०, पीलीभीत को टेलीफोन पर सूचना दी और डी० एम० मौके पर पधारे थे और उन्होंने स्वयं देखा और उनके आने के बाद ही लेटने वाले लोग हटे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां । यह बात सही है कि जिस वक्त यह गाड़ी वहां पर थी, धीरेंद्र सहाय गये थे और उन्होंने डी० एम० को टेलीफोन किया और डी० एम० मौके पर आये थे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या यह बात भी सही है कि डी० एम० ने आश्वासन दिया था कि आप लोग हट जाइये, इसकी जांच की जायगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, जांच तो उसकी की ही गयी ।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया था या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उन्होंने कहा था कि इसकी जांच की जायगी ।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि डी० एम० के द्वारा इस आश्वासन के बदले वहां की स्थानीय सोशलिस्ट पार्टी के धीरेंद्र सहाय को गिरफ्तार कर लिया, ७ क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट में, और गिरफ्तार किया गया तो कितने दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया, जीप वाले कांड में ?

श्री चरणसिंह—

यह बात सही है कि उनको गिरफ्तार किया गया और बाद में रिहा भी हो गये । उन्होंने हैबियस कारपस का रिट भी फाइल कर दिया है । उनको गिरफ्तार जो किया गया, घेराव उन्होंने किया था गाड़ी का । डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस को इस बात की जांच हो रही है कि आया निजी, अपने काम के लिये वे गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने पूछा कि जीप के सामने जिस दिन लेटे थे उसके कितने दिन के बाद धीरेंद्र सहाय की गिरफ्तारी हुई ? यह जवाब नहीं आया ।

श्री चरण सिंह—

इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह बात स्वीकार है कि मौके पर डी० एम० ने देखा कि जीप का दुरुपयोग हो रहा है, एक प्राइमाफेशाई केस बना, तो श्री एन० एन० टंडन को अब तक निलम्बित किया गया या नहीं ?

श्री चरण सिंह—

यह नहीं साबित हुआ डी० एम० के जाने से, कि उन्होंने जीप को देखा और इस नतीजे पर पहुंच गये कि दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है । इसकी जांच डी० आई० जी० कर रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस चीज को तौलने की कोशिश करेंगे कि अगर सचमुच उस दिन अपराध कर रहे थे तो डी० एम० के मौके पर आने पर गिरफ्तार किया गया होता लेकिन उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया । बाद में इस घटना के बहुत दिनों के बाद, २० दिनों के बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आयी ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, इससे कोई बात में फर्क नहीं आता कि उस समय गिरफ्तारी हुई या बाद में हुई । यह मैं देख कर बतला सकता हूं कि कब गिरफ्तारी हुई । एकदम

जवाब नहीं दे सकता। लेकिन उसकी तहकीकात हो रही होगी, इसलिये बाद में गिरफ्तार हुये। जब पुलिस पहुंची है तो घेराव हो रहा था। हुआ यह कि डी० वाई० एस० पी० को अपने बच्चों के साथ ड्यूटी पर जाना था, उनका लड़का बहुत बीमार था, उस लड़के को ले कर और अपनी वाइफ को लेकर गये, उस काम के लिये, गार्ड की चेकिंग थी, और कुछ काम था।

रास्ते में डाक्टर की दूकान पड़ती थी। उन्होंने उस जीप को वहां खड़ा कर दिया और बच्चों को छोड़ दिया। कोतवाली नजदीक थी वह वहां चल गये। लौट कर आये तो दवा लेनी चाही और दूकान में घुसे। दूकान से निकले तो जीप को घिरी हुई पाया। उसमें उनकी वाइफ व लड़की बैठी हुई थी। लोगों से उन्होंने कहा तो वे नहीं माने। फिर डी० एम० आ गये और उन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट कर दी। कोतवाली से फोर्स आ गयी और उसने घेराव को तोड़ा। अब उसकी तहकीकात हो रही है कि डी० एस० पी० ने निजी काम के लिये गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहा था या नहीं। मुमकिन है करना चाहा हो। मैं नहीं कहता कि डी० एस० पी० की कोई गलती नहीं थी लेकिन धीरेंद्र व मुहम्मद सुलेमान ने जो घिराव किया था उनके खिलाफ कार्यवाही घिराव के संबंध में हो रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

स्वच्छ प्रशासन के मंत्री से ऐसे ही जवाब की आशा थी। इस कार्यवाही से न मालूम कितने आदमियों की पर्सनल लिबर्टी खत्म हो चुकी है। वे जेल में बन्द हैं और मुख्य मंत्री जी जो स्वच्छ प्रशासन की डींग मारा करते हैं उन्होंने यह भी कभी सुना है कि जब कोई जुर्म हो रहा हो मौके पर और अधिकारी पहुंच गये हों तो उनको रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ा गया ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब वह दे चुके।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह बहुत अहम सवाल है। इस प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन लाने की ये डींग मारा करते हैं और हमारे लोग अच्छे स्वच्छ प्रशासन लाने के लिये जेल भेजे जाते हैं। सवाल यह है कि जब वह जुर्म कर रहे थे और रंगे हाथों पकड़े गये थे तो क्यों नहीं उनको पकड़ा गया ?

श्री अध्यक्ष—

उससे यह साबित नहीं हुआ कि प्राइवेट कामों में वह इस्तेमल कर रहे थे। उसी की इन्क्वायरी हो रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

२०० आदमी जेल में हैं और मुख्य मंत्री के कान में जूं नहीं रेंग रही हैं। स्वच्छ प्रशासन यहां बैठे-बैठे चिल्लाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम ४९ में प्रश्न उठाइये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप उसको खारिज कर देंगे तब क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक तरह से रखेंगे तो मैं खारिज क्यों करूंगा ?

पुलिस कर्मचारियों की भर्ती के आदेश

*३—श्री कल्पनाथ सिंह, श्रीमती सरस्वती देवी (जिला अल्मोड़ा) श्री राम सिंह, (जिला सहारनपुर) तथा श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार ने अभी हाल में ही कुछ पुलिस कर्मचारियों की भरती के आदेश दे दिये है यदि हां, तो वह भरती किन-किन पदों की होगी और कैसे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

शासन ने १२० नागरिक पुलिस सब इन्स्पेक्टर एवं ७५ सहायक लोक अभियोक्ताओं की भरती के आदेश दिये हैं । इनका चयन प्रत्येक जिले में प्रारम्भिक परीक्षा तथा परीक्षा में पात्रता प्राप्त उम्मीदवारों में से चुनाव बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के आधार पर होता है ।

क्राइम रेकार्ड सेक्शन खोलने का फैसला

*४—श्री कल्पनाथ सिंह, श्रीमती सरस्वती देवी, श्री राम सिंह तथा श्री महरम सिंह—

क्या सरकार ने प्रदेश में कोई क्राइम रिकार्ड सेक्शन खोलने का फैसला किया है ? यदि हां, तो उसमें कितने कर्मचारी किस-किस पद के रहेंगे और उसकी उपयोगिता क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कोई क्राइम रिकार्ड सेक्शन खोलने का फैसला शासन ने नहीं किया है, परन्तु राज्य अपराध अभिसूचना ब्यूरो (क्राइम इनफारमेशन ब्यूरो) के विस्तार एवं पुनर्गठन का निश्चय किया है। पुनर्गठन ब्यूरो में अब एक पुलिस अधीक्षक, तीन पुलिस उपाधीक्षक, ९ निरीक्षक, ७६ उपनिरीक्षक तैनात करने तथा इनके साथ उचित संख्या में लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी रखे जाने का प्रस्ताव है। इस ब्यूरो की उपयोगिता यह होगी कि जांच तथा अपराधियों का चालान दक्षता एवं सफलता पूर्वक किया जा सके ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कोई सहायक सब इन्सपेक्टर का पद भी सृजित कर रही है ? यदि हां तो उसकी संख्या क्या होगी और वह किस प्रयोग के लिये होगी ?

श्री चरण सिंह—

यह बात सही है कि और सरकार का ऐसा विचार है लेकिन माननीय सदस्य का सवाल था कि ऐसे आदेश जारी हुये हैं या नहीं, तो अभी इस सिलसिले में आदेश जारी नहीं हुये । जिनके सिलसिले में आदेश जारी हुये हैं वह मैं जवाब में बतला चुका हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सहायक सब इन्स्पेक्टर के पद की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसकी भरती किस प्रकार होगी ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता यों पड़ी कि गवर्नमेंट की तरफ से कठोर आदेश गये हैं कि जो भी जुर्म लिखना हो उसको दर्ज किया जाय । इसलिये उनकी तादाद दुगनी और तिगुनी हो गई इसी लिये एक हजार असिस्टेंट सब इन्सपेक्टर को भरती करने की जरूरत हुई । यह तो मैंने आपको मेमोरी से बता दिया वैसे यह बात सवालात में नहीं थी ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

अध्यक्ष महोदय, यह जो एक हजार असिस्टेंट सब इन्सपेक्टर की भरती की जा रही है वह पुलिस परसोनेल्स में बढ़ोत्तरी करके की जायेगी या उन्हीं में से ले लिये जायेंगे ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, जो हेड कांस्टिबिल्स हैं उनको प्रमोशन देकर ही उनको रखा जायेगा । इसी प्रकार कांस्टिबिल्स को हेड कांस्टिबिल्स में प्रमोट कर दिया जायेगा । फिर सवाल यह उठता है कि कांस्टिबिल्स की भरती की जायेगी या नहीं । किन्तु आई० जी० का कहना है कि हमें कांस्टीबिल्स में भरती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वैसे ही उन्हें ऐडजेस्ट कर लेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से संबंधित—जैसा कि उन्होंने अभी कहा है कि चूंकि अब शत-प्रतिशत रिपोर्ट लिखनी आरम्भ हो गई है और जब-जब वे मुख्य मंत्री रहे हैं..

श्री अध्यक्ष—

आप टीका क्यों कर रहे हैं, प्रश्न पूछें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि चूंकि अब ऐसे आदेश हो गये हैं कि शत-प्रतिशत रिपोर्ट लिखी जायेगी तो यह काम हेड मोहर्रिर रखता था, उनकी संख्या न बढ़ा करके असिस्टेंट सब इन्सपेक्टर की संख्या बढ़ा रहे हैं । इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट लिखने का काम असिस्टेंट सब-इन्सपेक्टर रखेगा या हेड मोहर्रिर रखेगा ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यदि सीधा सवाल पूछा जाय तो मैं जवाब दे सकता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि चूंकि अब शत-प्रतिशत रिपोर्ट लिखी जा रही है और यह रिपोर्ट लिखने का काम हेड मोहर्रिर रखता था, ये असिस्टेंट सब-इन्सपेक्टर को बढ़ाने का आधार क्या है ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तकलीफ हुई कि हमारे एक भूतपूर्व मंत्री ने यह बात कही । उसमें ऐसा है कि अब कोई रिपोर्ट केवल दर्ज ही नहीं होगी बल्कि उसकी तहकीकात भी होगी । यह तहकीकात का काम ये सब-इन्सपेक्टर्स करेंगे ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे जो यह नया क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बना रहे हैं उसके लिये कोई नई धनराशि खर्च करने की व्यवस्था की गई है ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मित्र को यह बता देना चाहता हूं कि हम कोई नया इन्सटीट्यूशन नहीं खोल रहे हैं । क्राइम इन्फार्मेशन ब्यूरों पहले से ही मौजूद है और सन् ६१ में पुलिस कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सिफारिश की गई थी कि क्राइम इन्फार्मेशन ब्यूरों को स्ट्रेंथेन किया जाय, वह अब तक नहीं है। और आप इजाजत दें तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारी फिंगर प्रिंट ब्यूरो में ५ लाख फिंगर प्रिंट पड़े हुये हैं और

क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो में कुछ सौ क्राइम हिस्ट्री शीट्स मौजूद हैं। बाहर के देशों में जितने लोग सजा पाते हैं उन सब की हिस्ट्री शीट तैयार रहती है। इसलिये हमारे यहां भी जिन लोगों के फिंगर प्रिंट्स मौजूद हैं उन सब के हिस्ट्रीशीट्स क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो में होने चाहिये इसलिये उसको स्टेंथिन करने के लिये आलरेडी जो स्टाफ है उसमें से हम निम्नलिखित स्टाफ बढ़ा रहे हैं:—एस० पी० १, डी० एस० पी० २, इन्सपेक्टर पुलिस ७, सब-इन्सपेक्टर पुलिस ७०, डिप्टी इन्सपेक्टर पुलिस १, सब इन्सपेक्टर (एम०) १, हैड कान्स्टिबिल १, कान्स्टेबिल ४।

श्री कल्पनाथ सिंह—

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला सवाल पुकारे जाने पर) श्रीमन्, एक जरूरी सवाल है, उसको करने दें।

श्री अध्यक्ष—

और सवालों को भी आप लेने दें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

तो आप उसके पीछे पूछे जाने के लिये नियम १९ में इजाजत दे दीजिये ?

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिये। मैं देख लूंगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग (टिहरी-गढ़वाल) में कटी भूमि का मुआवजा

*१—श्री इन्द्रमणी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में घनसाली-तिलवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण से भूमि कटान का पूरा मुआविजा अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*२—श्री इन्द्रमणी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मुआविजे का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री इन्द्रमणी—

श्रीमन्, इसके बारे में २—३ मिनट मुझको दे दीजिये। मैं कुछ जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

१५ दिन में तो फिर आ ही जायगा।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इस सेशन के चलते ही उसकी सूचना एकत्र करके सदन में पेश करेंगे ?

श्री चरणसिंह---

जब माननीय मित्र स्वयं कह रहे हैं कि १५ दिन के बाद यह सदन समाप्त हो जायगा तो सूचना कहां पेश करेंगे ? अगर माननीय मित्र मुझे चिट्ठी लिखेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा ।

नरही गांव जिला बलिया के हत्याकांड से सम्बन्धित बिहार राज्य के अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*३---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिलान्तर्गत नरही थाने के नरही गांव से ८५ व्यक्ति बिहार राज्य के शाहाबाद जिलान्तर्गत बक्सर थाने से उमरपुर दियारा में २३ अक्टूबर, सन् १९६९ को की गई ११ व्यक्तियों के हत्याकांड में अभियुक्त हैं, यदि हां, तो इन अभियुक्तों में कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कितने अभी बाकी हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

प्रश्न में जिस घटना के संबंध में सूचना मांगी गई है वह घटना दूसरे प्रदेश की है, अतः पूर्ण सूचना अभी एकत्र नहीं हो पाई है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

बलिया जिले के नरही गांव में कितने लोगों के खिलाफ वारंट आया और कितनी गिरफ्तारियां हुई और कितनी नहीं हुईं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

यह घटना बिहार प्रदेश की है और इसके बारे में सारी सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम जल्दी से जल्दी उसको मंगाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मैं तो बलिया की बात ही पूछ रहा हूं । बलिया में कितने वारंट आये, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और कितनी नहीं हुईं ?

श्री चरण सिंह---

इसमें ८९ आदमी माखूज हैं । इनमें से गालिबन एक की मृत्यु हो गयी है, ६८ के बारे में सूचना आयी कि उनमें से कुछ ने आत्म समर्पण कर दिया है और कुछ गिरफ्तार हो गये हैं, २०-२१ आदमी अभी नहीं मिल पाये हैं, बावजूद हमारी पूरी कोशिश के ।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस घटना के संबंध में जो हमारे प्रदेश के नरही गांव के रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने भी कोई रिपोर्ट बलिया के एस०पी० के यहां या नरही थाने में दर्ज करायी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या थी ?

श्री चरण सिंह---

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

२३-१०-६९ को ४ बजे बक्सर थाने में जो पहली रिपोर्ट विश्वनाथ यादव ने लिखायी क्या उस को भी माननीय मंत्री जी ने मंगाया है ? यदि हां, तो उसमें कितने मुल्जिम हैं ?

श्री चरण सिंह—

मैं ठीक नहीं कह सकता कि हमारे यहां की फाइल में वह रिपोर्ट है या नहीं । मोटी सी बात यह है कि माननीय मित्र ने सवाल कर दिया, गवर्नमेंट का ध्यान उधर आकर्षित हो गया, जितना मुमकिन हो सकेगा गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जायगी । लेकिन रिपोर्ट मंगाये उसे पढ़ें और क्रास एग्जामिनेशन में हमसे कोई गलती हो जाय और फिर वह मामला अदालत में पेश । इसलिये तफसील में जाने की मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है कि रिपोर्ट क्या हुई । मैं माननीय मित्रों से दरख्वास्त करूंगा कि उस से कोई फायदा नहीं है उल्टे मुकदमे में नुक्सान हो जायगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को आश्वासन देंगे कि पूरी सूचना २१ जून के पहले मंगा कर मुझे और सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री चरण सिंह—

सूचना मंगाने की तो कोशिश हो ही रही है। माननीय मित्र अगर चाहेंगे और आ गयी तो मैं आपके पास भेज दूंगा, मगर आपका पत्र आने के बाद ।

श्री नगीना सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बक्सर से जितने मुल्जिमों के नाम आये हैं उनको नरही थाने के थानेदार ने गिरफ्तार करके बलिया जेल में भेज दिया है?

श्री चरण सिंह—

मुझको यह नहीं मालूम ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स रानीपुर हरिद्वार से जंगल में होकर जमुना मोटर मार्ग पर मुसाफिरों को लूटा जाना

*४—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—[अनुपस्थित]

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रानीपुर, हरिद्वार से जंगल में होकर जमुना की ओर जाने वाली मोटर रोड पर १ जनवरी, १९६७ से ३० जून, १९६९ तक की अवधि में अनेक घटनायें ऐसी हुई हैं कि सड़क पर जाते हुये मुसाफिरों को हरिद्वार के निकट दिन में ही डाकुओं ने लूट लिया है ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

१ जनवरी, १९६७ से ३० जून, १९६९ तक की अवधि में हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रानीपुर हरिद्वार से जंगल में होकर जमुना की ओर जाने वाले मोटर रोड पर, मुसाफिरों को लूट जाने की तीन घटनाओं की रिपोर्ट थानों पर अंकित कराई गई । इन रिपोर्टों के प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा तुरन्त विवेचना आरम्भ की गई । जांच से एक मामला असत्य पाया गया जिसमें अंतिम रिपोर्ट लगाई गई और बाकी दो में चालान अदालत किया गया ।

*५—श्री जगदीश गांधी (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री इन घटनाओं की जांच करायेंगे और उक्त सड़क पर सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

उक्त सड़क पर दिन व रात्रि में पुलिस गश्त तथा पिकेटिंग की व्यवस्था कर दी गई है ।

कुमाऊं एक्सप्रेस में बीलपुर स्टेशन, बरेली जिला में पड़ी डकैती की जांच

*६—श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १२ मार्च, १९७० को जो डकैती बीलपुर रेलवे स्टेशन, जिला बरेली में तथा १८ मार्च, १९७० को कुमायूं एक्सप्रेस में हुई उसमें कितने व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार किये गये और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा तथा मुसाफिरों की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया ? और क्या केंद्रीय सरकार ने भी कुछ आदेश राज्य सरकार को इस विषय में दिये हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दिनांक १२ मार्च को नहीं बल्कि दिनांक १३/१४-३-७० की रात में बीलपुर रेलवे स्टेशन पर डकैती पड़ने की सूचना थाना जी०आर०पी० बरेली पर प्राप्त हुई । जांच से यह घटना असत्य पाई गई । अतः इसमें अंतिम रिपोर्ट लगाई गई ।

कुमायूं एक्सप्रेस में हुई १८-३-७० को डकैती की घटना के संबंध में एक मुकदमा थाना जी०आर०पी०, बरेली सिटी में दर्ज हुआ अब तक ५ अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं । शेष अभियुक्तों के गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में जांच जारी है ।

रेलवे स्टेशन तथा मुसाफिरों की सुरक्षा के लिये स्थानीय पुलिस को आदेश दिये गये है कि रात्रि के समय अपने-अपने थाने के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशनों की पैट्रोलिंग करायें तथा स्थानीय अपराधियों पर कड़ी दृष्टि रखे । इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार प्रभावित रेलवे लाइन व रेलवे स्टेशनों पर पुलिस गार्ड की नियुक्ति भी की जाती है। रात्रि की २०३ गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिये पुलिस गार्ड लगाई गई है । रेलवे स्टेशनों आदि की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार से भी आदेश प्राप्त हुये थे और पुलिस महानिरीक्षक को आवश्यक निदेश भेजे गये ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

भारत सरकार से जो आदेश प्राप्त हुये हैं कृपया माननीय मंत्री जी उन्हें पढ़कर बता दें कि क्या आदेश प्राप्त हुये हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी । वैसे उसका जो सारांश है वह मैंने बता दिया ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

श्रीमन् अभी जो उत्तर मंत्री जी ने स्वयं पढ़ा उसमें लिखा है कि भारत सरकार से अभी आदेश प्राप्त हुये हैं । इसमें नोटिस की आवश्यकता नहीं है इसलिये कि आदेश तो पढ़े ही होंगे जो प्राप्त हुये हैं । तो जरा उनको पढ़ दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इतफाक से वह मेरी फाइल में मिल गये हैं । अगर आप आज्ञा दें तो मैं उनको पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष—

पढ़ दीजिये ।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

"My dear Shri Gupta Ji,

This is in continuation of my D. O. letter no. 68-Sec(Cr.)/184/17, dated 9th April 1969, which I addressed to you regarding the sense of insecurity felt by passengers and railway staff due to increasing number of robberies, dacoities and murders in running trains (and railway premises etc.).

Some recent incidents were mentioned in the D. O. letter, a copy of which is enclosed for ready reference.

Some diabolical crimes have been committed in the last few weeks which have increased the sense of insecurity among the passengers and railway staff.

The dacoity at Agwanpur Railway Station (Moradabad-Najibabad section) on 14th April, 1969 ; the dacoity at....."

श्री नित्यानन्द स्वामी—

एक सहायक भेज दीजिये पढ़ने के लिये.....

श्री अध्यक्ष—

इतना ज्यादा लम्बा है, मैं पढ़ने की इजाजत नहीं देता हूं । आप इसे लिखा दें संबंधित सदस्यों को ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जो कुमायूं एक्सप्रेस में डकैती पड़ी तो कितने अभियुक्त पकड़े गये हैं और कितने पकड़ने बाकी हैं और वे कहां के निवासी हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

५ गिरफ्तार हुये हैं और ४ फरार हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जिस दिन यह डकैती पड़ी है जिसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं लगायी गयी, उस समय जो लोग गार्ड थे जो कि ट्रेन के ऊपर तैनात थे उन पर भी सरकार ने कोई कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

तहकीकात हो रही है । अगर वे दोषी पाये गये तो जरूर कार्यवाही की जायगी । आपकी इजाजत से बताना चाहता हूं कि सदन को कि यह बरेली के आस-पास रेलवे में डकैती पड़ना यह बहुत दिनों से हो रहा है, १० साल तो मुझको मालूम है । तो मालूम ऐसा होता है कि इलाके में आस-पास इसके एक्सपर्ट हैं । तो अभी १०—१२ दिन हुये हमने आई० जी० को आर्डर दिया कि सी०आई०डी० के जरिये, चाहे कितना ही समय लगे और कितने ही आदमी लगाने पड़े, इसकी तहकीकात करायें कि कौन आदमी हैं और यह जुर्म क्यों हो रहे हैं इसी इलाके में ।

जिला चमोली के मेलखेत स्थान पर पुल निर्माण कार्य

*७—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६९ के दूसरे गुरुवार ३१ जुलाई, १९६९ को पूछे गये प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र थराली

जिला चमोली की पिण्डर नदी पर मेलखेत नामक स्थान में २५ अप्रैल, १९७० तक पुल निर्माण कार्य की क्या प्रगति है ? कार्य पूरा करने की क्या अवधि निश्चित की गई है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

२५-४-१९७० तक पुल के हिस्से कार्य स्थल तक ले जाने तथा वहां उनको फिट करके लगाने एवं पुल तक प्रवेश मार्ग (एप्रोच रोड) बनाने को छोड़ कर अन्य सब कार्य लगभग पूरा हो चुका था। पुल का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य जून, १९७० निर्धारित किया गया था। परन्तु इस लक्ष्यानुसार कार्य पूर्ण करना सम्भव नहीं हो सका क्योंकि जैसा कि सदन को पहले सूचित किया जा चुका है पुल काफी दुर्गम स्थान पर बनाया जाना है। वहां तक पहुंचने के लिये जो वन विभाग के पैदल मार्ग है उनकी स्थिति अत्यन्त खराब है तथा उन मार्गों से पुल के भारी भारी हिस्सों को ले जाना सम्भव नहीं है। अतः उन्हें सुधारने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आशा की जाती है कि अब पुल का निर्माण कार्य मार्च, १९७१ तक पूरा हो जायेगा।

श्री शेरसिंह बानू—

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल का ठेका कब दिया गया, कब इस पर काम शुरू हुआ और कितनी इसकी मियाद रखी गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसकी तो सूचना नहीं है, वैसे काफी काम हो चुका है और हम इसको जल्दी पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह—

मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि पहले इस पुल का निर्माण पूरा कराने का लक्ष्य जून, १९७० तक था, तो जो बाधायें मंत्री जी बता रहे हैं, क्या उस समय उनके सामने नहीं थीं जब इस लक्ष्य को रखा गया था ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बाधायें सामने नहीं होती हैं, वे बाद में मालूम होती हैं और कुछ सामने होती हैं और तीसरी बात यह है कि कुछ अफसरों से भी गलती हो जाती है।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जंगलात की सड़कें कच्ची हैं, क्या यह प्रश्न उस समय उनके सामने नहीं था ?

श्री अध्यक्ष—

यह छोटी चीज है।

श्री दीपनारायण मणि—

अभी यह कहा गया है कि काम शुरू हो गया है। मैंने तीन-चार दिन हुये स्वयं देखा है कि काम शुरू नहीं हुआ है। क्या मुख्य मंत्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे जो मैं कह रहा हूं उसको सूचना मान कर ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

बड़े-बड़े हैवी पार्ट्स होते हैं जिनको रास्ता खराब हो जाने के कारण नहीं ले जा सकते। वन विभाग से कहा गया है कि मार्ग ठीक करावें। जैसे ही मार्ग ठीक हो जायेगा जल्दी से जल्दी निर्माण कराने का प्रयत्न करेंगे।

शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि काम शुरू हो गया है और माननीय सदस्य ने बताया कि काम शुरू नहीं हुआ है। तो मैं जानना चाहूंगा कि काम शुरू होने की इत्तला उनको किस अधिकारी ने दी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो काम अब तक हो चुका है उसका विवरण इस प्रकार है :—

	प्रतिशत
१—पुल के टावर एण्ड एबेटमेंट	१००
२—पुल के भागों का प्रबन्ध एवं कार्य स्थल पर ले जाना ..	७९
३—बीयरिंग्स	५०
४—ऐंकर ब्लाक	९०

जो बाकी काम हैं वे हैं इरेक्शन, ऐप्रोचेज और डेकिंग के काम।

श्री शेर सिंह दानू—

मुख्य मंत्री जी मेरी सूचना को सत्य मानकर कि जो रास्ते बने हैं वे सही हैं यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि रास्ते ठीक हैं और जो जवाब दिया गया है वह गलत दिया गया है और इस पुल को इस वर्ष पूरा कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है यह बात सही है। काम बहुत जल्दी शुरू हो जायेगा और हम प्रयत्नशील हैं कि मार्च, १९७१ तक यह काम पूरा हो जाय।

श्री शेर सिंह दानू—

अभी उत्तर मिला है कि यह सही है। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

हमारे पास कोई कारण नहीं है कि जो हमारे अफसरों ने इत्तला दी है उसको गलत मानें। अगर माननीय सदस्य तफसील में बता देंगे कि यह गलत है तो तहकीकात करा लेंगे।

ग्राम ताहिर पुर बडिहार, जिला आजमगढ़ में कानूनगो तथा लेखपाल की गिरफ्तारी

*८—श्री श्याम लाल तथा श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक २१ अप्रैल, १९७० को आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुहम्मदाबाद गोहना तहसील में ग्राम ताहिरपुर बडिहार के श्री गामा यादव द्वारा कानूनगो, श्री उदयभान लाल और अस्थायी लेखपाल, श्री मोतीराम को १०० रुपया घूस देते समय रंगे हाथ डी० वाई० एस० पी०, श्री शुक्ला द्वारा गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक २१ अप्रैल, १९७० को आजमगढ़ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना तहसील में ग्राम ताहिरपुर बडिहार के श्री गामा यादव से १०० रु० घूस लेने के अपराध के संबंध में कानूनगो, उदयभान लाल और अस्थायी लेखपाल, श्री मोतीराम को डी० वाई० एस० पी० पचम, आजमगढ़ ने गिरफ्तार किया था।

इस संबंध में एक मुकदमा धारा १६१/१६२ भा०दं०वि०/धारा ५(२) प्र०नि०ए० के अन्तर्गत थाना मुहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़ में अंकित किया गया जिसकी जांच जारी है।

श्री श्याम लाल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच कब आरम्भ हुई और उसका अब तक क्या परिणाम निकला ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, २१-४-७० को घटना हुई थी तभी से जांच आरम्भ हुई जो अभी पूरी नहीं हुई है।

श्री श्याम लाल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब लेखपाल और कानूनगो एक ही मुकदमें में गिरफ्तार किये गये तो क्या वजह है कि कानूनगो को छोड़ दिया गया और लेखपाल को जेल भेज दिया गया ?

श्री चरण सिंह—

हमें इसकी वजह नहीं मालूम।

श्री श्याम लाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एक ही मुकदमें के सिलसिले में कानूनगो और लेखपाल दोनों को गिरफ्तार किया गया और कानूनगो को रिश्वत लेकर थाने से छोड़ दिया गया और लेखपाल को जेल भेज दिया गया ?

श्री चरण सिंह—

मेरे खयाल से दो चीजें हो सकती हैं। एक तो दोनों की शहादत में फर्क रहा होगा। एक ने साबित कर दिया होगा कि मेरा कसूर नहीं है अथवा यह हो सकता है कि एक ने जमानत दे दी हो और दूसरा जमानत न दे सका हो। असली कारण क्या है, यह मुझको नहीं मालूम यह मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

ग्राम कहला, जिला प्रतापगढ़ के जगदम्बा प्रसाद का अपहरण एवं कतल

*६—श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जिला अन्तर्गत थाना रानीगंज, ग्राम निवासी कहला के जगदम्बा प्रसाद को कुछ षड़यन्त्रकारियों ने गायब कर दिया था और आज तक उनका कहीं पता नहीं है ? क्या उनको मार कर पतुलिकी के बन में फेंक दिया गया था और इसकी सूचना थाना थरवई, जिला इलाहाबाद की पुलिस ने ग्रामीणों को १५ व २० मई, १९६९ को दी थी और मृतक जगदम्बा प्रसाद की जेब में एक सिंचाई विभाग की रसीद थी जिसमें उनका नाम अंकित था ? यदि हां, तो सम्बन्धित पुलिस ने आज तक क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार इस दुर्घटना के कारणों की जांच सी०आई०डी० विभाग द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

नोट :—तारांकित प्रश्न ६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चरण सिंह—

ग्राम कहला, जिला प्रतापगढ़ निवासी, श्री जगदम्बा प्रसाद को किसी के द्वारा गायब किये जाने की कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली। ग्राम पतुलकी के एक कुयें में एक लाश होने की सूचना दिनांक १९-५-६९ को थाना थरवई, इलाहाबाद में प्राप्त हुई थी। लाश कुयें से निकलवाने पर उसके पास ही एक हैन्डबैग भी मिला था जिसमें एक पोस्ट कार्ड, कुछ कागजात तथा अन्य सामान पाये गये थे। पोस्ट कार्ड जगदम्बा प्रसाद के नाम से पाया गया। कुयें में लाश होने की सूचना मिलने पर थाना थरवई पर धारा ३०२ भा०दं०वि० के अन्तर्गत इस्तेवाही रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच प्रारम्भ की गई। लाश का पोस्ट-मार्टम कराया गया। जांच के उपरान्त इस मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

मामला अधिक पुराना हो चुका है, अतः सी० आई०डी० की जांच से कोई लाभ होने की आशा नहीं है।

पुण्यगिरि के मेले में बच्चों के गुम होने की शिकायत

*१०—श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल एवं अल्मोड़ा की सीमा पर पुण्यगिरि के मेले पर १ मार्च, १९७० से २५ अप्रैल, १९७० तक कितने बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट लिखी गई हैं? और उनमें सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री चरण सिंह—

१ मार्च, १९७० से २५ अप्रैल, १९७० की अवधि में पुण्यगिरि के मेले से एक ५ वर्ष की लड़की के खो जाने की रपट दिनांक १४-४-७० को थाना कोतवाली, बरेली में लिखाई गई। जिसकी प्रति थाना टनकपुर, जिला नैनीताल में उसी दिन लड़की के पिता द्वारा प्राप्त हुई। थाना टनकपुर की पुलिस ने मेले के कर्मचारियों द्वारा लड़की की तलाश की व्यवस्था की और लड़की के पिता को भी हिदायत की कि वे भी तलाश करें। इस सम्बन्ध में जांच हो रही ही थी कि दिनांक १७-४-७० को रजिस्टर्ड डाक द्वारा लड़की के पिता का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें सूचित किया गया था कि खोई हुई लड़की मिल गई। इस सूचना पर जांच बन्द कर दी गई।

सीतापुर जिले में नलकूपों का निर्माण

*११—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर में कुल ऐसे कितने नलकूप बने हैं, जिन्हें विद्युत् दी गई है और नहर कमांड के अन्तर्गत हैं?

विद्युत् मंत्री (श्री राम लखन)—

केवल दो नलकूप।

उत्तर प्रदेश में विधायकों को संरक्षक देना

*१२—श्री गंगा प्रसाद—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल, १९७० में कितने ऐसे विधायकों को जो मन्त्री परिषद् के सदस्य नहीं हैं, अंगरक्षक दिये गये हैं और इसका क्या कारण है?

श्री चरण सिंह—

अप्रैल, १९७० में दो ऐसे विधायकों को कुछ दिनों के लिये अंगरक्षक दिये गये क्योंकि उनको जान का खतरा था।

कोतवाली गोंडा के कोतवाल के विरुद्ध शिकायत की जांच

*१३—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री सूरज लाल गुप्ता (जिला गोंडा) तथा श्री श्रीराम सिंह—

क्या गृह मन्त्री को इसकी जानकारी है कि विधान सभा सदस्य, श्री राम सिंह का कोई शिकायती-पत्र कोतवाली गोंडा के कोतवाल द्वारा किये जा रहे अनियमित कार्यों के विरुद्ध उन्हें सितम्बर या अक्तूबर, १९६९ में मिला था ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

श्री रामसिंह, एम०एल०ए० ने दिनांक १७-१-७० को गृह मंत्री को एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें उन्होंने दो आरोप लगाये थे। पहला आरोप यह था कि जब दिनांक २९-१२-६९ को थानाध्यक्ष कोतवाली, गोंडा की सूचना मिली कि एक लाख रुपये की कीमत के खाद की चोरी हो गई है तो उन्होंने किसी प्रकार खाद को छिपवा दिया तथा इस चोरी की रपट उन्होंने दिनांक ५-१-७० को लिखी। श्री शिवदर्शक राय, डी० एस० पी०, सी० आई० डी० थानाध्यक्ष, कोतवाली के रिश्तेदार हैं अतएव उन्होंने निष्पक्ष जांच नहीं की। दूसरा आरोप यह था कि ग्राम सालपुर धोतल में एक स्त्री की हत्या उसके पति ने कर दी है। पर थानाध्यक्ष कोतवाली ने कोई कार्यवाही नहीं की।

पहले आरोप की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा हो रही है। जांच समाप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। दूसरे आरोप की जांच उप अधीक्षक, गोंडा ने की थी। जांच से विदित हुआ कि श्रीमती फूलकला की मृत्यु पेट की बीमारी के कारण हुई थी।

थाना कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के थानेदार दोयम द्वारा नशे की हालत में मार-पीट

*१४—श्री बिहारी लाल (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री रियासत हुसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में फरवरी, सन् १९७० में व्यापारी (भट्ठा मालिक) और वहां के थानेदार से थाने के अन्दर मारपीट हुई ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

*१५—क्या गृह मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिन थानेदारों से झगड़ा हुआ क्या वह शराब के नशे में थे और उनकी डाक्टरी जांच हुई ? यदि हां, तो उन थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। दिनांक २६/२७ फरवरी, १९७० की रात्रि में थाना कायमगंज में श्री अनवार अहमद, भट्ठा मालिक तथा वहां के सब इन्सपेक्टर (द्वितीय) के बीच कुछ मारपीट हुई। इस मामले की उप-पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद ने जांच की।

श्री अनवार अहमद और सब-इन्सपेक्टर (द्वितीय) दोनों की डाक्टरी जांच कराई गई। जांच से ऐसा आभास पाया गया कि श्री अनवार अहमद तथा सब-इन्सपेक्टर, श्री प्रिथी सिंह शराब पिये हुये थे परन्तु अपने पूरे होशो हवास में थे।

सब-इन्स्पेक्टर की चरित्र पुस्तिका में एक दुश्चरित्र लेख अंकित किये जाने और उनका सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोके जाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

लोलती—ग्वालदम फलपट्टी योजना चमोली के लिये भूमि वितरण

*१६—श्री शेरसिंह बानू—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीमान्त जिला चमोली के ग्वालदम थराली फल पट्टी योजना के लिये भूमि वितरण में क्या विलम्ब है ? क्या इस योजना के अन्तर्गत केवल भूमिहीनों को ही भूमि वितरण करने का विचार है ?

श्री चरण सिंह—

विलम्ब का कारण यह है कि थराली ब्लाक के लोलती—ग्वालदम क्षेत्र में फलपट्टियों की स्थापना के लिये जिस बेनाप तथा वन पंचायत भूमि का चयन किया गया है उसका अभी मापन कार्य सम्पन्न होना है। इसके अतिरिक्त चयन की गई अधिकांश बेनाप भूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है जिनको बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत भूमिहीन तथा भूमि वाले, दोनों श्रेणी के प्रार्थियों को भूमि वितरित की जायगी।

*१७—श्री शेरसिंह बानू—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उपरोक्त योजना (फलपट्टी) के लिये वन विभाग से कितनी और कब तक भूमि उपलब्ध करने का विचार है ?

श्री चरण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पीलीभीत गन्ना समिति के संचालक सदस्यों के विरुद्ध वारण्ट गिरफ्तारी व कुर्की के नोटिस

*१८—श्री रूपराम (जिला शाहजहांपुर), श्री हरनारायन (जिला पीलीभीत) तथा श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व अवैतनिक मन्त्री, पीलीभीत गन्ना समिति एवं गन्ना विकास निरीक्षक वसूली में सन् १९६८-६९ में पीलीभीत गन्ना समिति के कितने संचालक सदस्यों के वारन्ट गिरफ्तारी व कुर्की तथा साइटेशन नोटिस के निकलवाये तथा गन्ना विभाग ने ऐसे संचालक सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

वर्ष १९६८-६९ में पीलीभीत गन्ना समिति के दो संचालक सदस्यों के विरुद्ध वारण्ट गिरफ्तारी व कुर्की तथा चार संचालक सदस्यों, जिनमें उपरोक्त दोनों संचालक सदस्य भी सम्मिलित थे, के विरुद्ध साइटेशन नोटिस निकलवाये गये। तीन संचालक सदस्यों ने पूरे ऋण का भुगतान कर दिया है। चौथे संचालक सदस्य के विरुद्ध रु० ४,२१७.०८ की डिग्री प्राप्त की गई जिसमें से उन्होंने रु० १,९०० जमा कर दिया। अवशेष रु० २,३१७.०८ की वसूली हेतु अदालती कार्यवाही की जा रही है।

[१८ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[९वें सोमवार के ता० प्र० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[१२ मई, १९७० को ता० प्र० १६ के अन्तर्गत उत्तरित]

*३—श्री जगदीश गांधी तथा श्री नेपाल—

[९ जून, १९७० को ता० प्र० ४ के अन्तर्गत उत्तरित]

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा संचालित परीक्षाओं को राजकीय सेवा में मान्यता

*४—श्री राम गोपाल संड तथा श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा संचालित परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को राजकीय सेवाओं में लिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चरण सिंह—

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा संचालित निम्नलिखित परीक्षाओं को उनके सामने उल्लिखित पदों पर नियुक्ति के लिये पहले ही से मान्यता प्राप्त है :

साहित्य रत्न—राज्यकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिन्दी अध्यापकों ।

मध्यमा—ट्रेण्ड अन्डर ग्रेजुयेट तथा सी० टी० ग्रेड अध्यापकों ।

साहित्य सम्मेलन की इन परीक्षाओं को विश्वविद्यालयों की डिग्री के समकक्ष सामान्य मान्यता के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब कि प्रदेश के विश्वविद्यालय यह प्रमाणित कर दें कि सम्मेलन की परीक्षायें उनके द्वारा दी जाने वाली डिग्री के हर प्रकार से बराबर हैं।

*५—श्री राम गोपाल संड तथा श्री रामपूजन पटेल—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सचिव ने उनको इस प्रसंग में कितने स्मरण-पत्र भेजे हैं ?

श्री चरण सिंह—

सचिव की ओर से दिनांक ८ अक्तूबर, १९६९ को तथा कार्य सचिव की ओर से २ अप्रैल, १९६९ तथा २१ जनवरी, १९७० के तीन स्मरण-पत्र प्राप्त हुये हैं। इनके अतिरिक्त हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अन्य पदाधिकारियों ने भी इस विषय से संबंधित कुछ पत्र भेजे हैं ।

प्रदेश की जेलों व हवालातों में कैदियों द्वारा हत्या तथा आत्महत्या

*६—श्री मंजूर अहमद—

क्या जेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि अगस्त, १९६७ से २९ अक्तूबर, १९६९ तक उत्तर प्रदेश की जेलों में कितने कैदी या हवालातों में कितने कैदी आत्महत्या से और कितने आपस में लड़ कर मरे इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

कारागार मंत्री (श्री बिशन लाल)—

अगस्त, ६७ से २९ अक्तूबर, ६९ तक जेलों में तथा जेल हवालातों में आत्महत्या से ६ कैदी मरे। कैदियों की आपसी लड़ाई के परिणामस्वरूप हुये घातक प्रहार से एक अन्य कैदी की मृत्यु हुई। प्रथम ६ आत्महत्या की घटनाओं में देखभाल आदि में ढिलाई के लिये जिम्मेदार

[श्री बिशन लाल—]

पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप ५ घटनाओं में दोषी कर्मचारियों को समुचित दण्ड दिया गया जबकि शेष एक घटना में अन्तिम रूप से कोई दोषी नहीं ठहराया जा सका। आपसी मारपीट की एकमात्र घटना में, जिसमें कोई जेल कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है, घातक प्रहार करने वाले बन्दी के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये जेलों को समय-समय पर निदेश (सर्कुलर) भी जारी किये गये हैं।

प्रदेश की जेलों से कैदियों के पलायन पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*७—श्री मंजूर अहमद—

क्या जेल मन्त्री बतायेंगे कि अगस्त, १९६७ से २३ अक्तूबर, १९६९ तक उत्तर प्रदेश की जेलों में से कितने कैदी भागे और किन-किन दफात के मुलजिम शामिल हैं? क्या यह सही है कि झांसी जेल से दो मुलजिम जिनको फांसी की सजा थी, भाग गये? यदि हां, तो सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री बिशनलाल—

इस अवधि में ५४ बन्दी भागे थे। इनमें निम्नलिखित धाराओं के बन्दी शामिल हैं:—

भारतीय दण्ड विधान की धारा ४५१, ३९५, ३९७, ४२०, ३८०, ३०२/३४, ३९४, ३२८, ३८१, ३९९, ४०२, ३०७, ३५९, ३९२, ३७९, ३९६, ४११, ३५४, ४५८ व ४५४।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०९, २५ आर्म्स ऐक्ट, ५ टेलीग्राफ ऐक्ट, ११२ व १२२ रेलवे ऐक्ट तथा ६० एक्साइज ऐक्ट।

झांसी जेल से दो मृत्यु दण्ड प्राप्त बन्दी २४/२५-७-६७ को भागे थे। इस घटना में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गई:

एक जेलर को दो वर्ष के लिये उप जेलर के पद पर उतार दिया गया।

चार वार्डरों को बरखास्त कर दिया गया।

एक वार्डर की वार्षिक बढ़ोत्तरी २ वर्ष के लिये रोक दी गई।

एक वार्डर का वेतन-क्रम ८० रु० से घटा कर ६८ रु० कर दिया गया।

एक अन्य वार्डर का वेतन-क्रम ९० रु० से घटा कर ८८ रु० पर एक वर्ष के लिये कर दिया गया। बरखास्त शुदा वार्डरों में से दो के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जा रहा है।

जल विद्युत् विभाग, बुलन्दशहर के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

*८—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, सन् १९६९ से १० मार्च, १९७० तक की अवधि में जल विद्युत विभाग, बलन्दशहर के कितने अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गये और उनमें से अलग-अलग प्रत्येक दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामलखन—

६ अराजपत्रित कर्मचारी एवं १ राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं और उनकी जांच हो रही है। उसके उपरान्त ही अपराध का निर्धारण किया जा सकता है।

सचिवालय की मुख्य सचिव शाखा में जूनियर ग्रेड लिपिक एवं टेलीफोन आपरेटरों के पद

*९—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के मुख्य सचिव की शाखा में जूनियर ग्रेड लिपिक एवं टेलीफोन आपरेटरों के कितने पद हैं, और उनकी अवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नति किस आधार पर की जाती है ?

श्री चरण सिंह—

उत्तर प्रदेश सचिवालय, मुख्य सचिव शाखा में जूनियर ग्रेड लिपिक एवं टेलीफोन आपरेटरों के पदों की संख्या निम्न प्रकार है :—

जूनियर ग्रेड लिपिक	..	११
टेलीफोन आपरेटर्स	..	१५

(टेलीफोन मानीटर के एक पद सहित)।

उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिकवर्गीय कर्मचारिवर्ग नियमावली, १९४२ के नियम २४ के अन्तर्गत अवर वर्ग सहायक के पद का एक रिक्त स्थान भरती के प्रत्येक दूसरे वर्ष ऐसे टेलीफोन आपरेटरों और कनिष्ठ श्रेणी के लिपिकों और इन पदों की प्रतीक्षा सूचियों के ऐसे अनुमोदित अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रहता है जिन्होंने उस वर्ष की पहली जुलाई को जब नियम ५ (बी) (४) में निर्दिष्ट परीक्षा हो, सचिवालय में स्थानापन्न या अस्थायी सेवा सहित कम से कम कुल तीन वर्ष की सेवा की हो और जिनका कार्य उनकी चरित्र-पंजी तथा वैयक्तिक पत्रावली पर विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सन्तोषजनक समझा जाय और जो उक्त परीक्षा में उस स्तर के हों जिसे आयोग उचित समझे।

राज्य विद्युत् परिषद् में लेखाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के नियम

*१०—श्री जगदीश गांधी—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् परिषद् के मुख्य कार्यालय के लेखाधिकारी के तथा उपलेखाधिकारी के कितने पद १ मार्च, १९७० को स्वीकृत हैं ? उनमें विभागीय कर्मचारी कितने प्रतिशत हैं, उसकी नियुक्ति के नियम कब बने तथा उनके अनुसार शेष नियुक्ति कब तक होगी ?

श्री रामलखन—

दिनांक १—३—१९७० को राज्य विद्युत् परिषद् में लेखाधिकारी के कुल आठ पद हैं और उप लेखाधिकारी का कोई पद नहीं है। इनमें इस समय विभागीय कर्मचारी १२.५ प्रतिशत हैं। इनके नियुक्ति संबंधी नियम परिषद् द्वारा बनाये जा रहे हैं। परिषद् के अन्तरिम निर्णय के अनुसार निर्धारित प्रतिशत में विभागीय कर्मचारी चुने जा चुके हैं।

*११—१२—श्री राम लाल राही—

[१२ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*१३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[१३ वें बुधवार के ता० प्र० ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[१२ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*१५—श्री अनन्त राम जायसवाल तथा श्री हरिवंश सहाय—

[१२ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

थानाध्यक्ष, फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली के विरुद्ध कार्यवाही

*१६—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि दिनांक २७ मार्च, १९७० को उप गृह मन्त्री, श्री ओम प्रकाश सिंह को श्री बृजपाल सिंह जी सरपंच, निवासी शिवपुरी, थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली व अन्य लोगों ने थाना फतेहगंज पूर्वी के इंचार्ज महोदय के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अफीम की तस्करी आदि के विषय में लिखित शिकायतें कीं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। श्री बृजपाल सिंह, सरपंच, ग्राम सैपुरा (शिवपुरी) तथा एक अन्य व्यक्ति का प्रार्थना-पत्र दिनांक २७-३-७० श्री ओम प्रकाश सिंह उप मंत्री को प्राप्त हुआ था।

इस प्रार्थना-पत्र में थानाध्यक्ष, थाना फतेहाबाद पूर्वी के विरुद्ध जनवरी, १९७० में बरामद की गई अफीम की मात्रा कम करके कागजात में दिखाने और घूस लेकर दो अभियुक्तों को छोड़ देने की शिकायतें की गई थीं। इस प्रार्थना-पत्र की सर्किल अफसर, पुलिस द्वारा जांच की गई जिससे अफीम की बरामदगी के बारे में थानाध्यक्ष को दोषी पाया गया किन्तु भ्रष्टाचार का आरोप उनके विरुद्ध प्रमाणित नहीं हुआ। थानाध्यक्ष को पुलिस लाइन स्थानान्तरित किया गया और निलम्बित भी कर दिया गया है। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*१७—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि २७ मार्च, १९७० को जब श्री ओम प्रकाश सिंह जी उप मंत्री बरेली गये तो श्री गोपाल गोविन्द, निवासी कस्बा, फतेहगंज पूर्वी ने भी थाना इंचार्ज, फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली के विरुद्ध लिखित रूप से उनकी बहिन के साथ अभद्र व्यवहार ९ मार्च, १९७० को करने की शिकायत की और इसी प्रकार के अनेक प्रार्थना-पत्र थानाध्यक्ष फतेहगंज पूर्वी के विरुद्ध ९ मार्च, १९७० से २७ मार्च, १९७० तक मुख्य मंत्री जी व एस० पी०, बरेली को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष तथा उनके सहयोगियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

उप मंत्री, पुलिस विभाग को सम्बोधित सर्वश्री गोपाल गोविन्द व राजेन्द्र कुमार, निवासी फतेहगंज पूर्वी का प्रार्थना-पत्र दिनांक २७-३-७० पुलिस अधीक्षक, बरेली को प्राप्त हुआ था। श्री गोपाल गोविन्द ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ११-३-७० को अध्यक्ष, जिला परिषद बरेली को भी दिया था। २७-३-७० के प्रार्थना-पत्र में ९-३-७० को थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थी की बहिन से अभद्र व्यवहार किये जाने की कोई शिकायत नहीं की गई थी। उक्त २७-३-७० के प्रार्थना-पत्र में जो शिकायतें थीं उनकी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की गई। जांच से थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें सही नहीं पाई गईं।

देवप्रयाग जल विद्युत् योजना का लक्ष्य

*१८—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवप्रयाग जल विद्युत् योजना को पूरा करने के लिये कितना समय निर्धारण किया गया था ? इस योजना के अभी तक पूरी न होने का क्या कारण है ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला देवरिया में बघउच घाट पर थाने की स्थापना की प्रार्थना

*१९—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया की सीमा पर खनुआ नदी के किनारे अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान में रख कर क्या सरकार बघउच घाट में एक पुलिस थाना स्थापित करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२०—श्री रामधारी शास्त्री—

[१२ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*२१—श्री जगदीश गांधी—

[१२ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*२२—श्री श्याम लाल—

[१२ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*२३—श्री श्यामलाल तथा श्री भाभी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मेरठ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिवीजन के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के विरुद्ध जांच

*२४—श्री मंजूर अहमद—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिवीजन, मेरठ के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता का दिनांक १० नवम्बर, १९६९ का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम लखन—

जी हां, सम्बन्धित शिकायती-पत्र पर जांच कराई जा रही है ।

*२५—श्री चेतराम गंगवार—

[६ठें सोमवार के ता० प्र० १०२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२६–२७—श्री रियासत हुसैन—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला गढ़वाल में गोणी छीड़ा विद्युत् योजना की समाप्ति

*२८—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में गोणी छीड़ा विद्युत् योजना से बेजरों, बीरांखाल तथा थैलीसेण ग्राम समूहों को जो बिजली दिये जाने की योजना थी, वह गोणी छीड़ा योजना किन विशेष कारणों से समाप्त की गई है ?

*२९—क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त योजना से जो सिंचाई के लिये पानी मिलने वाला था वह किस योजना से मिलेगा ?

श्री रामलखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

फैजाबाद कोतवाली में मुनीर की मृत्यु के कारणों की जांच

*३०—श्री श्यामलाल—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि शहर के मुनीर नामक व्यक्ति को कोतवाली पुलिस, फैजाबाद ने २ अप्रैल, १९७० को इतनी पिटाई की कि वह कोतवाली में ही मर गया ? यदि हां, तो सरकार की ओर से उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

मुनीर, पुत्र राज मोहम्मद, थाना कोतवाली पर अंकित अपराध संख्या ५६ के अन्तर्गत धारा २५ आर्म्स ऐक्ट का एक अभियुक्त था और जमानत पर था । उसके नाम दिनांक १७-३-७० को एक गैर जमानती वारन्ट जारी किया गया था परन्तु मुनीर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करता रहा । पुलिस रेकर्ड के अनुसार दिनांक २-४-७० को एक कांस्टेबिल ने उसे एक सार्वजनिक सड़क पर देखा और गिरफ्तार करने के लिये उसका पीछा किया । मुनीर, जो गिरफ्तारी से बचने के लिये भागा था, ने भाग दौड़ के दौरान अपनी जेब से निकाल कर कुछ खा लिया—जिसके थोड़ी ही देर बाद वह बेहोश हो गया । वह बेहोशी की हालत में कोतवाली लाया गया जहां उसे तुरन्त सदर अस्पताल, फैजाबाद पहुंचाया गया । अस्पताल में उसी दिन लगभग ७-३० बजे उसकी मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु के कारणों के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रीरियल जांच हो रही है ।

*३१—श्री मंजूर अहमद, श्री रूपनाथ सिंह यादव, श्री आभी तथा श्री रामधारी शास्त्री—

[१२ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*३२-३३—श्री तेजनरायन, श्री छेदालाल चौधरी, श्री माखनलाल मिश्र तथा श्री सेवाराम—

[१२ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

देवरिया के पुलिस कप्तान तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे का व्यय

*३४—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देवरिया के पुलिस कप्तान तथा कुछ अन्य पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय म कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट का मुकदमा चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त मुकदमे की पैरवी का सारा खर्चा क्या सरकार वहन कर रही है ?

श्री चरण सिंह—

जी हां । मुकदमे में पुलिस कप्तान तथा पुलिस कर्मचारियों का प्रतिवाद सरकारी व्यय पर किया जा रहा है । यह इस शर्त पर है कि यदि उक्त अधिकारी पुलिस कर्मचारी न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाते हैं तो उन पर किया गया व्यय उनसे वसूल कर लिया जायेगा ।

जिला प्रतापगढ़ के बरहुआ भोजपुर के गोलीकाण्ड के अभियुक्तों का आत्म समर्पण

*३५—श्री रामदेव—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत कोतवाली थाने के बरहुआ-भोजपुर ग्राम में दिनांक २२ मार्च, १९७० ई० को कतिपय व्यक्तियों ने लालबहादुर सिंह, गौरी

गौरीशंकर सिंह तथा कहर धौबी के ऊपर जान से मार डालने की नीयत से गोलियों का प्रहार किया और वे लोग बुरी तरह गोली से आहत, सदर अस्पताल में भर्ती हुये ? प्राथमिक रिपोर्ट उसी दिन की गई ? यदि हां, तो पुलिस ने आज तक उसमें क्या कार्यवाही की ? कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा कितने अभी तक फरार है ?

श्री चरण सिंह--

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री लालबहादुर सिंह, निवासी ग्राम बरहुआ भोजपुर, जिला प्रतापगढ़ ने इस आशय की एक रिपोर्ट थाना कोतवाली में लिखाई कि दिनांक २२-३-७० को कुछ व्यक्तियों ने सर्वश्री गौरीशंकर सिंह और कल्लू धोबी के ऊपर जान से मार डालन की नियत से गोली चलाई। इन दोनों को घायल अवस्था में सदर अस्पताल प्रतापगढ़ लाया गया। प्राथमिक रिपोर्ट उसी दिन दी गई। इस पर धारा १४७/१४८/३०७/३४६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना आरम्भ की गई। अभी ३५ अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसर्पण किया। कोई फरार नहीं है। इन ३५ अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय भेज दी गई है जहां यह मामला विचाराधीन है।

आजमगढ़ के पुलिस कप्तान के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*३६--श्री दर्लासिंगार (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बतायेगी कि उमा शंकर, एम० एल० सी० ने कोई पत्र १३ मई, १९७० को माननीय गृह मन्त्री तथा पुलिस इंस्पेक्टर जनरल को आजमगढ़ के पुलिस कप्तान के विरुद्ध लिखा है ? यदि हां, तो उस पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरण सिंह--

श्री उमा शंकर, एम० एल० सी० ने एक पत्र दिनांक ११-५-७० मुख्य मंत्री जी को १३-५-७० को दिया था। उसकी प्रति उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक को भी दी थी। उस पत्र में उन्होंने कुछ घटनाओं का वर्णन करते हुये पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के विरुद्ध आरोप लगाये हैं, जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध लिखी बातों को बताना जन हित में न होगा।

मेरठ में जल विद्युत् के लाइन इन्सपेक्टर, श्री सुशीलचन्द्र रस्तोगी के विरुद्ध रिश्वत के आरोप की जांच

*३७--श्री मंजूर अहमद, श्री श्याम लाल, श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद), तथा श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जल विद्युत् मेरठ, के एक लाइन इन्सपेक्तर श्री रस्तोगी रिश्वत लेते हुये रंगों हाथों पुलिस द्वारा पकड़े गये थे ? यदि हां, तो क्या उनका मुकदमा अभी तक अदालत में नहीं गया और किन कारणों से ?

श्री चरण सिंह--

थाना सिविल लाइन्स मेरठ में दिनांक ९-१-६९ को उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण, मेरठ ने इस आशय की एक रिपोर्ट लिखाई कि उन्होंने जल विद्युत मेरठ के लाइन इन्सपेक्टर श्री सुशील चन्द्र रस्तोगी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा।

इस मुकदमें में विवेचना से अभियुक्त के विरुद्ध रिश्वत का अपराध पूर्णतया सिद्ध नहीं हुआ। अतः विवेचना समाप्त करके अंतिम रिपोर्ट से संबंधित कागजात की जांच की जा रही है।

*३८--श्री मुस्तफा कामिल किदवई--

[८ वें सोमवार के ता० प्र० १०३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आजमगढ़ थाना गम्भीरपुर में हुए अपराधों पर कार्यवाही

*३९—श्री गोविन्द सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़, थाना गम्भीरपुर में मई, १९६९ से अप्रैल, १९७० तक कितनी डकैती, हत्या तथा चोरी की घटनायें हुई हैं ? कितने मुकदमे दर्ज किये गये उनमें से कितने कोर्ट में भेजे गये और कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ?

श्री चरण सिंह—

जिला आजमगढ़ के थाना गम्भीभीरपुर के अन्तर्गत मई, १९६९ से अप्रैल, १९७० तक की अवधि में डकैती की ५, हत्या की ४ तथा चोरी की २४ घटनायें होने की सूचनायें थाने पर प्राप्त हुई जिनके आधार पर ३३ मुकदमे दर्ज किये गये। विवेचना के उपरान्त डकैती के ३, कत्ल के २ तथा चोरी के चार मुकदमे चालान अदालत किये गये। डकैती के १ मुकदमे में तथा चोरी की १९ घटनाओं में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई।

प्रतापगढ़ के थाना पट्टी के अन्तर्गत डकैतियां

*४०—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि पट्टी जिला प्रतापगढ़ में मार्च, अप्रैल, सन १९७० के दरम्यान कितनी डकैतियां पड़ीं तथा उनके फलस्वरूप कितना सामान लूटा गया और कितनी जाने गयीं ?

श्री चरण सिंह—

थाना पट्टी जिला प्रतापगढ़ में मार्च, अप्रैल, ७० की अवधि में तीन डकैतियों के पड़ने की सूचना प्राप्त हुई जिसमें लगभग १५,०९५ रु० की कीमत का माल लूटा गया। एक व्यक्ति गोली से घायल हुआ था जिसकी बाद में मृत्यु हो गई।

साप्ताहिक 'देवल' को दैनिक 'देवल' बनाने की अनुमति

*४१—श्री राम कुंवर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ से प्रकाशित "देवल" साप्ताहिक पत्र अब कुछ समय से दैनिक पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा है ? इसको दैनिक रूप से प्रकाशित होने के लिये सरकार ने कब और क्यों अनुमति दी ? ऐसी अनुमति के लिये आवश्यक शर्तें इस पत्र ने पूरी कर दी थीं ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। "देवल" साप्ताहिक दैनिक के रूप में २६-१-१९६९ से प्रकाशित हो रहा है। प्रकाशन से पूर्व इस पत्र द्वारा प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियम ५ के अन्तर्गत आवश्यक घोषणा-पत्र दाखिल नहीं किया गया और न इसकी आवश्यक स्वीकृति ही संबंधित मैजिस्ट्रेट द्वारा दी गई। अतः सरकार द्वारा पत्र के प्रकाशन से पहले औपचारिक अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता। पत्र द्वारा जून ११, १९६९ को आवयक घोषणा-पत्र दाखिल किया गया और उसी माह में जिलाधीश, आजमगढ़ ने प्रेस रजिस्ट्रार को एक पत्र इस आशय का भेजा कि उन्होंने पत्र के निरन्तर प्रकाशन बने रहने के लिये प्रकाशन की अनुमति दे दी है।

*४२—श्री राम कुंवर—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत मऊनाथ भंजन कस्बे में २९ मार्च, सन् १९६९ को शुरू हुए साम्प्रदायिक दंगों के सामाचार दैनिक "देवल" पत्र में गलत प्रकाशित हुआ जिससे स्थानीय जनता में बहुत क्षोभ पैदा हुआ और दंगे को बढ़ावा मिला ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं ।

*४३—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला कानपुर के कुड़वा ग्रामवासियों पर सशस्त्र हमला

*४४—श्री रामधारी शास्त्री तथा कुंवर चन्द्र प्रताप नरायन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या गृह मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि ग्राम कुड़वा थाना गजनेर, जिला कानपुर के निवासियों पर लगभग ५० अराजक तत्वों ने आग्नेय अस्त्रों से सुसज्जित होकर दिनांक २२ मार्च, १९७० जो पुनीत पर्व होलिका दहन के समय चढ़ाई करके गोलियां चलायी थीं ? यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति घटना स्थर पर मरे तथा घायल हुये और कितने अपराधी मौके पर पकड़े गये कितने फरार हो गये ?

श्री चरण सिंह—

थाना गजनेर जिला कानपुर में दिनांक २२–३–७० को इस आशय की रिपोर्ट लिखाई गई कि दिनांक २२–३–७० को रात ९–३० बजे होलिका दाह के समय ग्राम कुड़वा थाना गजनेर के ८ व्यक्तियों ने उसी गांव के निवासी, राजबहादुर सिंह को उक्त स्थान पर घेरा और एक व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई जिसके फलस्वरूप राज बहादुर सिंह घायल हो गये । कोई व्यक्ति घटना स्थल पर नही मरा । घटना स्थल पर चार अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये और चार फरार हो गये ।

*४५—श्री रामधारी शास्त्री तथा कुंवर चन्द्र प्रताप नरायन सिंह—

क्या गृह मन्त्री को प्रश्नगत घटना के संबंध में इस बात की भी जानकारी है कि अराजक तत्व अपने साथ कोई स्वचलित शस्त्र भी लाये थे, जिसके कारतूस पुलिस को घटना स्थल पर प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो वह कारतूस कितने और किस बोर के व किस स्वचलित शस्त्र के हैं तथा उसकी बरामदगी के लिये पुलिस के द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये हैं । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तों द्वारा स्वचालित शस्त्र को साथ ले आने का उल्लेख नहीं है और न ही अभी तक इस बात की पुष्टि हो पाई है । घटनास्थल पर पुलिस को राइफल के कुछ कारतूस मिले थे जिनको परीक्षण के लिये भेजा गया है । परीक्षण के परिणाम पर यह निश्चित हो सकेगा कि कारतूस किस प्रकार और किस बोर के आग्नेयास्त्र से चलाये गये थे । इस मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया है तथा जांच की जा रही है ।

विद्युत् कर का बकाया

*४६—श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत कर की कितनी धनराशि ३१ मार्च, १९७० को अवशेष थी और उसकी वसूली के क्या प्रयत्न किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस बकाया धनराशि के न वसूल करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है ?

श्री रामलखन—

३१ मार्च, १९७० तक की अवधि के विवरण प्रदेश की भिन्न भिन्न बिजली सप्लाई कम्पनियों और नियत अधिकारियों से अभी प्राप्त न होने के कारण उक्त तिथि को विद्युत–कर की अवशेष धनराशि का बताना इस समय सम्भव नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

विद्युत् निरीक्षक के यहां क्लर्कों की नियुक्ति

*४७—श्री बसन्त लाल शर्मा—

क्या विद्युत् मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान विद्युत् निरीक्षक के कार्यकाल म ओवरसियर, क्लर्कस और चपरासियों की जो नियुक्तियां हाल में हुई हैं और उनमें से कितने सेवा योजन कार्यालय के द्वारा आये और कितनों को नियम विरुद्ध सीधे रख लिया गया ?

श्री रामलखन—

वर्तमान विद्युत् निरीक्षक के कार्यकाल में हाल में केवल ७ क्लर्कस की नियुक्तियां हुई जो सभी सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से हुई थीं। किसी ओवरसियर तथा चपरासी की हाल में कोई नियुक्ति नहीं हुई।

ग्राम रोरी, जिला मेरठ में हरिजनों की पिटाई

*४८—श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री मंजूर अहमद तथा श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम रोरी, थाना परतापुर, जिला मेरठ में शक्तिशाली व्यक्तियों ने शराब पीकर होली, सन १९७० में हरिजनों की दुकानों व मकानों को लूटा और मारपीट की जिसमें एक हरिजन जान से मर गया और कई जख्मी हुये जिसकी रिपोर्ट थाने में की गई ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक २३-३-७० को थाना परतापुर जिला मेरठ पर श्रीमान सिंह ने इस आशय की की सूचना दी कि उसके गांव के अमुक व्यक्ति उसके दुकान पर आये और कुछ सामान उठाने लगे। मना करने पर उक्त लोगों ने उसे मारा। वह भाग कर बुद्धन के घर में घुस गया। बुद्धन तथा वहां उपस्थित अन्य लोगों के मना करने पर उक्त लोगों ने बुद्धन तथा अन्य लोगों को भी मारा। बुद्धन की सर में चोट अधिक होने के फलस्वरूप अस्पताल में मृत्यु हो गई।

इस सूचना पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। प्रथम सूचना में अंकित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट भेजी गई है। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रातःकालीन न्यायालय

*४९—श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख १३ मई, १९७० को फतेहपुर जनपद के बार एसोसियेशन का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था तथा साथ ही में विधान सभा के ४० से अधिक सदस्यों का हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र को बांदा हमीरपुर की भांति फतेहपुर जनपद में भी सुबह की कचहरी की जावे, दिया था ? यदि हां, तो क्या फतेहपुर जनपद में सुबह की कचहरी करने के आदेश भेजे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

फतेहपुर के कुछ वकील न्याय मंत्री जी से उनके कार्यालय में मिले थे और सुबह की कचेहरी के विषय में बात की थी। विधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षरित कोई भी प्रार्थना पत्र उनको नहीं दिया गया था।

शासन के अदेशानुसार फतेहपुर में सुबह की कचेहरी नहीं की जा रही है।

*५०—श्री जयनारायण सिंह तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में इस वर्ष किन-किन जनपदों में सुबह की कचहरी हो रही है और कौन-कौन से जन पद ऐसे हैं जिनमें गत वर्ष सुबह की कचहरी हुई थी और इस वर्ष नहीं हो रही है ?

श्री चरण सिंह—

इस वर्ष हमीरपुर, बांदा, झांसी, जालौन, मैनपुरी तथा इटावा के ६ जिलों में न्यायालयों के कार्य का समय प्रातःकालीन रखा गया है । गत वर्ष आजमगढ़, बांदा, गाजीपुर, जालौन, मैनपुरी, मिर्जापुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, फतेहपुर, इटावा, मथुरा तथा वाराणसी के १३ जिलों में प्रातः कालीन न्यायालय समय के आदेश हुये थे ।

*५१—श्री राम पूजन पटेल, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री रूप नाथ सिंह यादव—

[११ बें गुरुवार के प्र० सं० ९६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम इटाला, जिला कानपुर में रिवाल्वर का अवैध कारखाना

*५२—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर जिलान्तर्गत थाना सचेंडी के ग्राम इटारा में किसी छात्र डाकू के पास विभिन्न प्रकार के रिवाल्वर बनाने का अवैध कारखाना दिनांक ३० अप्रैल, १९७० या उसके बाद पकड़ा गया है ? यदि हां, तो उसमें कितने शस्त्र बरामद हुये और उस घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री चरण सिंह—

जी हां, यह सही है कि कानपुर जिला अन्तर्गत थाना सचेंडी के ग्राम इटारा में दिनांक ३० अप्रैल, १९७० को शिव कुमार, उर्फ छोटे लाल पुत्र, शिवनाथ, जो कक्षा १२ का छात्र है, के पास रिवाल्वर बनाने का अवैध कारखाना पकड़ा गया है । बरामद किये गये शस्त्रों का विवरण निम्न प्रकार है—

१—एक तमंचा देशी (सम्भवतः ३०३ बोर)

२—एक तमंचा देसी (१२ बोर)

३—सात कारतूस भरे हुये (१२ बोर)

४—खोखा कारतूस (चार अदद १२ बोर)

५—एक कारतूस पीतल का (सम्भवतः ३०३ बोर)

६—दो नाल तमंचा (१२ बोर)

७—तीन बट लोहे के तमंचे के

८—एक घोड़ा लोहे का नया बना हुआ ।

घटना का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :—

थानाध्यक्ष सचेंडी अभियोग संख्या १० धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड संहिता थाना सचेंडी १९७० की विवेचना कर रहे थे । इस अभियोग में उन्होंने शिवलाल पुत्र जगन्नाथ साकिन ईश्वरीगंज थाना सचेंडी, जिला कानपुर को गिरफ्तार किया । शिवलाल ने डकैती का इकबाल करते हुए शिव कुमार उर्फ छोटे लाल पुत्र शिवनाथ तथा चन्द्र बली पुत्र राम लाल साकिन ग्राम इटारा, थाना सचेंडी, जिला कानपुर को भी शरीक जुर्म होना बताया । इस पर थानाध्यक्ष ने दिनांक ३०—४—७० को शिव कुमार उर्फ छोटे लाल तथा चन्द्रबली दोनों को गिरफ्तार किया

और खाना तलाशी से शिव कुमार उर्फ छोटे लाल के घर से उपर्युक्त शस्त्र तथा शस्त्र बनाने के यंत्र बरामद हुए और शिव कमार उर्फ छोटे लाल द्वारा बेचा गया एक तमंचा १२ बोर मय ४ कारतूस चन्द्रबली के कब्जे से बरामद हुआ जिनके विरुद्ध क्रमशः अभियोग संख्या ५८ व ५९, धारा २५, आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत थाना सचेंडी में पंजीबद्ध हुये हैं ।

*५३—श्री भाभी—

[१२वें गुरुवार के लिये स्थगित]

थाना लालकुर्ती व थाना इंचोली में ट्रकों का लूटा जाना

*५४—श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको मवाना मन्डी व्यापार मन्डल, जिला मेरठ की ओर से तारीख ८ मई, १९७० और ११ मई, १९७० को इस आशय के तार प्राप्त हुये हैं कि मेरठ के नजदीक चुंगी पर माल से भरे हुये २ ट्रक तारीख ६ मई, को दिन के ३ व ३ १/२ बजे लुटेरों ने लूट लिये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने लुटेरों को पकड़ने तथा माल बरामद करने में अब तक क्या प्रगति की है ?

श्री चरण सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित तारों के प्राप्त होने के पूर्व ही ट्रक संख्या ५९२६ डी०एल०एल० और ७५९२ यू०एस०डी० को मेरठ के नजदीक ६—५—७० को लूट लिये जाने के बारे में थाना लालकुर्ती, जिला मेरठ में लिखित रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं । ट्रक संख्या ५९२६ डी० एल० एल० से सम्बन्धित रिपोर्ट थाना इंचौली भेज दी गई थी जिसके आधार पर उक्त थाने पर अपराध संख्या ११० धारा ३९५ भा०दं०वि० के अन्तर्गत कायम हुआ । ट्रक संख्या ७५९२ यू० एस० डी० से सम्बन्धित रिपोर्ट पर थाना लालकुर्ती पर अपराध संख्या १६० धारा ३९५ भा०दं०वि० के अन्तर्गत कायम हुआ था ।

अपराध संख्या ११० में २ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और १२ ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । बाकी अपराधियों की तथा ट्रक की तलाश जारी है ।

अपराध संख्या १६० में भी अपराध संख्या ११० से संबंधित ६ अभियुक्त नामजद हुये थे। संबंधित ट्रक बरामद हो गई है और छहों अभियुक्तों के विरुद्ध इस अपराध के संबंध में चार्जशीट न्यायाल भेज दी गई है ।

जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा अस्वीकृत अवकाश प्रार्थना-पत्र

*५५—श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर के जिला अधिकारी ने अपने अधीन कर्मचारियों तथा अधिकारियों के कितने स्वास्थय प्रमाण-पत्र सहित अवकाश सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये और क्यों ?

श्री चरण सिंह—

वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक ८ अप्रैल, १९६९ को कार्यभार ग्रहण किया था। तब से ३१ मई, १९७० तक उन्होंने इस प्रकार के चौदह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये । वांछित विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८६२—८६३ पर)

चमोली में भूमि संरक्षण कार्य के ठेकेदारों को भुगतान

*५६—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद चमोली में भूमि संरक्षण कार्य इस समय किन किन स्थानों में चल रहा है ?

श्री चरण सिंह—

इस समय चमोली जिले में भूमि संरक्षण कार्य मण्डल, पीपलकोटी, नन्दप्रयाग, छीना तथा गोपेश्वर क्षेत्रों में चल रहा है ।

*५७—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को मालूम है जनपद चमोली में किसान ठेकेदारों को कम्पलीशन सर्टिफिकेट (कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र) इन्सपेक्टर देता है और इन्सपेक्टर किसान ठेकेदारों को देय राशि का भुगतान भी करता है ? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता को रोकने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

श्री चरण सिंह—

निर्धारित प्रणाली के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक बनाता है । ठेकेदार को भुगतान स्वयं भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा किया जाता है । भुगतान करने के पूर्व उस अधिकारी को कार्य का मापन भूमि संरक्षण निरीक्षक द्वारा तथा सत्यापन अधिदर्शक एवं प्राविधिक सहायक द्वारा करा कर अपने को कार्यादेश (वर्क आर्डर) के अनुसार सम्पादित कार्य से पूर्णतया संतुष्ट कर लेना पड़ता है । परन्तु चमोली जिले में गत वर्ष भूमि संरक्षण अधिकारी के दौरे पर रहने के कारण कुछ मामलों से कृषक ठेकेदारों को भुगतान भूमि संरक्षण निरीक्षक द्वारा किया गया । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुदेश दिये गये हैं कि भविष्य में भुगतान निर्धारित प्रणाली के अनुसार भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा ही किया जाय ।

अलीगढ़ में पी० ए० सी० बटालियन की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण

*५८—श्री कल्यानसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या ग्राम नगला जमालपुर, तहसील कोल, जिला अलीगढ़ के कृषकगण का दिनांक ३० अप्रैल, १९७० का कोई आवेदन-पत्र सरकार को मिला है जिसमें उन्होंने ग्राम की उपजाऊ तथा सिंचित भूमि को पी०ए०सी० बोर्ड पुलिस लाइन के लिये अधिग्रहीत न किये जानेकी प्रार्थना की है, यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार ने उक्त भूमि को अधिग्रहीत न करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश प्रसारित कर दिये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे ?

श्री चरण सिंह—

जी हां । जिला अलीगढ़ में एक पी० ए० सी० बटालियन की स्थापना हेतु उपर्युक्त भू-खण्ड की आवश्यकता है । परन्तु अभी तक किसी भू-खण्ड के अर्जित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । इस स्थिति में कथित प्रार्थना-पत्र पर कोई आदेश दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*५९—श्री शिव कैलाश—

[पुनर्विचार के पश्चात निरस्त]

कारागार में प्रशिक्षित बन्दियों को रोजगार

*६०—श्री महरम सिंह—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय तथा जिला कारागार, फतेहगढ़ में ऐसे भी बन्दी हैं जिन्होंने अम्बर चर्खा, टेण्ट, दरी और कपड़े बुनने आदि का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ? यदि हां, तो उनकी संख्या श्रेणी अनुसार क्या-क्या है ? क्या सरकार प्रशिक्षित बन्दियों को भविष्य के लिये ऐसी भी व्यवस्था पर विचार करने को तैयार है कि जेल से छूटने के बाद उन्हें कार्य पर लगाये रक्खा जाये ?

श्री बिशन लाल—

जी हां । वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है । प्रशिक्षित बन्दियों को जेल से छूटने के बाद उद्योग कार्यों पर लगाये रखने के सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८६[illegible] पर)

गन्ना सुपरवाइजरों के भत्ते में वृद्धि पर विचार

*६१—श्री श्यामसूरत उपाध्याय तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वेतन अभिनवीकरण समिति, १९६५ की संस्तुति के अनुसार गन्ना विकास विभाग में काम करने वाले गन्ना सुपरवाइजरों के स्थाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

गन्ना विकास विभाग के सुपरवाइजरों के स्थायी भत्ते की दरों में बढ़ोत्तरी का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है ।

फूलपुर, सराय ममरेज एवं हंडिया थानों के अन्तर्गत डकैतियां

*६२—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि इलाहाबाद जिला के फूलपुर सराय ममरेज एवं हंडिया थानों के अन्तर्गत जनवरी, १९७० से १५ मई, १९७० तक किन-किन व्यक्तियों के यहां किन-किन तिथियों पर कितनी-कितनी धनराशि की डकैतियां पड़ी तथा प्रत्येक पड़ी हुई डकैती में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

डकैतियों की रोकथाम के लिये सुरक्षा समितियों का सहयोग प्राप्त किया गया है और सिविल तथा सशस्त्र पुलिस द्वारा गश्त का प्रबन्ध किया गया है ।

*६३—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पिछले ३ महीनों से इलाहाबाद के फूलपुर सरायममरेज, हंडिया थानों के अन्तर्गत पड़ने वाली डकैतियों की रोकथाम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरण सिंह—

पुलिस रिकार्ड के अनुसार १ जनवरी से १५ मई, १९७० तक इलाहाबाद जिले के फूलपुर और,हंडिया थानों के अतर्गत एक-एक तथा सराय ममरेज थाने के अन्तर्गत ६ डकैतियां पड़ी इन डकैतियों के संबंध में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८६५-८६६ पर)

गोंडा में गड़ास बुजुर्ग विद्युत् लाइन का निर्माण

*६४—श्री सूरज लाल गुप्त—

क्या विद्युत् मन्त्री दिनांक १४ मई, १९७० के प्रश्न संख्या ७० के सन्दर्भ में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के गड़ास बुजुर्ग क्षेत्र में जो निर्माण-कार्य मार्च, सन् १९७० से प्रारम्भ कर दिया गया है उसके कब पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्री रामलखन—

वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर ।

ग्राम घुसवा ईटई रामपुर, जिला गोंडा के रामधनी के यहां डकैती

*६५—श्री सूरजलाल गुप्त—

क्या गृह मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद गोन्डा के अन्तर्गत थाना उतरौला के ग्राम घुसवा ईटई रामपुर के रामधनी नामक व्यक्ति के यहां दिनांक २० अप्रैल, १९७० से ३० अप्रैल, १९७० के बीच या आसपास की तिथि में डकैती की घटना घटित हुई है और उसमें नामजद रिपोर्ट अधिकारी वर्ग को दी गई है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की क्या कार्यवाही की गई है, बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक २१-४-७० को श्री रामधनी निवासी ग्राम ईटई रामपुर, जिला गोंडा ने थाना उतरौला पर एक लिखित रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कुछ नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि उन्होंने २०/२१ अप्रैल, ७० की रात्रि में वादी के लड़के को मारा-पीटा तथा घर में घुस कर गल्ला, वर्तन और नकद लूट लिया ।

इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर थाने पर धारा ३९५ भा०दं०वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया । जांच के उपरान्त इस मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई ।

थाना कुण्डा, बाधराम एवं संग्रामगढ़ में डकैतियां

*६६—श्री जयराम यादव—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिला प्रतापगढ़ के थाना कुण्डा बाघराय तथा संग्रामगढ़ में जनवरी सन् १९७०, अप्रैल, १९७० तक कितनी डकैतियां तथा कितने मुकदमें कायम किये गये ?

श्री चरण सिंह—

१ जनवरी से ३०-४-७० तक जिला प्रतापगढ़ के कुण्डा थाने के अन्तर्गत ४, बाघराम थाने के अन्तर्गत ४ और संग्रामगढ़ थाने के अन्तर्गत ३ डकैतियां पड़ने की रिपोर्टें पुलिस को प्राप्त हुईं जिनके आधार पर उक्त थानों पर ११ मुकदमें कायम हुये ।

तुलसीपुर विकास खंड में बिजली की लाइन की प्रार्थना

*६७—श्री सन्तराम (जिला गोंडा)—

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के विकास खण्ड हरैया सतघरवा में कितनी बिजली की लाइनें खींचीं गईं ? यदि नहीं तो कब तक यह कार्य हो जायगा ?

श्री रामलखन---

गोंडा जनपद के अन्तर्गत हरैया सतधरवा नाम का अब कोई विकास खण्ड नहीं है, तथापि यह क्षेत्र तुलसीपर विकास खण्ड में सम्मिलित है, जहां बिजली की कोई लाइन नहीं है। निकट भविष्य में अभी कोई योजना इस क्षेत्र में लाइन खींचने की नहीं है।

*६८-६९---श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री शेरसिंह दानू---

[१२वें गुरुवार के लिये स्थगित]

जिला इलाहाबाद में डकैतियां

*७०---श्री राम गोपाल सण्ड---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद नगर तथा जिले में जुलाई, १९६९ से ३० नवम्बर, १९६९ तक कितनी डकैतियां पड़ीं ?

श्री चरण सिंह---

जुलाई, १९६९ से ३० नवम्बर, १९६९ तक इलाहाबाद नगर में कोई भी डकैती पड़ने की सूचना पुलिस को नहीं प्राप्त हुई। इलाहाबाद जिले के शेष क्षेत्र में जुलाई, १९६९ से ३० नवम्बर, ६९ तक ३० डकैतियां पड़ने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई।

*७१---श्री इन्द्रलाल---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*७२-७३---श्री अनन्तराम जायसवाल---

[१२वें गुरुवार के लिये स्थगित]

देहरादून में मोहन सिंह की गिरफ्तारी

*७४---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार को विदित है कि एक व्यक्ति मोहन सिंह को देहरादून के न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़े जाने के आदेश होने पर दिनांक २० मई, १९६९ को जेल से छूटते ही पुलिस द्वारा जेल के दरवाजे पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर और मुकदमें बना कर थाने में बन्दकर दिया गया जिसके विषय में सूचना जेल के दरवाजे पर गिरफ्तारी के तुरन्त बाद ही सहायक पुलिस अधीक्षक को भी दी गई ? यदि हां तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह---

प्राप्त सूचना के अनसार दिनांक २०-५-६९ को साढ़े पांच बजे शाम मोहन को जमानत पर रिहा किया गया। दिनांक २०-५-६९ को थाना कैन्ट में धारा ४५७/५११ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दस बजे रात एक मुकदमा इनके विरुद्ध दर्ज हुआ जिस पर इन्हें २०/२१-५-६९ की रात लगभग १ बजे मोहल्ला नाचवर थाना कैन्ट से गिरफ्तार किया गया है न कि जेल के दरवाजे से। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से एक खुकरी भी बरामद हुई जिसके सम्बन्ध में एक मुकदमा २५ आर्म्स ऐक्ट का पृथक से कायम किया गया। ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है कि किसी अधिकारी या सहायक पुलिस अधीक्षक को जेल के दरवाजे पर गिरफ्तारी के बाद सूचना दी गई हो।

जिला मेरठ के थाना किठौर में डकैतियां

*७५---श्री श्याम लाल तथा श्री मंजूर अहमद---

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि थाना किठौर, जिला मेरठ के अन्तर्गत ग्राम सलारपुर में श्री अचपल सिंह पुत्र चन्दन सिंह, ग्राम गोहना में श्री बनवारी पुत्र श्री जगन्नाथ, ग्राम मजफ्फरा में

हरीशचन्द्र प्रधान के यहां सन् १९६९ में डकैतियां पड़ी हैं और उनकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई ? यदि हां तो उक्त डकैतियों के सम्बन्ध में किन-किन को गिरफ्तार किया गया और अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

थाना किठौर, जिला मेरठ के अन्तर्गत श्री अचपल सिंह निवासी ग्राम विर्रासिंगपुर, श्री बनवारी निवासी ग्राम गोहरा तथा श्री हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम मुदाफरा के यहां ८/९-११-६९, ७/८-१२-६९ तथा १५/१६-३-६९ की रात्रियों में डकैतियां पड़ने की रिपोर्ट थाना किठौर पर लिखाई गई। ग्राम विर्रासिंगपुर तथा ग्राम गोहरा मे पड़ी डकैतियां में अभियुक्तों का पता नहीं चला और २६-४-७० को दोनों मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई। ग्राम मुदाफरा में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में दो अभियुक्त (१) लुत्फ अली निवासी ग्राम रतूपुरा, थाना बहादुरगढ़ जिला मेरठ (२) उम्मेद अली, निवासी ग्राम सेना थाना बहादुरगढ़ गिरफ्तार किये गये और उनका चालान अदालत किया गया। यह दोनों अभियुक्त सत्र न्यायालय से दिनांक १६-५-७० को दंडित हुये।

विवेचना के दौरान तीन अन्य व्यक्तियों (१) शहाबुद्दीन निवासी डिवाई थाना किठौर (२) रियाज निवासी शाहजहांपुर, थाना किठौर (३) शरीफ निवासी बैट, थाना बहादुरगढ़ की गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई और वे न्यायालय में आत्म समर्पण करने पर जेल भेजे गये। किन्तु शिनाख्त न होने के कारण उन्हें धारा १६९ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत रिहाकर दिया गया था।

जिला आजमगढ़ में वनदेवी मेला से लौटते व्यक्ति की हत्या की जांच

*७६—श्री श्याम लाल—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि १६ अप्रैल, १९७० को जिला आजमगढ़ के बन देवी मेला से लौटते हुये एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिनका सर ग्राम गहली थाना भरदह, जिला आजमगढ़ में और धड़ ग्राम रैकवारडीह, थाना मऊ नाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में पुलिस ने बरामद किया है ? यदि हां, तो घटना के तथ्य क्या हैं, मुकदमा कहां कायम किया गया और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

थाना मऊ के अन्तर्गत ग्राम माझरवानी के चौकीदार ने १६-४-७० को इस आशय की एक मौखिक रिपोर्ट दी कि उसके हल्के के गांव पत्तक के सीवान में नदी के किनारें एक बिना सर की लाश पड़ी है। इस सूचना पर विवेचना की गई जिससे लाश की शिनाख्त हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो धड़ ग्राम रेकवारडीह थाना मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ में मिला और सर उससे करीब ढाई फर्लांग के फासले पर ग्राम गहली थाना भरदह, जिला गाजीपुर, में मिला। एक मुकदमा धारा ३०२ भा० दं० वि० के अधीन थाना भरदह में भी दर्ज हुआ। विवेचन। जारी है।

जिला कानपुर के मंगलपुर थाने क अन्तर्गत में विभिन्न अपराध

*७७—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के मंगलपुर थाने में १ फरवरी, १९७० से ५ मई, १९७० तक कौन-कौन गांवों में किन-किन व्यक्तियों का कत्ल हुआ तथा डकैती, कत्ल, और राहजनी मारपीट की कितनी घटनायें कहां-कहां हुईं और इन सब में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८६७ पर)

*७८—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या यह सही है कि मंगलपुर के झींझक कस्बे में तथा उसके इर्द-गिर्द अपराधों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो क्या झींझक कस्बा तथा मंगलपुर थाने में अपराधों के रोक-थाम की शीघ्र व्यवस्था की जायेगी ?

श्री चरण सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना मंगलपुर के झींझक कस्बे तथा उसके इर्द-गिर्द इस वर्ष अपराधों की संख्या बढ़ी है। झींझक तथा मंगलपुर थाने के अन्तर्गत क्षेत्रों में अपराध की रोक-थाम के लिये समुचित व्यवस्था तथा प्रबन्ध कर दिया गया है।

थाना महराजगंज के अवधू सिंह काण्ड में पुलिस के गवाह

*७९—श्री प्यारे लाल, श्री दल सिंगार तथा श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना के अन्तर्गत सन् १९६३ में अवध सिंह काण्ड में पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमों में कौन-कौन लोग पुलिस के गवाह रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—

थाना महराज गंज जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत सन् १९६३ में अवधू सिंह कांड में पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमों में पुलिस के जो गवाह रखे गये थे, उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८६८ पर)

*८०—श्री प्यारेलाल, श्री दल सिंगार तथा श्री भीमा प्रसाद—

क्या यह सही है कि एक ही व्यक्ति जो स्वयं ६ मार्च, सन् १९७० को उक्त थाने के गोपालपुर गांव में हुई एक हत्या का मुल्जिम है पुलिस का गवाह बराबर रहा है ?

श्री चरण सिंह—

यह सही नहीं है कि एक ही व्यक्ति जो स्वयं ६-३-७० को महराजगंज थाना अन्तर्गत गोपालपुर गांव में अभी एक हत्या का मुलजिम है, पुलिस का गवाह बराबर रहा है।

जिला देवरिया के दरोगाडीह हत्याकाण्ड की जांच

*८१—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मौजा दरोगा डीह, थाना विशनपुरा, जिला देवरिया के अन्तर्गत १० अप्रैल, १९७० को पूर्वान्ह में दिन-दहाड़े दो व्यक्तियों की हत्या कुछ तथा कथित बड़े आदमियों ने की ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक १०-४-७० को नहीं बल्कि ८-४-७० को मौजा दरोगा डीह, जिला देवरिया में कुछ व्यक्तियों द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या किये जाने और कुछ अन्य व्यक्तियों को घायल किये जाने की सूचना थाना विशनपुरा में उसी दिन प्राप्त हुई थी।

इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर थाने पर धारा १४८/१४९/३२५/३०७/३०२ भा०दं०वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें अभी जांच जारी है।

आजमगढ़ जिले के थाना कंधरापुर क्षेत्र में डकैती व हत्यायें

*८२—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के थाना कंधरापुर क्षेत्र में गत जनवरी सन् १९७० से ५ मई, सन् १९७० तक के बीच डकैती तथा हत्या की कितनी घटनायें हुई और इस बीच उपरोक्त थाने के स्टाफ का कौन-कौन व्यक्ति अवकाश पर रहा ?

श्री चरण सिंह—

आजमगढ़ जिले के थाना कंधरापुर क्षेत्र में जनवरी, १९७० से ५ मई सन् १९७० के बीच डकैती की ३ तथा हत्या की ३ घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई। इस अवधि में उक्त थाने के स्टाफ के जो व्यक्ति अवकाश में रहे उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८६९ पर)

*८३—श्री लालसा—

क्या गृह मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त थाना के शाहपुर ग्राम के किसी व्यक्ति के घर देशी पिस्तौल बनाने के कारखाने का रहस्योद्घाटन किसी मुल्जिम ने जेल से बयान देकर किया है ? यदि हां तो किसके यहां और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कंधरापुर के शाहपुर ग्राम के किसी भी व्यक्ति के घर देशी पिस्तौल बनाने के कारखाने का रहस्योद्घाटन किसी मुल्जिम ने जेल से बयान देकर नहीं किया है।

*८४–८५—श्री हरिवंश सहाय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला बदायूं में यातायात साधनों से दुर्घटना

*८६—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले में ११ अप्रैल, १९७० से १८ अप्रैल, १९७० तक कितनी दुर्घटनायें यातायात साधनों द्वारा हुई है उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं सरकार द्वारा अब तक इनमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

बदायूं जिले में ११–४–७० से १८–४–७० तक केवल एक दुर्घटना यातायात साधन द्वारा होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इसमें ६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

इस घटना के सम्बन्ध में धारा २७९/३०४ ए भा०दं०वि० के अन्तर्गत थाना बिलसी पर एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें जांच के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट लगाई गई। इस दुर्घटना में सम्बधित जीप का ड्राईवर भी मर गया था।

सिधौली थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराध

*८७—श्री श्याम लाल रावत (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खास प्रापर सिधौली (जहां थाना स्थिति है) जिला सीतापुर में एक जुलाई, सन् १९६९ से ३० अप्रैल, सन् १९७० तक कितनी डकैती की घटनायें हुई ? तथा उनमें कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुये ?

श्री चरण सिंह—

१ जुलाई, १९६९ से ३० अप्रैल १९७० की अवधि में सीतापुर जिले के खास प्रापर सिधौली (जहां थाना स्थित है) में डकैती की घटना की कोई सूचना थाने में नहीं प्राप्त हुई है ।

१ जुलाई, १९६९ से ३० अप्रैल, १९७० की अवधि में उक्त थाने में डकैती के १३, रहजनी के ६, आगजनी की ११ एवं कत्ल के ५ घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई थी, जिनमें से डकैती के ५, राहजनी का १, आगजनी का १, तथा कत्ल के ४ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

रसड़ा जिला बलिया में पुलिस गाड़ी से बच्चे की मृत्यु

*८८—श्री गोविन्दसिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में रसड़ा कस्बे में दिनांक १० मार्च, १९७० को एक नाबालिग बच्चे की पुलिस गाड़ी नम्बर यू०पी०जी० ५०४ से दब कर मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो क्या उसकी कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई ?

श्री चरण सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार १०—३—७० को कस्बा रसड़ा, जिला बलिया में जब रसड़ा थाने की जीप नं० यू०पी०पी० ५०४ पहुंची तो अचानक उक्त कस्बे का एक लड़का सड़क पार करते समय जीप की चपेट में आ गया जिसकी बाद में मृत्यु हो गई । इस घटना की सूचना थानाध्यक्ष रसड़ा ने स्वयं आने पर दी तथा उक्त सूचना के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई ।

मेरठ डिवीजन में मध्यावधि चुनाव सम्बन्धित मुकदमें

*८९—श्री रामचरण त्रिपाठी तथा श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ डिवीजन के प्रत्येक जिले में मध्यावधि चुनाव से सम्बन्धित कुल कितने मुकदमें पुलिस थानों में दर्ज हुये और उनमें से कितने अदालत गये तथा अदालत में किस स्टेज पर हैं ?

श्री चरण सिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८७० पर)

*९०—श्री राम चरण तथा श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि क्या अदालत में विचाराधीन उपर्युक्त मुकदमों को भी अदालत से वापस लेने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चरण सिंह—

केवल दो मुकदमों के वापसी का प्रश्न विचाराधीन है ।

खुशहाल का पुरवा मजरे सिया की डकैती में गिरफ्तारियां

*९१—श्री राम देव—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रतापगढ़ के अन्तर्गत बाघराय थाने के सियाराम ग्राम में मार्च, अप्रैल १९७० ई० में डाकुओं ने तीन परिवारों को आक्रमण करके लूट लिया तथा नृशंस हत्यायें भी कीं ? यदि हां, तो अब तक पुलिस ने क्या कार्यवाही किया कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुये एवं कितने फरार हैं, अभियुक्तों का पता क्या है ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक ३१–३–७० को थाना बाघराय जिला प्रतापगढ़ में खुशहाल का पुरवा मजरे सिया में तीन घरों में डकैती पड़ने एवं इसमें एक लड़के की डाकुओं द्वारा हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई ।

उक्त सूचना के आधार पर एक मुकदमा थाने पर कायम किया गया तथा विवेचना की जा रही है । इस मामले से सम्बन्धित १५ अभियुक्त प्रकाश में आये जिसमें से ९ अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा दो न्यायालय में हाजिर हो गये । चार अभियुक्त फरार हैं । अभियुक्तों के पते संलग्न तालिका में दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८७१ पर)

जिला बस्ती के ओरी ग्राम में शिवनरायन के यहां डकैती

*९२—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती), श्री नगीना सिंह (जिला बलिया) तथा श्री प्यारेलाल)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ओरी, थाना परशुरामपुर जिला बस्ती में जनवरी सन् १९७० में डकैती पड़ी है और डाकू एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटकर उससे ५० हजार से अधिक का सामान जेवरात आदि उठा ले गये यदि हां, तो दिनांक १० मई, १९७० तक उसमें कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई तथा कितने बाकी हैं ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक ११–१–७० को श्री शिवनरायन निवासी ग्राम औरी, जिला बस्ती ने थाना परसुरामपुर पर इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि बीती रात में कुछ डाकुओं ने उनके घर पर डकैती डाली और ६१७० रुपये का माल लूट ले गये ।

इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३९५/३९७ भा०दं०वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया । दिनांक १०–५–७० तक तीन अभियुक्त गिरफ्तार कर लिये गये थे । आठ अन्य अभियुक्त जो प्रकाश में आये हैं उनकी गिरफ्तारी बाकी है ।

जिला मिर्जापुर के ग्राम कचनरवा में डकैती

*९३—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत थाना कोन क्षेत्र में दिनांक ३ मई, १९७० को मौजा कचनरवा के एक व्यक्ति के घर पर सशस्त्र डाका पड़ा है ? यदि हां, तो क्या इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक १० मई, १९७० तक कोई गिरफ्तारी की गई है ।

श्री चरण सिंह—

जी हां, दिनांक ३/४ मई, १९७० की रात्रि में ग्राम कचनरवा जिला मिर्जापुर के एक व्यक्ति के यहां सशस्त्र डकैती पड़ने की सूचना थाना कोन पर प्राप्त हुई थी । इस डकैती की घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस ने १०–५–७० तक तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया ।

जिला मेरठ में सठला ग्राम में डकैती की जांच

*९४—श्री अनीसुर्रहमान, (जिला अलीगढ़)श्री मंजूर अहमद, तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मेरठ, थाना किला परिक्षतगढ़ नाम सटला में ८/९ मई, १९७० की दरम्यानी रात को तीन बनियों के घरों में डकैती पड़ी । यदि हां, तो डकैतों का पता चला या नहीं ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक ९ मई, १९७० को ३–५० बजे प्रातः श्री नरेंद्र कुमार निवासी ग्राम सठला, जिला मेरठ ने थाना परिक्षतगढ़ पर इस आशय की सूचना अंकित कराई कि दिनांक ८/९ मई, ७० को १२ बजे रात्रि में १९–२० अज्ञात सशस्त्र डकैत उनके मकान पर चढ़ गये और उनके घर उनके पिता एवं ताऊ की दुकानों तथा उनके बराबर की दुकान से नकद जेवरात तथा सामान लूट कर भाग गये । इस सूचना के आधार पर थाना परिक्षतगढ़ में एक अभियोग धारा ३९५ भा०दं०वि० के अन्तर्गत अंकित किया गया जिसकी विवेचना अभी जारी है।

६ जून, १९७० तक डकैतों का पता नहीं चला था ।

*९५—श्री अनीसुर्रहमान, श्री मंजूर अहमद तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या यह सही है कि घटना की रात में करीब १८ पी०ए०सी० के जवान उक्त गांव में मौजूद थे जो गांव की सुरक्षा के लिये पहले से ही तैनात किये गये थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ।

श्री चरणसिंह—

घटना की रात्रि में पी०ए०सी० की एक टुकड़ी ग्राम सठला के पंचायती घर में, जो कि घटनास्थल से २ फरलांग दूर जंगल में है, ठहरी हुई थी । यह टुकड़ी ग्राम में शांति व्यवस्था बनाये रखते एवं साम्प्रदायिक दंगा रोकने के लिये तैनात थी पी० ए० सी० को सूचना बिलम्ब से मिली । सूचना देने वाला पी०ए०सी० की टुकड़ी को सीधे रास्ते से न ले जाकर लम्बे रास्ते से ले गया । इस कारण पी०ए०सी० टुकड़ी घटनास्थल पर डाकुओं के भागने के बाद पहुंच पाई । फिर भी उन्होंने डाकुओं की काफी तलाश की परन्तु डकैतों का पता नहीं चला । इस मामले में पी०ए०सी० की कोई गलती नहीं पाई गई ।

आगरा कोतवाली की हवालात में पागल की मृत्यु की जांच

*९६—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा के थाना कोतवाली की हवालात में दिनांक ९ व १० मार्च के बीच की रात में एक व्यक्ति भारतीय दंड विधान की धारा १०९ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई और अगले दिन बिना मृतक के घर वालों को सूचित किये लाश को जलवा दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त घटना की जांच करायेगी तथा दोषी पुलिस अधिकारियों को उचित दंड देने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

दिनांक ९/१० मार्च, १९७० की रात्रि में थाना कोतवाली आगरा की पुलिस ने किसी व्यक्ति को धारा १०९ जा०फौ०के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया । दिनांक ९–३–७० को दोपहर में सरोजनी नायडू अस्पताल आगरा के एक डाक्टर ने टेलीफोन द्वारा कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि एक पागल अस्पताल में मरीजों को मार रहा है। इस सूचना के मिलने पर कोतवाली के कुछ पुलिस कर्मचारी अस्पताल भेजे गये और वे उक्त पागल व्यक्ति को पकड़ कर लाये और उसे धारा १३ ल्यूनेसी ऐक्ट के अन्तर्गत ३ बजे के करीब हवालात में बन्द किया । अगले दिन प्रातः हवालात खोलने पर वह मरा पाया गया ।

चूंकि मृत व्यक्ति का नाम पता ज्ञात नहीं था अतः उसके घर वालों को सूचना देना संभव न हुआ ।

इस मामले में एक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो रही है।

पुलिस कान्सटेबिल का डकैती में सम्मिलित होना

*९७—श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के अहिरौला थाने की पुलिस ने वर्ष १९६९–७० में किसी कान्सटेबुल को संदिग्धावस्था में घूमते हुये पाने की रिपोर्ट दर्ज की है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

आजमगढ़ के अहिरौला थाने की पुलिस ने वर्ष १९६९–७० में किसी भी कान्सटेबुल को संदिग्धवस्था में घूमते हुये पाने की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है।

*९८—श्री रामबचन यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के कन्धारापुर के थाने का कोई कान्सटेबुल समीपवर्ती थानों की दिसम्बर, १९६९ से अप्रैल, १९७० में पड़ने वाली डकैतियों में सम्मिलित रहा है? यदि नहीं, तो उनकी तिथियों में वह कहा-कहां रहा ?

श्री चरण सिंह—

आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाने का कोई भी कान्स्टेबुल समीपवर्ती थानों की दिसम्बर, ६९ से अप्रैल ७० में पड़ने वाली डकैतियों में सम्मिलत नहीं रहा है। शेष प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र में टैक्सी से यात्री की मृत्यु

*९९—श्री भाभी—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिला में मुहम्मदाबाद गोहना थानान्तर्गत दिनांक २८ अप्रैल, १९७० को रात्रि में रेलवे स्टेशन मुहम्मदाबाद गोहना से आते हुये एक यात्री की टैक्सी से दबकर मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक २८–४–७० को इस बारे में एक रिपोर्ट थाना मुहम्मदाबाद में की गई । इस सूचना पर धारा २७९/३३७/३०४-ए भा०दं०वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गई । विवेचना तत्पर्ता से की गई जिसके फलस्वरूप टैक्सी का तो पता चल गया परन्तु साक्ष्य के अभाव के कारण मुकदमें में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई ।

आगरा के दीवान तथा सी० आई० डी० इन्सपेक्टरों के अभद्र व्यवहार की जांच

*१००—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा–फतेहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तारीख २२ मई, १९७० को आगरा शहर की पुलिस चौकी नाई की मंडी के एक दीवान भगवान सिंह व सी०आई०डी० इन्सपेक्टर मिश्रा के विरुद्ध डा० वेद प्रकाश को पीटने व अपमानित करने की शिकायत शहर कोतवाल आगरा से की गई । यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री चरण सिंह—

दिनांक २२–५–७० को तो नहीं वरन् २३–४–७० को डा० वेद प्रकाश से एक प्रार्थना-पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा को प्राप्त हुआ था जिसमें चौकी नाई की मंडी के

दीवान तथा सी०आई०डी० के दो इन्सपेक्टरों के विरुद्ध शराब पीने के लिये पैसा मांगने तथा न देने पर उन्हें चौकी ले जाकर मारने-पीटने, जबरदस्ती शराब पिलाने एवं पिस्तौल रखकर झूठे मामले में फंसाने के आरोप लगाये गये थे । उक्त प्रार्थना-पत्र पर उप अधीक्षक नगर द्वितीय द्वारा जांच की जा रही है।

जिला देवरिया के नदुआ ग्राम में रामदयाल की हत्या

*१०१—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जिला देवरिया थाना बरहज, ग्राम नदुवा में गत ४ मई, १९७० को १२ बजे दिन में श्री रामदयाल हरिजन को गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा अन्य एक दर्जन व्यक्ति गम्भीर चोटों से घायल हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री चरण सिंह—

दिनांक ४-५-७० को ४ बजे शाम को ग्राम नदुआ जिला देवरिया के राम नगीना ने थाना बरहज पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उसी दिन दोपहर में बैजनाथ व अन्य ४ व्यक्तियों ने वादी (राम नगीना) व अन्य पर बंदूक, पिस्तौल, लाठी व भाला लेकर आक्रमण किया जिससे आठ व्यक्तियों को चोटें आईं ।

घायल व्यक्तियों में से एक, राम दयाल, की बाद में मृत्यु हो गई । शेष ७ व्यक्तियों को जो चोटें आईं वे डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार साधारण हैं।

उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना बरहज में एक मुकदमा धारा १४८/३०७ भा०दं०वि० के अन्तर्गत दर्ज हुआ था जो बाद में राम दयाल की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर धारा १४८/३०७/३०२ भा०दं०वि० के अन्तर्गत तरमीम हुआ । इस मुकदमें की जांच समाप्त हो चुकी है।

थानाध्यक्ष, हंडिया के विरुद्ध मुकदमा

*१०२—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि थानाध्यक्ष, थाना हंडिया, जिला इलाहाबाद ने अपराध नं० २७, सन् १९६९ स्टेट बनाम तेजई आदि धारा ३९५/३९७ ता० हि० में अंतिम रिपोर्ट लगा दिया था और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट श्री सिंघल ने अपने आदेश दिनांक २ मई, १९७० के द्वारा उक्त थानाध्यक्ष तथा अपराधियों के विरुद्ध जुर्म दफा ३९५/३९७ तथा २१८ सही पाया गया और मुकदमा कायम किया ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त थानेदार को निलम्बित करने की क्या कार्यवाही की और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

जी हां, थानाध्यक्ष हंडिया, जिला इलाहाबाद ने धारा ३९५/३९७ भा०दं०वि० के अन्तर्गत दर्ज अपराध संख्या २७/१९६९ स्टेट बनाम तेजई आदि में जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट लगाई थी । जुडिशियल मजिस्ट्रेट चायल मंझनपुर ने इसे स्वीकार नहीं किया और तेजई आदि को अभियुक्त के रूप में तलब किया तथा थानाध्यक्ष हंडिया को भी धारा २१८ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियुक्त के रूप में तलब किया । दोनों मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

इस समय थानाध्यक्ष हंडिया को निलम्बित करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

*१०३—श्री उपेंद्र नाथ श्रीमती सरस्वती देवी, श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी तथा श्री अजब सिंह—

[१२वें गरुवार के लिये स्थगित]

परगनाधीश मऊ-गोठा के मुख्यालय का स्थानान्तरण

*१०४—श्री प्रेम नारायण अहिरवार एडवोकेट (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२ में सरकार ने परगनाधिकारी मऊ-गोठा की अदालत व कार्यालय झांसी के बजाय मऊरानीपुर स्थानान्तरित करने का निश्चय किया था तथा उसके लिये जमीन भी ले ली थी, लेकिन आज तक अदालत मऊरानीपुर नहीं आई, क्या सरकार अदालत झांसी से मऊरानीपुर लाने के लिये विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

यह सही है कि सन् १९६२ में परगनाधीश मऊ-गोठा का मुख्यालय झांसी से मऊरानीपुर ले जाने के प्रश्न पर विचार किया गया था किन्तु आपातकालीन स्थिति की योजना से इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था । तत्पश्चात् २४ जनवरी, १९६९ को परगनाधीशों के मुख्यालयों को तहसील हेडक्वार्टर्स पर ले जाने के प्रश्न के व्यापक पहलुओं पर विचार करने के लिये एक समिति का गठन किया गया । इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह बताया जा सकता है कि परगनाधीश मऊ-गोठा का मुख्यालय मऊरानीपुर ले जाया जायेगा अथवा नहीं ।

उर्दू भाषा की हिफाजत तथा तरक्की

*१०५—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार उर्दू की तरक्की और बका के लिये प्रदेश में क्या तरीका अपना रही है।

श्री चरण सिंह—

राज्य सरकार की नीति है कि उर्दू भाषा की हिफाजत और तरक्की के लिये सभी व्यवहारिक सुविधायें प्रदान की जायं । इन सुविधाओं का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८७२–८७३ पर)

*१०६—श्री बांकेलाल तथा श्री हरिवंश सहाय—

[१२ जून, १९७० के प्र० सं० २६ के अन्तर्गत उत्तरित]

देहरादून में खान अब्दुल गफ्फार खां की सभा में पाकिस्तानी झंडे का प्रदर्शन

*१०७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को सूचना है कि ४ दिसम्बर, १९६९ को देहरादून में सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां की सभा में एक व्यक्ति ने पाकिस्तानी झंडे का प्रदर्शन करते हुये पाकिस्तान के समर्थन के नारे लगाये ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां की कोई सभा दिनांक ४ दिसम्बर, १९६९ को नहीं हुई, किन्तु ऐसी सभा दिनांक २५ नवम्बर, १९६९ को हुई थी । उक्त जन सभा में एक व्यक्ति द्वारा पाकिस्तान के झंडे से मिलता-जुलता एक हरा कपड़ा जिसमें सफेद कपड़े से आधा चांद तथा एक सितारा बना था, सीमांत गांधी की ओर हिलाया । उस व्यक्ति को मौके पर ही

गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गयी । जांच के दौरान यह मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं है । उसे धारा १०७/११७ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत एस० डी० एम० मंसूरी के न्यायालय द्वारा एक साल के लिये पाबन्द किया गया है। पाकिस्तान के समर्थन के नारे लगाने के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

नगरपालिका अध्यक्ष, नजीबाबाद की गिरफ्तारी

*१०८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को विदित है कि नजीबाबाद चौक बाजार में २७/२८ अगस्त, १९६९ को बिजनौर के उप-पुलिस अधीक्षक ने छापा मारकर स्थानीय नगरपालिका अध्यक्ष को अपने घर में एक कुख्यात वेश्या के साथ रंगे हाथों पकड़ा ? यह समाचार फोटो सहित समाचार-पत्रों में छपा और स्थानीय वेश्यावृत्ति उन्मूलन समिति के सत्याग्रह के बाद दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और अब किन्हीं कारणों से उक्त नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा वापस लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक २७-२८ अगस्त १९६९ को नहीं बल्कि २६-२७ अगस्त, १९६९ की रात मे, उप-पुलिस अधीक्षक, बिजनौर ने नहीं बल्कि स्वयं पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने नजीबाबाद के दरबाराशाह मुहल्ले में एक वेश्या के घर पर छापा मारा था और दो वेश्यायें सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन ऐंड गर्ल्स ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत गिरफ्तार की गई थी। इस संबंध में उपरोक्त ऐक्ट की धारा ७ (१) के अन्तर्गत एक मुकदमा थाना नजीबाबाद में कायम हुआ था जिसकी जांच के दौरान १४-९-६९ को चेयरमैन, नगरपालिका, नजीबाबाद भी गिरफ्तार हुये थे । चेयरमैन, नगरपालिका नजीबाबाद की गिरफ्तारी के बारे में एक समाचार स्थानीय हिन्दी पत्र में छपा था । इस घटना के संबंध में वेश्यावृत्ति उन्मूलन समिति के कुछ व्यक्तियों द्वारा सत्याग्रह किया गया था । इस मामले में जांच के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो गई । अतः मुकदमा वापस लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जेल के वार्डरों के वेतन का पुनरीक्षण

*१०९—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या जेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जेल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा वार्डनों के वेतन-क्रम का पुनर्क्षीकरण करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बिशन लाल—

केवल वार्डरों के वेतन क्रम व पुनरीक्षण विचाराधीन है । इसमें अंतिम निर्णय क्या और कब होगा, निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है।

*११०—श्री इन्द्रमणी—

[१२वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*१११—श्री श्याम लाल—

[१२वें गुरुवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

तहसील हाथरस के ग्रामों को बिजली

१—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस, जिला अलीगढ़ के किन किन ग्रामों में अभी तक बिजली पहुंच चुकी है और आगामी वित्तीय वर्ष में किन-किन ग्रामों में बिजली लगाने की योजना है ।

श्री रामलखन—

वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्रों एक तथा दो में प्रस्तुत है।

गन्ना सुपरवाइजरों का वेतन-क्रम

२—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय गन्ना सुपरवाइजरों का तथा समिति भोगी गन्ना सुपरवाइजरों का वेतन-क्रम वेतन अभिनवीकरण समिति के पूर्व एक था यदि हां, तो इस समय क्या दोनों का वेतन-क्रम भिन्न है तथा इसका क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—

वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के पूर्व राजकीय गन्ना सुपरवाइजरों तथा केवल अ-श्रेणी के समिति भोगी गन्ना सुपरवाइजरों का वेतन-क्रम एक था । इस समय इनके वेतन क्रमों में भिन्नता है। इसका मुख्य कारण यह है कि गन्ना समितियों को, जो अपने सुपरवाइजरों का वेतन देती है, आय के साधन समित हैं ।

जिला कानपुर के बिल्हौर थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण

३—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या पुलिस मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत थाना बिल्हौर के पूर्व थाना इंचार्ज श्री यादव बिल्हौर थाने में कितने समय तक नियुक्त रहे ?

श्री चरण सिंह—

श्री यादव थाना बिल्हौर के थानाध्यक्ष के पद पर २ मई, १९६९ से १८ अप्रैल, १९७० तक नियुक्त रहे।

४—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या पुलिस मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत थाना बिल्हौर के पूर्व थाना इंचार्ज श्री यादव का ट्रान्सफर किस आधार पर किया गया ? उनका ट्रान्सफर कराने के लिये कितने आवेदन-पत्र सरकार व अधिकारियों को प्राप्त हुये ?

श्री चरण सिंह—

श्री यादव का थाना बिल्हौर का कार्यकाल सराहनीय रहा। अतएव उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुये तथा प्रशासनिक दृष्टि कोण से उन्हें ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में थाना जूही को स्थानान्तरित किया गया। ऐसे कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुये।

---

†छापी नहीं गयी ।

थाना मुबारकपुर में जांच हेतु भेजी गई दरख्वास्तें

५—श्री भाभी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना-तहसील के जुडिशियल अफसर के न्यायालय से कितनी दरख्वास्तें मुहम्मदाबाद-गोहना, मुबारकपुर तथा चिरैयाकोट थानों में जुलाई, १९६९ से ३० अप्रैल, १९७० तक जांच करने के लिये भेजी गई और उनमें से कितनी जांच होकर आई हैं और कितनी शेष हैं? शेष रहने का क्या कारण है?

श्री चरण सिंह—

आजमगढ़ जिला की मोहम्मदाबाद-गोहना तहसील के जुडिशियल अफसर के न्यायालय से जुलाई १९६९ से ३०-४-७० तक मोहम्मदाबाद और चिरैयाकोट थाने में कोई दरख्वास्त जांच करने के लिए नहीं भेजी गई। थाना मुबारकपुर में एक दरख्वास्त भेजी गई थी, जो जांच के पश्चात् वापस आ गई। कोई दरख्वास्त शेष नहीं है।

जिला रायबरेली में राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन

६—श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि रायबरेली जिले के कितने राजनैतिक पीड़ितों को राजनैतिक पेन्शन २० अप्रैल, १९७० तक मिल रही हैं?

श्री चरण सिंह—

रायबरेली जिले में २० अप्रैल, १९७० तक १४७ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को राजनैतिक पेंशन मिल रही है।

जिला रायबरेली में अपराधों की रोकथाम

७—श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि रायबरेली जिले के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में कितने कत्ल, डकैतियां, चोरियां हुईं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई तथा इन अपराधों को रोकने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की?

श्री चरण सिंह—

गत तीन वर्षों (१९६७-६९) में जिला रायबरेली के अन्तर्गत कत्ल, डकैती तथा चोरियों की संख्या तथा उस पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ८७४ पर)

अपराधों की रोकथाम के लिये दो जीपें सरकारी दी गई हैं। कुछ थानों पर टेलीफोन व्यवस्था भी है। एक चौकी स्थापित की गई है और जिले में तीन नये थानों की स्वीकृत हुई है। एक उप पुलिस अधीक्षक का स्थान और बढ़ा दिया गया है। जनरल गश्त भी होता है जिसकी चेकिंग सम्बन्धित अधिकारी करते रहते हैं।

जौनपुर जनपद में पम्पिंग सेटों को बिजली

८—श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९६८-६९, १९६९-७० में जौनपुर जनपद में पम्पिंग सेटों के लिये बिजली कनेक्शन हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं और उनमें से कितनों को कनेक्शन दिया गया है और जिन्हें नहीं दिया गया उसके क्या कारण हैं।

श्री रामलखन—

जौनपुर जनपद में वर्ष १९६८–६९ एवं १९६९–७० में पम्पिंग सेटों के लिए बिजली कनेक्शन हेतु क्रमशः २,३७२ एवं १,०२९ अर्थात् कुल ३,४०१ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। उनमें से मार्च, १९७० तक १,४२३ आवेदन कर्ताओं को बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। १,०१३ भार स्वीकृत आवेदन-पत्रों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध नहीं किया जा सका क्योंकि प्राथमिकता के अनुसार इनकी बारी उल्लिखित वर्षों में जनपद के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नहीं आई। ९२३ आवेदन-पत्रों के भार स्वीकृत नहीं हो सके। ४२ आवेदन कर्ताओं को विभागीय अनुबन्ध करने के लिए सूचना भेजी गई परन्तु वे अनुबन्ध हेतु नहीं आये।

प्रश्नों के सम्बध में आपत्तियां

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश और स्वयं विधायकों की जान खतरे में है। इस हालत में मैं आपको यह बात बतला देना चाहता हूं कि अपने सवाल के बारे में और पूरे हाउस को बतला देना चाहता हूं। मेरा सवाल ४८ नम्बर पर है। मेरे जिले में होली के दिन चौधरी साहब के मुख्य मंत्री बनने की खुशी में....

श्री अध्यक्ष—

यह (व्यवस्था) का सवाल नहीं....

व्यवधान....माननीय मंजूर अहमद बोलें और कोई न बोलें।

श्री मंजूर अहमद—

चौधरी साहब के बिरादरी वालों ने शराब पीकर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपने इसके बारे में प्रश्न पूछे थे ?

श्री मंजूर अहमद—

जी हां, मेरा ४८ नम्बर पर सवाल है। इसी तरह से मेरे सवाल नम्बर ९५, ९६ पर हैं। ८, ९ मई को तीन बनियों के घर डकैती पड़ी और वहां पी० ए० सी० पहले से मौजूद थी। उसकी मौजूदगी में उनको लूट लिया गया। आज यह सवाल मेरे ९५ और ९६ नम्बर पर आ रहे हैं। मान्यवर, इस तरह से कैसे व्यवस्था होगी ? जहां लोगों ने चौधरी साहब की खुशी में जुलूस निकाले....

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण न दें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस सम्बन्ध में आपको जवाब भेज दिया गया है। कृपा करके आप उसे पढ़ लें।

श्री मंजूर अहमद—

वह तो भेज दिया गया है, लेकिन मुझे सप्लीमेंटरी करने का मौका नहीं मिला....

(व्यवधान—शोर)

एक सदस्य—

आप पीछे वालों को, मान्यवर, बोलने का मौका नहीं देते। ८–८ और १०–१० बार खड़ा होना पड़ता है....

(व्यवधान—शोर)

श्री अध्यक्ष—

अगर ३–३ और ४–४ आदमी एक साथ बोलेंगे, तो काम कैसे चलेगा ? मैं सब को ५–५ मिनट का समय दूंगा।

समय से पूर्व वर्षा होने के कारण सदन के स्थगन की मांग

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे आशा है कि जो भावना मैं यहां व्यक्त कर रहा हूं वह सारे सदन के सदस्यों की भावना है। श्रीमन्, आप इस बात को जानते हैं कि प्रदेश के अन्दर बहुत जल्दी बारिस आ गई और जितने किसान है उन सबके गल्ले खेतों में खलिहानों में पड़े हुये हैं। प्रदेश के अन्दर ऐसी अव्यवस्था पैदा हो गई है कि सारा गल्ला खराब हो रहा है। सारे विधायकों की यह भावना है कि सदन की कार्यवाही एक सप्ताह के लिये बन्द कर दी जाय ताकि हम लोग इन गल्लों को संभाल सकें। श्रीमन्, यह सब की भावना है। इस लिये आपसे प्रार्थना है कि इस भावना के होते हुये, जब कि सारे प्रदेश में करोड़ों–हजारों मन गल्ला बिगड़ रहा है, सड़ रहा है, एक सप्ताह के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय और एक सप्ताह के बाद फिर सदन की कार्यवाही शुरू हो। आपने अनुदान ले रखा है, इस तरह से बजट के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिये। कार्य-मंत्रणा समिति जो तय करेगी वह हो जायगा।

(व्यवधान)

प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां (क्रमागत)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

मोहतरम स्पीकर साहब, यह कौन सा तरीका है कि हमारे सवालों को पीछे फेंक दिया जाता है। मेरा सवाल आज १०५ नम्बर पर है। और इस बात के तो हम भी हकदार हैं, हमारे भी सवाल ऐवान के सामने आवे। हम सदन में बराबर के हकदार है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। जैसा मैंने अर्ज किया था कि सदन के समाप्त होने के पहले ही मैं एक कमेटी बना दूंगा, वह आपके नेताओं की होगी। वह इस बात के लिये कोई रास्ता निकालेंगे और मैं भी सुझाव दूंगा और ऐसे सुझाव दूंगा कि आयन्दा, जो पीछे बैठने वाले हैं उनके प्रश्न जल्दी आ जाया करें।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आज के एजेन्डा में नत्थी (ग) में प्रश्न संख्या ८ और नत्थी (घ) में प्रश्न संख्या ६६ और ५ मेरे हैं लेकिन उत्तर अब तक नहीं मिला। मैं यह चाहता हूं कि क्या इस तरह का कोई विधान है जो हल्ला करे उसके प्रश्न का उत्तर जरूर पहुंचा दिया जाय और जो सीधा-साधा विधायक हो उसके प्रश्न का उत्तर भी न मिले। हमारे प्रश्न हमेशा पीछे ही रहते हैं, सवाल-जबाव का मौका तो मिलता ही नहीं। अब उत्तर भी नहीं मिला। तो इस तरह की व्यवस्था कर दें कि भविष्य में इस प्रकार की गलती न हो।

श्री अध्यक्ष—

यही व्यवस्था करने का हमारा इरादा है।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

मैंने रूल ५६ के मातहत एक कामरोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है, मेहरबानी करके उसको मूव करने की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास नहीं आया। उसको मैं दोपहर को देखता हूं और फैसला शाम को सुनाता हूं। इस वक्त मेरे पास नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, आपके प्रश्न विभाग में १०–१२ हजार प्रश्न बिना उत्तर के पड़े हुये हैं। हाउस कुछ दिनों में प्रोरोग होने जा रहा है तो प्रश्न निरस्त हो जायंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर सरकार को देने हैं। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हाउस प्रोरोग हो जाने के बाद भी अगले सत्र में यह प्रश्न आ जायं या हम लोगों को पत्र द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाय जो महत्व के हैं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इसकी व्यवस्था उस कमेटी के द्वारा हो जायगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह सत्र प्रारम्भ हुआ, ७० प्रश्न मैंने दिये। कुछ के उत्तर मिले, बाकी के नहीं मिले। प्रश्न जो एजेन्डा में आये वह आखीर में आये इसलिये अनुपूरक प्रश्न नहीं हो पाये। (व्यवधान) श्रीमन्, ८ तारीख को एक नियम ५१ के अन्तर्गत प्रश्न दिया था जो स्वीकार हुआ था। उसके बाद उसकी चर्चा के लिये तारीख २९ जून लगा दी गयी। वह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे सीतापुर जिले में मल्लाहपुर की रानी द्वारा किसानों की जबरिया बेदखली की जा रही थी नतीजा यह हुआ कि उसके बाद गोली चल गई। बहुत से किसान उसमें गिरफ्तार होकर जेल में आ गये। मैं निवेदन करूंगा कि इनका उत्तर आप सरकार से शीघ्र दिला देते तो आज कल जो जोताई-बोआई हो रही है उसमें काम पूरा हो जाता।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दें तो मैं उत्तर दिला दूंगा ।

श्री रामकुंवर (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जब भी हमने नियम ५१ के अन्तर्गत कोई सूचना आपको दी तो आपने यह कहा कि अल्प सूचित तारांकित प्रश्न में दीजिये । जब अल्प सूचित तारांकित प्रश्न में लिखकर दिया तो उसमें आपने तारांकित प्रश्न कर दिया । जब वह तारांकित प्रश्न हो गया तो वह सूची में इतनी दूर पर रख दिया गया कि उसका उत्तर ही हमको नहीं मिल पाता है । तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि मेरे जैसे आदमी को आप किस तरह से मौका देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसीलिये यह कहा कि एक कमेटी बनाई जायगी तो उसमें इस बात की व्यवस्था होगी ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

नत्थी 'घ' पर मेरा पहला प्रश्न है वह मुल्तवी हो गया । मैंने ६ महीने पहले उसकी नोटिस दी थी । जितने भी मेरे सवाल है जो इस सेशन में दिये थे वे सब मुल्तवी कर दिये हैं या उनको पीछे हटा दिया गया है या नम्बर पर ही नहीं आयेंगे । अगर नम्बर पर भी आ गये तो वैसे ही कट जायेंगे और उत्तर नहीं मिलेगा । मैं आपसे यह कहता हूं कि मैंने जितने सवाल दिये इस सेशन में जो अधिकतर पिछली सरकार से संबंधित थे या तो उनको नम्बर से पीछे कर दिया गया या मुल्तवी कर दिया गया है । आज भी पहले नम्बर पर था वह भी मुल्तवी हो गया । मैं जानना चाहता हूं कि मुल्तवी क्यों हो गये ? जितने भी मैंने सवाल दिये सब ११ बजे आपके कमरे में दिये है समय से लेकिन ७०, ६०, ९० नम्बर पर आते हैं । अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी मैंने १५, २० दिये हैं । उनका भी पता नहीं है । आपने कितने स्वीकार किये है और कौन से नम्बर पर हैं । हमको प्रश्नों को उत्तर नहीं मिलता है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने बता दिया कि आपके ८, १० सवाल थे उसमें २, ३ सवाल आये । आप ही के बारे में शिकायत हुई कि आपके प्रश्न पहले आ जाते हैं । कृष्ण चन्द्र जी अपने सवाल आकर देख गये । उनको सन्तोष हो गया कि उनके प्रश्न बाद में क्यों आये थे । और आपके पहले क्यों आये । आपने १० प्रश्न दिये और अगर ३, ३ मंजूर हो गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के रूप में तो बहुत काफी वे हैं । अगर आप जल्दी चाहते हैं तो जो कमेटी बन रही है उसमें आ जायं । इसीलिये आगे सत्र में कोई ऐसी चीज न हो जिसके लिये प्रयत्न करना पड़े ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मेरे तारांकित प्रश्नों का एक का भी उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे कमरे में आकर पूछ लीजिये ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

जिस तरह से यहां प्रश्न लिये जाते हैं, उसका मतलब क्या यह समझा जाय कि पीछे बैठने वालों के साथ सौतेला सा व्यवहार किया जाता है जब कि सभी सदस्यों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिये ?

कतिपय विभागों के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफार्मेंस) बजट को पटल पर रखने के सम्बन्ध में आपत्तियां

श्री अध्यक्ष—

अब आगे का काम चलेगा। माननीय वित्त मंत्री जी।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मुझे इसका विरोध करना है। श्रीमन्, अभी आपने माननीय वित्त मंत्री जी को पुकारा है कि वे अपना परफार्मेंस बजट पेश करें। श्रीमन्, यह इस विधान सभा के इतिहास में बिल्कुल एक नयी चीज है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत यह परफार्मेंस बजट पेश किया जा रहा है। साथ ही इस पर भी मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि परफार्मेंस बजट के जरिये सरकार को क्या कोई लाइसेंस दे दिया जायेगा कि....

(सचिव के अध्यक्ष से कुछ बात करने पर)

श्रीमन्, आप सचिव से बात न करें, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और आप सचिव से बात करने लगे।

एक सदस्य—

यह आप पर आक्षेप कर रहे है, इनसे कहिये कि ये अपने शब्द वापस लें।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप जरा मुख्य मंत्री की त्योरियां देखिये। इनकी त्योरियां देखते ही चारों तरफ से हुआं-हुआं होना शुरू हो गया। सारी अव्यवस्था मुख्य मंत्री जी कराते हैं। उनकी तरफ देखिये।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

यह आपके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं और हम लोगों के लिये कह रहे है कि हम "हुआं हुआं" कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, सवाल यह है कि आप यह चाहते ही होंगे कि शान्तिपूर्वक आपकी बात सुनी जाय। दूसरी बात यह भी है....

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं आपको अपनी बात सुना रहा था और आप सचिव से बात करने लगे।

श्री अध्यक्ष—

मैंने रूल की बात उनसे पूछी थी।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, आज की कार्य-सूची में परफार्मेंस बजट जो रखा गया है, हमारी विधान सभा के इतिहास में परफार्मेंस बजट क्या बला है, इसकी हमको जानकारी नहीं है। पता नहीं किस नियम के अन्तर्गत वित्त मंत्री जी परफार्मेंस बजट इस विधान सभा में रखने जा रहे हैं। इस पर मैं आपसे जानकारी चाहता हूं और व्यवस्था चाहता हूं कि क्या परफार्मेंस बजट गवर्नमेंट के लिये कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

लाइसेंस है कि जिन विभागों के बारे में उनको कुछ हजी गोइंग मालूम पड़े उनके लिये परफार्मेंस बजट रखें और जिन विभागों के बारे में उनको कुछ कठिनाई हो, उनकी कुछ गलतियां हों जिनको विधान सभा में फेस न करना पड़े इसलिये उनके बारे में परफार्मेंस बजट न रखें ? जैसे—केवल सिंचाई, परिवार नियोजन और पी० डब्ल्यू० डी० का परफार्मेंस बजट रख रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि और भी तो विभाग हैं जिन पर जो रुपया खर्च होता है जैसे कि बिजली विभाग है, उद्योग विभाग है, का भी यह परफार्मेंस बजट क्यों नहीं रखा गया। उद्योग विभाग की बात में आप को बताऊं कि फोर्थ फाइव इयर प्लान में पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक रामनगर ट्रेक्टर वर्कशाप का मिला था लेकिन इन मुख्य मंत्री जी ने वह उद्योग भी हरियाना को किसी पोलिटिकल प्रेशर में दे दिया है। जो भी सेन्टर से आर्थिक सहायता या ग्रान्ट आती है वे सब चौधरी साहब के आस-पास के जिलों को ही दी जा रही है....

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण न दें, अपना व्यवस्था का प्रश्न बतायें कि क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

हमारी कठिनाई यह है कि हम मुख्य मंत्री जी का नाम लेते हैं तो आप को बड़ी चोट लगती है। अगर ऐसी बात है तो अब हम उनका नाम नहीं लेंगे जिससे आप नाराज न हों। अब का वित्त मंत्री जी का ही नाम लूंगा। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह परफार्मेंस बजट पेश करनेअगर कोई नियम, कोई परम्परा, कोई संस्कार या कोई ऐसा इतिहास इस सदन का नहीं है। दूसरें यह इंट्रोड्यूस भी किया जा रहा है तो वह केवल सिंचाई, परिवार नियोजन और सार्वजनिक निर्माण विभाग का ही क्यों किया जा रहा है ? क्यों उन्हीं विभागों का रखा जा रहा है जिनका कि यह सरकार रखना चाहती है ? हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को जो और विभाग हैं उद्योग, विद्युत वगैराह उन सब के बारे में भी मालूम हो। यह तब तक न रखा जाय जब तक अन्य सभी विभागों का परफार्मेंस बजट वह न ला पायें। हम जानते हैं कि उद्योग विभाग के मामले में तो प्रदेश में एक बहुत ही क्षोभ का वातावरण पैदा हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें, टीका न करें।

श्री कृष्णानन्द राय—

इसी सम्बन्ध में ४ बजे मेरा एक कार्य स्थगन प्रस्ताव भी है। ५ बजे आप उसको लेंगे और वह आज लेना ही है क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने ट्रैक्टर का रामनगर का कारखाना जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिला था वह हरियाना को दे दिया है, इस संबंध में उधर बहुत रोष है और पूर्वी प्रदेश की रोजी रोटी का यह सवाल है, उन्होंने राजनीतिक प्रेशर में आकर वह हरियाना को दे दिया है। इसलिये हम चाहते हैं कि यह परफार्मेंस बजट उद्योग विभाग का भी रखें और हमें बतायें कि यह ट्रेक्टर का कारखाना हरियाना को क्यों दिया गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं खोला जा रहा है ? इस तरह के परफार्मेंस बजट को फेंक दिया जाय और अगर वह लाया जाय तो सारे विभागों का लाया जाय वर्ना हम इसको सदन के पटल पर नहीं रखने देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सब बैठें, मैंने उनकी बात सुन ली, अब मैं उत्तर दूंगा। बार-बार नहीं होगा, आप बैठें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

केवल एक मिनट की आज्ञा दे दें, इसी बारे में मुझे कहना है....

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप बैठें। एक प्वायंट आफ आर्डर आया है तो उसका तो फैसला हो जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरी आप से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरी बात आप एक मिनट में सुन लें....

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप बैठें। जो प्रश्न श्री कृष्णानन्द राय ने उठाया है उसके संबंध में मैं पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट के भाषण में जिक्र किया था और कहा था कि राज्य सरकार भी इस सिफारिश का स्वागत करेगी और चालू बजट सत्र में कुछ चुने हुये विभागों का एक परफारमेंस बजट प्रस्तुत करने का उसने निश्चय किया है। तो वित्त मंत्री जी थोड़ा सा, उनका जो आक्षेप है कि सब विभागों का इकट्ठा क्यों न लिया जाय इस पर प्रकाश डाल दें। कैसे यह परफार्मेन्स बजट पेश होता है लोगों को आप को एनलाइटेन करना चाहिये।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

इस की प्रतिलिपि भी सब सदस्यों को नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—

यह शायद सबके पिजन होल में रख दी गयी हैं।

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मुझे अवश्य ही दुःखपूर्ण आश्चर्य हुआ है कि एक ऐसे निर्दोष प्रस्ताव को जिसका कि हमारे माननीय सदस्य, गाजीपुर, जैसे पार्लियामेंटेरियन को स्वागत करना चाहिए था, उन्होंने...

श्री अध्यक्ष—

यह प्रस्ताव नहीं है। केवल पटल पर रखने का प्रश्न है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आपत्ति की है। श्रीमन्, माननीय मुरार जी देसाई की अध्यक्षता में एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन बना था। उस आयोग ने जो बजट सम्बन्धी सिफारिशें की थीं, उनमें एक मुख्य सिफारिश यह थी कि एक परफार्मेंस बजट होना चाहिए। उसमें यह था कि बजट इस दृष्टि से बनाया जाय कि उसमें केवल वित्तीय आंकड़े न हों। उनके साथ-साथ उसमें यह भी परिलक्षित होना चाहिए कि उस वर्ष में उस धन के व्यय से कितनी प्रगति होगी। जिस स्कीम के लिए ये आंकड़े हैं, उसका विश्लेषण उसमें अवश्य होना चाहिए। श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और इससे इस सदन के अधिकार बढ़ते ही हैं। इससे विधान मंडल और इस विधान सभा के अधिकार बढ़ते ही हैं, इसलिये मैंने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था और यह ठीक ही था। सदन ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की थी, विरोध प्रकट नहीं किया था। जो बात मैंने कही थी वह इस प्रकार है :—

"प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों में से एक मुख्य सिफारिश यह है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों ही "फरफार्मेंस (कार्यपूर्ति दिग्दर्शक) बजट" तैयार करना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

शुरू करें। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करने का निश्चय कर लिया है और चालू वर्ष के बजट सत्र में यह प्रस्ताव है कि माननीय सदस्यों के समक्ष कुछ चुने हुए विभागों के सम्बन्ध में ऐसे "परफार्मेंस बजट" प्रस्तुत किये जायें। प्रशासनिक विभागों के बजट तैयार करने से सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने के बाद यह प्रस्ताव है कि धीरे-धीरे इस महत्वपूर्ण सुधार के अन्तर्गत सभी विभाग आ जायं।"

तो यह परफार्मेंस बजट एक नयी चीज है। भारत सरकार ने भी प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के आधार पर और प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर कि कुछ विभागों में क्या कार्यवाही हुयी है, उसका एक परफार्मेंस बजट बनाया था। हमने भी जो हमारे निर्माण कार्य हैं, जैसे सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होते हैं, जो वे कार्य कर रहे हैं, इसमें लिखा है। मैं माननीय सदस्य की बात का बहुत ही स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अगले वर्ष उद्योग विभाग का बजट भी इसमें आयेगा और जितना भी ट्रेनिंग हो जायगी, उन सब का परफार्मेंस बजट लायेंगे। यह एक स्पष्टीकरण के रूप में है। जैसे विभागीय नोट्स आते हैं, उसी प्रकार से जो भी बजट प्रस्तुत होता है, उसका स्पष्टीकरण इसमें है कि किस प्रकार से कार्यपूर्ति हुई है।

दूसरे जो परफार्मेंस बजट प्रस्तुत किया गया है, इसको ३ हिस्सों में बांटा गया है। एक है कार्य कलाप का वर्गीकरण (प्रोग्राम/एक्टिविटी क्लासिफिकेशन)। दूसरा है उद्देश्यवार वर्गीकरण (आब्जेक्ट वाईज क्लासिफिकेशन) और तीसरा है वित्तीय साधनों का स्रोत (सोर्सेज आफ फाइनैंनसिंग)। इससे बजट को समझने में ज्यादा आसानी होगी और कोई गलती कहीं पर हो उसको जानने में सुविधा होगी। और प्रगति को प्रभावी बनाने में भी अधिक सहायक होगा। इनके अतिरिक्त हमारी जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं, जैसे राम गंगा योजना, उनके बारे में आसानी से जानकारी हो सकेगी कि कितना खर्चा हो रहा है। इस प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश से जो सदन का अधिकार बढ़ रहा है हम अवश्य ही प्रयास करेंगे कि अगले वर्षों में हर विभाग के कार्यकलापों को इसमें सम्मिलित कर लें। तो मैं यह आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य कृपया इसे स्वीकार कर लें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

श्रीमन्, मैं इस बात का तो स्वागत करता हूं कि परफार्मेंस बजटिंग को इस सदन में प्रारम्भ किया गया है। क्योंकि मेरे दिल में है यह चीज कि परफार्मेन्स बजटिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी वित्तीय पद्धति का एक अंग है। लेकिन मान्यवर, जो बात वित्त मंत्री जी ने कही थी मुझे उससे थोड़ा सा क्षोभ हुआ क्योंकि जिस समय यह विभाग मेरे पास था उस समय भी यह योजना आई थी और हम लोगों ने यह विचार किया था कि परफार्मेन्स बजटिंग जरूर प्रारम्भ किया जाय। लेकिन यह कभी नहीं सोचा गया था कि एक दो विभागों को लेकर प्रारम्भ किया जाय। क्योंकि ऐसा सोचना, जैसा कि हमारे माननीय मित्र श्री कृष्णानन्द राय जी ने कह दिया, एक प्रकार से सदन के साथ आंखमिचौनी का खेल होगा और दुर्भाग्यवश वित्त मंत्री जी ने अपने इरादे को और स्पष्ट कर दिया। क्या कारण है कि आपने केवल दो ही विभागों की बात की। आपने सिंचाई विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात की और आपने हमको कहा कि ये निर्माण सम्बन्धी विभाग हैं। लेकिन इसमें परिवार नियोजन भी सम्मिलित है।

परिवार नियोजन कितना महत्वपूर्ण विभाग है, यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज के वातावरण में उसका भी स्थान है। मैं उसको कम नहीं कहता लेकिन मैं यह कहना चाहता था कि जो मौलिक प्रश्न माननीय कृष्णानन्द राय जी ने उठाया उसका जवाब नहीं दिया। क्या कारण है कि आप केवल तीन विभागों की ही बात करना चाहते हैं। यह सही है कि हम लोग

निरन्तर एक घटन का अहसास कर रहे हैं। यह केवल पूर्व और पश्चिम की बात नहीं है। बल्कि दुःख की बात यह है कि किन्हीं कारणों से हमारे प्रदेश में उद्योग का सारा वातावरण समाप्त हो गया है, चौपट हो गया हैं। वह भी केवल बड़े उद्योगों का प्रश्न नहीं है बल्कि कोई भी नया उद्योग हमारे प्रदेश में नहीं लग रहा है जब कि आशा की जाती थी कि उद्योग हमारे प्रदेश में लगे। पश्चिम बंगाल में अनिश्चित स्थिति जो अशान्ति और अव्यवस्था के कारण है उससे ऐसा मालूम होता था कि बहुत से उद्योगपति यहां उद्योग लगायेंगे। इसी प्रकार से और उद्योगों की बात भी हमारे मन में थी और उन सब को देखते हुए ख्याल था कि बहुत से उद्योग हमारे प्रदेश में आयेंगे। परन्तु मुझे कहना है कि उद्योग हमारे प्रदेश में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। यदि पिछले तीन महीनों के कार्य विवरण को यह सरकार देखना चाहे निरपेक्ष रूप से, हम इस बात को भूलकर देखना चाहते हैं कि वे उधर बैठे हैं या हम इधर बैठे हैं, तो यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीन चार या पांच महीनों में अगर ये एक भी बतला दें कि फलां उद्योग नया लगा तो हमको प्रसन्नता होगी। लेकिन कोई उद्योग लगा नहीं।

माननीय मुख्य मंत्री ने भी जैसे कहा है और वित्त मंत्री भी बार बार कह चुके हैं कि हमारे प्रदेश की उन्नति तब तक नहीं हो सकेगी जब तक उद्योग और कृषि की उन्नति साथ साथ नहीं हो सकेगी। इन परिस्थितियों में मैं इतना कहना चाहता था कि यदि परफारमेन्स बजट प्रारम्भ करना है तो मैं स्वागत करता लेकिन कृपा करके सभी विभागों का कार्यवृत्त विवरण यहां पर प्रस्तुत करें जिससे प्रदेश की जनता जान सके कि सचमुच क्या कार्य हो रहा है। जैसा कि मान्यवर, इसमें देखेंगे, मुझे अभी इसकी प्रतिलिपि मिली है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि कृपा कर वे इसको देखें। कम से कम मेरी दृष्टि में १२–१४ कार्य तो उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऐसे हैं जो दस दस वर्ष के बाद भी पूरे नहीं हुए और उनके सम्बन्ध में आखिर इस कार्यवृत्त विवरण में परफार्मेन्स के सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री परफार्मेन्स बजटिंग आरम्भ करें, शुभागमन, लेकिन कृपा करके सभी विभागों का परफार्मेन्स बजट इस सदन के सामने रक्खें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि इस बात का स्वागत हम भी करते हैं कि परफार्मेन्स बजट आये परन्तु सभी विभागों का आना चाहिये और इस परफार्मेन्स बजट पर चर्चा का अवसर दिया जाय। जब तक चर्चा नहीं होगी और हम यह नहीं बता पायेंगे कि इस परफार्मेन्स बजट के अन्दर और क्या कमी रह गई है, कहां पर गलती रह गई तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो कार्य-मंत्रणा समिति में इसको लाकर इस पर आप चर्चा के लिये समय निर्धारित कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपके सुझाव को कार्य-मंत्रणा समिति के समक्ष रख दूंगा। माननीय वित्त मंत्री कृपया उसे पेश करें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरी एक वैधानिक आपत्ति है। आपकी नियमावली के नियम १८ के अन्तर्गत बजट वर्ष में केवल एक बार ही पेश हो सकता है। उसके बाद लेखानुदान वगैरह और हैं जो पेश हो सकते हैं, मगर बजट एक ही बार पेश हो सकता है। आज जो चीज मंत्री जी पेश कर रहे हैं वह किस नियम के अन्तर्गत पेश कर रहे हैं? अगर इसको आज पेश करते हैं तो पहले नियमावली में संशोधन हो। फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इसको जाना चाहिये और इस पर विचार के लिये समय निर्धारित होना चाहिये और एक बात यह है कि सबसे पहले इस पर इस्टीमेट्स कमेटी में विचार होना चाहिये, उसके बाद यहां आना चाहिये। नियमों के अन्तर्गत यह परफार्मेन्स बजट आज पेश नहीं हो सकता, इसको आप रोकें।

उत्तर प्रदेश शासन १९७०-७१ के सिंचाई, परिवार नियोजन एवं सार्वजनिक निर्माण विभागों का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफार्मेंस बजट)

श्री अध्यक्ष---

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

वित्त मंत्री जी कृपया बजट पेश कर दें। (शोर) आपलोग कृपया बैठें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शासन १९७०-७१ के सिंचाई, परिवार नियोजन एवं सार्वजनिक निर्माण विभागों के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफार्मेन्स) बजट सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४७ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८७१ पर)

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २७ मई, १९७० उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ६ जून, १९७० को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १० जून, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का २४ वां अधिनियम बन गया।

श्री निन्यानन्द स्वामी द्वारा 'विपल्व' समाचार पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना एक अखबार में बहुत गंदे आक्षेप एक दूसरे के मुंह से निकालकर कांग्रेस (ओ०) के ऊपर किये गये हैं और कांग्रेस (ओ०) के ऊपर वह आक्षेप करते हुये एक फर्जी विधायक को उसमें सम्मिलित किया गया है। जो शब्द इसमें लिखे गये हैं वे बहुत ही गन्दे हैं। मैं प्राग्दर्शन में इसको विशेषाधिकार की अवहेलना समझता हूं और इसे विशेषाधिकार समिति को भेजता हूं। इसलिए यह कमेटी में भेज दिया जाएगा। इतना मैं कमेटी से जरूर कहूंगा कि यह जिस पत्र विपल्व में निकला है, जो कि लखीमपुर खीरी का है उसके बारे में यह देख लिया जाए कि क्या वह पत्र इस लायक है कि उसको इस तरह से इज्जत बख्शी जाए।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आप वह पढ़कर सुना दें, क्या लिखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको उचित नहीं समझता हूं कि ऐसे गंदे शब्दों को पढ़ूं। कमेटी जब उस पर फैसला करेगी तो वह चीज सामने आएगी ।

दल परिवर्तन करने वाले सदस्यों के सम्बन्ध में घोषणा की मांग

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

आप एक व्यवस्था दें कि आज तक हाउस की परम्परा रही है कि जब कोई सदस्य एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी घोषणा आप करते हैं, किन्तु दो बार माननीय गोपालदत्त ओझा की तरफ से लिखकर आया कि उधर से उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, फिर भी आज तक आपने उसकी घोषणा नहीं की है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यहां पर घोषणा कर दी होती, लेकिन इसमें ३ शर्तें हैं । जो सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे अपनी पूर्व पार्टी को इस बात की सूचना देना चाहिये कि वह दल छोड़ रहा है । दूसरी बात यह है कि दूसरी पार्टी जिसमें वह जाए उसका साथ में एक सार्टीफिकेट होना चाहिये और तीसरी बात यह है कि ४८ घंटे के बाद मैं सदन को सूचना दूंगा । ये तीन शर्तें हैं । दो तीन शख्सों के नाम गये थे मेरे पास, लेकिन किसी ने पहली शर्त पूरी नहीं की कि उसने अपने पहले वाली पार्टी को सूचना नहीं दी और किसी ने दूसरी शर्त कि उसने ज्वाइन करने वाली पार्टी का सार्टीफिकेट नहीं दिया या किसी केस में ४८ घंटे का समय नहीं हुआ । इसलिए यह घोषणा नहीं हुई है, जिस वक्त ये सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी, उस वक्त घोषणा हो जाएगी । आप मेरे कमरे में आकर उन्हें पूरा करा दें ।

श्री गेंदा सिंह द्वारा मन्त्रिपरिषद् से त्याग पत्र देने के संबंध में घोषणा की मांग

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यहां पर आपकी मिनिस्टरी में मिनिस्टर्स इस्तीफा देते हैं, उसकी कई कई दिन तक सदन म सूचना नहीं दी जाती है। माननीय श्रीपति मिश्र ने इस्तीफा दिया, श्री गेंदासिंह ने इस्तीफा दिया, किसी की घोषणा सरकार ने नहीं की, तो फिर आप मेम्बरों की बात क्या करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

गेंदासिंह जी के इस्तीफे पर अभी कल भी चर्चा हुई है, आज मुख्यमंत्री जी यहां पर मौजूद हैं वह बतादें कि उनका इस्तीफा प्राप्त हुआ है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

गेंदासिंह जीने इस्तीफा दिया है, ३-४ मंत्री इस्तीफा दिए बैठे हैं, किन्तु मुख्यमंत्री जी उसे दबाये बैठे हैं, आप मेम्बरों की बात क्या करते हैं ? पहले मिनिस्टरों के बारे में घोषणा करवाइये ।

(व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

आज कुछ माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया है कि माननीय गेंदा सिह जी ने इस्तीफा दिया है और तीन ने और दे दिया है और मुख्यमंत्री जी उसको दबाये बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब मैं यहां पर मौजूद नहीं था, तो दो दिन इसी सिलसिले में कुछ लोगों ने बहुत जोश दिखाया है--

(व्यवधान)

अब आप नहीं सुनना चाहते हैं तो बैठ जाऊंगा। लेकिन इस तरह से हाउस चलने वाला नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, किसी माननीय सदस्य को इस सिलसिले में मुझ से यह पूछने का क्या हक हासिल है जब तक कि किसी मिनिस्टर का इस्तीफा मंजूर न हो जाय और वह बयान देने के लिये आपसे समय न मांगे। क्या कारण है इस्तीफा देने का वह मिनिस्टर साहब खुद बतलाते हैं जो इस्तीफा देतेहैं और अगर वह चाहें कोई बयान देना तो अध्यक्ष महोदय से समय निश्चित कराते हैं। उस वक्त गवर्नमेंट या मुख्य मंत्री की तरफ से अगर मुनासिब समझें जैसा कि नियम में दिया हुआ है, तो उस वक्त उस बात की और सफाई हो जाय। माननीय, गेंदासिह ने इस्तीफा दिया। जो मेरे पास इस्तीफा आया है, उसमें कोई कारण नहीं लिखा गया, मैं आपकी इजाजत से यह बतलाना चाहता हूं, यद्यपि बतलाना जरूरी नहीं है। वह अनुमान की बात होती है। मैंने उनसे कहा कि आप इस्तीफा वापस ले लीजिये। उन्होंने इस्तीफा अभी वापस नहीं लिया है। लेकिन अगर वह वापस नहीं लेंगे तो लाजिकल बात है कि उनका इस्तीफा मंजूर करना पड़ेगा,। अब, इस्तीफा मंजूर हो जाय, या वह इस्तीफा वापस ले लें, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कांस्टीट्युशनल क्राइसिस हो गयी जिस पर इतना हो हल्ला होता है। दूसरी बात यह है, उस रोज भी कहा गया था और अब भी मेरे मित्र ने कहा कि कई और मिनिस्टर इस्तीफा, दे चुके हैं और मैं दबाये बैठा हूं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मेरे किसी और साथी ने इस्तीफा नहीं दिया है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

व्यवस्था का प्रश्न है। इस जगह पर माननीय मुख्य मंत्री बैठे हुए थे, उनके सामने श्रीपति मिश्र ने घोषणा की थी, मैं इस्तीफा देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उनका इरादा नहीं है मंजूर करने का। उसके बाद श्रीपति मिश्र ने कहा कि यह इस्तीफा मेरा जरूर होगा। मैं वापस नहीं करूंगा। अभी तक वह पेंडिंग है। उस पर पता नहीं चला कि क्या वह इस्तीफा श्रीपति मिश्र ने वापस कर लिया? यह बात भी बताएं कि श्रीपति मिश्र ने अपना इस्तीफा वापस कर लिया या नहीं?

श्री चरणसिंह—

यह गालिबन में पहले अर्ज कर चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी—

व्यवस्था का सवाल है। जो चीज हाउस में नहीं आयी उस पर आप बहस क्या करवाना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष—

जब मैं बोल रहा हूं---जब यह सवाल यहां उठाया गया था मैं बैठा नहीं था। परसों मैंने नियम सुना दिया था। अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है, २७६ में नियम यह है, मुझ से वक्तव्य देने के बारे में इजाजत मांगें और दिन मुकर्रर करा लें। दूसरी चीज यह है कि अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वक्तव्य की एक कापी माननीय मुख्य मंत्री को भी भेजें। उसके बाद जब सदन में वक्तव्य हो जाय तो माननीय मुख्य मंत्री अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। यह नियम में दिया हुआ है। मैंने सुना दिया था। लेकिन बार बार सवाल उठाते हैं तो मैं उठाने नहीं देता हूं। उन्होंने उठाया, और कहा कि आप जवाब दे दें, जवाब दे दिया। लेकिन मैं कह चुका हूं, मैं चाहता हूं कि यादव जी अपना भाषण जारी रखें।

१९७०-७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन, अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय तथा अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (क्रमागत)†

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष जी एक जानकारी.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। वह बोलेंगे।

*श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल कृषि आय-व्ययक की कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा था। हमारे उत्तर प्रदेश में किसान की ममता अपनी भूमि से है। उसका सम्बन्ध अपनी भूमि से, अपने पूर्वजों के समय से जुड़ा हुआ है। वह अपने खेत में अथक परिश्रम करता है। वह जाड़े की कड़कड़ाती हुई सरदी में, जून की चिलचिलाती हुई धूम में, बरसात के मूसलाधार पानी में अनवरत गति से अपने खेतों में परिश्रम करता है। लेकिन क्या कारण है कि आज इतने परिश्रम के बाद भी उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति इतनी दयनीय है। इसका मुख्य कारण केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा नीति है और प्रदेश सरकार के नेता कुर्सी के लोभ में केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा नीति के साथ सहयोग करते हैं। हम देखें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की जो आय थी तीसरी योजना के समाप्त होने के बाद उस आय में ८ रुपये वार्षिक की कमी हो गयी जब कि देश के अन्य प्रदेशों में प्रति व्यक्ति आय ३८ रुपये बढ़ी। उत्तर प्रदेश ने केन्द्र को तीन प्रधान मंत्रियों को दिया है। हम आंकड़ों को देखें तो ज्ञात होगा कि सम्पूर्ण देश की जनसंख्या का १७ प्रतिशत हमारे प्रदेश में बसता है और केन्द्र से सहायता मिलती है केवल १३ प्रतिशत। १९५० से ले कर १९६९ तक ६,२२६ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से प्रान्तों को दिया गया जिसमें से उत्तर प्रदेश को केवल ८२६.६ करोड़ रुपया मिला। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने अन्य प्रान्तों को बन्दरगाहों के लिये १९२.४२ करोड़ रुपया दिया जिसमें उत्तर प्रदेश को एक पैसा भी नहीं मिला। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने विद्युत् उत्पादन के लिये अन्य प्रदेशों को ३७२.८४ करोड़ रुपया दिया और इस प्रदेश को एक पैसा भी नहीं मिला क्योंकि कोई योजना इस प्रदेश में लागू नहीं की गयी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली पंचवर्षीय योजना बनी। सरकार की तरफ से घोषणा की गयी कि अन्न में योजना की समाप्ति के बाद देश आत्मनिर्भर हो जायगा और विदेशों से गल्ला नहीं मंगाना पड़ेगा। पहली पंचवर्षीय योजनाओं में करोड़ों रुपया खर्च किया गया। ग्रो मोर फूड कम्पेन चलाया गया। उसके लिये बड़ा प्रचार किया गया। बड़े-बड़े भाषण दिये गये। पोस्टर छापे गये, कचहरियों में, पोस्ट आफिसों में, रेलवे स्टेशनों पर दिया सलाई की

†१७ जून, १९७० की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जंग बहादुर यादव]

डिब्बी के पीछे लिखा गया। नेता लोग देहातों में गये और भाषण ऐसी जबान व भाषा में दिये कि उनके भाषण देहात की जनता की समझ में नहीं आये। इस प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भी गल्ले की कमी जैसी की तैसी बनी रही और इस प्रदेश तथा देश को विदेशों के खाद्यान्न पर निर्भर करना पड़ा। आज भी करोड़ों रुपये का गल्ला हमारे देश में बाहर से आ रहा है, यह कलंक तथा शर्म की चीज है। यह बड़े दुख की बात है कि इतना बड़ा भूभाग हमारे प्रदेश में है, इतनी बड़ी जनसंख्या है और जमुना तथा गंगा से लाई हुई मिट्टी से वह भूभाग जरखेज है लेकिन हमारा प्रदेश खुशहाल नहीं है। भगवान के भरोसे पर यहां की खेती होती है। अगर पानी बरस गया तो फसल अच्छी हो जाती है और नहीं बरसा तो अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। किसानों के साथ उपेक्षा की नीति बरती जाती है। उनके लिये सिंचाई तथा बिजली की व्यवस्था नहीं है। सरकार उसकी व्यवस्था करे। गांव-गांव बिजली पहुंचाये।

इसके अतिरिक्त किसानों को उचित मूल्य भी अपने गल्ले का नहीं मिलता। जो फसल वह पैदा करता है, जो पैसा उस पर वह खर्च करता है। और दूसरे मजबूरी हालत में जब रबी की फसल कटती है तो किसान अपने गल्ले को सस्ते में बेचता है क्योंकि उसे शादी, विवाह और कपड़ा इत्यादि के लिये पैसे की आवश्यकता होती है। मजबूरी हालत में देहात का बनिया इस किसान से उसका गल्ला कम कीमत पर खरीदता है और उसी गल्ले को माघ और पौष में अधिक मूल्य पर इन्हीं किसानों को बेचता है और किसानों को भी खरीदना ही पड़ता है। तो सरकार को चाहिये कि उनके गल्ले को अच्छे मूल्य पर बिकवाये ताकि उन्हें उसका अच्छा पैसा मिल सके और वे अपनी आजीविका अच्छी तरह से चला सकें।

दूसरी बात यह है कि पिछली सरकार ने बीजों और बिजली पर टैक्स बढ़ा दिये थे। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उन किसानों को जो इस बीज और बिजली का उपयोग खेती के लिये करते हैं उनको सस्ते रेट पर दी जाय। जब तक यह व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती है तब तक उनका पैदावार बढ़ाने का उत्साह नहीं बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में लगभग ७ प्रतिशत ऐसी भूमि है जो कि अलाभकर है जिस पर कि खेती होती है और छोटे-छोटे काश्तकार खेती करते हैं उसे सरकार लाभकर बनाने का प्रयास करे और भूमि का परीक्षण कराये कि कहां और किस भूमि पर किस फसल में कौन सा बीज लगायें। उसके बाद किसान को बताये और किसान उसके अनुसार खेती करे। इसके अतिरिक्त भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है और आज उनका जीवन उसी पर आधारित है। सरकार को चाहिये कि गांव समाज की जमीन या सीलिंग से बची हुई जमीन जो कि हमारे प्रदेश में लगभग सवा सोलह लाख हेक्टियर खेती के लायक पड़ी हुई है उसे इन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को वितरित करे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि सम्बन्धी और जो प्लानिंग सम्बन्धी अनुदान है उस पर बोलने का अवसर दिया है। श्रीमन्, प्रदेश की विशालता को देखकर प्रदेश में ६९ प्रतिशत कृषि सम्बन्धी कार्य होने के कारण जो इसकी महानता है, जो उसका कार्य क्षेत्र है और जिस तरह से कृषि सम्बन्धी अनुदान के विषय में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये, उससे प्रतीत होता।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर, उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

है कि कृषि की महत्ता को सभी माननीय सदस्य स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के साथ-साथ यह भी चाहते हैं कि कृषि सम्बन्धी कार्य की प्रगति इस प्रदेश में हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यही नहीं कृषि में होने वाली जितनी कमियां हैं उनकी ओर भी हमारे माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है और यह कहा है कि अगर इन कमियों को दूर किया जाय तो प्रदेश की कृषि सम्बन्धी कार्य पद्धति में अनेक प्रकार की सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं और प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। मान्यवर, हम एक ओर कटौती के प्रस्ताव को देखते हैं और दूसरी ओर यह सुझाव पाते हैं कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये अनेक प्रकार के कार्य करने हैं। तो इन तमाम बातों को देखते हुये मुझे तो ऐसा लगता है कि सब की आंतरिक भावना यही है कि इस कटौती के प्रस्ताव को न मानते हुये हम इस अनुदान की आंतरिक स्थिति की हृदय से प्रशंसा करते हुये और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये चेष्टा करें। मान्यवर, इसी भावना को आधार मानते हुये मैं भी माननीय कृषि मंत्री ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, कल से होने वाले विवाद के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार के विचार रखे, यही नहीं कृषि के संबंध में कुछ ऐसे विचार भी उद्घाटित किये, जिन पर प्रदेश की कृषि की उन्नति निर्भर करती है। किन्तु कृषि विभाग के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग फल उत्पादन का है, इस पर किसी माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट नहीं किये। इसलिये मैं सदन के समय का ध्यान रखते हुए आपके माध्यम से अपेक्षा करता हूं कि इस विषय को आगे नजरअन्दाज नहीं किया जायगा। कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सामग्री के आधार पर यह माना गया है कि उत्तर प्रदेश में फल उत्पादन के लिये सब से अधिक उपयोगी भूमि है। पुस्तिका के पेज २ पर लिखा हुआ है कि पर्वतीय प्रदेश की घाटियों को छोड़ कर जितनी भूमि उपलब्ध है, वह फल उत्पादन के लिये उपयोगी है। इसी पुस्तिका से हमें यह भी पता चलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ८,०६२ एकड़ क्षेत्र में फल उत्पादन होता है, दूसरी योजना में ३४,३०४ एकड़ में, तीसरी योजना में ४३,८७४ एकड़ में तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में एक लाख २५ हजार एकड़ क्षेत्र में उद्यान लग जाने का प्राविधान किया गया है। पिछले वर्ष ७९,९१९ फल देने वाले पेड़ों से ५० हजार टन फल पैदा हुआ। और आशा की जाती है प्रति वर्ष ५ हजार टन अधिक पैदा होगा। इसका अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र से आता है। परन्तु जितना क्षेत्र हमारे पास है उतना ही हिमांचल प्रदेश के पास भी है। लेकिन वहां फलों से कुल हिमांचल प्रदेश की आमदनी का एक चौथाई होता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में आज भी घाटा ही हो रहा है जबकि इसको अनेक प्रकार से आर्थिक शक्ति से सम्पन्न हो जाना चाहिये था।

यह मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस अंचल में और भी जो योजनायें चलाई जा रही हैं वह ठीक प्रकार से नहीं चलाई जा रहीं। प्लानिंग में फलोत्पादन भी एक मुख्य साधन आय का माना गया है। परन्तु हम देखते हैं कि उसके बारे में प्रयत्न बहुत कम है। उत्पादन के साथ हमेशा यह देखा जाता है कि उसका बाजार कौन-सा होगा? बाजार को निश्चित करना और उसके लिये साधन जुटाना यह मुख्य बात होती है। लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस विभाग ने अपने बाजार को बनाने की कभी चेष्टा ही नहीं की। पिछले वर्ष जब शिमला में प्रदर्शनी हुई थी तो भारत के फलों में उत्तर प्रदेश ने लगातार पहले पांच इनाम जीते थे, लेकिन हम अपने ही सूचना विभाग के द्वारा इस बात को आज तक नहीं जान पाये हैं कि हमारे यहां कितने अच्छे प्रकार के फल मिलते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि जो फल अपने ही प्रदेश से आते हैं उन पर फलों वाले काश्मीर और हिमांचल प्रदेश का नाम डाल देते हैं। यह हमारे मारकेट की स्थिति बताते हैं। इसका कारण यह है कि हमने उसके बारे में प्रचार नहीं किया है। हिमांचल प्रदेश को देखिये उसने इंगलैंड तक अपने स्टोरेज बना लिये हैं, लेकिन हम अभी तक पिछड़े हुए हैं। उम्मीद की जाती है कि हमारे स्टोरेज बम्बई और दिल्ली में

[शिवानन्दन नौटियाल]

हो जायेंगे। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि हमारे बगीचों से हमें जो आमदनी हो रही है, वह कम क्यों हो रही है? मैंने पहले भी इसी विषय पर कहा था कि हमारे इन बगीचों का निर्माण तो हुआ है लेकिन जैसे आज सुबह ही एक प्रश्न आया था कि पुल तो बना दिया लेकिन वहां तक जाने के लिये सड़क नहीं है।

इसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में आज तक योजनायें चली आ रही हैं जिसके कारण हम असफल होते जा रहे हैं। मोटर रोड से २६ मील की दूरी पर बरसार का बगीचा है। मैंने पहले भी बताया था कि वह भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि समस्त एशिया में सब से बड़ा फलों का बगीचा है, ५०० एकड़ का। पिछले साल उससे ६३ हजार रुपये की आमदनी हुई थी और इस साल केवल २९,२६७ रुपये की आमदनी हुई है जबकि दूसरा बगीचा जो चौबटिया में है उसका ठेका लगभग ४ लाख रुपये के करीब का दे दिया गया है। इसका कारण यही है कि अगर बरसार में भी सड़क पहुंच जाती तो कोई वजह नहीं थी कि ५–१० लाख रुपये की आमदनी उससे न होती। यही नहीं, रामगढ़ और दूनागिरी का इलाका भी सड़क से नहीं जोड़ा गया है जिसके कारण वहां के फल ठीक से बाजार में नहीं पहुंच पाते हैं। हमारी योजनायें ही इस तरह से बनती हैं कि हम दूसरे विभागों से सम्पर्क नहीं स्थापित करते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दे दूं हालांकि इससे सीधा संबंधित नहीं है। पौड़ी के पास गेठी छौड़ा के पास एक विद्युत् योजना चलायी गयी जिस पर लाखों रुपया खर्च हो गया है। अप्रैल में वहां एक ढाई लाख रुपये की कीमत की मशीन पहुंचानी थी लेकिन पौड़ी से गेठी छोड़ा तक सड़क न होने के कारण साढ़े ३ हजार रुपये में उसके पहुंचाने का ठेका दे दिया गया। लेकिन रास्ते में ही वह मशीन पहाड़ से गिर कर खड्ड में चली गयी और उस मशीन का कहीं नामोनिशान भी नहीं रहा। अगर सड़क होती तो वह मशीन आसानी से वहां पहुंच जाती। लेकिन यह हमारी योजना की कमजोरी है। हम योजना तो बना लेते हैं लेकिन अन्य विभागों से सम्पर्क नहीं करते जिसके कारण हमें असफलता के दर्शन करने पड़ते हैं।

इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पर केवल फल ही पैदा हो सकते हैं, पिछले वर्ष हमने सब्जी उत्पादन में भी बहुत उन्नति की है। १९६९–७० में २,६२७ एकड़ में हमने सब्जी उत्पादन किया था और ११,०४,५०० किलो सब्जी बेची गयी। यह प्रदेश ऐसा है कि अगर हम योजनाबद्ध कार्य करें तो कोई कारण नहीं है कि उत्तर प्रदेश जो पिछड़ा हुआ है और दिन प्रति दिन पिछड़ता चला जा रहा है उसका विकास न हो सके।

मैं अपने कृषि अधिकारी का भी जिक्र कर देना उपयुक्त समझता हूं। उनका नाम है मिस्टर काकड़ा जो चमोली जिले में हैं। जब यह उत्तर काशी में थे तो वहां भी कहते थे कि हमने तमाम दुनिया का रेकार्ड तोड़ दिया है। इस वर्ष चमोली में रेकार्ड तोड़ दिया है। इस प्रकार का रेकार्ड अगर पहाड़ी जिले में कृषि के लिये हो सकता है तो मैदानी भागों से कृषि का काम समाप्त कर के पहाड़ों में ले जाना चाहिये। यह निश्चित बात है कि पहाड़ी इलाकों में फलों और सब्जी के अलावा और कोई कार्य नहीं हो सकता। १२ महीने हम जो मेहनत करते हैं, पहाड़ों को खोदते हैं, लाल पीला करते हैं और जब बरसात का मौसम आता है तो हमारे सारे काम को पानी बहा कर मैदानों की ओर ले जाता है। अगर हम उस भूमि की रक्षा करना चाहते हैं तो उसका एक मात्र उपाय यही है कि वहां वृक्षारोपण कर दिया जाय। उससे फलों की भी उत्पत्ति होगी और भूमि की भी रक्षा होगी। इसलिए वहां के विकास और जो-जो हमारे कृषि उत्पादन के भीतर एक पक्ष है जिसकी कई माननीय सदस्यों ने पूर्णतया उपेक्षा की है, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में, पर्वतीय क्षेत्र का विकास करना है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो इस दिशा में सोचना होगा और गम्भीरता से सोचना होगा। हमारी प्लानिंग की आवश्यकताएं उसी के अनुरूप और उसी के आधार पर बननी चाहिए जिससे वहां का विकास हो सके।

इस तरह से ऊल-जलूल प्लान जिसका एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है, उससे कोई कार्य नहीं होगा।

यही बात नहीं, कश्मीर की केशर के विषय में बड़ी तारीफ सुना करते थे। पिछले वर्षों के अन्वेषण कार्य के साथ-साथ जो प्रयोग किये गये हैं तो स्वयं अल्मोड़ा और गढ़वाल के भरसार क्षेत्र में केशर की खेती सर्वोत्तम रही है और हमको उसका भी पुरस्कार मिला है। हमारी ही बड़ी भारी कमजोरी है जिसके कारण हम उत्तर प्रदेश के लोग यह नहीं समझते कि इस तरह की चीजें हमारे यहां उत्पादित होती हैं और उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक बात यह बताना चाहता हूं कि सब्जियों के विषय में यदि और जगहों से मुकाबला करें तो गढ़वाल और अल्मोड़ा में ५ रुपया क्विंटल के हिसाब से आलू बिके हैं और यहां कहा जाता है कि आलू नही मिलते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का कोई साधन उपलब्ध नहीं था, वहां का माल वहीं सड़ता रहा, सड़कों से कोई सम्पर्क नहीं था। हमारे जो बीज हैं, उसके साथ जो हमारे डिमांस्ट्रेशन का कार्य है यह भी वहां जो काम करने वाले लोग हैं उन तक नहीं पहुंचता है। एक चौबटिया नामक पेस्ट हमारे फल निर्माण विभाग ने निर्माण किया है जिससे फलों के कीड़े सारे के सारे मर जाते हैं, लेकिन १४ रुपया पौंड के हिसाब से बेचा जाता है जिससे गरीब जनता उसका उपयोग नहीं कर पाती है, और उपयोग नहीं हो सकता है। तो डिमांस्ट्रेशन का कार्य सब जगह पहुंचाया जाना चाहिए।

जहां तक कृषि संबंधी अन्य कार्यों का प्रश्न है हमारे यहां मैदानों से खाद पहुंचती है लेकिन तब पहुंचती है जब हमारी फसलें पक जाया करती हैं और बी० एल० डब्लू० द्वारा जो हमारे विकास क्षेत्रों को जबरदस्ती दी जाती है। जब बाद में वसूली के लिए आता है कि इतना रुपया देना पड़ेगा तो मुकदमेबाजी होती है। गढ़वाल में ५७ मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि खाद उस समय पहुंची जब खेतों में अनाज पक गये थे और घर में आ गये थे। इस तरह से पहाड़ों के लिए जो योजनाएं बनायी जाती हैं वे मैदानों के आधार पर बनायी जाती हैं जबकि दोनों का स्तर भिन्न है। उसी आधार पर हमारे यहां पेड़ भी और बीज भी दिये जाते हैं और वे पहुंचते हैं तो मरी हुई हालत में पहुंचते हैं। पहाड़ों के लिये फलोत्पादन की एक ठोस योजना होनी चाहिए जिससे फलोत्पादन को आगे बढ़ाया जा सके और वहां की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में वह सहायक हो सके।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि मुझे बोलने और अपने विचार रखने का इस सदन में अवसर मिले। वैसे तो यह सदन इस समय खाली है इसलिये मैं विशेष रूप से कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कृपा कर मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और जब उनके जवाब देने का वक्त आये तो उन बातों पर प्रकाश डालें। सब से पहली बात यह है कि खाद्यान्न की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है परन्तु यह समस्या हल हो गई है या पूर्ण संतोषजनक स्थिति पैदा हो गई हो ऐसा नहीं हुआ है और मैं इस सदन में एक चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ी-सी कम्प्लेसेन्सी बरती गई तो स्थिति बदल सकती है। १९५०–५१ की तुलना में १९६९–७० में जो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है वह है ४३ फीसदी और इस अवधि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हुई है वह ४७ फीसदी से कुछ ज्यादा हुई है। जिस गति से पैदावार बढ़ी है वह कम है उसकी तुलना में जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रताप सिंह]

दूसरी बात यह है कि चार वर्ष हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुए लेकिन उसके जो लक्ष्य थे हम वहां नहीं पहुंचे हैं। यदि दूसरे राज्यों से तुलना की जाय तो कृषि में जो बढ़ोत्तरी की गति है वह दो-एक को छोड़ कर सब की तुलना में धीमी रही है। इस विकास की धीमी गति के कई कारण हैं। सभी कारणों पर प्रकाश डालना सम्भव नहीं है, परन्तु एक कारण जिसका सरकार चाहे तो तत्काल सुधार कर सकती है वह कृषि विभाग का संगठन है। मेरा ऐसा विचार है कि कृषि विकास की जिम्मेदारी किसी संगठन पर रखी जाय। श्रीमन्, मुझे अवसर मिलता है कृषि विकास अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलने और बातें करने का तो मुझे कभी ऐसा आभास नहीं होता कि उन में कोई हौसला हो और जब उनमें हौसला नहीं है तो वह काम कैसे कर सकते हैं? आज कोई भी चला जाय लुधियाना यूनिवर्सिटी या पन्तनगर यूनिवर्सिटी और वहां के लोगों से बात करे तो हौसला दिखाई देता है काम करने का परन्तु उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में इस प्रकार का कोई हौसला दिखाई नहीं देता। अगर मैं यह कहूं कि उनका मारेल एक दम गिरा हुआ है, उनका मनोबल टूट गया है तो गलत बात नहीं होगी। इसमें उनका कोई दोष नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि काफी लम्बे समय से और बहुत विधिवत् ढंग से उनके मनोबल को तोड़ा गया। उनको कभी यह महसूस होने का अवसर ही नहीं मिला कि वह एक बड़े काम का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको मुसाहिबत की ट्रेनिंग दी गई है। कृषि विभाग के जितने अधिकारी हैं, डाइरेक्टर एग्रीकल्चर से लेकर ब्लाक लेविल पर जो ए० डी० ओ० काम करते हैं वह अपनी-अपनी जगह पर एक दूसरे की मुसाहिबत करते हैं। डाइरेक्टर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर के अन्तर्गत काम करता है, डिप्टी डाइरेक्टर रीजनल हैं, वे रीजनल डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के नीचे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के नीचे काम करते हैं और ए० डी० ओ० ब्लाक लेविल पर बी० डी० ओ० के नीचे काम करते हैं। श्रीमन्, यदि जो लोग आफिसर बनकर बैठते हैं वह वास्तव में कृषि में निपुण होते तो कोई बड़ी आपत्ति की बात नहीं है परन्तु प्रत्येक स्तर पर यहां से लेकर नीचे तक जो जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ हैं उनको काम करना पड़ रहा है ऐसे लोगों के अधीन जिनके पास इस विषय की जानकारी नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स हैं जो अपने कार्य-क्षेत्र में बहुत योग्य हैं परन्तु मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स कृषि का संचालन करे और फिर कृषि की उन्नति हो सके यह मुझे सम्भव नहीं दिखाई देता और इस तरह से काफी लम्बे अर्से से परीक्षण हो चुका है और नतीजा कुछ नहीं निकला। वह समय चला गया जब कोई भी बड़ा साहब कुर्सी पर बैठ कर कृषि का संचालन कर सकता था।

अब कृषि विकास के लिए काफी अध्ययन कृषि विषयों का होना चाहिए, ग्रामीण परिस्थितियों का अच्छा अनुभव होना चाहिए। और मैं यह तो अपनी बात ही नहीं बल्कि मुख्य मन्त्री जी जो आजकल हैं उनके विचार भी इस विषय में रखना चाहता हूं। एक वर्किंग ग्रुप बना था एग्रीकल्चरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसमें माननीय चौधरी चरण सिंह भी सदस्य थे और उन्होंने एक नोट बनाकर भेजा था, उससे मैं उद्धृत करता हूं:

"Good personnel is important to any organisation. Agriculture Department can therefore be no exception to it. The tendency in the past has been to give the lowest pay scale to this department. The result has been that this department never attracted good talent. Not less than 50 percent of the national income comes from agriculture. We have to decide whether we want the agricultural production to increase or not. If we do want it, then its administration has to be directed by those, who are the pick of the nation. In order that the quality of the personnel improves, it is necessary to provide good pay scales for their personnel, equivalent to the Indian Administrative Service."

श्रीमन्, सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति जब अपने विचार रखता है तो उसके पढ़ने वाली जनता यह आशा रखती है कि जब कभी वह व्यक्ति ताकत में आवेगा तो अपने विचारों के अनुकूल आचरण करेगा। मैं माननीय शिवराज सिंह से पूंछना चाहता हूं कि क्या उनका इरादा है माननीय चरणसिंह के विचारों के अनुकूल एग्रीकल्चरल सर्विसेज में कोई इम्प्रूवमेन्ट करने का अथवा नहीं ? श्रीमन्, जहां मैं चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल सर्विसेज का इम्प्रूवमेन्ट हो वहां मैं निम्न स्तर के कर्मचारियों के विषय में भी कुछ कह देगा चाहता हूं यद्यपि सभी के पास बी. एस. सी. और एम. एस. सी. की डिग्रियां होती हैं लेकिन टेक्निकल काम्पीटेन्स उनको बहुत ही निम्न स्तर की होती है। किसी भी प्लान्ट प्रोटेक्शन कर्मचारी से पूछा जाय तो न तो वह बीमारी की पहचान कर सकता है और मेरा तो यह भी अनुभव रहा है कि उनका गणित भी इतना कमजोर होता है कि किस अनुपात में क्या चीज मिलाई जानी चाहिए इसके बारे में भी भूल करते हैं, और जो किसान हैं वह नासमझ हैं कहीं दवाई लग गई तो लग गई और नहीं लगी तो नहीं लगी। तो टेकनिकल काम्पीटेन्स इम्प्रूव करने के लिये यह जरूरी है कि विभाग के अधिकारी जब दौरे पर जायं तो इन कर्मचारियों से, प्रश्न पूछें। मेरी समझ में अगर ए० डी० ओज० से सीधा यह प्रश्न पूछा जाय कि अगर किसी फसल में ५० पौंड नाइट्रोजन देनी है तो यूरिया या अमोनियम सल्फेट कितना देना चाहिए तो शायद आधे फेल हो जायंगे।

श्रीमन्, इसके बाद मैं रिसर्च के विषय में कहना चाहूंगा। आज के युग में जितने भी उन्नतिशील देश हैं उनमें रिसर्च के महत्व को समझा गया है और बहुत बड़ी-बड़ी धनराशियां उन पर व्यय की जाती हैं। अपने उत्तर प्रदेश में जिसे कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है उसमें कृषि रिसर्च पर बहुत ही थोड़ी रकम रखी गई है। कृषि का कुल उत्पादन उत्तर प्रदेश में लगभग १,२०० करोड़ रुपये का होता है और राज्य सरकार ने अपने साधनों से रिसर्च के लिये जो व्यवस्था की है वह केवल ६५ लाख रुपये की है। यह जरूर है कि भारत सरकार से और दूसरी तिलहन समितियों से जो रुपये मिलेगा वह ३ करोड़ ७४ लाख हो जाता है। इस तरह से ३ प्रतिशत आता है और राज्य सरकार जो व्यय करेगी वह तो .०५ प्रतिशत है। यह बात सभी उद्योगों के लिये मानी गई है। यदि आप कोई भी उद्योग बढ़ाना चाहते हैं तो अपने कुल उत्पादन का कम से कम १ प्रतिशत रिसर्च पर खर्च करना चाहिये। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में कृषि रिसर्च पर कम से कम १२ करोड़ रुपया व्यय होना चाहिये था, लेकिन उसकी तुलना में ३.७४ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था है।

श्रीमन्, रिसर्च की कमी के मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। आज किसानों की जो समस्या है उसका कोई समाधान नहीं है और न उस दिशा में कोई काम हो रहा है। एक उदाहरण मैं धान के विषय में देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में धान की फसल एक बहुत प्रमुख फसल है। आज से २–३–४ वर्ष पहले सबसे अधिक रकबा बोया जाता था धान के लिये। लेकिन इधर ३–४ वर्ष से गेहूं का रकबा बढ़ गया है क्योंकि उसमें अच्छी जातियां आई और उसके अच्छे नतीजे आए। लेकिन फिर भी धान का एक प्रमुख स्थान है। इस पर रिसर्च के लिये फैजाबाद में एक रिसर्च स्टेशन है। मैं नहीं समझता उसको रिसर्च स्टेशन क्यों कहा जाता है ? जिस प्रकार की रिसर्च वहां होती है वह तो मैं अपने फार्म पर कर सकता हूं। वहां पर न तो कोई एन्टामोलोजिस्ट है और न माइकोलोजिस्ट ही है। कहने का मतलब यह है कि वहां कोई भी विशेषज्ञ नहीं है। आज के युग में एक व्यक्ति सभी रिसर्च नहीं कर सकता। उसके लिये एक टीम होनी चाहिये। हर चीज को हर पहलू से देखना पड़ता है। कहने के लिये वह एक रिसर्च स्टेशन है। आज वहां के लिये जो पद बजट में प्रोवाइड है उन पर २–४ साल से कोई नियुक्ति नहीं हुई है। यह तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल है जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। परिणाम क्या होता है—होता यह है कि सभी फसलों की पैदावार प्रति एकड़

[श्री भानुप्रताप सिंह]

कुछ न कुछ बढ़ी है, लेकिन धान की पैदावार बावजूद इसके कि बहुत-सी नई किस्में आ गई हैं जिनकी क्षमता है पैदावार देने की, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई ।

श्रीमन्, इसका दूसरा कारण यह भी है कि यह जो नई किस्में आई हैं इसमें क्षमता तो है लेकिन यह काफी खतरनाक भी हैं और इस खतरे को आज नहीं ३ वर्ष पहले मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति देकर उसकी ओर किसानों का और इस राज्य सरकार का ध्यान दिलाया था । यह प्रेस विज्ञप्ति पाइनियर में २४ सितम्बर, १९६७ को छपी थी । इसमें मैंने जो कहा था वह मैं आपकी अनुमति से पढ़ देना चाहता हूं ।

"The new varieties were known to be very susceptible to this disease, and that is why, I had cautioned in the meeting of the State Board of Agriculture against the rapid spread of these varieties in northern India where climatic conditions are favourable for the growth of the disease. My caution was ignored on the plea that regular sprayings of the crop would check the disease. The sprayings have not only failed to check the disease, but now expert opinion is also divided on the efficacy of the sprayings. As the disease is seed and soil borne, there is danger of its rapid spread in U. P., in the coming seasons, if prophylatic measures are not taken now. I do not want to be unduly alarmist, but at the same time the possibility of Bacterial Blight, which was hitherto comparatively unknown in U. P. becoming a widespread and serious menace to paddy cultivation should not be overlooked. Therefore, I urge the Government to immediately appoint a committee of experts to inquire and report on the following. 1. Extent of damage by Bacterial Blight. 2. Measures to prevent further spread of the disease in the coming seasons. 3. Efficacy of streptocycline spraying to check the Bacterial Blight. 4. Advisability of recommending cultivation of paddy under very high fertility conditions."

तो श्रीमन्, यह चेतावनी सन् ६७ में दी गई । परन्तु इसकी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग पर कुछ भी नहीं हुई । हां, भारत सरकार पर अवश्य प्रतिक्रिया हुई । जिस दिन यह वक्तव्य प्रकाशित हुआ उसके दूसरे दिन उनके दो बड़े अधिकारी हवाई जहाज से आये और बजाय इसके कि वह मुझको संतुष्ट करते कि हम गलती पर हैं, उन्होंने कुछ अपने बड़प्पन का रोब लेने की कोशिश की और कहा कि आप अपना वक्तव्य वापस ले लें और यह कहा कि जब उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग आपत्ति नहीं करता तो आप किस आधार पर आपत्ति करते हैं, आप कौन वैज्ञानिक हैं ? मैंने कहा कि मैं किसान हूं और अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं । मुझको जो कुछ वक्तव्य देना था मैंने दे दिया । आपके पास तमाम प्रचार के साधन हैं आप उसका खण्डन कीजिए, मैं अपनी बात वापस लेने को तैयार नहीं हूं । इसके बाद उन्होंने अपना रास्ता लिया । लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में धान की खेती का क्या हुआ ? डाक्टर सीताराम कृषि मंत्री थे । उन्होंने यहां पर बतलाया कि जो पैदावार पिछली साल गिरी उसमें एक कारण यह भी था कि धान में बहुत ही व्यापक रूप से यह बीमारी लगी । यदि इस चेतावनी की ओर सन ६७ में ध्यान दिया गया होता तो जो स्थिति पिछले साल हुई और जो इस साल भी होगी, वह उत्पन्न न होती । पिछले वर्ष यह धान की जो नई किस्में बोयी गयीं थीं उनका उत्तर प्रदेश सरकार ने तो शायद कोई सर्वे नहीं कराया लेकिन भारत सरकार की ओर से सर्वे किया गया और उसमें यह पाया गया कि ४३ प्रतिशत खेतों से बीमारी का प्रकोप हुआ । तो जिस फसल को बोने से लगभग आधी नष्ट हो जाने की संभावना है उसकी जब तक कोई अच्छी रोकथाम न हो तब तक उसको बोने का मशविरा देना मैं कोई अच्छी बात नहीं समझता और इसलिए भी नहीं समझता कि यह बीमारी पहले उत्तर प्रदेश में नहीं थी, यह नये बीजों के साथ आयी और अब पुरानी किस्मों में भी लगना शुरू हो गयी है । आज भी मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में किसी वैज्ञानिक ने यह रिसर्च करके निष्कर्ष

निकाला है कि स्ट्रैप्टोसाइक्लीन जो दवा है उससे इस बीमारी की रोकथाम हो सकती है और अगर आपका कोई ऐसा आधार नहीं है तो दवा क्यों छिड़की जा रही है ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

टुंगरू की बात कह रहे हैं ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

मैं बैक्टीरियल ब्लाइट की बात कह रहा हूं। टुंगरू भी एक बीमारी है। वह भी पहले यहां नहीं थी। वह भी नई आई है। मैं इस बात को बहुत गलत समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग केंद्रीय सरकार की सभी रिकमेन्डेशन्स भगवान का वाक्य समझकर मान लें। श्रीमन्, ये किस्म सभी जगह भेजी गई थीं। लेकिन तामिलनाडू और केरल की सरकारों ने मना कर दिया कि हम नहीं प्रयोग करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको ग्रहण किया है जिसका दुष्परिणाम वह अब भोग रही है।

अन्त में मैं धान की दुर्दशा का एक और भी कारण इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार कास्ट आफ प्रोडक्शन के आंकड़े एकत्रित करने की जहमत गवारा नहीं करती लेकिन मैंने बाहर से कुछ एकत्रित किये हैं। फूड एन्ड एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन की रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका में चावल पैदा करने की लागत ८५ रु० प्रति क्विन्टल है और जापान में वह ८४ रु० प्रति क्विन्टल है। ये दो देश जो समस्त वैज्ञानिक खेती में सबसे आगे हैं और जिनको सभी साधन मिले हुए हैं उनमें ८४–८५ रुपया चावल पैदा करने की कीमत है। पन्तनगर यूनिवर्सिटी में वह १०५ रुपया आती है। यह उत्तर प्रदेश सरकार ८३ रु० पर क्विन्टल पर किसानों को मजबूर करती है कि वह उसके हाथ बेंचे। आवागमन पर सारी तरह की बाधा लगाकर किसानों को मजबूर करके यह सरकार कहती है कि उसी भाव वह बेचे। यदि कास्ट आफ प्रोडक्शन से कम भाव पर यह सरकार खरीदने का प्रयास करेगी तो पैदावार बढ़ नहीं सकती है। मैं नहीं जानता माननीय कृष मंत्री मुझे बतलायेंगे कि क्या उनके पास कोई ऐसी एजेंसी है जो यह बतला सकें कि पेस्टीसाइट और इन्सेक्टीसाइट दवाओं में कितनी पोटेंसी रह गई है और कितनी पुरानी हो गई है ? मेरे अनुभव में यह आया है है कि वर्षों पुरानी दवा इस्तेमाल होती रहती है। कभी लाभ होता है और कभी लाभ नहीं होता है। क्या उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के पास कोई ऐसी एजेंसी है जो इन दवाओं को टेस्ट करके उनकी पोटेंसी को मालूम करती रहे और किसानों की रक्षा करती रहे ? मैं अपनी भी बात बतलाता हूं कि पिछली बार स्ट्रैप्टोसाइक्लिन नं० ३४ का मैंने प्रयोग किया तो वह सफल रही लेकिन इस वर्ष प्रयोग किया तो वह निष्फल रही। बहुत महंगी दवा है। मैंने मालूम किया तो बताया गया कि दवा पुरानी मालूम होती है, अब पता नहीं है, कि इसमें ताकत रह गई है या नहीं। बेचारे किसान तो मारे गये। तो इस तरह की जो बातें हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

अब मैं कुछ पब्लिसिटी की तरफ आता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय शिवराज सिंह जी स्वयं २, ४ पत्रिकाओं को, जो कृषि विभाग से प्रकाशित होती है उनको मंगाकर देखें। क्या वह अपने यहां के उस प्रकाशन से संतुष्ट हैं ? न केवल उनका सेट अप और कागज ही बल्कि उनकी भाषा भी दोषपूर्ण है। बल्कि कभी-कभी उनका मैटर भी गलत होता है। अगर कोई इस बात में संदेह हो तो मैं कुछ पत्रिकाओं में निशान लगाकर मंत्री जी के पास भेज सकता हूं कि गलत सूचना दी गई है। इसलिये नहीं कि जानबूझकर ऐसी गलती की जाती है बल्कि प्रूफ रीडिंग में जो सावधानी बरतनी चाहिये वह नहीं बरती जाती है। वह ऐसा प्रकाशन है जिस पर मैं गर्व का अनुभव नहीं करता हूं। मैं इस बात की ओर ध्यान

[श्री भानु प्रताप सिंह]

दिलाना चाहता हूं कि जापान सरकार ने १८७७ में आज से १०० वर्ष पहले अपने यहां यह व्यवस्था की थी कि एग्रीकल्चरल पब्लिसिटी के लिये एक तो उन्होंने यह कहा कि जो किसान इसके लिये सहमत होगा कि अपने क्षेत्र के कृषि समाचार कृषि विभाग को लिखकर भेजेगा उसको पत्रिका मुफ्त दी जायेगी। उन्होंने दूसरी सुविधा यह दी कि कोई भी किसान कोई प्रश्न कृषि विभाग से पूछेगा तो वह अपना लेटर बिना डाकखाने का टिकट लगाये भेज सकता है। उस पोस्टेज को विभाग बरदाश्त करेगा। आज से १०० वर्ष पूर्व जापान यह कर सकता था लेकिन यहां पर कुछ नहीं। मैं माननीय शिवराज सिंह जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह कम से कम ऐसी व्यवस्था करें कि कृषि विभाग और किसानों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हो। आज जिस प्रकार का सम्पर्क है ब्लाकों के द्वारा, जो थोड़े बहुत पत्रिकाएं और पम्पलेट छपते हैं वह ब्लाक हेडक्वार्टर पर या रद्दी की टोकरी में फेंक दिये जाते हैं या ग्रामसेवक के घर पड़े रहते हैं। उनका कोई प्रयोग नहीं होता है, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। यहां से डाइरेक्ट अच्छे किसानों को सूचना भेजी जाय। अच्छे किसानों की एक सूची तैयार की जाय। मुझे आशा है मैंने जिन प्रश्नों को उठाया है उन पर शिवराज सिंह जी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और माननीय शम्भूनाथ चौधरी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से मुझे ५ मिनट का समय दिया। मैं कोशिश करूंगा कि उसी के बीच मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मान्यवर, मेरे दल का पुराना आरोप है कि प्लानिंग जो अपने देश में हुई है उसका उद्देश्य यह नहीं रहा कि पूरे समाज को या पूरी जनसंख्या को एक साथ ऊपर उठाया जाय बल्कि आपने चुना है कि जो ताकतवर तबका है उसी को ऊपर उठावें। उसके पीछे यही भावना है कि तमाम सुविधाएं उन्हीं तक पहुंचे जैसे मोटर, रेडियो, टेलिफोन, अच्छे मकान, पढ़ाई की सुविधा वगैरह, इसी तरह से बराबर चलते रहें। जो आरोप हमने पहले लगाया था उसको अबकी दफा उन्होंने मान लिया है और पहली दफा उसकी ओर ध्यान दिया है कि ढाई एकड़ से साढ़े ७ एकड़ तक के जो किसान हैं, उनको जो विज्ञान में तरक्की हुई और जो उसको जानने से अब तक वंचित रहे, उनको जानकारी कराई जाय।

सरकार की गलत योजना का नतीजा यह रहा कि दबे हुए और दबाये जाते रहे और पहली दफा इन्होंने मेरे आरोप को मान लिया है कि ढाई से साढ़े ७ एकड़ तक के किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिये। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ढाई एकड़ से कम के जो किसान हैं उनकी तरफ कब ध्यान देंगे जिनको विशेष सहायता की जरूरत है। उनकी तरफ सरकार का कतई ध्यान नहीं गया है लेकिन जिनकी तरफ ध्यान गया भी है उसका उद्देश्य क्या है। केंद्रीय सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है—"लघु कृषक विकास संस्थान की स्थापना और केन्द्रीय योजना का उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन।" इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ढाई एकड़ से साढ़े सात एकड़ तक के किसानों को टेक्निकल ज्ञान पहुंचाया जाय और उन्हें कृषि संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई जाय और इस विकास के द्वारा छोटे बड़े किसान के अन्तर को दूर किया जाय। इस योजना के लिये ४६ केंद्र चुने गये हैं जिसमें से इस प्रदेश को केवल ४ ही केंद्र मिले हैं। जो सामान्य आधार केंद्रीय सरकार ने इन केंद्रों के खोलने के रखे थे वे इस प्रकार हैं कि अव्वल तो ऐसे क्षेत्र जहां पर्याप्त संख्या में छोटे परन्तु उन्नति करने में सक्षम तथा सहायता के इच्छुक किसान उपलब्ध हों अर्थात् जहां ५० से ६० हजार तक छोटे किसान एक साथ उपलब्ध हों।

दूसरे ऐसे क्षेत्र जहां सहकारी समितियां, केंद्रीय सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक की संरचना समुचित हो और तीसरे ऐसे क्षेत्र जहां भूतल तथा भूगर्भगत जलीय साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। जहां पर यह ३ आधार एक साथ उपलब्ध हों वहां यह स्कीम चलाई जाय, यह मन्शा केंद्रीय सरकार का था। हमारे कृषि मंत्री जी को एक दिन बहुत समय लगा इस चीज को जटिस्फाई करने में कि इन ४ केंद्रों के लिये जिला बदायूं को क्यों चुना गया। इस संबंध में मैं उनकी जानकारी के लिये कुछ आंकड़े रखूंगा। ऐसे किसान जो ढाई से साढ़े ७ एकड़

तक के हैं उनका प्रतिशत कितना किस जिले में है, किसमें उनकी संख्या सबसे ज्यादा है और इस आधार पर कौन दस जिले सबसे ऊपर हैं वह आप नोट कर लें। यह दस जिले हैं शाहजहांपुर, पीलीभीत, खीरी, बरेली, कानपुर, हरदोई, सीतापुर, मैनपुरी, रामपुर, और उन्नाव। और इस हिसाब से बदायूं का नं० ११ आता है, फतेहपुर का १६ नं० आता है, राय बरेली का २७ नं० आता है और प्रतापगढ़ का ३८ नं० आता है। अब यदि आप ढाई एकड़ और साढ़े सात एकड़ के बीच के किसानों की संख्या के हिसाब से भी देखें तो यह जिलों का क्रम इस प्रकार से है। आरम्भ के दस जिले इस हिसाब से यह हैं–बस्ती, गोंडा, इलाहाबाद, देवरिया, गोरखपुर, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, आजमगढ़, और मुरादाबाद। इस हिसाब से भी बदायूं का इत्तिफाक से नम्बर ग्यारहवां ही है, राय बरेली १६ नंबर पर आता है, प्रतापगढ़ २० नंबर पर आता है और फतेहपुर २३ नम्बर पर आता है।

इसी तरह से आप देखें कि यह जो लोन फैसिलिटीज हैं और जो सहकारी समितियां वगैरा गांव सभाओं में हैं उनका पूरे प्रदेश में जाल बिछा हुआ है, और इसके साथ साथ ही राजकीय सहकारी लैंड विकास बैंक भी खुले हैं। इस तरह से भी आप देखें कि कहां कहां पर यह बैंक की फैसिलिटीज हैं उस क्रम में यह दस जिले इस तरह हैं—मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़, बाराबंकी और बुलन्दशहर। इस क्रम से भी बदायूं का नंबर २२वां है, राय बरेली का १३वां है, फतेहपुर का ३९वां है और प्रतापगढ़ का ४० वां है।

इसी तरह से पानी की सुविधा को भी आप देखें कि कहां कितने क्षेत्र में खेती हो रही है और उसमें से कितना सिंचित क्षेत्र है तो मेरठ में ७२.८ प्रतिशत क्षेत्र कुल कलटिवेटेड एरिया में से सिंचित है। मुजफ्फरनगर में ६५.३ है, बुलन्दशहर में ६४.९ प्रतिशत है, अलीगढ़ में ६१.५ प्रतिशत है, मैनपुरी में ५२.५ प्रतिशत है, मथुरा में ४८.७ प्रतिशत है, एटा में ४६.७ प्रतिशत है, जौनपुर में ४६ प्रतिशत, आजमगढ़ में ४३.७ प्रतिशत और इटावा में ४२.१ प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है। इस तरह से यह दस जिले ऊपर के हैं। इसमें राय बरेली का १३ नंबर है, प्रतापगढ़ का २२वां नंबर है, फतेहपुर का ३२वां नम्बर है और बदायूं का ३३वां नम्बर है। इन तमाम आधार पर जो क्रम मैंने बताये क्या यह जो चुनाव ४ केंद्रों का किया गया है उसमें अन्याय और अत्याचार नहीं हुआ है? सीधी सी बात है, मैं उसको फिर दोहराए देता हूं कि राय बरेली प्रधान मंत्री जी का क्षेत्र है, प्रतापगढ़ दिनेश सिंह जी का क्षेत्र है, बदायूं हमारे कृषि मंत्री जी का क्षेत्र है और फतेहपुर श्रीमन्, मैं बहुत अदब से कहूंगा कि वह आपकी कांस्टीटुएन्सी है और आपकी बिरादरी की दूसरी माननीय सदस्या का क्षेत्र है उसको लिया है और बाकी जिन को लेना चाहिये था इन आधारों के हिसाब से उनको छोड़ दिया गया है।

मान्यवर, आखिर हमारे देश और प्रदेश के लोगों को क्या हो गया है कि मुकम्मिल तस्वीर हमारे सामने नहीं आती है। अपने दोस्त, अपनी बिरादरी के ही भले की सोचते हैं। सारा प्रदेश उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। यदि यही मनोवृत्ति चलेगी तो कभी इस विधान सभा की ईंटें भी चाहेंगे कि आपके घर या आपके क्षेत्र में पहुंच जाएं।

श्रीमन्, इनका जो रिसर्च सेक्शन है, उसमें क्या हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है। आप कृपया बैठें और अगर कुछ और कहना बाकी है तो लिख कर भेज दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मुझे कुछ रिसर्च के बारे में अभी कहना है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, इन्हें रिसर्च का इतना अनुभव है कि अगर ये अपनी बात कह सकें तो माननीय मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़े ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं उन सभी साथियों का, जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है या उन सदस्यों का जिन्होंने दबी जबान से विरोध किया है, आभारी हूं । जिन लोगों ने निरपेक्ष रूप से विकास की गति को देखा है वे जानते हैं कि विकास की गति सापेक्ष होती है । इसका मतलब यह है कि यह देखा जाय कि हम बहुत से पड़ोसी राज्यों से कितना आगे बढ़े हैं और यह देश कितना आगे अपने नजदीक के देशों से बढ़ा है । इस रफ्तार से और इस विचार से हमें सोचना चाहिये । लंका, इन्डोनेशिया, मलाया, घाना, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जब हम अपने देश की प्रगति के बारे में सोचते हैं, सोचना होगा । घाना तो कुछ ही दिन हुए स्वतंत्र हुआ है । उसका विकास ३०–४० रुपये प्रतिव्यक्ति है, चीन का विकास ६०–७० रुपये है, रूस और अमेरिका का २५०–३०० है और आप जो छलांग मार रहे हैं, खुद की चर्चा कर रहे हैं, वह अब ६–७ रुपये प्रति व्यक्ति है । तो इस दृष्टिकोण से भी इस प्रदेश और देश का विकास नहीं हो रहा है । जहां तक औसत आमदनी का प्रश्न है वह कछुए की तरह रेंग रही है । कभी आगे हो जाती है और कभी फिर पीछे हो जाती है ।

जहां तक इसके विकास की गति का प्रश्न है, माननीय नौटियाल जी सदन में हैं, देखें योजना के पृष्ठ २३ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पूरे देश के २९ सबसे अधिक पिछड़े जिलों, जिनकी प्रति व्यक्ति आय १४६ रुपये से कम थी, में से उत्तर प्रदेश में ११ थे । १४७ रुपये तथा १३ रुपये के बीच की प्रति व्यक्ति आयु वाले २९ जिलों के एक अन्य समूह में से उत्तर प्रदेश में ११ जिले थे । इस तरह भारत के ५८ सबसे अधिक गरीब जिले में से उत्तर प्रदेश में २२, बिहार में १२, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ५–५, मैसूर तथा महाराष्ट्र में तीन-तीन, आसाम, आन्ध्र तथा पश्चिमी बंगाल, प्रत्येक में २ तथा मद्रास और राजस्थान प्रत्येक में १ जिला था । जो विकास का स्तर है, वह सब प्रदेशों से गिरा है । अगर इस रफ्तार से बढ़ना चाहेंगे तब तो हजारों वर्ष लगेंगे, पड़ोसी देशों के मुकाबले में आने में । इसलिए मैंने कहा था कि सरकार की जो पंचवर्षीय योजनायें हैं, वे बेमानी हैं क्योंकि उनकी आत्मा अमेरिका में या रूस में निवास करती है, विकास एक तरफ लट्टू की तरह नाच रहा है और मूर्खों का बनाया हुआ है ।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पश्चिमी जिलों और पूर्वी जिलों की चर्चा बहुत की गई । माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश में रहन-सहन का स्तर, १९६६–६७" की पुस्तक के पृष्ठ २७ को देख लेंगे । उसमें उत्तर प्रदेश में क्षेत्र के अनुसार कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में परिवारों की प्रतिशत संख्या दी गई है कि पूर्वी क्षेत्र में कितने हैं और पश्चिमी क्षेत्र में कितने हैं और उत्तर प्रदेश में प्रतिशत क्या है ? इनमें लोहे का बक्स की प्रतिशत ७६.६ है पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में है ८७.३ प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में ८०.३ प्रतिशत बताई गई है । इसी प्रकार जूते, घड़ी, कुर्सी और मेज का जो प्रतिशत बताया गया है उसमें पूर्वी क्षेत्र हर माने में कम है और पश्चिमी क्षेत्र का स्तर उत्तर प्रदेश में हर चीजों में आगे बढ़ा हुआ है । जो कोई भी योजनायें आती हैं उसमें पूर्वी क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा की जाती है । और अगर हम पूर्वी क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि नक्सलपन्थी हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश के इलाके पिछड़े हुए हैं, जो छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके पास जमीन नहीं है और जो गुलामों का जीवन व्यतीत करते हैं, उन सबके बारे में सोचना पड़ेगा यदि आप प्रदेश की तरक्की चाहते हैं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

उपाध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री बहस का जवाब देने जा रहे हैं उससे पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे स्टेट में एक एग्रोइन्डस्ट्रियल कारपोरेशन रहा है जिस पर किसी विभाग

का अधिकारी चेयरमैन होता था। सुनने में यह मिला है कि माननीय शिवराज सिंह जी स्वतः एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के चेयरमैन बन गये। कृषि अनुदानों को ये जिस तरह हड़प कर रहे हैं उसी तरह से एग्रो-इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन को बदायूं और अपने पेट में हड़प कर जायेंगे।

श्री शिवराज सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदानों के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यगण ने विवाद में भाग लिया उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जो समालोचनायें की हैं और जो सुझाव दिये हैं उनसे मैं भरसक कोशिश करूंगा कि सम्बन्धित विभागों की दक्षता बढ़ाने में मैं कुछ आगे बढ़ सकूं। मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव पश करते हुए माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने यह कहा कि प्रदेश के बजट में बंजर भूमि को तोड़ने का कोई प्राविधान नहीं है। इस समस्या की वस्तुस्थिति क सम्बन्ध में सदन की जानकारी कराने हेतु राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के पृष्ठ ९ की ओर—उसकी केवल तालिका की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा जिसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जो परती जमीन पड़ी हुई है और जो कृषि योग्य की जा सकती है उसके आंकड़े दिये हुए हैं। उस तालिका को न पढ़ते हुए केवल उस तालिका से जो निष्कर्ष हमारी योजनाओं के निर्माण करने वालों ने निकाला है पढ़ना चाहता हूं जो इस प्रकार है—"बुन्देलखंड और पर्वतीय सम्भागों में बेकार पड़ी हुई कृषि योग्य भूमि के बड़े भू-भाग हैं और कृषि उपज बढ़ाने की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, इसी के अनुरूप पहाड़ी अंचल में जितने भी हमारे जनपद हैं उनके अन्दर २५ फुट बैल्ट वर्तमान बजट के माध्यम से चलाये जायेंगे। इस योजना में प्रत्येक जरूरत मन्द किसान को एक हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से और अधिकतम पांच हजार रुपये तक ऋण देने की व्यवस्था है। जो ऋण कुमायूं और गढ़वाल मंडल में पांच वर्ष बाद और उत्तराखंड में सात वर्ष के बाद वसूलयाबी के लिये प्रारम्भ होगा। कुमायूं गढ़वाल में उस पर सबसिडी भी छठवां हिस्सा है और उत्तराखंड में चौथाई यानी २५ परसेंट है दी जायगी। इस प्रकार से श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि बर्तमान बजट में एक योजना पर्वतीय क्षेत्र में विकास के लिये है जिसके अन्तर्गत हार्टीकल्चर में उस भूमि को लाना है जो बेकार पड़ी हुई है।

इसके अतिरिक्त एक योजना कानपुर और रायबरेली के लिये रैवीन रिक्लेमेशन की है जो सेन्ट्रली स्पान्सर्ड है। यह योजना करीब ५० लाख रु० की है। हमने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि इस स्कीम को केवल इन्हीं दो जिलों में ही न चलाया जाय, बल्कि इसका विस्तार प्रदेश के अन्य ५–७ जिलों में भी हो। यह बात सही है कि बुन्देलखंड के अन्दर काफी जमीन ऐसी पड़ी हुई हैं जो क्लेम की जा सकती है, जिस पर अभी तक कोई प्रयास उसको काबिले काश्त बनाने के लिये नहीं किये गये हैं। मैं इस प्रश्न को प्रदेश के भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के सामने रखूंगा और विभाग से यह कहूंगा कि यह इस सम्बन्ध में एक वृहत योजना बनाये जिससे कि बुन्देलखंड के अन्दर जो एक बहुत बड़ा भूमि का भाग बेकार पड़ा है जिस पर कि खेती हो सकती है, उसको खेती योग्य बनाया जा सके।

एक बात माननीय श्री सियाराम गंगवार तथा माननीय श्री सुरेन्द्र विक्रम ने ट्रैक्टरों के आवंटन के सम्बन्ध में कही। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस मात्रा में आज हमें ट्रैक्टर मिल रहे हैं वह हमारी आवश्यकताओं को देखते हुये बहुत कम हैं। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश को यहां की जन संख्या के अनुसार ट्रैक्टर नहीं मिल रहे हैं। गत वर्ष हमको केवल २,०३५ ट्रैक्टर्स ही मिले। हमने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर छोटे ट्रैक्टर निर्मित करने का एक कारखाना चाहे वह पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, शीघ्र लगाया जाय। चाहे यह कारखाना एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा ही किसी दूसरे मुल्क के कोलेबोरेशन से स्थापित किया जाय। श्रीमन्...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पी० आर० ए० आई० के एक सीरेमिक एक्सपर्ट ने यह आफर दिया है कि वह ट्रैक्टर बना सकता है और उसने एक योजना बना कर दी, उस पर काफी पैसा भी खर्च किया गया, मगर उसका क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह—

जरूरत इस बात की है कि उसके लिये केन्द्र से लाइसेन्स प्राप्त हो। एक ब्रिटिश लेनिन कम्पनी है जिसने यह आफर दिया है कि वह २४ हजार ट्रैक्टर प्रति वर्ष २५ हार्स पावर्स के बना सकता है और उसका प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

यह मांग की गयी कि विधान सभा के सदस्यों के लिये ट्रैक्टर्स का एक विशेष कोटा निर्धारित किया जाय। यह प्रश्न पूर्वगामी सरकार के सामने भी उठा था। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से एक पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें यह लिखा है कि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया और उसने यह निर्णय लिया है कि वह एम० एल० ए, एम० पी० या एम० एल० सी० को कोई भी प्रायरिटी देने के पक्ष में नहीं है। अतः श्रीमन्, राज्य सरकार इस सम्बन्ध में पूर्णतया असमर्थ है कि वह कोई प्रायरिटी, जब तक कि केन्द्र उसके लिये अपनी अनुमति न दे दे निर्धारित कर सके।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज सबेरे श्री कृष्णानन्द राय ने शायद यह आपत्ति उठाई थी कि यहां पर ट्रैक्टर निर्माण कारखाना जो लगना चाहिए था, वह हरियाना चला गया। बात सच है। कृषि की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक सब से बड़ा राज्य है और यहां पर एक ट्रैक्टर निर्माण का कारखाना अवश्य होना चाहिए। परन्तु यह प्रस्ताव ट्रैक्टर के बारे में पूर्वगामी सरकार के काल में कोल्ड-स्टोरेज में पड़ा रहा और इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई। परन्तु इस सम्बन्ध में पंजाब ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया और हरियाना ने उसकी फैक्टरी अपने यहां कायम कर दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है कि भविष्य में छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण की कोई फैक्टरी इस प्रदेश में स्थापित हो जाए। वह प्राइवेट सेक्टर में कायम हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में स्थापित हो या चाहे एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन किसी विदेशी कम्पनी के कोलैबरेशन से इसे यहां पर कायम करे, लेकिन यह यहां पर अवश्य खुलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रदेश की दशा देखते हुए अवश्य कुछ करना पड़ेगा, बिना किए इस तरह से काम चलेगा नहीं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

ट्रैक्टर वाली बात आप वाराणसी की कर रहे हैं, जो यहां कायम होने वाली थी या और कोई ?

श्री शिवराज सिंह—

मैं यहां की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश इस दौड़ में पिछड़ गया है, यह कहने में मुझे कोई तकल्लुफ नहीं है। दूसरी बात जो श्री शम्भूनाथ चौधरी ने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए कही थी कि बारिश के कारण थ्रैशिंग नहीं हो पा रही है और इस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हाई ईल्डिंग वैराइटी की वजह से हमारे प्रदेश में गेहूं का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। सन् १९५०–५१ में ३३.१६ लाख हैक्टर भूमि में उसकी खेती हुई थी और सन् १९६८–६९ में बढ़ कर ५४.४६ लाख हैक्टर भूमि में उसकी खेती हुई, इस तरह से देखें कि उसका क्षेत्र कितना अधिक बढ़ गया है। साथ ही प्रति एकड़ उपज में भी इजाफा हुआ है। इसलिए पुरानी पद्धतियों से थ्रैशिंग करना किसी प्रकार सम्भव नहीं है। एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने इस प्रश्न को इसी दृष्टि से देखा है और इसी दृष्टि से उसने वर्तमान वर्ष में १० हजार थ्रैशर हायर परचेज पर बांटने का निर्णय लिया है और ३० स्थानों से कस्टम सर्विस बड़े पैमाने पर वह शुरू करेंगे और उसमें थ्रैशिंग की भी कस्टम सर्विस शामिल होगी। तो मैं इस सम्बन्ध में इतना ही

कहना चाहता हूं कि प्रदेश में इस समय इस को लेकर जो दिक्कतें हैं, जितनी असुविधाएं हैं उनको दूर करने के लिए यह सरकार और एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन पूरी तरह से जागरूक हैं और हम लोग इस बात का पूर्ण रूप से प्रबन्ध करेंगे।

मेरे मित्र श्री हरनरायन जी ने अपना भाषण देते हुए पीलीभीत कालोनाईजेशन स्कीम के बारे में कुछ बातें कही हैं। यह एक ही भाषण ऐसा है जो इस ग्रान्ट के संबंध में है। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, वे निश्चित रूप से इस प्रकार के हैं, जिससे पीलीभीत कालोनाइजेशन स्कीम के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, वे रेवेन्यू विभाग स्वास्थ्य विभाग इत्यादि से सम्बन्धित हैं। जैसे कि वहां पर ज्यादा लगान लिया जा रहा है, वह घटाया जाय, वहां पर सड़कें नहीं हैं, वहां पर अस्पताल नहीं है। मान्यवर, ये इस प्रकार की मांगें हैं, सुझाव हैं जिनका वर्तमान इस बजट की ग्रान्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। पीलीभीत उपनिवेशन स्कीम ३१ मार्च, ६९ को समाप्त हो चुकी है और अब इस प्रकार के शेष कार्य अन्य विभागों को सम्पादित करने हैं, जो उन्हें इस हेतु सौंप दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधीशों को निदेश दे दिया गया है कि वे वहां की योजनाओं को जिले के कार्य में शामिल कर लें। मुझे अफसोस है कि इस सम्बन्ध में मैं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा, फिर भी उनके सुझाव सम्बन्धित विभागों को भेज दूंगा।

इस सम्बन्ध में और जो सुझाव दिए गए हैं उन सबके बारे में इस थोड़े से समय में तो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन जिनके सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है, वे इस प्रकार से हैं। मान्यवर, श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा अन्य जिन सदस्यों ने जिलों में ओले से हुई क्षति के बारे में बातें कही हैं कि उन जिलों में तकावी पर खाद देते समय डिफाल्टर्स किसानों को भी खाद दे दी जाए––उनकी यह सूचना गलत थी। इस प्रकार का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। विभागों को सर्कुलर में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है, नियम इस प्रकार है कि डिफाल्टर्स को तकावी न बांटी जाए, लेकिन जिनका किसी आपत्ति के कारण लगान मुल्तवी कर दिया गया है, उनको डिफाल्टर में न गिना जाए। इससे अब वह मुझ से सहमत होंगे कि उनके मन की भ्रान्ति निराधार थी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी ने यह बात कही कि विभाग चूहे मारने का कोई काम नहीं करता है। उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हर एक बीज भंडार में जिंक फासफाइड रखने की व्यवस्था आज से नहीं बल्कि तीन वर्ष पूर्व से है। मान्यवर, माननीय मुमताज मुहम्मद खां ने यह आपत्ति की कि अमरूद में विल्ट लग गया है, वर्तमान सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है। अमरूद के ऐसे रूट स्टाक्स, जिनमें विल्ट नहीं लगेगा, की खोज हो गयी है। उन्हीं रूट स्टाक्स को बांटा जा रहा है। जिन अमरूद के पेड़ों में विल्ट लग गया हो उनका कोई उपचार हम अब तक तलाश नहीं कर पाये हैं। परन्तु उस दिशा में हमारी कोशिश जारी है। मुमताज मुहम्मद साहब ने फरमाया कि आम की फसल इस वर्ष खराब हो गयी, यह सही है कि आम की फसल हर तीसरे वर्ष अच्छी होती है। पिछले कई वर्षों से खोज हो रही है कि आम के पेड़ हर वर्ष अच्छी फसल दे सकें। इस सम्बन्ध में विभाग की एक टेक्निकल कमेटी बनायी गयी है जो प्रगाढ़ रूप से इस सम्बन्ध में खोज करेगी। एक नेशनल मैंगो रिसर्च इंस्टीटयूट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्र से किया गया है ताकि इस प्रदेश में जहां आम की इतनी महत्वपूर्ण फसल होती है, उसको हम बचा सकें। इस वर्ष जिन काश्तकारों ने डी० डी० टी० का स्प्रे कर लिया उनकी फसलें इस वर्ष भी अच्छी हैं।

एक बात मुमताज मुहम्मद खां साहब ने और श्री भानुप्रताप सिंह ने भी कही थी किसानों के प्रशिक्षण और विभागीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में। मैं उनकी जानकारी के

[श्री शिवराज सिंह]

लिए कहना चाहता हूं कि वर्तमान अवस्था में २० ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एक बक्शी के तालाब में है, जहां किसानों के प्रशिक्षण के लिए और सर्विसेज के रेफ्रेशर कोर्स की भी व्यवस्थाएं हैं। वे अपनी जगह पर चल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने आपत्ति की कि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में फल के पेड़ सफल नहीं हुए हैं। मान्यवर, इसकी जांच के लिए दो अनुसन्धान केन्द्र स्थापित कर दिये हैं। एक पिथौरागढ़ में और दूसरा उत्तर काशी में। उन स्थानों पर उन पेड़ों पर खोज की जा रही है जो हायर अल्टीटयूड पर चल सकते हैं।

एक सुझाव यह दिया गया कि घाटी के क्षेत्रों में पौध योजना होनी चाहिए। घाटी के क्षेत्रों में ६ रिसर्च स्टेशन्स कायम होंगे, श्रीनगर वैली, बागेश्वर वैली, गोपेश्वर वैली, शिमलासू, और ज्योलीकोट में।

एक सुझाव आया कि पर्वतीय क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्स का कोई केन्द्र स्थापित होना चाहिए। यह बात सही है कि मैदानी क्षेत्र से जिन कर्मचारियों को हम भेजते हैं वह पहाड़ी क्षेत्र में टिक नहीं पाते। इसलिए इस वर्ष सरकार ने हवलबाग में डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का फैसला ले लिया है।

एक सुझाव आया कि पर्वतीय क्षेत्र में किसानों के लिए इम्प्लीमेंट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। अल्मोड़ा में इंडो जर्मन प्राजेक्ट के अन्तर्गत हवलबाग में एक वर्कशाप की स्थापना हो रही है और एक पौड़ी जिले में कृषि विभाग द्वारा वर्कशाप लगायी जा रही है। जिस प्रकार के इम्प्लीमेंट्स पहाड़ी क्षेत्रों में सफल होंगे उन पर वहां खोज की जायगी। मान्यवर, एक आपत्ति माननीय भानु प्रताप सिंह ने उठायी थी, और कुछ और दोस्तों ने उठायी थी कि प्लांट प्रोटेक्शन के मेजर्स जैसे होने चाहिए, वह पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। इस वक्त मेरे पास विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार, जो स्ट्रेप्टोसाईक्लीन का उपचार बताया है, उससे विशेषज्ञ सहमत नहीं हैं। वही उस वायरस का इलाज है। जहां तक कि बड़े पैमाने पर बीमारी फैलने का इलाज है उसके लिये वर्तमान बजट में १० लाख रुपये का प्राविधान है।

श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)—

बेक्टीरियल ब्लाइट पर स्ट्रेप्टोसाइक्लीन सफल हुई है तो इसकी रिसर्च कहां हुई है और किस वैज्ञानिक ने रिसर्च कर के इसका रिजल्ट बतलाया है ?

श्री शिवराज सिंह—

हमारे विशेषज्ञों ने तो यह बतलाया है कि बेक्टीरियल ब्लाइट में स्ट्रेप्टोसाइक्लीन उचित नहीं है, उसको वह रिकमेंड नहीं करते हैं।

श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)—

अगर रिकमेंड नहीं करते हैं तो प्लांट प्रोटेक्शन विभाग कैसे उसको स्प्रे करता फिरता है। ३, ४ रोज पहले हमारे खेतों पर वह गये और उसका स्प्रे किया। अगर रिकमेंड नहीं करते हैं तो कैसे उस पर अमल किया जा रहा है ?

श्री शिवराज सिंह—

माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसकी जांच कराऊंगा विभाग की ओर से वैसे जो सूचना दी गयी है वह इस प्रकार है कि हमारे विशेषज्ञों की राय यह है कि बेक्टीरियल ब्लाइट के लिये वह स्ट्रप्टोसाइक्लीन को रिकमेंड नहीं करते। जहां तक पेस्टीसाइड्स का ताल्लुक है मैं भानु प्रताप सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने हमारा ध्यान इस ओर दिलाया और इस बात

की आवश्यकता है कि प्रदेश के अन्दर इस प्रकार की लेबोरेटरीज स्थापित की जायं कि जो पेस्टीसाइड्स प्रदेश में बट रहे हैं उनकी वह जांच कर सके कि किस क्षमता के वे हैं और उनका प्रयोग करना उचित है या नहीं। वर्तमान वर्ष में इस प्रकार की एक लेबोरेटरी की स्थापना की बात चल रही है।

मान्यवर, यह बात भी सही है कि गत वर्षों में इतने बड़े विभाग के माध्यम से कुछ कृषि में प्रयोग करने वाली सामग्रियों के वितरण के सम्बन्ध में देरी हुई है। इस वर्ष इस बात के आदेश दे दिये गये हैं कि चीजों का वितरण समय पर और पूर्ण रूप से किया जाय। भानु प्रताप सिंह जी ने यह बात कही कि पब्लिसिटी की ओर विभाग को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। मैं सदन का ध्यान उस विशेष ग्रान्ट की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिसके अन्तर्गत ९ मोबाइल वेन्स रखे जायंगे जो भूमि का विश्लेषण करेंगे और उनके जरिये सिनेमा दिखलाने का भी प्रबन्ध किया गया है जिससे कृषि के सम्बन्ध में जो जानकारी विभाग की है वह पब्लिक को करा दी जाय।

जहां तक छोटे किसानों की मदद करने का सवाल है मैं कल इस पर काफी प्रकाश डल चुका हूं। बावजूद बार बार प्रकाश डालने के सदन की वह भांति दूर नहीं हो पा रही है। इसके लिये मुझे खेद है। मैं उस संबंध में सूचना ही दे सकता हूं समझने के लिये बुद्धि नहीं दे सकता। मैं पुनः दोहराऊंगा कि केंद्रीय सरकार की ओर से छोटे किसानों को सहायता देने के लिये ४ प्रकार की प्रयोगात्मक अग्रगामी प्रयोजनाएं प्रचलित हुई हैं। उनमें से एक लघु कृषक योजना है। वह प्रयोजना ढाई एकड़ से लेकर साढ़े ७ एकड़ के कृषकों के संबंध में है। मैं जायसवाल जी से सहमत हूं कि उन्होंने मापदण्ड बतलाये जिलों के चयन करने के संबंध में लेकिन उन्होंने बेइंसाफी यह की कि केंद्रीय सरकार के निर्दिष्ट तीनों जो मापदण्ड हैं उनको सामने नहीं रखा। कहीं पर दो मापदण्ड हो सकते हैं लेकिन तीसरा नहीं है। तीनों मापदण्ड एक साथ उस जिले में उपलब्ध होने चाहिये तभी उसका चयन हो सकेगा। पीलीभीत के अन्दर छोटे किसान ज्यादा हैं लेकिन वहां दूसरा मापदण्ड उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से जो जिले चयन किये गये हैं वहां तीनों मापदण्ड पर्याप्त मात्रा में है।

मान्यवर, दूसरा सुझाव यह दिया गया कि ढाई एकड़ से छोटे किसानों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। श्रीमन्, मैं सदन को यह जानकारी दिलाना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार ने ढाई एकड़ से छोटे किसानों के लिये एक ऐसी ही अग्रगामी योजना बनाई हुई है। पायलेट प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये इस प्रदेश के अन्दर दो जिलों का चयन किया जायगा। एक जिले को हम श्रीमन् मथुरा या आगरा में से लेंगे और दूसरा जिला हम प्रदेश के पूर्वी अंचल में चुनने जा रहे हैं। एक तीसरी योजना यह है कि जिन जिलों में वर्षा नहीं होती है या कम होती है जिसमें अक्सर सूखा पड़ता है ऐसे जिलों में मिर्जापुर जिले को चुन लिया गया है। इसका चयन सरकार को करना है और उसने राज्य सरकार से जिलों के नाम और आंकड़े मांगे हैं। राज्य सरकार चयन नहीं करेगी। राज्य सरकार ने तो बांदा और मिर्जापुर जिलों के नाम दिए हैं। चौथी योजना श्रीमन्, उनके लिये है जो कि बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं जिसमें हमने झांसी जिले का चयन किया है। इसका भी चयन पूर्णतया केंद्रीय सरकार को करना है। हमारे राज्य सरकार की जितनी भी योजनायें हैं उनको यह आदेश दिया गया है कि छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाय।

श्री अमन्तराम जायसवाल—

ढाई एकड़ से नीचे तो आंकड़े मेनीफेस्टो में नहीं है ?

श्री शिवराज सिंह—

ढाई एकड़ से नीचे के जो किसान हैं उनके लिये विशेष योजना है। यह तो मैंने पहले ही कहा है कि उनको प्राथमिकता दी जाय। इस प्रकार सकार की कितनी भी योजनायें हैं। जितने लोन्स वगैरह हैं उनमें छोटे किसानों की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त कई माननीय सदस्यों ने कुछ आपत्तियां भी कीं, और कुछ सुझाव भी दिये किन्तु समायाभाव के कारण में उन सभी का उत्तर देने में असमर्थ हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी सुझाव दिये गये हैं उनका प्रयोग मैं अपने विभाग की क्षमता बढ़ाने में करूंगा। मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है मैं निवेदन करूंगा कि उसे आप स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों के चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,४२,९८,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४८,५०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,५२,९६,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनरशि के अतिरिक्त १३,४९,७२,००० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ४९—बहुप्रयोजनीय नदी योजनायों पर पूंजी परिव्यय, तथा अनुदान संख्या ५०—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करना हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २३,३४,८९,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,६२,९५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४९—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १३,८५,७२,००० रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्तयव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५०—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवयश्क धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १९,०१,६९,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

[श्री बीरेन्द्र वर्मा]

मान्यवर, हमारा यह प्रदेश एक खेतिहर प्रदेश है। इस प्रदेश की लगभग ७४.६ प्रतिशत जनता खेती पर लगी हुई है तथा हमारी आर्थिक स्थिति कृषि पर ही निर्भर करती है और कृषि निर्भर करती है अधिकतर सिंचाई के संसाधनों के विस्तार पर। जिस दिन मुल्क आजाद हुआ, उस वक्त से निरन्तर इस प्रदेश में सिंचाई के साधनों का विस्तार हुआ है। और प्रतिवर्ष प्रदेश के हर जिले में और प्रदेश के हर क्षेत्र में सिंचाई साधनों के विस्तार पर पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है और दिया भी गया है। अभी प्रदेश में तीन बड़ी परियोजनाएं रामगंगा कहलाती है जिससे प्रदेश के करीब १५ जिले प्रभावित होंगे और चूंकि माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते होंगे कि कौन-कौन से जिले इससे प्रभावित होंगे इसलिये उनका नाम बताना भी मेरे लिये उचित ही है। यह परियोजना बिजनौर जिले में बन रही है। इससे बिजनौर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर और मेरठ के जिले प्रभावित होंगे और इससे १६ लाख २८ हजार एकड़ भूमि के सिंचन की व्यवस्था होगी। इस योजना के ऊपर जो हमारा अंतिम अनुमान है उसके अनुसार ११९ करोड़ ५ लाख रुपये का व्यय होगा। यह सन् १९७३-७४ में पूरी होने वाली है।

हमारी दूसरी बड़ी परियोजना है गण्डक प्रोजेक्ट। वह भी १९७३-७४ में पूरी होने वाली है। इससे देवरिया और गोरखपुर, दो जिलों को फायदा होगा। इसके ऊपर ५३ करोड़ ७८ लाख रुपये का व्यय होने वाला है और इससे ६ लाख ५२ हजार एकड़ भूमि की आबपासी होगी। इससे करीब एक हिस्सा गोरखपुर जिले में और दो हिस्सा देवरिया जिले में, इस प्रकार अनुपात होगा।

हमारी तीसरी बड़ी परियोजना "शारदा सहायक" के नाम से है जो हमारे प्रदेश के १९ जिलों को प्रभावित करेगी और इसके ऊपर ९९ करोड़ ६१ लाख रुपया खर्च होने वाला है। इसके पहले चरण में ६४ करोड़ ८४ लाख रुपया व्यय होगा और जो जिले इससे लाभान्वित होंगे उनके नाम हैं नैनीताल, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी और गाजीपुर।

उपरोक्त तीन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद इस प्रदेश का कायापलट होगा ऐसा सभी लोग अनुमान किये हुए हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत-सी परियोजनायें हैं। १३ मध्यम स्तर की योजनाएं हैं जो कि आज आपके प्रदेश में चालू हैं। लघु योजनायें भी ६ के करीब हैं जो प्रदेश में चालू है। ८ के करीब परियोजनायें पूरी हो चुकी है। पिछले वर्ष ६३६ ट्यूबवैल आपके प्रदेश में लगाये गये थे। इस वर्ष सरकार ने लगभग ७०० सरकारी नलकूपों का लगाया जाना तय किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में नालों वगैरह के लिये भी, जिससे फसलों को बरबाद होने से बचाया जा सके, सरकार कार्य करने जा रही है। बलिया बेरिया बांध और छतौनी बांध पर भी कार्य प्रगति पर है। चार ठोकर छितौनी बांध पर बनाये जाना निश्चित हुआ था जो ३० जून तक पूरी हो जायेंगी ऐसी सम्भावना है। इसी प्रकार दूसरे बांध पर भी कार्य तेजी से चल रहा है।

इसके अतिरिक्त चन्द और बातें जिनका हम सभी माननीय सदस्यों से और प्रदेश की जनता से वास्ता है उनका भी जिक्र मैं कर देना चाहता हूं। जब यह विभाग मैंने संभाला तो इस विभाग में मुझे बहुत-सी शिकायतें मिली कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है, कार्य में भी बड़ी शिथिलता है। उस दृष्टि से यह कोशिश की गई जिससे हमारे कार्य में ढिलाई न हो और जो हमारे बड़े पुराने जैसे नार्दर्न इंडिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज ऐक्ट और जो हमारे बहुत से नियम हैं, एक आई० एम० ओ० है, जो गवर्वमेंट आर्डर्स हैं इसमें आज की हालत को देखते हुये संशोधन करने की आवश्यकता है। इनमें संशोधन करने के लिये कमेटियां बनाई जा रही है,

जिससे माननीय सदस्यों का सक्रिय सहयोग और उनके सुझाव मिल सकें। जो जिला स्तर पर सिंचाई की समितियां बनी हुई थीं उनको सक्रिय करने के लिये भी आदेश जारी किये गये हैं और माननीय विद्युत मंत्री जी के परामर्श से सिंचाई और विद्युत् की जो सम्मिलित कमेटी जिला स्तर पर बनेगी जिसमें सभी हमारे एम० एल० ए० और एम०एल० सी० और उस जिले के रहने वाले एम० पी० होंगे, वह जो सलाह देंगे, सिंचाई और विद्युत् की पानी की निकासी की, बाढ़ की, जो जिले की दिक्कतें होती हैं और लोगों के जो सुझाव होंगे उन पर विचार वह करेंगे। हर तीसरे महीने में उनकी मीटिंग होगी। मैंने यह देखा कि किसी भी जिले में उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा था। ये आदेश भेजे जा चुके थे मीटिंगों के सिलसिले में। तो जिन जिन जिलों में नहीं हुआ, मैंने आदेश दिये हैं कि वहां के अधिशासी अभियन्ताओं से--- जो संयोजक थे उनसे जवाब तलब किया जाय कि सरकारी आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया और आगे करिये। आगे इन कमेटियों की बैठकें होंगी जिसमें जिले के स्तर पर सिंचाई और विद्युत् में हमारा विभाग अपनी दिक्कतें रख सकें और अपने सुझाव पेश कर सकें।

इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार के मामले में भी बड़ी कड़ाई से काम करने की आवश्यकता मुझे महसूस हुई और उसी दृष्टि से बगैर किसी फेवर के उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं इस आशा और उम्मीद के साथ कि जहां-जहां मुझे लूपहोल्स और कमियां नजर पड़ी हैं उनको प्लग कर सकूं और जहां जहां और जिस प्रकार रिश्वतें चालू होती हैं उनको चेक कर सकूं। अक्सर रिश्वत का दरवाजा यह भी था। जिसके लिये आदेश दे दिये हैं, कि जितनी छोड़ी बड़ी योजनायें थीं उनके एस्टीमेंट्स प्रारम्भ में कुछ पाये जाते हैं। और अगले वर्ष या दूसरे, तीसरे वर्ष में चलने वाली हों तो उनके एस्टीमेट्स को दोबारा बनाया जाता है और करोड़ों रुपये के एस्टीमेट्स बढ़ जाते हैं और उन कामों में मार्च के करीब रुपया जाता है और उसका अनेकों बार दुरुपयोग भी होता है और काम जिस क्वालिटी का होना चाहिये उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिये मैंने यह आदेश दे दिये हैं कि इस प्रकार की चेष्टा की जानी चाहिये कि बजट के पास होने के तुरन्त ही बाद हमारे यहां कार्य का संचालन प्रारम्भ हो जाय जिससे कि रुपयों का दुरुपयोग न हो सके। मैं अच्छी प्रकार समझता हूं कि ३१ मार्च, या २०---२२ मार्च के बाद जो रुपया जाता है उसका सदुपयोग होना सर्वथा असम्भव है और गलत उपयोग होता है इस डर से कि वह लैप्स हो जायगा। मैं समझता हूं कि यह हमारा प्रदेश है। अगर रुपया लैप्स हो गया तो वह प्रदेश में ही तो रहेगा और इस साल काम न आया तो अगले साल काम आयेगा और जिन लोगों की शिथिलता से यह हुआ है वह आइन्दा इस प्रकार की शिथिलता नहीं कर सकेंगे।

इसके अलावा हमारे जितने भी इंजीनियरिंग विभाग में बड़े और छोटे अधिकारी और कर्मचारी हैं, यह बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि उनके सर्विस रूल्स नहीं थे। अनेकों बार इस हाउस में सर्विस रूल्स का मामला उठा है और मैंने प्रश्न के उत्तर में आश्वासन दिया था कि यह कोशिश करेंगे कि जल्दी ही सर्विस रूल्स तैयार कर दिये जायं और कैबिनेट की स्वीकृति के पश्चात् उनको लागू भी कर दिया जाय। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, ड्राफ्टसमैन को छोड़कर, उनके लिए रूल्स तैयार हो चुके हैं और कैबिनेट का अप्रूवल शेष है। ड्राफ्टसमैन के लिए भी चीफ इंजीनियर ने रूल्स बनाकर भेज दिये हैं, पर उनकी स्वीकृति में कुछ समय लगेगा। जहां तक हमारे इंजीनियरिंग विभाग के बड़े अधिकारियों का प्रश्न है उनके भी रुल्स बनाये जा रहे हैं। सभी अधिकारी अपना समय इस ओर पहले नहीं दे सके हैं लेकिन यह निश्चय है कि २ अक्तूबर, १९७० तक सारे हमारे विभाग के सर्विस रूल्स कैबिनेट की स्वीकृति के बाद लागू कर दिये जायेंगे। यह आश्वासन मैं अपनी ओर से माननीय सदस्यों को देता हूं।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

मान्यवर, जिस समय मैंने विभाग का भार सम्भाला उस समय लगभग ४३ गजटेड आफिसर्स ससपेंडेड पड़े थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक अधिकारी १९५६ से ससपेन्ड है। कुछ ऐसे थे जो सन् ६५ से ६६, ६७ से ससपेन्ड थे। मैंने आदेश दिये हैं कि हर एक अधिकारी के सिलसिले में दो महीने में जो कार्यवाही हो वह मुझे बताई जाय जिससे कि इतने दिनों तक पड़े हुए मामले शीघ्रता से निपटाये जा सकें। तो आज ४३ में से घट करके ३२ कर्मचारी हमारे मुअत्तिल हैं और यह कोशिश की जा रही है कि उनके ऊपर भी शीघ्र ही निर्णय लिया जा सके।

सरकारी आदेश होने के बावजूद भी ऐसी गलत परिपाटी चल रही थी कि आदमियों को सस्पेंड कर दिया जाता था और उनको साल साल भर तक चार्जशीट नहीं दी जाती थी। मैंने उन नियमों को जो आज भी मौजूद हैं कड़ाई से पालन करने के आदेश दे दिये हैं कि जो अधिकारी सस्पेंड किया जायगा उसको एक महीने के अन्दर चार्जशीट दे दी जाय और अगर उच्चाधिकारी चार्जशीट नहीं देते हैं तो उनसे जवाब तलब होगा। जहांतक नान-गजेटेड अधिकारियों का मामला है वह बहुत बड़ी तादाद में सस्पेंडेड पड़े हैं। उनके लिये भी आदेश दे दिये गये हैं कि उनके मामलों को जल्द से जल्द निबटाया जाय।

इसके अतिरिक्त बहुत से माननीय सदस्य या जनता के आदमी शिकायतें देते हैं और प्रायः बगैर शिकायतकर्ता को सुने हुए उन पर निर्णय ले लिये जाते हैं। नतीजा यह होता है कि अगर किसी ने एक्जिक्यूटिव इंजीनियर के यहां दर्ख्वास्त दी और बिना सुनवाई हुए निर्णय हो जाता है तो वह सुपिरिंटेंडिंग इंजीनियर को दर्ख्वास्त देता है, उसके बाद चीफ इंजीनियर को दर्ख्वास्त देता है, फिर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को देता है और इसी प्रकार से मिनिस्टर तक को दर्ख्वास्त देता चला जाता है और किसी में सुनवाई नहीं होती है। अब यह आदेश दिये गये हैं कि जिन शिकायतों में शिकायतकर्ता की सुनाई नहीं हुई होगी वह डेसीजन्स अमान्य होंगे।

जहांतक प्राविधिक जांच का मामला है उसके टेक्निकल सेल में और इजाफा किया जा रहा है जिससे टेक्निकल एक्सपर्ट जल्दी से जल्दी शिकायतों की जांच कर सकें और उनपर ऐक्शन लिया जा सके। दो सेल बनाने का इरादा है। एक चीफ इंजीनियर के यहां होगा और एक यहां भी होगा। बहुत से रेप्रेजेन्टेशन्स पड़े हैं, प्रोमोशन के मामले हैं, एफिशियन्सी बार के मामले हैं और बहुत से मामले कार्यालय के हैं जो पड़े हुए हैं, उनका निबटारा जल्दी हो सके इस दृष्टि से भी यहां स्ट्रेन्थ बढ़ाई जा रही है। तावान के बारे में माननीय सदस्य शिकायत करते रहते हैं और इस सिलसिले में मुझे भी शिकायत रही है कि अक्सर तावान किसानों से लिया जाता है। अक्सर किसान पटरियां काट देते हैं। कुछ बंधाई वाले रजबहे काट दिए जाते हैं और प्रायः ओवरफ्लो होकर भी टूट जाते हैं लेकिन उसमें जो जांच पड़ताल होती है उसमें ठीक ढंग से कृषकों की सुनवाई नहीं होती। इस सिलसिले में भी यह आदेश मैंने दिए हैं कि जो बड़ी नहर की बीच होगी उसके लिए इक्जेक्युटिव इंजीनियर मौके पर जाकर उनसभी आदमियों की सुनवाई करके जो प्रभावित होंगे तभी निर्णय लेंगे। जहां ब्रान्चेज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के ब्रीचेज की बात होगी वहां भी इसी प्रकार सुनवाई करके निर्णय होंगे और माइनर और छोटे रजबहों के मामले में जिलेदार साहब मौके पर जाकर सभी को सूचना देकर, गांवों में डुग्गी पिटवा कर सारे क्षेत्रफल को देखकर, लिखित बयान प्रभावित लोगों के लेने के बाद ही कोई निर्णय लेगा। इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए गये हैं।

इसके अलावा हमारे माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिए थे कि ट्यूबवेल और नहरों की पटरियों पर बाज दफा कोई रास्ता नहीं होता और रास्ते की कठिनाइयों की वजह से किसान अपनी गाड़ियां या दूसरे आदमी अपनी गाड़ियां, पटरी पर चला लेते हैं और उस पर उनका चालान किया जाता है और मुकदमों में उनको परेशानी होती है। अक्सर यह देखने में आया था कि इस प्रकार के जो चालान होते हैं उसमें कई-कई कोसियों पर दूरदराज उनके केसेज की सुनवाई

होती है। इस संबंध में यह आदेश दे दिए गये हैं कि जहां का मामला हो उससे सबसे नजदीक जो कोठी हो वहां पर पहली या दूसरी सुनवाई में उसका निर्णय ले लिया जाया करे। इसके अतिरिक्त अगर कोई रास्ता न होने के कारण फिर पटरी पर चलने की जरूरत होगी तो मामूली सी फीस लेकर उनको परमिट दे दिया जायगा जिससे बगैर जुर्म किये हुए मामूली फीस देकर वह पटरी का उपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त अगर कोई संस्था नहरों या ट्यूबेल की पटरियों को जनहित में पक्का करना चाहता है तो अभी तक इसमें कठिनाई थी लेकिन उसके लिये अब यह आदेश दे दिए गये हैं कि संस्था उसके लिये रिज्योल्शन पास करे, रिक्वेस्ट करे और उसके मेन्टेनेन्स की जिम्मेदारी ले तो उसे पक्का करने के आदेश भी यहां से दे दिये जायंगे।

ओसराबन्दी के सिलसिले में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता देना मुनासिब होगा कि प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में ओसराबन्दी न होने के कारण बहुत से कृषकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिनको चकबन्दी में जमीन मिली है ओसराबन्दी न होने के कारण उनको पानी नहीं मिलता है। इसलिए ओसराबन्दी का काम तेजी से लिया जा रहा है। अक्सर थोकवार ओसराबन्दी होती थी। छोटे थोकवारों को परेशानी होती थी और उसके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं था। चूंकि चकबन्दी चल रही है इसलिये यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में आगे जो भी ओसराबन्दी होगी वह चकवाइज होगी और अगर कुछ भाई मिलकर एक थोक भी बनाना चाहें तो उन्हें भी स्वतन्त्रता होगी और वह थोक भी नजदीक के होंगे जिससे कि नहरों का पानी ज्यादा बरबाद न हो। ओसराबन्दी के सिलसिले में एक जानकारी और माननीय सदस्यों को देना मैं उचित और मुनासिब समझता हूं। यह ओसराबन्दी दसों साल तक चलती थी एक दफा हो जाने के बाद और जिन लोगों का ओसरा दिन के लिये हो जाता था वह दिन में पानी लेते थे और जिनका रात के लिये हो जाता था वह बराबर रात में ही पानी पाते थे। जब जिसका इस साल दिन में ओसरा होगा उसका अगले साल रात में होगा और जिसका इस साल रात में होगा उसका अगले साल दिन में होगा।

इसके अतिरिक्त शामिल बरहा की भी समस्या पूरे प्रदेश में रही है। अभी मैं आगरा गया था। वहां खांडा नाम का गांव है। लोगों ने बताया कि रजबहा आया नहीं और दूसरे आदमी के ट्यूबवेल से उन लोगों ने पानी लिया और उसको पसा दिया लेकिन उसका भी पसा उनको देना पड़ा। पानी न आने की वजह से नहर विभाग ने पानी नहीं दिया लेकिन फिर भी शामिल बरहे के कारण उसको पानी के डबुल चार्जेज आये। यह सर्वथा अन्यायपूर्ण था। इस दृष्टि से यह विचार किया गया कि जो रजिस्टर्ड कृषक हैं वह पेश्तर से एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को दरख्वास्त दे दें कि अमुक खेत के लिये पानी नहीं लिया जायगा तो वह चार्जेज नहीं लगेंगे। लेकिन अगर वह पकड़ा गया तो उसके ऊपर पिनाल्टी लगेगी।

इससे अतिरिक्त कुछ आदेश सरकार में इस तरह के विद्यमान हैं कि १०० मीटर की दूरी पर प्राइवेट किसान नलकूप नहीं लगा सकते। अब यह निर्णय ले लिया गया है कि ५० मीटर की दूरी पर कृषक अपने रजबहों के पास पम्पिंग सेट्स लगा सकते हैं और इसके लिये कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रदेश, जहांकि हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं, और कुछ साहिबान कहते हैं, एक झील के ऊपर बसा हुआ है। इसके भू-गर्भ में पानी बहुत है। उसका सर्वेक्षण करने के लिये भी एक डिवीजन कायम कर दिया गया है और वह इस कार्य को करेगा।

(इस समय ३ बजे अधिष्ठाता, श्री जगवीर सिंह पीठासीन हुए।)

अक्सर हमारा सिंचाई विभाग बड़ी बड़ी योजनाओं के लिये बहुत बड़ी तादाद में जमीन लिया करता है, जसे मिट्टी उठाने के लिये, भट्टे बनाने के लिये, जलाशय बनाने के लिये

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

और भी बहुत से काम के लिये। जब उनका कार्य समाप्त हो जाता है और आवश्यकता से अधिक जमीन ले ली जाती है तो इसके लिये यह निर्णय लिया गया है कि सिंचाई विभाग आवश्यकता से अधिक जितनी भी जमीन है उसे छोड़ दे और नियमानुसार उस तमाम जमीन को, जिन लोगों की जमीन है, उनको रेलिंगक्विइश कर दी जायगी।

हमारे माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जितना इरीगेशन पोटेन्शिल है, जितने भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, उसका करीब करीब ९६ प्रतिशत सिंचाई के साधनों का प्रयोग होता है। अगर कोई सरकार ट्यूबवेल या गंडक की नहरें बनती हैं या और भी छोटी-बड़ी परियोजनायें तैयार होती हैं, उसका लाभ तुरन्त कृषकों को पहुंचना चाहिये जिससे देश और प्रदेश की पैदावार में वृद्धि हो तथा कृषकों का भला हो पैदावार में इजाफा होने के साथ ही साथ सरकार को भी उसका रिटर्न मिलने लगे, यह भी व्यवस्था की जा रही है। जितनी भी इस प्रकार की योजनायें चल रही हैं, ज्यों-ज्यों वे कम्पलीट होंगी, उसका फायदा शीघ्रता के साथ कृषकों तक पहुंच सके, इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है।

हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि जो ट्यूब वैल्स सरकारी विभाग द्वारा लगाये जाते हैं उनका विस्तार किया जाना चाहिये। मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि जहां-जहां गुंजाइश है जिन कान्स्टीट्युएन्सीज में, जिन तहसीलों में, वहां पर १०-२०-३० जितने ट्यूब वैल्स लग सकते हैं, लगाये जायेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन ट्यूब वैल्स की लाइनों के लिये, विद्युत मंत्री जी तथा राज्य विद्युत परिषद् के सलाह से ऐसी व्यवस्था की जायगी, जिससे प्रदेश में बिजली का अच्छे ढंग से विस्तार हो सके और जो लोग निजी नलकूप लगाना चाहते हैं, उन्हें भी सुविधा मिल सके।

इसके अलावा मेरे बैठ जाने के बाद आप लोगों के जो भी सक्रिय सुझाव होंगे उनको मैं तथा मेरे विभाग वाले नोट करेंगे तथा बजट पास हो जाने के बाद, जो आपकी कृपा से हो जायगा, उन बहुमूल्य सुझावों पर मैं अपने आधिकारियों की मौजूदगी में बैठकर, विचार करूंगा, और यह देखूंगा कि कहां तक उनको कार्यान्वित किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वे अपने अपने जिले की अपनी अपनी कान्स्टीट्युएन्सीज की जो भी कठिनाइयां हों, दुशवारियां हों, वह मुझे बतावें कोई सक्रिय सुझाव दे सकते हैं वह भी दें और सबसे अधिक मैं एप्रीशियेट करूंगा, अगर इन सुझावों और शिकायतों के अलावा गम्भीर रिश्वत की शिकायतें अगर आप दे सकें तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में उड़द पर सफेदी जितनी भी ढिलाई करने वाले हम नहीं है।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। हमारा भावर का क्षेत्र है जो देहरादून से गोरखपुर-देवरिया तक जाता है। करीब ११ जिले हैं। इन जिलों में २४ ट्यूबवेल-एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल लगाए जाने की योजना है। उनका सर्वे चलरहा है और यह काम भारत सरकार के जरिए से होगा। चौथी योजना में शायद ८१ के करीब इस प्रकार ट्यूबवेल्स सारे प्रदेश में होंगे। इसके अतिरिक्त झांसी डिवीजन में बांदा जिले में जहां कोई ट्यूबवेल नहीं था और यह सम्भावना थी कि बोरिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि पथरीली जमीन है, वहां ३ ट्यूबवेल और बोर किये गये और २ कामयाब हुए। इसी प्रकार हमीरपुर और जालौन में भी एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल लगाने की योजना है। झांसी में सम्भव नहीं है। मिर्जापुर में लिफ्ट योजना को बनाया जा रहा है। इस प्रकार से इस बात की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देकर खेती के मामले में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाय और आर्थिक अवस्था को उन्नत किया जाय।

*श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१,३२,४९ और ५० के अधीन मांग की राशि को घटा कर एक-एक रुपया कर दिया जाय । कमी करनेका उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना । मान्यवर, मैंने सरकार के द्वारा प्रदत्त साहित्य को पढ़ा है और माननीय सिंचाई मंत्री जी के भाषण को भी बड़े ध्यान से सुना है । सिवाय इसके कि उन्होंने घिसी–पिटी पुरानी बातें दोहरायी हैं, मुझे कोई मौलिक अन्तर नहीं दिखायी दिया, कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन की बात नहीं दिखाई दी और यह भी कोई इरादा नहीं दिखाई दिया कि प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था को एक निश्चित अवधि के भीतर करने की व्यवस्था करेंगे । श्रीमन्, मैंने यह सारे आंकड़े इकट्ठे किये हैं और उनसे कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा हूं जिन्हें मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचना चाहता हूं । माननीय चौधरी चरण सिंह ने १८ मार्च, १९६९ को सदन में भाषण दिया था और प्रदेश में पांच समस्यायें बतायी थीं—गरीबी, बेकारी, आमदनी में असन्तुलन, भ्रष्टाचार, और प्रशासन की अकुशलता ।

जहां तक पहली तीन समस्याओं का सम्बन्ध है, उनका सीधा सम्पर्क मैं आज के इस अनुदान से जोड़ना चाहता हूं क्योंकि सिंचाई का अनुदान, जहां तक मैं समझता हूं, जितने अनुदान अब तक प्रस्तुत किये गये हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । अगर हामारी पानी की व्यवस्था ठीक है तो सारी व्यवस्था ठीक हो सकती है, योजनायें कामयाब हो सकती हैं और हमारे प्रदेश का आर्थिक पिछड़ापन भी दूर हो सकता है । सही बात तो यह है कि उनका भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी भी हमारी सरकार की दृष्टि ग्रामों की ओर नहीं है ।

आज भी कोई विदेशी अपने देश का भ्रमण करने के लिये आते हैं तो उनको अपने देश के बड़े-बड़े शहर दिखा दिये जाते हैं । दिल्ली की चौड़ी सड़कें दिखा दी जाती हैं । आगरे का ताजमहल दिखा दिया जाता है । लखनऊ की हजरतगंज की चौड़ी सड़कें दिखा दी जाती हैं और उनसे प्रशंसा पत्र प्राप्त करके हमारे लोग संतोष कर लेते हैं कि देश का बड़ा भारी विकास हो गया और बहुत उन्नति हो गई । केवल आगरे का ताजमहल हिन्दुस्तान नहीं है । केवल अहमदाबाद की चौड़ी सड़कें हिन्दुस्तान नहीं है। हजरतगंज की ऊंची ऊंची अट्टालिका हिन्दुस्तान नहीं है । अगर हिन्दुस्तान का नक्शा देखना है तो देहात की ओर जाना पड़ेगा । देहात की धूल को खाना पड़ेगा । धूल से भरे हुये कच्चे मिट्टी के मकानों को देखना पड़ेगा । उन मकानों के आस पास टूटी फूटी झोपड़ियों को देखना पड़ेगा । उन झोपड़ियों से चमकते हुये सुराखों को और उन सुराखों से चिल चिलाती हुई धूप को और बरसात के दिनों में उस सुराख से पानी को टपकते हुये देखना पड़ेगा । उन टपकती हुई पानी की बूंदों में बैठे हुये मजदूर और किसानों को देखना होगा । आपके ये शहर हिन्दुस्तान की सही तस्वीर नहीं हैं । हजरतगंज की ऊंची अट्टालिका को देखने से देहात का नक्शा नहीं देखा जा सकता है । ग्रामीण विकास को आप किस ओर ले जाना चाहते हैं ।

आज जो सरकार का विचार करने का ढंग है वह पहले जैसा चला आ रहा है । २२ वर्ष हो गये हैं इसमें कोई अन्तर नहीं आया है । जिससे हिन्दुस्तान के लोगों को कोई किसी प्रकार की सुविधा मिल सके । इनके विभाग जो इनको योजना बनाकर दे दें उसी पर दस्तखत हो जाते हैं और उसी पर अमल होने लगता है देश चाहे जहन्नम में जाय या प्रदेश चाहे गड्ढे मे जाय लेकिन इनके यहां काम काज सारा चलता रहता है । इनके यहां तो कागज पर खेत बने हुये हैं । कलम का हल चलाया जाता है । स्याही की सिंचाई की जाती है । प्रस्ताव का बीज बोया जाता है । भाषण का खाद दिया जाता है । बातों का अनाज निकलता है । धोखे के घरों में फसल उगाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कल्यान सिंह]

जाती है। नतीजा यह है कि प्रदेश उन्नति की तरफ न जाकर अवनति की ओर जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे सामने प्रश्न यह होना चाहिये कि प्रदेश को हम कैसे उठा सकते हैं ? माननीय चरण सिंह जी ने पहले यहां पर कहा था कि मैं उससे सहमत हूं । उन्होंने यह कहा था कि हमारा देश उस समय तक नहीं उठ सकता है जब तक कि देहातों को नहीं उठाया जायेगा देहात उस समय तक नहीं उठ सकते हैं जब तक वहां पर रहने वाले किसान और मजदूर नहीं उठेंगे । किसान और मजदूर उस समय तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि उनकी प्रति एकड़ पैदावार नहीं बढ़ती है और खेत पर काम करने के पश्चात् उसको पेट भर खाना नहीं मिलता है । जब तक इस सिद्धान्त को कार्य रूप में नहीं परिणत किया जायगा तब तक देश का उत्थान नही हो सकता है ।

मेरा यह निवेदन है, जैसा कि जनसंघ के नेता, दीन दयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अगर देश को उठाना है तो सम्पत्ति की धारा को , पूंजी की धारा को ग्रामों की तरफ मोड़ना पड़ेगा तभी ग्रामों की उन्नति हो सकती है । जब यह धारा गांवों की तरफ मुड़ेगी तो खेती की उन्नति होगी । खेती का काम उन्नत होगा तो उससे कच्चा माल प्राप्त होगा । कच्चा माल प्राप्त होगा तो उससे उद्योगों की उन्नति होगी । जो आज बेकारी की समस्या है वह हल होगी क्योंकि उस औद्योगीकरण से रोजगार लोगों को प्राप्त होगा । लोगों का रोजगार बढ़ेगा तो उससे लोगों के अन्दर क्रय शक्ति उत्पन्न होगी । जब क्रय शक्ति लोगों के अन्दर आयेगी तो उससे मालकी खपत बढ़ेगी यानी मांग बढ़ेगी । मांग बढ़ने के बाद मजदूर और किसानों को उचित दाम प्राप्त होगा और दाम से पूंजी का निर्माण होगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि पूंजी की धारा को गांवों की तरफ मोड़ना पड़ेगा तभी पूंजी का निर्माण हो सकता है क्योंकि उचित दाम मिलने के बाद ही पूंजी का निर्माण हो सकता है । पूंजी से ही उनके खेत की पैदावार, कच्चा माल और उद्योग बढ़ेंगे जिससे रोजगार लोगों को प्राप्त होगा । रोजगार के बाद क्रय शक्ति, क्रय शक्ति के बाद मांग, मांग के बाद उचित दाम, उचित दाम के बाद पूंजी का निर्माण, यह सर्किल है । इस प्रकार से आप देखें . . . . . .

एक सदस्य—

यह बजट सिंचाई का चल रहा है और माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री कल्यान सिंह —

माननीय सदस्य खेतों के बजाय यहां पानी बहाना चाहते हैं । मैं खेतों में पानी पहुंचाने की बात कर रहा हूं । माननीय सदस्य का यह सोचना गलत है कि मैं इर्रेलेवेंट बोल रहा हूं । तो मैं यह कह रहा था कि यह सर्किल है कि पूंजी का बहाव खेत की ओर , खेत से उद्योग धंधे उद्योग धंधे से रोजगार, रोजगार से क्रय शक्ति, क्रय शक्ति से मांग, मांग से उचित दाम, और उचित दाम से पूंजी का निर्माण । जब तक पहिये के इस चक्र को नहीं समझा जायेगा तब तक देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जायेगी । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गांवों की तरक्की के लिये आपको चार चीजों की व्यवस्था करनी होगी । सिंचाई, सड़क, शिक्षा और शक्ति यानी बिजली । मैं दावे साथ कह सकता हूं कि बिजली की लाइन के पीछे पीछे विकास का दौर दौड़ता है । मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं बल्कि माननीय कमला पति जी ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने इस बात को माना है लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

अपने प्रदेश के अन्दर सिंचाई को मैंने दो भागों में बांट कर अपनी बात रखने का प्रयास किया है । पानी के लिये दो तरह की समस्या है । एक तो पानी के अभाव की समस्या है और दूसरी पानी के प्रभाव की समस्या है । माननीय मंत्रीजी ने पानी के अभाव की ओर तो थोड़ा सा संकेत किया है लेकिन पानी के प्रभाव की ओर उन्होंने कोई संकेत नहीं किया है कि इस सम्बन्ध में उनकी क्या योजनाहै । पानी के प्रभाव से मेरा मतलब है—बाढ़ का पानी जिससे पिछले

वर्षों में लाखों करोड़ों लोग, प्रभावित होते रहे हैं। पानी के अभाव वाली समस्या के लिये उसको मैं चार टुकड़े में बांट देता हूं ताकि माननीय मंत्री जी को उत्तर देने में सुविधा हो जाय। १—मैनेजमेंट, २—सिंचन क्षमता ३—सिंचाई की दरें तथा ४—हानि। चाहे ट्यूबवेल से हानि होती हो, चाहे नहरों से हानि होती हो, इसको जिस तरह से रोका जाय, इसके लिये एक योजना बनानी चाहिये जिससे हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले, हर बच्चे को पढ़ाया जाय, हर रोगी को दवा मिले। जब तक हर घर के लिये बिजली का इंतजाम नहीं होगा तब तक उद्योग धंधे की तरक्की नहीं हो सकती है।

माननीय मंत्री जी के लम्बे चौड़े भाषण कर देने से ही सब को तमाम सुविधायें नहीं मिल जायेंगी। आजकल उत्तर प्रदेश के अन्दर कुल मिला कर १७४ लाख हैक्टर में सिंचाई की व्यवस्था होने को है जब कि अभी तक केवल ४८ लाख ५ हजार हैक्टर में ही सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है जो लगभग कुल का साढ़े २६ परसेंट पड़ेगा। अगर इसी हिसाब से सिंचाई की व्यवस्था की गति रही तो मुझे लगता है कि शायद ६०—७० वर्ष में यह योजना पूरी हो सकेगी, और तब तक हिन्दुस्तान की आबादी न मालूम बढ़ कर कहां को पहुंच जायेगी और उस वक्त हम उसके लिये उतनी पैदावार नहीं कर सकेंगे। फिर पी० एल० ४८० के अन्तर्गत अमेरिका व दूसरे देशों के सामने अन्न की भीख के कटोरे लेकर खड़े होते फिरेंगे जैसा कि आज भी जाना पड़ता है और इस तरह से हमको मानना पड़ेगा कि इस देश की आजादी पर डाका डाल कर इस देश की आजादी को नीलाम तक किया जा सकता है। अगर इसी गति से सिंचाई की व्यवस्था होगी तो अन्न की समस्या का समाधान कभी भी होने वाला नहीं है मैं आप के सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि हम कहां जा रहे हैं। हमारे यहां सन् १९५०—५१ में जो सिंचाई की व्यवस्था थी वही लगभग १९६०—७० में भी रही।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य इतना तेज न बोलें, ताकि भाषण लिखा भी जा सके।

श्री कल्यान सिंह—

मेरे पास कहने के लिये मेटिरिअल बहुत ज्यादा है और मैं अपनी पूरी बात धीरे-धीरे कह न सकूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपको समय काफी मिलेगा।

श्री कल्यान सिंह—

ठीक है, तो अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा। सन् १९५०—५१ में सिंचाई का क्षेत्रफल जो ४९.६ लाख एकड़ था वह १९६०—६१ में जाकर ४९.१८ लाख एकड़ हो गया यानी लगभग उतना ही रहा। तालाबों से १९५३—५४ में जहां ११.६५ लाख एकड़ में सिंचाई होती थी वहां १९६०—६१ में १०.३५ लाख एकड़ हो गया यानी करीब १ लाख ३० हजार एकड़ रकबा कम हो गया। नलकूपों द्वारा १९५०—५१ में ६.८३ लाख एकड़ की सिंचाई होती थी जो १९६०—६१ में १३.४२ लाख एकड़ में होने लगी। इस तरह से आज ६.५९ लाख एकड़ का रकबा बढ़ा है। लेकिन उसी के साथ मेशनरी वेल्स से १९५०—५१ में ५५.६२ लाख एकड़ की सिंचाई होती थी और १९६०—६१ में ४५.५६ लाख एकड़ की ही रह गई यानी

[कल्यान सिंह]

१०.०६ लाख एकड़ और कम हो गई। जब कुछ मिला कर हिसाब लगाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि जो सिंचित क्षेत्र सन् १९५०–५१ में था सरकारी आंकड़े बतलाते हैं कि १९६०–६१ में भी वह लगभग उतना ही रहा। नहरें खोदी गईं, उनकी लम्बाई भी बढ़ी, सिंचाई का रेट भी बढ़ा और वह कहते हैं कि हमारी सिंचाई क्षमता भी बढ़ी लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उन कारणों की खोजबीन की है और क्या उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को आदेश दिये हैं कि जब नई नहरें भी खोदी गईं, उनकी लम्बाई भी बढ़ी, सिंचाई के रेट भी बढ़े तो उनके अनुसार जितना सिंचित क्षेत्र १९५०–५१ में था वही आज भी है, इसका कारण क्या है? इस पर विचार होना चाहिये। इसी तरह से हमारे प्रदेश में कुओं की संख्या सन् १९५४–५५ में जिन छोटे मेसनरी वेल्स से किसान सिंचाई करते थे, वह ९ लाख थी, वह १९६०–६१ में घटकर ७ लाख ८० हजार रह गई यानी १ लाख २० हजार घट गई और इस तरह से हर साल इन कुओं की संख्या २० हजार के हिसाब से घट रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारी कृषि के लिये पानी नहीं मिलेगा।

मेरा विचार है कि सरकार का ध्यान बड़ी-बड़ी योजनाओं की तरफ अधिक गया है और छोटी-छोटी योजनाओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। आज की परिस्थितियों को देखते हुये जब कि हम सघन खेती की तरफ अधिक ध्यान देना चाहते हैं तो प्रदेश में बड़ी-बड़ी योजनाओं से काम नहीं चलेगा। हमें अपने क्षेत्रों के लिये छोटी-छोटी योजनायें बनानी होंगी और हमारा दल जनसंघ तो आरम्भ से ही बराबर छोटी योजनाओं की मांग करता रहा है और यह सिद्ध हो चुका है कि आज की परिस्थिति में बड़ी योजनाओं के बजाय छोटी योजनाओं से ही हम प्रदेश का अधिक लाभ कर सकते हैं। मेरे पास नहर पर जो प्रति एकड़ लागत आती है उसके आंकड़े हैं, वह १३०० रुपए आती है, नलकूप का प्रति एकड़ सिंचाई व्यय २५० रुपया आता है और यह सिंचाई व्यय कुओं पर केवल ३० रुपया प्रति एकड़ आता है यह सिंचित क्षेत्र १८ हजार एकड़ सालाना घटता जाता है। हमारे यहां बड़ी योजनायें बढ़ती जाती हैं और जिसका कारण यह है कि बड़ी योजनाओं के बनाने में बड़े अधिकारियों का निहित स्वार्थ होता है, वह समझते हैं कि उनके चलने से ही उनकी जेब में अधिक पैसा आयेगा। इस कारण से छोटी योजनाओं पर सरकारी अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता और बड़ी योजनायें ही बना करती हैं। डेढ़ साल में एक ओवरसीयर मोटर साइकिल खरीद लेता है, ३ साल में वह एक कोठी बना लेता है और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर व सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर और इसके आगे की तो बात ही क्या है। मैं चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों की सम्पत्ति के सालाना निरीक्षण का कोई नियम सरकार को बनाना चाहिये लेकिन ऐसा नियम बनाने से पहले सरकार को मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी उनकी सम्पत्ति का सालाना ब्यौरा लेना चाहिये क्योंकि ऐसा न होगा तो एक अच्छा आदर्श आप उपस्थित न कर सकेंगे और उनसे कहने में आपके पास एक नैतिक बल न होगा। मैं सदन को सूचना दे दूं कि मैंने एक प्रश्न किया था कि मंत्रिमंडल के किन-किन माननीय सदस्यों ने अपनी सम्पत्ति का ब्योरा दिया है तो उत्तर में यहां कहा गया था कि केवल एक हमारे बिक्री-कर मंत्री श्री बलबीर सिंह जी ने तो दिया है और किसी मंत्री ने नहीं दिया है। अगर मंत्रिमंडल के सदस्य ही इस तरह से अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा न देंगे तो वह विभाग के अधिकारियों से कैसे मांग सकते हैं।

मैं नलकूपों की ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। अभी मंत्री जी ने बताया कि उनकी योजना १५०–१७५ और बढ़ाने की है, इतने और बनेंगे। परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि स्टेट ट्यूबवेल्स पर ही निर्भर रहा जाय। उनसे कहना चाहता हूं कि इससे भी कम पैसे से ही काम चल जायगा और सिंचाई क्षमता भी बढ़ जायगी। मेरा सुझाव है कि आप एक जगह १०० नलकूप न लगायें, केवल ४ ही लगायें, एक यहां

लगाया, फिर दूसरा दस मील पर लगा दिया फिर तीसरा दस मील पर लगा दिया इस तरह से आप ४ नलकूप लगा दें और इनके माध्यम से आप उस क्षेत्र में बिजली को फैला दें, हजारों की संख्या में लोग आज प्राइवेट नलकूप लगाना चाहते हैं और वह केवल बिजली की स्वीकृति के लिये रुके पड़े हैं।

सरकार का बहुत बड़ा पैसा बचेगा और काश्तकार को भी निजी साधन प्रयोग करके खेती करने में प्रोत्साहन मिलेगा। चूंकि आज हिन्दुस्तान के किसान बहुत गरीब हैं, २ या ४ प्रतिशत ही होंगे, जो अपने साधनों से काम कर सकते हैं। शेष को रहट नलकूप बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि उन्हें कर्जा दे और इसके लिए ग्रामीण अंचलों में भी बैंकों की शाखायें खोली जायं। सरकार को चाहिए कि इन किसानों को एल० डी० बी० से सरल तरीकों से कर्जा दिलाया जाय। होता यह है कि अगर किसी किसान को ५,००० रु० (पांच हजार रुपया) कर्जा मिलता है तो उसको ४ हजार ही मिल पाता है और जब देने की स्थिति आती है तो वह ६,००० रुपये तक पहुंच जाता है। २ हजार रुपया तो बीच में ही समाप्त हो जायगा। मैं चाहूंगा कि सरकार सरकारी नलकूपों के आंकड़ों में न पड़ कर गांवों तक बिजली फैलाये। वहां सच्चा इंजीनियर गांव का गरीब किसान है। चाहे वह सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग की बात हो, जहां पर भी किसान की बैलगाड़ी निकल सकती है तो १०-२० साल बाद वह लीक बन जाती है डगरा बन जाता है और जब उस पर डामर आदि डाल कर सड़क बन जाती है तो इंजीनियर्स वाहवाही लूट लेते हैं। किसान ने हैराल्ड किया है जिसने लीक पैदा की है।

इसी तरह से किसानों ने रहट लगाये हैं। वे जानते हैं कि यहां पर खेती के लिए पानी है। कहा है कि "इट इज दी पूअरेस्ट कल्टीवेटर, हू हैराल्ड्स दिस इर्रीगेशन सिस्टम"। निर्धन काश्तकार ही है जो सिंचाई के मामले में अगुआ बना हुआ है या पाइलेट है या सच्चा पाइ-नियर है। उसी से आपको मदद मिलेगी। पहले हमारे ट्यूबवेल्स बने उनसे २ करोड़ रुपये की रेवेन्यू का मुनाफा होता था। १९५१-५२ में १४ लाख रुपये का लाभ हुआ। उसके बाद १९५५-५६ में १.०१ करोड़ रुपये का घाटा हुआ। १९६०-६१ में २ करोड़ ८३ लाख का घाटा, १९६१-६२ में ३ करोड़ ५ लाख, १९६२-६३ में ४ करोड़ ५४ लाख, १९६३-६४ में ३ करोड़ ७७ लाख का घाटा, १९६४-६५ में ३ करोड़ ८६ लाख का घाटा हुआ, १९६५-६६ में ५ करोड़ ५९ लाख रुपये का, १९६६-६७ में ६ करोड़ २३ लाख रुपये का और १९६७-६८ में ६ करोड़ १५ लाख का घाटा हुआ और जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, उनसे स्पष्ट है कि ८ करोड़ ५० लाख का घाटा हुआ है। इसको पूरा करने के लिए आज इरीगिशन के रेट बढ़ाने की बात की जा रही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई के रेट बढ़ाकर आप हिन्दुस्तान के और इस प्रदेश के किसानों के प्रति अन्याय कर रहे हैं।

एक ओर आप गांवों को ऊंचा उठाने की बात करते हैं और दूसरी ओर आप सिंचाई के रेट बढ़ाने की बात करते हैं। यह सरासर आप किसानों के प्रति अन्याय कर रहे हैं। घोर अन्याय है। यह मैं अपने शब्दों में नहीं माननीय चरण सिंह जी के शब्दों में कहना चाहता हूं। मैं उनके भाषण की जो पहली नवम्बर, १९६९ के स्वतंत्र भारत अखबार में छपा है उसे सदन के समक्ष पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा था कि "सिंचाई शुल्क का बढ़ाना किसानों के प्रति घोर अन्याय है और वर्तमान भ्रष्ट सरकार को कर-वृद्धि का कोई अधिकार नहीं।" उसमें आगे यह भी है :

"लखनऊ, ३१ अक्तूबर, विधान सभा में विरोधी दल के नेता तथा भाक्रांद के अध्यक्ष, श्री चरण सिंह ने एक वक्तव्य देते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने ट्यूब-

[श्री कल्याण सिंह]

बैल से सिंचाई के शुल्क में ५० प्रतिशत और नहरी सिंचाई के शुल्क में २५ प्रतिशत वृद्धि कर के किसानों पर बड़ा अत्याचार किया है। आपने कहा—यह वृद्धि तीन कारणों से निन्दनीय है। पहला और विशेष कारण यह है कि कर लगाने या मौजूदा कर में वृद्धि करने का अधिकार राज्य सरकार को तभी होगा, जब वह स्वच्छ और कुशल प्रशासन का आश्वासन दे सके तथा प्रशासकीय प्रणाली में मितव्ययिता तथा उसका अभिनवीकरण करें।'

क्या आज कुशल प्रशासन और स्वच्छ प्रशासन है ? गुप्ता जी की सरकार में स्वच्छ प्रशासन नहीं था और उन्होंने निन्दा की थी कि कुशल प्रशासन नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आज प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति गिर नहीं गई है ? कत्ल और चोरियां बढ़ नहीं गई हैं ? बलात्कार, जिन्हें हमारे मुख्य मन्त्री मामूली चीजें कह कर टाल देते हैं, वे बढ़ नहीं गये हैं ? ऐसी सरकार को जो शान्ति और व्यवस्था कायम करने में असफल रही है, जो ला एन्ड आर्डर की पोजीशन को मेन्टेन करने में असफल रही है क्या सिंचाई की दरें बढ़ाने का नैतिक अधिकार है ? उन्हीं माननीय चौधरी जी के शब्दों में क्या माननीय मंत्री जी इस कर को वापिस लेने का आश्वासन देंगे ? अन्त में उन्होंने यहां तक कहा —"ऐसी दशा में मैं राज्य सरकार की सारी भाकांद की इकाइयों से सार्वजनिक सभायें संगठित करने और सरकार के इस जनविरोधी कदम की निन्दा करने का आग्रह करता हूं।" उन्होंने आन्दोलन तक की बात कह दी। वे तो नहीं कर सके लेकिन इस प्रदेश का किसान आज आन्दोलन की कगार पर खड़ा है। आप रोक नहीं सकते। आपकी सारी योजनायें थोथी सिद्ध हुई हैं। किसानों को बेचैनी है, क्षोभ है, असन्तोष है उनके प्रति इसलिये वे आन्दोलन के कगार पर खड़े हैं। आप नहीं कर सके आन्दोलन तो जनता तैयार हो रही है। इसी तरह से सिंचाई पर होने वाली जो हानि है इसे कम कैसे किया जा सकता है। आखिर यह घाटा हो रहा है वह कैसे कम किया जाय। हम सिंचाई की दर बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं।

हम चाहते हैं कि गेहूं की हर बाल को पानी मिलना चाहिये। गेहूं की बाल किसी की दुर्भावना और लापरवाही से सूखती है तो वे देश के साथ गद्दारी करते हैं। चाहे वह पार्टी का आदमी हो या जनता का आदमी हो। कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं जिससे सिंचाई की दरें कम करके इस घाटे को पूरा कर सकेंगे ? ट्यूबवेल्स के बारे में सिंचाई मंत्री ध्यान दें। अपने प्रदेश के आंकड़े निकालकर देख लें। ऐसे अनेक ट्यूबवेल्स हैं जो केवल दो हजार घंटे चलते हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, वर्ष में ८,७६० घंटे होते हैं। उनमें केवल ट्यूबवेल्स २ हजार घंटे ही चल पाते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे ट्यूबवेल्स को नीलाम कर दें। लोग शायद गांव में लेने के लिये तैयार हो जायेंगे। सरकारी आधार पर तैयार हो जायेंगे। कुछ काश्तकार व्यक्तिगत रूप से शायद तैयार हो जायेंगे। जहां पर यह सर्वे किया जाय वहां पर एक मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिये। जहां पर ट्यूबवेल्स साढ़े तीन हजार या चार हजार की क्षमता से कम हो वहां पर किसी प्रकार के राजनैतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव से ट्यूबवेल नहीं लगाने चाहिये। जहां राजनैतिक दबाव काम करते हैं वहीं ये सब चीजें होती हैं। इन्हें छोड़ना पड़ेगा।

एक बात और भी है। मैं किसान हूं। नलकूप चालकों से मेरा भी सम्पर्क रहा है और अधिकारियों से भी रहा है। नलकूपों में चार तरह के डिफेक्ट्स बताये जाते हैं। पहला एन० डी० यानी नो डिमान्ड दूसरा एम० डी०, मैकनिकल डिफेक्ट, तीसरा सी० डी० यानी सिविल डिफेक्ट—जैसे पुलों की मरम्मत नहीं है। जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं और चौथा, एच० डी० यानी हाईडिल डिफेक्ट। जो हाईडिल के डिफेक्ट से बताया जाता है। इसलिये

वह मजबूर कर देता है आपरेटर को जो एम० डी० से बन्द रहे एन० डी० बता दी। मेकनिकल डिफेक्ट होगा तो जवाब तलब होगा कि तुम चैकिंग करने के लिये क्यों नहीं गये थे। आपरेटर मजबूर होता है क्योंकि उसकी तनख्वाह और तरक्की उसके हाथ में होती है। उसका ट्रान्सफर उसकी ही रिकमेन्डेशन पर होता है। आपरेटर उसके कहने से एम० डी० को एन० डी०, सी० डी०, को एन० डी० , एच० डी० को भी एन० डी० में दिखा देता है। मैं नमूने के तौर पर मंत्री जी को बताना चाहता हूं। यह सरकारी कागजात में अंकित है, ये कागजात मेरे पास हैं, मैं मन्त्री जी को दिखा दूंगा। यह दो उदाहरण ऐसे हैं जिसमें हस्ताक्षर भी हैं जिसमें लिखा है कि नलकूप एम० डी० के कारण बन्द हुये। जब एस० डी० ओ० के यहां कागजात पहुंचे तो उसने कहा कि इसको काटो, एम० डी० की जगह एन० डी० (नो डिमान्ड) लिख दो। इसे काट कर इसमें लिखा गया है। मंत्री जी सर हिला रहे हैं कि उनकी जानकारी में इस तरह के केसेज है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इसको देखें। यह तो दो ही केसेज हैं जो मैंने बताये हैं, किन्तु पूरे प्रदेश में हजारों केसेज इस तरह के होंगे। मंत्री जी इसकी छानबीन करायें और उचित कदम उठायें। इसके कारण भी आज नलकूपों में घाटा हो रहा है।

ट्रान्सफारमर्स की चोरी होना भी इसके घाटे का एक कारण है। माननीय सिंचाई मंत्री के पास बिजली विभाग नहीं है। चौधरी साहब तो कहा करते थे कि बिजली विभाग और सिंचाई विभाग बल्कि वह कृषि विभाग को भी यही चाहते थे कि यह तीनों विभाग एक ही मंत्री के पास रहने चाहिये कम से कम अब सिंचाई और बिजली विभाग तो अवश्य एक ही मंत्री के पास रहने चाहिये। अगर किसी प्रकार से ट्रान्सफामर्स की चोरी को रोका जा सके तो उससे भी घाटा कम हो सकता है।

इस सदन में माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने भाषण में एक बार कहा था जिसे मैं २४ जुलाई, १९६७ की कार्यवाही से कोट कर रहा हूं—

> "आज जो भी प्रदेश की सरकार ने सिंचाई की व्यवस्थायें की हैं और विशेष कर नहरों में हमारे सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जहां से नहर निकली और जहां समाप्त होती है तो ४५ फीसदी उसका पानी नहर में, रजबहे में और गूलों में ही खराब हो जाता है। अकेले २२ फीसदी पानी हमारी गूलों में बरबाद होता है। आप क्षमता को बढ़ाते चले जायं, लेकिन गूलों में जो पानी की बरबादी होती है उसको न बचा सकें, इस पर विचार करने की जरूरत है।"

मान्यवर, मुझे प्रसन्नता होती अगर माननीय मंत्री जी इस ओर भी कुछ प्रकाश डालते कि इस ओर वे क्या कदम उठा रहे हैं।...

श्री अधिष्ठाता—

आप कितना समय और लेंगे ?

श्री कल्यान सिंह—

एक घंटा।

श्री अधिष्ठाता—

इतना समय नहीं मिल सकता, काफी लोग बोलने वाले हैं।

श्री कल्यानसिंह—

तो ५० मिनट दे दीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—,

एक घंटा तो आमतौर से मिलता है।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

दो दो घंटे मिले हैं।

श्री अधिष्ठाता—

१० मिनट में कृपया समाप्त कर दें। कोशिश कीजिये जल्दी समाप्त करने की। ४५ मिनट से अधिक समय नहीं दिया गया है।

श्री कल्यान सिंह—

मैं जल्दी समाप्त करूंगा, अपनी गति तेज किये देता हूं।

मैं यह कहने जा रहा था कि नलकूप के लिये खाली आपरेटर्स ही जिम्मेदार नहीं हैं, एस० डी० ओ० भी उसके लिये जिम्मेदार हैं। यहां तक होता है कि पुरानी मशीनों को लगा-कर नयी का पेमेंट होता है, फर्जी मरम्मत दिखाकर पैसा ले लिया जाता है, फर्जी मस्टर रोल तैयार किये जाते हैं, ऐसे-ऐसे लोग मस्टर रोल में मिलेंगे। मैं अतरौली का एक किस्सा जानता हूं, वहां ऐसे-ऐसे फर्जी मस्टर रोल हैं जिसमें एक आदमी तो ऐसा दिखाया गया है जो उस गांव में जिन्दा ही नहीं है। जिसके नाम से पेमेंट हुआ है वह जिन्दा ही नहीं है। आप के लोग जांच के लिये भी गये, मैंने भी अपने दो दिन खर्च किये, न पिछली सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की, न इस सरकार ने की। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस चीज की जांच करायें और उचित कार्यवाही करें।

इसके अलावा एक और लूट हो रही है। जितना खर्चा साल के ११ महीनों में होता है, उतना ही खर्च मार्च के महीने में होता है। तमाम फर्जी काम दिखाकर हजारों रुपए का पेमेंट किया जाता है। इसको माननीय मंत्री जी किसी प्रकार रोकें। इसके अतिरिक्त वर्क आर्डर की कोई निश्चित अवधि होना चाहिए। वर्क आर्डर की एक प्रति ठेकेदार को भी मिलना चाहिये। अभी उसको उसकी कापी नहीं दी जाती है। उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। वह बन्द होना चाहिए। कूप चालक से भी कहना चाहिए कि वह खेत नम्बर दे कि किस खेत में कितना पानी गया और कितने यूनिट चला आदि। और उसकी सूचना समीपस्थ एस० डी० ओ० को शीघ्र से शीघ्र दे दें। किन्तु आज इसके बिलकुल विपरीत होता है। वह सूचना कई-कई दिन बाद देता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और बढ़ता रहेगा।

एक फ्लाइंग स्क्वायड की भी स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि शिकायत मिलने पर फौरन् जांच की जाय और पेपर्स वगैरह सील कर लिए जाया करें। आज शिकायत देने के कई-कई सप्ताह बाद कच्छप गति से जांच शुरू होती है, आज इसमें महीनों लग जाता है। परिणाम यह होता है कि जिसके विरुद्ध शिकायत होती है उसे तो सारे फैक्ट्स मालूम हो जाते हैं और जांच करने वाले अधिकारी बाद में पहुंचते हैं। बिजली बेची जाती है, इस बात को उठाया गया है। उस पर मंत्री जी ने सफाई भी दी है। मुझे खेद है कि बिजली वाली जो किताब छपी थी, उसमें लिखा था, जिसके अनुसार आज भी पानी नहीं मिल सकता है, आज भी एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि वह दूसरे काश्तकार को पानी नहीं बेचेगा। इस प्रकार का प्रतिबन्ध फिजूल और हानिकर है, यह बन्द होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा है बेचा जा सकता है। यदि यह हो जाए तो यह बहुत अच्छी बात होगी।

आपने प्राइवट ट्यूब वेल्स पर बोरिंग कराने का जो प्रतिबन्ध लगा रखा है वह भी लोगों को परेशान करने वाला है। यह प्रतिबन्ध भी हटा लिया जाना चाहिए। इससे बड़ा अपव्यय होता है। यह आप क्यों प्रतिबन्ध लगाते हैं ? जब उस को कनेक्शन मंजूर हो जाएगा तब तो खुद ही बोरिंग करा लेगा।

हमारे यहां बिजली की जो कीमत है वह भी बहुत ऊंची है। अपने प्रदेश में खेती के लिए ७ प्रतिशत बिजली उपयोग में लाई जाती है और उद्योग धंधों में ७० फीसदी बिजली काम में लाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बिजली की दर १५ पैसा प्रति यूनिट है, जो अन्य प्रदेशों की तुलना में कहीं अधिक है। तामिलनाड में ९.९० पैसा, आन्ध्र में १०.४५ पैसा, मैसूर में ११.००, केरल में ८.८० पैसा, महाराष्ट्र में १३.८७ पैसा, पंजाब में ११.०२ पैसा और पश्चिमी बंगाल १३.०० पैसा प्रति यूनिट बिजली की दर है। ये दरें देखते हुए, अपने प्रदेश में बिजली की दर अवश्य कम की जानी चाहिए।

मैं अपने प्रदेश में बड़ी योजनाओं के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन एक योजना ऐसी है, जिस पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो सन् १९६२ से विचाराधीन है—सरयू कैनाल की योजना। इसके लिये सन् १९६२ से विचार किया गया। इस प्रयोग के द्वारा घाघरा, शारदा नदी से पानी उठाकर शारदा कैनाल में डालने की बात थी। घाघरा में १५ हजार क्यूसेक्स पानी आता है। शारदा कैनाल से इस प्रकार से १७ जिलों का लाभ होगा। इस काम में देरी की जा रही है जो कि उचित नहीं है। मैं पूर्वी और पश्चिमी जिलों की बात नहीं कहना चाहता हूं न कहता हूं, लेकिन यह आंकड़े बताते हैं कि वाकई में पूर्वी जिलों की किस प्रकार से उपेक्षा समय-समय पर की गई है। शारदा कैनाल को जो फीड करने की बात थी, उससे पीलीभीत, खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, इलाहाबाद, वाराणसी—इन १७ जिलों को लाभ होगा। सन् ६९ में केन्द्र के सिंचाई मंत्री महोदय आए थे और उन्होंने भी इस योजना को सिद्धान्ततः माना था। इस शारदा कैनाल के द्वारा कुल रकबा जो सिंचित होगा वह इस प्रकार से होगा। कुल कल्चरेबुल रकबा ६२,९४,६७७ एकड़ और प्रति वर्ष सिंचित क्षेत्रफल रबी में १३,१९,१६३ एकड़ और खरीफ में ८,५९,१९६ एकड़ और इस प्रकार से योग आता है २१,७८,३५९ एकड़। इतनी शारदा कैनाल से सिंचाई हो सकती है। इससे जो १९६६–६७ में सिंचाई हुई वह इस प्रकार है खरीफ में ८,३१,५३४ एकड़ और रबी में १२,१२,६८३ और कुल २०,४४,२१७ एकड़।

शेष ४२ लाख ५० हजार ४ सौ ५० एकड़ ऐसी जमीन है जिसमें सिंचाई करवानी है। सरजू प्राजेक्ट का कमांड एरिया ३३ लाख ८ हजार एकड़ आता है। प्रस्तावित एरिया है २३ लाख ४३ हजार एकड़। जो कल्चरेबिल कमांड एरिया का ७० प्रतिशत हो जाता है। इस ओर सरकार का दुर्लक्ष्य हो रहा है। इसी तरह से शारदा कैनाल के सिंचित क्षेत्र की बढ़ोत्तरी है वह १७ लाख ५ हजार ३०० एकड़ हो जाता है। इस पर कैपिटल कास्ट आफ प्रोजेक्ट ९९.८० करोड़ है और प्रति एकड़ कास्ट ४२५ रुपये है। इससे जो नेट रेवेन्यू प्राप्त होगी, वह २४२.३० लाख होगी। अर्थात् पूंजी परिव्यय पर २.४३ प्रतिशत का रिटर्न होता है। इसी तरह से वार्षिक अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है वह ९.८२ लाख टन होता है और खाद्यान्न के अतिरिक्त गन्ना आदि का उत्पादन ५५.५३ लाख टन होता है। अतिरिक्त उत्पादन का मूल्य खाद्यान्न का ९७.११ करोड़ होता और शुगर केन आदि का ४५.२० करोड़ होता है। फारेन एक्सचेंज की हानि होती, जो खाद्यान्न के आयात के कारण खर्च होता है, उसकी बचत ९७.११ करोड़ होती है। लेकिन रामगंगा कैनाल योजना की बात कह दी, सरजू प्रोजेक्ट जो था ....

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सारदा सहायक का कहा है, ९९ करोड़ ६१ लाख का खर्चा होगा। १९ जिले लाभान्वित होंगे।

श्री कल्यान सिंह—

या तो सिंचाई मंत्री भूल कर रहे हैं या मैं कहने में भूल कर रहा हूं। यह नहीं कहा है कि इस साल कितना रुपया खर्च किया है। वह तो पिछली सरकार ने मंजूर किया था। इस बजट में मेरी आंख से ओझल हो गया हो तो मुझे करेक्ट कर दें। इसमें जिक्र नहीं है सारदा प्राजेक्ट का। अभी मेरे भाषण का केवल एक अंग पूरा हुआ है, पानी का अभाव, सिंचाई इत्यादि।

बाढ़ों की स्थिति यह है कि १९५० से १९५६ तक के आंकड़े दे कर बताता हूं। पहले राज्य का नाम है, फिर क्षति लाखों में है और उसके बाद कुल प्रतिशत हानि का। उत्तर प्रदेश १०,६२७ लाख, ३३ प्रतिशत, बिहार—८,८८८ लाख, २७ प्रतिशत, पंजाब—४,७९५ लाख, १५ प्रतिशत, असम—९३,७१९ लाख, १२ प्रतिशत, पश्चिम बंगाल—२,०५३ लाख ७ प्रतिशत, उड़ीसा—१,२६३ लाख, ४ प्रतिशत, आंध्र प्रदेश—६०७ लाख, २ प्रतिशत, अन्य ३४५ लाख १ प्रतिशत। योग ३२,२८९ लाख, १०० प्रतिशत।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कल्यान सिंह जी, बाढ़ का सम्बन्ध रेवेन्यु मिनिस्टर से है।

श्री कल्यान सिंह—

सिंचाई मंत्री ने ड्रेनेज सिस्टम कहा है। उसी पर आ रहा हूं। पहले पानी की बात कर लेने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

लम्बी भूमिका में न जायं। अगर सुझाव देते चलें तो समय भी ठीक रहेगा और समाप्त भी हो जायगा।

श्री कल्यान सिंह—

मैं दो तिहाई सजेशन्स दे रहा हूं। जुलाई, अगस्त १९६८ में बाढ़ की स्थिति यह रही, उत्तर प्रदेश में २२ जिले प्रभावित हुए—बस्ती, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, देहरादून, शाहजहांपुर, रामपुर, उत्तरकाशी, सीतापुर, खीरी, चमोली तथा कुछ अन्य जिले हैं। इनमें ८ लाख हेक्टर भूमि प्रभावित हुई। ५० हजार मकान गिरे ५५ मनुष्यों तथा २,५०० पशुओं की मृत्यु हुई। १४ करोड़ की क्षति हुई। कुल जनसंख्या २ करोड़ ५० लाख इससे प्रभावित हुई।

इसी प्रकार से एक दूसरी अपने प्रदेश की जो बड़ी विकट समस्या है उसकी ओर मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसका सम्बन्ध भी ड्रेनेज से है। गोबर्द्धन ड्रेन है उसमें कामा झील से पानी निकल कर आता है और उससे हरियाना, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को पानी जाता है। गोबर्द्धन ड्रेन की क्षमता ८४० क्यूजेक से बढ़ा कर १९६७ में २,६०० क्यूजेक की गयी थी लेकिन हरियाना की मांग २०० क्युजेक से बढ़ कर १,६०० क्युजेक और राजस्थान की मांग ६४० क्युजेक से १,००० हो गयी और कुल मिला कर कम से कम वह २,६०० क्युजेक हो गयी। इसके लिये हरियाना से ३५८ लाख रुपया तथा राजस्थान से ९२ लाख रुपया उत्तर प्रदेश को मिलना था। माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कितना पैसा उनको मिला और अगर नहीं मिला है तो क्या वह इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि क्षमता से ज्यादा पानी नहीं लेंगे? ६७ में क्षमता से ज्यादा पानी आ गया तो आगरा और मथुरा जिलों की स्थिति उस समय

भयावह हो गयी जिसके फलस्वरूप ४८,००० एकड़ जमीन जलमग्न हुई १२१.३० लाख रुपये की भूमि जलमग्न हुई।

बाढ़ों के सम्बन्ध में मेरा इसलिये सुझाव है कि एक बाढ़ भविष्यवाणी अनुसन्धानशाला स्थापित की जाय जो बाढ़ के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करे, उसका अध्ययन करे और बताये कि बाढ़ कब आने वाली है? ६७ में बाढ़ से, प्रभावित जिले थे हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, ऐटा, बरेली, बदायूं, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बिजनौर, सीतापुर, हरदोई, खीरी, मुरादाबाद, रायबरेली, उन्नाव, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, बलिया, जौनपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, झांसी, बांदा, हमीरपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बाराबंकी, गोंडा, प्रतापगढ़, नैनीताल, देवरिया तथा बस्ती। इनमें कुल मिला कर १२,४४२ गांव प्रभावित हुए। ७,७५४ गांव जलमग्न हुए। ६१,७७,६४६ एकड़ जमीन प्रभावित हुई। २७,३८,९२२ एकड़ फसल नष्ट हुई। ३६,५८८ व्यक्ति प्रभावित हुए। २१५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। १,१४० पशु मरे। बाढ़ का यह नक्शा है। जब तक हम ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे इन बाढ़ों की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। कामा झील से पानी निकल कर गोबर्द्धन ड्रेन में आता है सरकार को चाहिये जहां से पानी प्रवेश करके उत्तर प्रदेश में आता है वहां पर हम बराबर में एक इंडिपेंडेंट ड्रेन बनायें और एक रेगुलेटर लगायें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

बनाया जा रहा है।

श्री कल्यान सिंह—

अगर बनाया जा रहा है तो सरकार इसके लिये धन्यवाद की पात्र है।

एक बात और है। इस विभाग में एक स्पेशल लैंड एक्वीजीशन आफिसर होता है जो वेतन तथा भत्ता तो सिंचाई विभाग से पाता है लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल में रेवेन्यू विभाग के होता है। इससे एक्वीजीशन के मामले में देर होती है। जब सारा उसके मेन्टीनेन्स का खर्चा सिंचाई विभाग देता है तो उसको रेवेन्यू विभाग से निकाल कर सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लाना चाहिये ताकि एक्वीजीशन के मामले में विलम्ब न हो।

यह भी माननीय मंत्री ने जिक्र किया कि कैनाल कानून तथा इरीगेशन मैनुअल में वह संशोधन करने जा रहे हैं, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस तरह से मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यदि यहां पर इस समय मुख्य मंत्री होते तो मैं कहता कि जिस तरह से उन्होंने फाइनेन्स से बिक्री कर को अलग कर दिया है उसी तरह से मैं चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण के लिये किसी मंत्री की नियुक्ति कर देनी चाहिए जो कि प्रदेश की बाढ़ की समस्याओं को देखे उन पर विचार करे और सरकार को अपने सुझाव दे कि बाढ़ से जो क्षति होती है वह कैसे दूर की जा सकती है। मान्यवर, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि यदि मैं इस विभाग के अन्दर काम करने वाले कर्मचारियों के बाबत कुछ नहीं कहूंगा तो उनके साथ अन्याय होगा।

आज पतरौल और आपरेटर को जो वेतन मिलता है वह उतना मिलता है जितना कि एक जमादार और माली वगैरह को मिलता है। मैं चाहता हूं कि उनका वेतन अवश्य बढ़ाया जाय। वे चाहते हैं कि उनका वेतन २० रुपया बढ़ा दिया जाय, अमीनों का ३३ रु० वेतन बढ़ाया जाय। सभी जानते हैं कि आज की परिस्थिति में महंगाई को देखते हुये कम वेतन से क्या हो सकता है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा कर उन्हें सुविधायें दी जायं। साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि आपरेटर जो हैं उनके २०—२०

[श्री कल्यान सिंह]

मील के फासले पर तबादले किये जाते हैं उनके साथ ऐसा न किया जाय। मैं चाहता हूं कि आप अवश्य छोटे कर्मचारियों को सजा दें किन्तु जो ५० रुपये वेतन पाता है उसको २०-२० मील के फासले पर ट्रांसफर न करके ५-५ और ६-६ मील के फासले पर उनका तबादला कर दें। अन्त में यह भी उनके बारे में कहना चाहता हूं कि उनको जो छुट्टियां दी जाती हैं तो महीने में जो चार इतवार पड़ते हैं वे ४ छुट्टियां उनको एक साथ दी जायं ताकि वे इन ४ दिनों में अपने घर जा सकें और अपने घरेलू समस्याओं को देख सकें। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे ताज्जुब है कि इस एक घंटे की स्पीच में माननीय कल्यान सिंह जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव में...

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया माइक् में बोलें।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मान्यवर, इस दौरान में जो रवैया कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये माननीय सदस्य का रहा है उसमें तो सिवाय इसके क्या कह सकता हूं कि उन्होंने बड़ी खूबी के साथ आजकल की मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर टीका-टिप्पणी ही की है। उन्होंने अपने व्याख्यान में इस सरकार में जो खामियां हैं उनको बड़ी खुबसूरती के साथ पेश किया है किन्तु उन्होंने यह नहीं सोचा है कि पिछली २० साल की सरकार के कारनामे भी इसी प्रकार के हैं। उन्होंने इस बात को टच तक नहीं किया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर पिछली बातों को देखते हुये और पहले की जजबातों को देखते हुये हमारे सिंचाई मंत्री ने इस तरफ ध्यान दिया है तो आपने उनको वहां भी नहीं बख्शा है। पिछली सरकार के २० साल के अर्से में वक्तन-फवक्तन जो कमियां दिखाई दीं, मौजूदा मंत्री ने उनका नोटिस लेकर कदम उठाने की जुर्रत तो की....।

श्री अधिष्ठाता—

आप मेरे माध्यम से बतायें।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

उन्होंने इतनी जुर्रत तो की कि ३० साल पुरानी खराबी को दूर करने के लिये एक रिवोल्यूशनरी कदम उठाया। भ्रष्ट अधिकारियों की जो आदत हो गयी थी, समुद्र की लहरों से भी जो पैसा बनाने की कोशिश करते थे, कम से कम जनता के सामने उनको जलील तो कर दिया। और उनकी पोल को खोल दिया और जनता के लोगों की वे रेस्पेक्ट तो करने लगे। लेकिन आपने उनको भी न सराहा, उसको आपने बदशाहत कहा, दीवाने आम कहा, मुगलशाही कहा, दरबार खास कहा, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि यह उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी कदम उठाया। आपने अपने अखबारों में उसके ऊपर कीचड़ उछाली और बुरा भला कहा। जब कि आपको उसका स्वागत करना चाहिये था कि २० साल के बाद एक आदमी ने इतनी जुर्रत तो की, जनता के बीच में जाकर उसको फेस करने कीकोशिश तो की, आफीसरों की ब्लेकमेलिंग को सामने तो लाया। मैं, मान्यवर, इसके सिवाय और क्या कह सकता हूं। सिरत माने होता है अक्लमंदी और जुनून माने होता है पागलपन। 'जुनूं को खिर्द करें, खिर्द को जुनून करें, जो चाहें करें आप अहले

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खिदं करें।' आप किसी भी चीज को जिधर चाहें मोड़ दें सकते हैं। आप साहिबे अक्ल हैं, साहिबे फेम हैं, साहिबे औलाद हैं, साहिबे जराये हैं, आप चाहें जो कर सकते हैं। आप खुद ही सोचें आप जो जो शिकायत कर रहे हैं, उसी पर आप कुल्हाड़ा भी मार रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप मेरे माध्यम से बातें करें।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मैं आपके ही माध्यम से उनसे कह रहा हूं। आप तमाम अहले अक्ल हैं, जिधर चाहें मोड़ दे सकते हैं। लेकिन आपके कुछ भी कहने से जो असलियत है वह छिप नहीं सकती, रोशनी किसी भी तरह से छिप नहीं सकती। कल्याण सिंह जी ने अगर ध्यान से देखा होता तो बजट में ५—७ चीजें कम से कम ऐसी हैं जो वाकई काबिले तारीफ हैं।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

माननीय सदस्य ने यह कहा कि इसका नाम पागलपन है। क्या किसी मेम्बर के बारे में यह कहना कि इसका नाम पागलपन है, संसदीय है?

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मान्यवर, मैंने कहा कि जुनून को पागलपन कहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने किसी सदस्य के लिये नहीं कहा, जुनून शब्द के लिये कहा।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

यह कुछ भी कह सकते हैं, इनको सब कुछ क्षम्य है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मैं आपका स्वागत करता हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने जो प्रान्ट पेश की है उसमें कितने ही रिवोल्यूशनरी कदम हैं जिनके लिये मंत्री जी को दाद दी जानी चाहिये थी और जो सही सुझाव हैं वह आने चाहिये और उनको मंत्री जी को मानना भी चाहिये। कुछ कमियों और सुझावों को मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं।

इस बजट में मुकदमों को जल्द खत्म करने के लिये नजदीक से नजदीक जगहों पर लगाये जाने के तेजी से आदेश दिये गये हैं। यह एक ऐसा कदम है जिसका स्वागत किया जाना चाहिये। इसके अलावा पटरी के लिये मामूली सी फीस चार्ज करने के बाद लोगों को आमदरफ्त की इजाजत दे दी गयी है, यह भी ऐसा कदम है, जिसके लिये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया है....।

इसी तरीके से मंत्री जी ने जो भी इसके अन्दर प्लान रखी है, आप बता रहे हैं कि हमारे जिले के हैं, रामगंगा, गंडक, शारदा और सरयू, इनको वे पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमको तो यह शिकायत है कि हमारे जिले के होते हुये भी मंत्री जी वहां पर जो जमुना केनाल है उसका दो हिस्सा पानी हरियाणा में जाता है और एक हिस्सा हमारी तरफ आता है। आज से १६ साल पहले, १९५४ में १२ करोड़ रुपये उस जमुना केनाल के माउंड को ठीक करने के लिये मंजूर किये गये

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

थे लेकिन वह रुपया लैप्स हो गया और आज तक जमुना कैनाल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह से वहां माउंड तैयार किया है कि उस का ३/४ पानी हरियाणा ले जाता है और हमारे काश्तकार पानी के लिये तरसते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह हिन्दुस्तान की सबसे ज्यादा आमदनी वाली नहर है। हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसी नहर नहीं है जिसकी आमदनी इतने छोटे रकबे में बह कर इतनी ज्यादा हो। लेकिन इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें हमारी तरफ भी नजर करनी चाहिये। अरबों रुपया दूसरी परियोजनाओं पर खर्च कर रहे हैं। अगर वह उसको ठीक करा कर हमारे ऊपर भी टैक्स बढ़ा कर बतौर चन्दे के वसूल कर लें तो हम उनको दे सकते हैं लेकिन पानी की कमी की वजह से जितना नुकसान देश, प्रदेश और इस डिपार्टमेंट का हो रहा है और जितनी तबाही वहां के काश्तकारों की हो रही है उसका अन्दाजा आप लगा नहीं सकते, लेकिन शायद आपके (श्री अधिष्ठाता) खौफ की वजह से वह इस प्वाइंट को टच नहीं कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा खौफ नहीं, किसी और का खौफ होगा अगर होगा तो।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

इसके अलावा एक बात मुझे और कहनी है कि इस वक्त हरियाणा प्रान्त में जमुना के ऊपर कामलाह गांव के सामने एक इतना बड़ा पक्का बन्ध बांध दिया है कि जिसकी वजह से जमुना का पूरा बहाव उत्तर प्रदेश की तरफ हो गया है और २० मील के एरिया के १६ गांव खतरे में आ गये हैं। थोड़ी सी बारिश में जो दो, चार दिन पहले हुई जमुना के बहाव की वजह से उत्तर प्रदेश की काफी ज्यादा जमीन कटना शुरू हो गयी है और यह तमाम जमीन हरियाणा की तरफ जा रही है। अगर हमारे फ्लड डिपार्टमेंट ने, जिसके इंचार्ज मंत्रीजी हैं, कोई फौरी तवज्जह इस तरफ नहीं की और अगर अपने इंजीनियर्स भेजकर जो उसका मुआयना करके कोई इमदादी तरीका, उस बांध के जवाब में कोई कदम नहीं उठाया तो मेरा ऐसा ख्याल है कि जिस वक्त जमुनामें बाढ़ आयगी ये १२--१४ गांव सफे हस्ती से मिट जायेंगे और उनकी जमीन गर्कबूद हो जायगी। पिछले दिनों एक डेपुटेशन वहां के लोगों का मंत्री जी की सेवा में उपस्थित भी हुआ था, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे इंजीनियर्स और स्टाफ के लोग उस तरह कोई तवज्जह नहीं देते। मैं कम से कम मंत्री जी से आपके माध्यम से दरखास्त करूंगा कि वह कैबिनेट के सामने इस मसले को तुरंत लाएं और इसका कोई हल सोचें वरना हमारी हजारों एकड़ जमीन हरियाणा में कटकर चली जायगी। पहले ही हजारों एकड़ जमीन जा चुकी है और उसके ऊपर यह हमें जाने नहीं देते। आज वहां के बाशिन्दे मारे-मारे फिरते हैं और उनके खेतों और मकानों को बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया है।

दूसरे मुझे मंत्री जी से यह भी निवेदन करना है कि जो तावान का मसला है इसमें काश्तकार के ऊपर बड़ी तबाही आती है। एग्जीक्युटिव इंजीनियर घर बैठ कर असेसमेन्ट कर देते हैं और जो लोग बिलकुल बेगुनाह होते हैं उनके साथ ज्यादती हो जाती है। मंत्री जी बजात खुद एक काश्तकार के बेटे होने के नाते इन तमाम चीजों को जानते हैं। इसलिये मुझे उम्मीद है कि वह इसके बारे में कोई सही कदम उठायेंगे।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो तरीके से काम चलता है। एक दयानतदारी से और एक कारदारी से। दयानतदारी का मतलब ईमानदारी और कारदारी का मतलब यह है कि लोग यह जानते हों कि कार्य किस तरह से किया जाता है। हमारे पिछले तजुर्बों से यह साबित होता है कि हमारे यहां जो रिक्रूटमेंट होता है उसके अन्दर एक्सपर्ट नहीं बैठाए

जाते जिसकी वजह से काम में दिक्कत होती है। अब दोनो बातें सामने आ गई है हैं। उसमें ईमानदारी भी है, खुलूस भी है और चाहते भी हैं कि हम किस तरीके से इन कामों को पूरा कर सकें। इसलिये मैं इस छोटे टाइम के अन्दर इन मांगों का समर्थन करते हुए मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारी उन समस्याओं की तरफ तवज्जह दें और हम लोगों को भी उससे मुस्तफीद करें।

श्री निहाला सिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने इस कटौती के प्रस्तावों पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आज इस सिंचाई के बजट पर कटौती का प्रस्ताव जो माननीय कल्याण सिंह जी ने रखा उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, अपना प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। ८० फीसदी जनता कृषि पर आश्रित है और कृषि के लिये मुख्यतः पानी, बीज, आधुनिक यंत्र और खाद विशेष उपयोगी चीजें हैं जिनके द्वारा ही कृषि का विकास हो सकता है और कृषि का विकास होने के नाते ही जनता का विकास होता है और तभी प्रदेश का विकास संभव है। चारों चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी है। शेष तीन चीजें तो अगर किसान को न भी मिलें तो कुछ न कुछ अन्नोत्पादन हो जायगा लेकिन अगर पानी नहीं है तो कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। ऐसी दशा में सरकार को विशेष ध्यान पानी पर देना चाहिये। आज हमको २२ साल आजाद हुए हो गये हैं। जिन गांवों को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो गई वह ठीक है। जिनको न द्वितीय में हुई, (इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) न तृतीय में हुई और आज चौथी में भी जिनको नहीं पानी मिलने वाला है वह आखिर कब तक इन्तजार करेंगे। इस पर विशेष रूप से सरकर को ध्यान देना है। किसान मिटता जा रहा है। आज ३—३ साल से जिन गांव में नलकूप नहीं, नहरी पानी और, लिफ्ट की सुविधा नहीं थी आज उनमें आप जाएं तो किसानों के घर में औरतों के शरीर पर कोई जेवर नहीं मिलेगा। सब जेवर बिक गया अन्न और चारे खरीदने में और अगर आज भी पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो कब तक वह इन्तजार करेंगे और इस आजादी का सुख उनको क्या मिलेगा ?

मान्यवर, , अपने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार इसके चार हिस्से हैं। पहला तो पहाड़ी एरिया, दूसरे बुन्देलखण्ड, तीसरा पूर्व और चौथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रश्न है सचमुच वहां पहले से सुविधायें प्राप्त होने के नाते उनका विकास हो चुका पर उनके मुकाबले में अन्य हिस्से के लोग बहुत पीछे पड़े हैं।

मान्यवर, मैं विशेष रूप से पूर्वी जिले का रहने वाला हूं और पूर्व प्रदेश की हालत इतनी दयनीय होती जा रही है कि पानी न मिलने से किसान तबाह हो रहा है। वहां की हालत दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक तो नहरी एरिया है और कुछ लिफ्ट एरिया है और दूसरा नलकूप एरिया है। नहरी एरिया में बन्धे हैं। अगर उन नदियों में बारिश का पानी आये तो वह इकट्ठा होता है और तभी किसानों को मिल पाता है, लेकिन सूखा पड़ जाने के कारण उन बन्धियों में पानी नहीं आता है और नहर का पानी भी किसान को नहीं मिलता है तो उसको परेशानी होती है। इस दिशा में मेरा सुझाव है कि जहां तक संभव हो सके गंगा नदी के किनारे से उन नहरों में पानी लिफ्ट से पहुंचाया जा सके तो सूखा पड़ने पर ये सहायक हो सकती हैं। नहरों की टेल भी इतनी दूर बना दी गई है कि वहां भी पानी नहीं पहुंचता है। उनको गंगा नदी से पानी देने में सुविधा होगी। नलकूप जिन-जिन गांवों में लगे हैं उनकी हालत कुछ सुधरी है, लेकिन जहां पर नहीं लग पाये हैं वहां की हालत बड़ी खराब है। थोड़े से नलकूप प्रति वर्ष बना देने से किसान मिटता जा रहा है। हम ऐसा क्यों न करें, जैसे कि एक बार

[श्री निहालसिंह]

विश्व बैंक योजना आई थी। उसमें एटा और वाराणसी को लिया गया था, लेकिन संविद सरकार के आ जाने से वाराणसी काट दिया गया, लेकिन एटा है। वह विश्व बैंक योजना क्यों नहीं लागू की जाती जिससे किसानों को जल्दी से जल्दी पानी की सुविधा मिल जाय ?

बुन्देलखण्ड की समस्या के बारे में और भी भाई कहेंगे वहां की समस्या दूसरी तरह की है। पहाड़ी एरिया की दूसरी होगी। इन विशेष परिस्थितियों में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां जिस प्रकार सुविधा पहुंचाई जा सकती है वह पहुंचाई जाय। मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूर्वी प्रदेश की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, बड़ी भेदभाव की नीति बरती जा रही है। जो भी विकास की चीजें हैं, जो भी विकास की योजनायें ऊपर से आती हैं, वे पूर्वी क्षेत्र में नहीं जा पाती हैं। इसका नतीजा क्या होगा ? आज आप शासन में हैं, चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन आप सोचें कि आज हल्ला मचा कि बंगाल में नक्सलवादियों का आतंक बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी नक्सलवादी आ गये हैं और बिहार में भी आ गये हैं। यह सोचना कि कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण नक्सलवादी आ गये। यह आप देखेंगे कि वहां के भेदभाव के कारण नक्सलवादी पैदा हो गये हैं। वह कहते हैं कि मारेंगे या मिट जायेंगे यह उनकी नीति। जिन्दा रह कर क्या करेंगे जब भरपेट भोजन नहीं मिलेगा। आप शासन में रह कर भेदभाव की नीति बरत रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ? नतीजा यह होगा कि सारा पूर्वी उत्तर प्रदेश नक्सलपन्थी हो जायगा। इस पर आप गौर करें और भेदभाव की नीति छोड़ दें यही मेरी प्रार्थना है।

मैं नलकूपों के बारे में भी कुछ बतलाऊंगा। नलकूपों में जितने आपरेटर काम करते हैं सभी अपने अपने घरों पर रहते हैं। कोई नलकूप पर नहीं रहता है। वह गांव के किसी आदमी को कुंजी दे देते हैं जो पानी पिया करते हैं और वह घर चले जाते हैं। इससे नुकसान होते हैं। पहली खराबी तो यह है कि जो गरीब किसान हैं उनको अधिक पैसा देना पड़ता है और जो बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर पैसा कम डाला जाता है। दूसरा नुकसान यह होता है कि गांव वालों के चलाने से मोटर जल जाते हैं क्योंकि उनको मशीन की पूरी जानकारी नहीं रहती है। तो मेरा निवेदन है कि अगर आपरेटर मौजूद रहें तो मोटर का तो नुकसान हो और छोटे-मोटे किसानों को जो नुकसान उठाना पड़ता है उससे वह भी बच जाएं। दूसरी बात मैं यह भी अर्ज कर दूं कि एक ऐसे भी आपरेटर हैं जो राजनीति में भी हिस्सा लेते हैं और उनके साथ नेता लोग भी कदम उठाते हैं। मिसाल के तौर पर वाराणसी का दृष्टांत रखूंगा। एक आपरेटर जिनको हमारे एक नेता निकलवा देना चाहते थे।

उन्होंने इंजीनियर को लिखकर दिया कि इसको निकाल दो नहीं तो चौधरी साहब मुझे बहुत मानते हैं और हम तुमको निकला देंगे। इंजीनियर डर गया और उस आपरेटर के खिलाफ दरख्वास्त बनाई गई और नलकूप मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी के लिये दी गई। नलकूप मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट दी कि इसकी कोई गलती नहीं है। इस पर दूसरा कदम उठाया गया कि हमको ट्रांसफर आदेश दिया गया और तुमने पालन नहीं किया इसलिये तुम टरमिनेट किये जाते हो। अब सोचिये १६ साल की उसकी सर्विस, कोई चरित्र पंजिका में खराबी नहीं और आज चौधरी साहब के नाम पर १५ साल की सर्विस के बाद निकाल दिया गया। मैं कहता हूं कि चौधरी साहब को उसकी जानकारी नहीं है लेकिन उनको इसकी जानकारी करनी चाहिये कि उनके नाम पर कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसका सारा कलंक उनके सर पर आ रहा है। जहां तक पहाड़ी जिलों का सवाल है। टिहरी गढ़वाल में कीर्तिनगर के पास एक चौरस है। वहां पर लिफ्ट इरीगेशन चालू किया जाना चाहिये क्योंकि वहां ६ सौ एकड़ जमीन है जो पहाड़ के लिये काफी अहमियत रखती है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है एक दूसरे पर हर व्यक्ति लांछन लगाने की कोशिश करता है। हमारे शर्मा जी ने लांछन लगाया। मैंने आपकी बात मानली कि सभी विरोधी दल वाले गलत हैं लेकिन आप क्या करके दिखला रहे हैं। आपने शेर सुनाया। मैं भी एक में शेर का जवाब देता हूं "यह माना कि हम बुरे हैं फिर भी उन अच्छों से हम अच्छे हैं जो अपने आप को हर शख्स से अच्छा समझते हैं"। एक दूसरी की टीका-टिप्पणी क्या करें? आज आप उधर हैं कल हो सकता है आप इधर आवें और हम उधर जाएं लेकिन अगर यह कह दें कि अब तक सरकार ने क्या किया। तो आप भी तो थे सरकार में और चौधरी सयहब भी थे। तो अगर प्रान्त का विकास नहीं हुआ तो क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं? चौधरी साहब खुद जिम्मेदार हैं जो शुरू से मुख्य विभाग संभाले रहे हैं। तो इन बातों के साथ मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि यह टीका-टिप्पणी से कोई काम चलना नहीं है। आप दिखलाइए। जैसे कोई डाक्टर दवा बेचता है और बेचते-बेचते उसकी दवाएं पुरानी हो जाती है तो रोगी या खरीदार उसके पास जाता नहीं है तो वह दूसरा पेंच निकाल लेता है कि किसी मशहूर कारखाने का लेबिल लगा दिया तो फिर दवा बिकेगी। इस तरह से आप स्वच्छ प्रशासन और राष्ट्रीयकरण और समाजवाद ये तीन नये ट्रेड मार्क लेबिल लेकर मैदान में आये हैं। इस पर लोग कितने दिन टिकेंगे? आपने कोई ठोस काम नहीं किया।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का नारा लगाया। क्या हुआ? गरीब को कितना पैसा कारोबार करने के लिये मिला? जनता अब इन बातों में नहीं फंसेगी। मान्यवर, वैज्ञानिक संस्थान की रिपोर्ट है कि १९६३ में भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी सालाना ६००रु० थी, पाकिस्तान की ६१५ रु०, जापान की ४,३९२ रु० और अमेरिका की १९,२१५ रु० थी। उसकी रिपोर्ट है कि प्रतिवर्ष प्रति आदमी १.६ प्रतिशत आमदनी बढ़ती है। हम १.६ के हिसाब से बढ़ते हैं। तो १९६३ में अमेरिका जहां था, वहां तक पहुंचने के लिये हमको २१८ वर्ष लग जायेंगे। २१८ वर्षों तक कौन किसान सब्र रखकर इन्तजार करेगा? जब तक इन महलों और झोपड़ियों का अन्तर नहीं मिटता, तब तक जनता आपको चैन से नहीं बैठने देगी। आप सोचें कि १० बिस्वा जमीन देने से उसकी गरीबी मिट जायेगी। आपने यह नारा लगा दिया कि भूमिहीनों को मुफ्त जमीन दी जा रही है। मैं पूछता हूं कि कहां दी जा रही है? अगर दी भी जा रही है तो वह जमीन दी जा रही है जो बन्जर है, ऊसर है। उसमें इतनी शक्ति कहां है कि उस जमीन को उपजाऊ बना सके? वह गरीब तो उसी में मिट जायगा। आपका यह भी सोचना है कि जब तक आप खेती के साथ-साथ इन्डस्ट्री नहीं खोलते हैं, उद्योग में उसकी सहायता नहीं करते हैं, तब तक आमदनी नहीं बढ़ सकती है। यह बातें गौर करने की हैं।

मैं अपको मिर्जापुर के बारे में बतलाऊं, मिर्जापुर पूर्वी जिले का सबसे बड़ा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। मिर्जापुर का पानी बिहार में पहुंचे, बनारस में पहुंचे, गाजीपुर में पहुंचे तथा दूसरे हिस्सों में पहुंचे, लेकिन मिर्जापुर को ही न मिले, इससे बड़ी दुख की बात कौन सी होगी? मिर्जापुर की बिजली प्रान्त के दूसरे हिस्सों को मिलती है, लेकिन मिर्जापुर को ही नहीं मिलती। यह तो चिराग तले अंधेरा वाली कहावत हुई। सबको रोशनी, पानी दें, लेकिन अपना अंधेरे में रहे, उसको पीने के लिये पानी भी न मिले—यह कैसी विडम्बना है? आपकी योजनायें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी लेकिन लोग कब तक उसका इन्तजार करते रहेंगे? जब यह सरकार आई तो इसने नारा दिया "किसान के बेटे" का। मैं पूछता हूं कि 'किसान के बेटे' ने किसानों को कितना पानी दिया। इंजीनियर, सेक्रेटरी और अफसरों की टीका टिप्पणी से पानी नहीं मिल जायगा, केवल योजनायें बनाने से पानी नहीं मिल जायगा। आज किसानों का लगान माफ किया जा रहा है। किसान कहता है कि हमसे लगान और ले लीजिए लेकिन हमको पानी

[श्री निहाला सिंह]

तुरन्त दीजिए। हम तो हमेशा अच्छी बातें बताते आए हैं और यदि विरोधियों की वही बातें सामने आती हैं तो उस पर मनन करना चाहिये और गौर करना चाहये। अगर आप उल्टी बातें करेंगे तो आप मिट जायेंगे और हम जिन्दा रहेंगे।

एक शिकायत यह है कि नलकूप में पानी कम होता जा रहा है और सिंचाई के रेट बढ़ता जा रहा है, जब कि सिंचाई के रेट कम होने चाहिये। आज किसान परेशान है उसको राहत देनी चाहिये। हो रहा है इसका उल्टा। बजाय रहात देने के रेट बढ़ाया जा रहा है और ट्यूब-वेल में पानी कम हो रहा है——घटता जा रहा है। इस पर भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसान ही के ऊपर हम जीवित हैं, किसान ही हमारा अन्नदाता है। हर आदमी चाहे वह किसानी न भी करता हो, फिर भी वह किसान द्वारा उत्पन्न किये हुए अन्न खाकर जिन्दा रहता है। तो इस तरह से किसान हमारा अन्नदाता हुआ। लेकिन आज किसान को हम कितनी हेय दृष्टि से देखते हैं। यह व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं है। उनके प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिये और उनका सम्मान बढ़ाया जाना चाहिये। हमें चाहिये कि उनको सुविधा दें और राहत पहुंचाएं। अगर आज किसी उद्योग पति की कोई मिल फेल हो जाती है तो सरकार उसको छूट देती है, उसको राहत देती है। आज कई लाख रुपया चीनी मिलों पर बकाया है, लेकिन उनसे वसूल नहीं किया जा सका। एक रुपया लगान या खाद का किसान पर बाकी है तो कहते हैं कि सीधे हवालात में बन्द कर दो वारंट निकाल कर। किसान अशिक्षित है, पिछड़ा हुआ है। लेकिन जिस दिन वह शिक्षित होकर समाज के बराबर आ जायगा उस दिन आपका तख्त हिला देगा। एक रुपये के लिये वह जेल काटे और ५० लाख जो हजम करके बैठा हो उसके नजदीक कोई न जाय, यह आपका न्याय है ? तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस पर विशेष ध्यान दें।

श्री राम लगन दुबे (जिला गोरखपुर)——

माननीय उपयध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सिंचाई की समस्या किसान के सामने कितनी बड़ी है इसके बारे में कई भाइयों ने बताया। सचमुच कृषि का उत्पादन पानी के बगैर किसी तरह नहीं बढ़ सकता। दूसरी आवश्यकताएं बीज-खाद आदि की पूरी कर भी दी जाएं और पानी न हो तो भी किसान खेती का उत्पादन नहीं बढ़ा सकता। खेत को पानी पहुंचाना सबसे पहली आवश्यकता है। पानी के बगैर खेत में खड़ी फसल बरबाद हो जाती है और किसान अपनी असमर्थता की स्थिति में रोता फिरता है, पानी नहीं पाता है।

मान्यवर, मैं अपने गोरखपुर जिले के उत्तरी हिस्से की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस जिले के पड़ोस में एक बहुत बड़ी गण्डक की योजना चल रही है। जितनी जमीन गोरखपुर जिले की उस योजना के निर्माण के लिये ली गई है उसके हिसाब से देखें तो उतनी जमीन भी शायद वहां की नहीं सींची जायेगी। उस योजना से हमारे जिले को उतना फायदा नहीं है जितना की दूसरे प्रदेश बिहार को है। श्रीमन्, इस गण्डक योजना के बगल में ही गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील का कुछ हिस्सा सिंचाई के लिये प्रस्तावित था जिसमें फरेंदा तहसील का उत्तरी हिस्सा पड़ता है जिसका एरिया करीब १०-१२ हजार वर्ग मील का है। उसमें गण्डक योजना से फरेंदा माइनर और महेशपुर माइनर के निर्माण की योजना थी लेकिन बाद में पता चला कि किसी कारण से वह विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई। श्रीमन्, आज २०-२२ वर्ष बीत गये, उस क्षेत्र में किसी तरह की कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। छोटी-छोटी पहाड़ी नदियां हैं, जो बरसात के दिनों में खेतों को पानी से भर देती है और खेती बरबाद करती है। गर्मी के दिनों में बालू के सिवाय पानी उनमें नजर नहीं आता है।

एक सीमित क्षेत्र में छोटी सी नहर डन्डा और रोहिन के नाम से बनाई गयी थीं जो खेती के समय कभी पानी नहीं दे पाती हैं। विभाग के रिकार्ड से मालूम हो जायगा कि ये नहरें सिंचाई

के लिये पानी देने में असमर्थ हैं। कारण यह है कि जिस वक्त किसान को पानी की जरूरत पड़ती है ठीक उसी समय राज्य नेपाल में भी पानी की आवश्यकता होती है। पूरा एरिया नेपाल से लगा हुआ है, नेपाल के किसान बांध लगाकर तमाम पानी को रोक लेते हैं और हमारे किसानों को पानी नहीं मिलता है जबकि लगान उनसे पूरा लिया जाता है। किसान एक मर्तबा भी सिंचाई कर लेता है तो उससे पूरा लगान लिया जाता है। लेकिन पानी कभी भी विभाग दे नहीं पाता।

और न वह पानी देने के लिये समर्थ है। ऐसी दशा में या तो काफी पूर्व स्वीकृत गंडक योजना के माइनर का निर्माण करके उसके माध्यम से नई नहरों में पानी लाने की व्यवस्था की जावे या बड़े नलकूप बनाकर इन नहरों को इस स्थिति में ले आयें कि वह पानी दे सकें वरना इन नहरों की उपयोगिता उस क्षेत्र के लिये नहीं के बराबर है। विभाग स्वयं वहां नोटिस दे देता है कि हमारे पास पानी नहीं हैं। एक मर्तबा भी अगर किसानों ने सिंचाई की है तो रा लगान उनसे वसूल किया जाता है। कई वर्षों से उस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था के लिये मांग चली आ रही है।

पहले तो नहर की बात विभाग बतलाता था बाद में जवाब दे दिया कि वहां पर केवल नलकूप ही लगाये जा सकते हैं। पर आज तक एक भी व्यवस्था नहीं की जा सकी है। इस क्षेत्र में छोटे-छोटे किसान हैं जो अपने निजी नलकूप भी नहीं लगा सकते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें निजी नलकूप लगाने की सम्भावनाएं समाप्त हो गई हैं। विकास खंड के माध्यम से माइनर सिंचाई विभाग की सहायता से छोटे नलकूप लगाये जा रहे हैं उनमें बहुत से किसानों ने कर्जा लेकर नलकूप लगाने का प्रयास किया लेकिन वह नाकामयाब रह गये। अन्त में इंजीनियरों ने लिखकर दे दिया कि माइनर इर्रीगेशन के जो साधन हैं, जो बोरिंग करने के उपकरण हैं उनसे क्षेत्र में बोरिंग होने की सम्भावना नहीं है। उसके बाद अब कौन सा तरीका रह जाता है जो किसान कर्जा लेकर बोरिंग कराने का प्रयास करे। आखिर उन किसानों को सिंचाई की सुविधा किस तरह से प्रदान की जा सकेगी? इनके जीवन का काम कैसे चले यह अहम प्रश्न है। इसके लिये शासन का ध्यान आकर्षित किया था जिसमें यह भी बतलाया कि नेपाल क्षेत्र में तमाम नलकूप बड़े जोर के साथ लगाये जा रहे हैं। वे भारत सरकार की सहायता से लगाये जा रहे हैं और दूसरी सरकारों की सहायता से लगाये जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र से लगे हुये क्षेत्र में नलकूप लगे हैं।

इस प्रकार सीमा पर नेपाल राज में लगाए जाने वाले तमाम नलकूप आर्टिजन बनते चले जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार प्रयास करे और उस तराई की एरिया में नलकूप लगाने का प्रयत्न करे तो यहां भी आर्टिजन वेल काफी तादाद में बन सकते हैं। वह एरिया असिंचित है और वहां पर सिंचाई के साधन न होने से बहुत परेशानी है। अगर वहां नलकूप बनाये जांय तो वह कामयाब हो सकते हैं। पिछड़े हुये किसानों को उत्पादन बढ़ाने का मौका मिलेगा। सम्पूर्ण क्षेत्र में सिंचाई के कोई साधन नहीं है जिसके सहारे किसान कृषि उत्पादन बढ़ा सकें तथा अपनी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ला सकें। तराई क्षेत्र के इस विशाल क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की सुविधा से वंचित रखना या लगातार उनकी उपेक्षा करना किसी तरह से भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। इस स्थिति को लेकर उस क्षेत्र में कितना असन्तोष और कितनी भयावह स्थिति बनती जा रही है इसका मूल्यांकन केवल वहां की जानकारी करके ही किया जा सकता है। यहां रोहित नदी की एक छोटी सी कैनाल है। इससे सिंचाई नहीं होती है। परताल की कोई सूचना सम्बन्धित किसानों को नहीं दी जाती है। साल भर के बाद जब वसूली होती है और असीन पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि बिना सिंचाई के ही उनसे वसूली की जा रही है। दौड़ धूप के बाद भी किसी को भी संरक्षण नहीं मिल पाता है। काफी पूर्व एक दफा जिलाधीश, गोरखपुर ने इसकी जांच कराई थी जिससे पता चला कि तमाम इस तरह की

[श्री रामलखन दुबे]

गलती हर साल हो रही है। फिर भी विभाग द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। परताल के समय परताल की सूचना सम्बद्ध किसानों को देने की आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे किसानों को एतराज कर गलत परताल को ठीक कराने का अवसर मिल सके।

निजी नलकूपों की सुविधाओं का जहां तक सम्बन्ध है, इनके कनेक्शन देने के लिये लाइन में जो छूट दी गयी है, चूंकि इसका सम्बन्ध भी सिंचाई से ही है इसलिये उसका जिक्र भी यहीं पर कर देना चाहता हूं। इस किताब में बतलाया गया है कि १० हार्स पावर के लिये ४ फर्लांग, साढ़े ७ हार्स पावर के लिये ३ फर्लांग और ५ हार्स पावर के लिये २ फर्लांग तक लाइन लगाने की छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार के सैकड़ों निजी नलकूपों के आवेदन-पत्र बिजली विभाग के पास पड़े हुए हैं लेकिन बिजली विभाग उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। विभागीय अधिकारियों का कहना यह है कि प्रदेश के विभागीय आदेश के अनुसार लाइन की छूट और ट्रांसफारमर की कीमत दोनों को मिलाकर किसी भी हालत में ६ हजार से अधिक का खर्च नहीं होगा। जब केवल एक ट्रांसफारमर की ही कीमत ४–५ हजार रुपये होती है तो छूट की लाइन का क्या अर्थ है। इस तरह के परस्पर विरोधी आदेश से छूट की जो मंशा है वही समाप्त हो जाती है। इसलिये इसके लिये भी साफ आदेश हो और साफ व्यवस्था की जानी चाहिये वस्तुस्थिति क्या है। नलकूपों की दूरी के लिये जो छूट है उसमें ट्रांसफारमर की कीमत को शामिल करना किसी तरह से भी उपयुक्त नहीं है बल्कि साफतौर पर छूट के नाम धोखा है। इसको देखकर विभाग के द्वारा साफ-साफ आदेश दिया जाना चाहिये।

मैं अपने क्षेत्र में नलकूपों की सम्भावनाओं के सिलसिले में भी कुछ बतलाना चाहता हूं। आज से करीब ३० वर्ष पहले मिलिटरी डिपार्टमेंट ने नौतनवां टाउन एरिया में गोरखा रिक्रूटिंग सेन्टर के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करने के खयाल से एक नलकूप की बोरिंग करायी जो आर्टिजन हो गया। वहां पक्की नालियां हैं। नौतनवां टाउन एरिया ने फिर वहीं वाटर सप्लाई के लिये एक दूसरे नलकूप की बोरिंग दो बजे पूर्व कराया वह भी आर्टीजन बन गया अगर सरकार उस क्षेत्र की तरफ ध्यान देकर नलकूपों की बोरिंग करा दे तो उस पिछड़े क्षेत्र के किसानों को काफी संरक्षण मिलेगा और उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में भी उनको काफी बल मिल सकेगा और किसान सुखी हो सकेंगे। इसी तरह से वहां पर एक महाव नदी है जो प्राकृतिक तौर पर नहर है और वह नदी जमीन के लेविल पर बहती है। बरसात में अव्यवस्था होने की वजह से नदी पूरी खेती को खराब करती है। सरकार ने भी २७ मई को मेरे प्रश्नों के जवाब में स्वीकार किया है कि उस नदी की वजह से ५–७ हजार एकड़ खेत बर्बाद हो जाते हैं। बहुत पहले से बाढ़ के सिलसिले में बाढ़ विभाग के द्वारा कुछ संरक्षण कार्य इस नदी पर बांध बनाकर किया भी गया था तथा नदी के किनारे मिट्टी भी हलवाई गई थी। लेकिन हर साल नदी का किनारा टूट जाता है जिससे खेती बरबाद हो जाती है। गर्मी के दिनों में किसान कभी-कभी बंधा बना कर पानी को रोक लेते हैं और किनारा काट कर अपने खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। इसके लिये किसानों की यह मांग रही है कि इस नदी के दोनों किनारे पर बांध बनवाने की व्यवस्था की जाय और रेगुलेटर टाइप पुल की व्यवस्था की जाय जिससे बरसात का पानी निकाला जा सके और उसके बाद बांध के जरिये पानी रोक कर उसे सिंचाई के काम में लाया जा सके। जिसके लिये गोरखपुर ट्यूबवेल डिवीजन के द्वारा सर्वे करके प्रदेश स्तर के अधिकारियों के पास स्वीकृति के लिये सुझाव प्रस्तुत है।

इसके अलावा तीन चार नदियां और हैं, रोहित, बसमनियां आदि। इसके सिलसिले में मांग की गयी है कि बरसात के दिनों में जिस गांव की आबादी प्रभावित है वहां बांध बनाने की व्यवस्था की जाय। गांव सभा, दशरथपुर का एक टोला है जो टूटकर नदी में चला गया है और गांव दो भागों में विभक्त हो गया है जिससे किसान वहां रह कर खेती करने में भी असमर्थ हैं। अगर इसकी उचित व्यवस्था की जाय तो हजारों एकड़ की खेती के साथ-साथ आबादी

को भी संरक्षण मिल सकेगा। इसके लिये भी गोरखपुर टयूबवेल डिवीजन की ओर से सर्वे करके वांछित व्यवस्था के लिए, शासन के समक्ष सुझाव प्रस्तुत है। स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिये।

काफी पहले उस क्षेत्र में श्रीनगर डेम के नाम से सिंचाई विभाग की एक योजना वहां के लिये बनी थी। बांध का निर्माण इस खयाल से हुआ कि वर्षाकाल में बरसाती पानी से फसल को संरक्षण के मिले तथा सिंचाई भी हो सके। पर हुवा उलटा, वर्षा काल में खरीफ की फसल तो डूब ही जाती है, रबी में भी सिंचाई नहीं हो पाती है। जो मूल योजना इसके लिये स्वीकृत हुई थी उसका कार्य पूरा नहीं किया जा सका। जो पवह नाला है उससे एक जल निकासी की योजना बनी थी काफी समय हो गया, जब जल निकासी नहर बनाई गयी, उससे बरसात का पानी तो निकल जाता है लेकिन इसके नियंत्रण से फरेंदा तहसील के कम्हरिया बुजुर्ग आदि गांव की आबादी एक तरफ तथा खेती दूसरी तरफ बंट जाती है। नहर के कारण वर्षा काल में किसान दोनों तरफ किनारों पर खड़े रह जाते हैं तथा एक दूसरे की कमर में रस्सी बांध कर किस तरह नहर को पार करते हैं। अगर वहां पर आदमियों और किसानों के हल बैल आने जाने के लिये कमरिया बुजुर्ग के पास कम से कम एक पुल बना दिया जाय तो वहां के किसानों का भला हो जायगा। आज तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, अधिकारियों के समक्ष भी कितनी बार इस बात को रखा गया, आश्वासन भी मिला लेकिन ४–५ साल बीत जाने पर भी इस का कोई परिणाम नजर नहीं आया। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस दिशा में कोई ठोस कदम उठायें ताकि उस क्षेत्र के किसानों को संरक्षण मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया था इस के लिये मैं आप का बहुत आभारी हूं। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की ८०–८२ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। जहां हमें खेती की उन्नति के लिये अन्य साधन चाहिये वहां हमें सिंचाई की भी बहुत आवश्यकता है और यह मांग बराबर बढ़ती रही है। जैसाकि मंत्री जी ने बताया कि ३ पंचवर्षीय योजनाओं के बाद और अरबों रुपया व्यय करने के बाद भी प्रदेश में कुल २३ प्रतिशत ही क्षेत्र सिंचाई में आ सका है। नहीं मालूम कि पूरे प्रदेश को सिंचाई साधन देने में कितना समय लगेगा? जिनकी आयु ६० वर्ष की थी वह ८० साल के होकर मर चुके हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जिन्दगी में हरे भरे गांव नहीं देखे। हमारे क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जहां की समस्याओं के विषय में बराबर हर बात में उपेक्षा होती रही है। हमारे पूर्वी जिले बहुत पिछड़े हुये हैं और पिछले वर्ष जो वर्तमान उपमंत्री जी हैं उन्होंने कहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां सिंचाई के साधनों की बहुत अधिक आवश्यकता है।

दुर्भाग्य या सौभाग्य से हमारे भूतपूर्व सिंचाई मंत्री बनारस में रहते थे और मैं भी बनारस के नजदीक का ही रहने वाला हूं. उन्होंने जो सिंचाई के साधन एकत्र किये वह अपने क्षेत्र में ही किये हैं। भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में कहा था कि उसमें भ्रष्टाचार के कारण से प्रदेश की आय घटी है लेकिन यह भी सच है कि उन्हीं के कारण विभाग में यह भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। इसी सदन में बहुत ही गम्भीर आरोप भी उन पर लगाये जा चुके हैं। आशा है कि माननीय मंत्री जी गौर से सुनेंगे और उस पर कार्यवाही करेंगे। पिछले समय में भी हमारे जिले के विधायक ने बहुत ही गम्भीर आरोप विभाग के कर्मचारियों पर लगाये थे लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। टेक्निकल आडिट में लाखों रुपये का गबन निकला लेकिन कुछ नहीं हुआ। डायरेक्टर स्वयं जानते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता, एक प्रश्न मैंने

[श्री उमानाथ सिंह]

पिछले वर्ष किया था जिस का उत्तर, श्री कमलापति जी ने दिया था उससे ज्ञात होता है कि वह क्षेत्र कितना उपेक्षित क्षेत्र है, ब्लाक वाइज नलकूपों की संख्या वहां इस प्रकार है : सिकरारा १६, धर्मापुर १८, बक्सा १९, शाहगंज ९, सुइयां कलां २६, बदलापुर ६०, किराकत २२, जलालपुर ७, डोमी २०, मडयाहूं, ४, बरसठी ४२, रामनगर४३, मछलीशहर ११ और बादशाहपुर २२, यह नलकूप लगे हैं ।

मेरी समझ में नहीं आता कि जनता के पास कौन से साधन हैं अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष रखने के ? कहा जाता है कि नक्सलवादियों का फैलाव हो रहा है लेकिन जैसी स्थिति आज हमारे प्रदेश में इस सरकार ने पैदा कर दी है, उसमें उनका फैलाव यहां भी हो सकता है । इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे पिछड़े हुए पूर्वी जिलों की ओर ध्यान दें । मान्यवर, हमारे ३ ब्लाक्स में एक नहर है जिसमें कभी भी पानी नहीं आता है । मैंने एक्जीक्युटिव इन्जीनियर, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर और चीफ इन्जीनियर से प्रार्थना की थी कि हमारी नहर में पानी दिया जाय क्योंकि गन्ना सूख रहा है लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । गांवों में गन्ना सूख गया है जिसे गांवों के किसानों ने बड़ी मेहनत और अपनी गाढ़ी कमाई से बोया था । आज जो सिंचाई विभाग की लापरवाही से गन्ना सूख गया है उसकी जिम्मेदारी किस पर है और क्या मंत्री जी किसानों को उसके नुकसान का भुगतान करने का प्रयास करेंगे ? एक नहर बना दी गयी है लेकिन गांवों में जाने का रास्ता नहीं है । इतने कम चौड़े पुल बना दिए गये हैं कि उनसे गांव वालों को कोई फायदा नहीं है । असल में जो इन्जीनियर्स लोग हैं वे उन्हें गांवों से कोई वास्ता नहीं होता है । वे बड़े-बड़े लोगों के या पूंजीपतियों के लड़के होते हैं, वे हमेशा चाहते हैं कि गांवों की उपेक्षा होती रहे ।

श्रीमन्, हमारे क्षेत्र में एक मडियाहूं कैनाल है । उस पर पुलों को चौड़ा कराकर रास्ते बनाये जांय जिससे आने जाने के रास्ते चौड़े हो सकें । जलालपुर ब्लाक में एक लिफ्ट कैनाल आती है । वहां पर एसिस्टेन्ट इन्जीनियर ने कितने ही बार सर्वे कराया है और इससे किसानों में एक प्रकार का आतंक छाया रहता है कि न मालूम कहां पर लाल झंडी लग जाय । लाल झंडी से मेरा मतलब है कि लोग ओवरसियर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स के पास दौड़ने लगते हैं । पहले वहां पर एक अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय था लेकिन अब न जाने मंत्री जी जी ने उसे कहां पर कर दिया है । दूसरे जिन क्षेत्रों में नहरें निकाली जा रही हैं, उनमें अत्यधिक भूमि ली जा रही है । जो क्षेत्र भूमिहीन हो जायेंगे, जब वहां के किसानों के पास जमीन ही नहीं होगी तो नहर से क्या फायदा होगा ? अतः श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो फिर से चकबन्दी करायी जाय या उनको गांव समाज की भूमि दिलाने की कृपा की जाय ।

जहां तक मेरी जानकारी है मेरे क्षेत्र में एक जगदीशपुर--मोथाहा लिफ्ट कैनाल बन रही है वह सड़क के पास में ही अगर उसको सड़क के किनारे से ले लिया जाय तो उसे भूमि बच जायगी और किसानों का नुकसन भी नहीं होगा । दूसरे यह भी देखा गया है कि नलकूपों को सड़कों के किनारे ही लगाया जाता है । सड़क के किनारे से नहर निकाल दी जाय तो कृषकों की जमीन बच जायगी ।

जहां तक भ्रष्टाचार मिटाने की बात है मैं नहीं समझ सकता हूं कि भ्रष्ट उपायों के कारण भ्रष्टाचार कैसे दूर किया जा सकता है ? पहले अपने को मिलकर भ्रष्ट उपायों से बचायें तब आप भ्रष्टाचार को दूर करने की बात सोच सकते हैं । हमारे मंत्री जी आज इसी कीचड़ में फंसे हुए हैं । यह सिंचाई विभाग का जाल कीचड़ के समान है । माननीय मंत्री जी ही कहीं इस कीचड़ में न फंस जांय । सिंचाई विभाग के अधिकारी बहुत होशियार होते हैं । गंडक कैनाल चल रही है जिसमें करोड़ों रुपया इन्जीनियर्स और ठेकेदारों के पास पहुंच रहा है । वहां वहां पर एक इन्जीनियर आज दस-दस लाख और बीस-बीस लाख एकत्र कर चुका है । कोई

भी ओवरसीयर ऐसा नहीं है जिसका वहां पर ठेकेदारों के साथ साझा न हो। वर्क आर्डर की जो प्रथा चली आ रही है वह तो महान् करप्शन की जड़ है। गंडक योजना में एक राम कृपाल सिंह, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं जिन्होंने अपनी लड़की की शादी में लाखों रुपये दहेज में दिये हैं। विभागीय जांच से कोई सन्तोष नहीं होता है। चाहे वह गंडक योजना हो और चाहे सरयू योजना हो। उन पर तो विजिलेन्स कमीशन रहना चाहिये ताकि उन पर डर बना रहे। हमारे जिले के विधायक, श्री रामसागर ने बताया था कि एक एक अधिकारी का चार चार बार ट्रान्सफर किया गया मगर वे ट्रान्सफर रोक दिये गये। मैंने इसकी जानकारी डायरेक्टर को दी लेकिन उन्होंने राजनैतिक दबाव इसका कारण बताया।

इसी तरह से पी० एन० सिंह, स्टोर कीपर को चार बार ट्रान्सफर किया गया लेकिन ट्रान्सफर नहीं हुआ। सी० बी० शुक्ला पर लाखों रुपये के गबन के आरोप थे। यहां तक लोहे की छड़ें उस बिल्डिंग में नहीं लगाई गई थीं। जौनपुर जिले में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है। हमारे माननीय मंत्री जी ने वहां के अधिशासी अभियन्ता को तत्काल हटाया है। इस प्रकार भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमें आश्वासन दें कि जो कुछ विधान सभा में कहा है उसकी पूरी जांच वे करेंगे। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है जैसा कि पिछली बार भी कहा था मैंने, कि पुस्तक में छपी हुई बातें रह जाती हैं, विभाग कुछ भी कार्यवाही नहीं करता। जौनपुर जिले में जो ट्यूबवैल की स्थिति है उस पर अधिकारी यह कहा करते हैं कि रिग मशीन नहीं है। बोरिंग की व्यवस्था इसलिये नहीं हो पाती। वहां रिग मशीन की व्यवस्था कराई जाय और पूरे जिले का सर्वे कराया जाय। मैंने निवेदन किया है कि मेरे क्षेत्र की इस विषय में उपेक्षा की गई है। जिन क्षेत्रों में नलकूप न लगे हों उनमें नलकूप दिये जांय। भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री जिन्हें समाजवाद का सबसे बड़ा नेता माना जाता है उन्होंने अपने समर्थित बल के या अपने विधायकों के क्षेत्रों में आठ-आठ नलकूप एक वर्ष में दे दिये और हमारे क्षेत्र में एक भी नलकूप नहीं लगा सके। हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं।

हमारे क्षेत्र में जलालपुर ब्लाक में बाकरावाद, लौहगाजर, निवादा, रामपुर से, बराम और राजेपुर गांवों में नलकूप लगा दिये जांय।

हमने इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता और डायरेक्टर महोदय से भी कहा लेकिन उसकी सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सके। धर्मापुर ब्लाक में कर्महो का नलकूप कई वर्षों से खराब है। पिलखनी तरसन में भी नलकूप की व्यवस्था की जाय। किराकत ब्लाक में भदेवरा और अमरा में भी ट्यूब वैल्स लगाये जायं। वहां पर भी सिंचाई की व्यवस्था की जाय। जहां तक किसानों को निजी ट्यूब वैल्स देने का सवाल है, उस सम्बन्ध में किसानों के चार-चार सौ रुपये कार्मशियल स्कीम में जमा करवाने के बाद भी किसानों को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। कभी वहां के अधिकारी कह रहे हैं कि तार नहीं हैं, खम्भे नहीं हैं। पता नहीं कब तार और खम्भे दिये जायेंगे। इसी तरह से किसानों ने जिन्होंने पांच हजार रुपया लगाया है उन्हें नुक्सान हो रहा है। मेरी जानकारी है कि अभी दो तीन माह कनेक्शन नहीं पहुंचने वाले हैं। एक मिनिमम चार्ज जो होता है। किसान से जो मिनिमम चार्ज लिया जाता है वह ६०० रु० होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो गरीब किसान हैं वे इस स्थिति में नहीं हैं कि वे ६०० रुपये दे सकें। होना यह चाहिये कि जितनी बिजली वे खर्च करें, उसी हिसाब से पैसा लिया जाय। इस मिनिमम चार्ज की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये। पहले माननीय कमलापति जी ने आश्वासन दिया था कि जहां पर बिजली नहीं होगी वहां किसानों को नलकूप दिये जायेंगे। अब इस सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि एक मील के अन्दर ही नलकूप लगाये जायेंगे। अब अगर एक क्षेत्र हराभरा हो जाय, दूसरे क्षेत्र के लोग उसके

[श्री उमानाथ सिंह]

लिये ताकते रह जायं, तो यह बड़ी गलत चीज होगी। पूरे क्षेत्र में सब को नलकूप दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

साथ ही जौनपुर जिले के साथ बड़ी उपेक्षा की गयी है। केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकार दोनों ने ही उसके साथ सौतेला व्यवहार किया है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देने की कृपा करें। मान्यवर, जौनपुर में आप देखें कि समस्त क्षेत्रफल ९९५.३ है। इसमें कृषि योग्य क्षेत्रफल ८८५.१ है, बोया हुआ क्षेत्रफल ७४०.१ है और तृतीय योजना काल के अन्त में सिंचन क्षमता जो होगी वह केवल १३५.५ में होगी और वह १९६८-६९ के अन्त में १५६.२ होगी। इस तरह से देखें कि सिंचाई के क्षेत्र में कितना सौतेला व्यवहार किया गया है जौनपुर के साथ। आशा है माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय फिरंगी प्रसाद, आप अपना भाषण कल शुरू करेंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ५६ और नियम ५१ में जो सूचनायें माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार की हैं उनको ही मैं पहले बताना चाहता हूं। एक सूचना माननीय मंजूर अहमद तथा माननीय प्यारेलाल जी की है उसको माननीय अध्यक्ष ने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। यह लाला लाजपतराय मेडिकल कालिज, मेरठ के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल तथा उन से रोगियों की तीमारदारी आदि में बाधा के संबंध में है।

एक माननीय रामविलास पांडेय और माननीय जगदीशशरण सिन्हा का है शाहजहांपुर जिले के थाना मीरानीपुर कटरा में एक सिपाही की पत्नी को गायब करके सिपाही की हत्या के संबंध में। इसे नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।

शेष जितनी सूचनायें हैं वे सब अस्वीकृत की गयी हैं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

नियम ५६ में हमारी एक सूचना थी वह बड़ी महत्वपूर्ण थी ट्रैक्टर का कारखाना खोलने के बारे में।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जो नियम ५६ के अन्तर्गत हमने सूचना दी है वह बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको तो आप को स्वीकार करना चाहिये। इस पर प्रदेश के औद्योगिक विकास कार्य निर्भर करता है। यह कारखाना जो इस प्रदेश में आने वाला था वह यहां से चला गया। उसके लिये २०० एकड़ जमीन तक एलाट की जा चुकी थी। सन् १९७० के बजट में उसके लिये प्राविधान किया गया था। उसके बावजूद यह कारखाना हरियाना को दिये जाने की बात हो रही है। तो यह तो उत्तर प्रदेश के लिये सब से गम्भीर बात है सरकार का बराबर यह प्रयास रहा है कि यहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा सेन्टर के प्रोजेक्ट स्थापित हों। इसलिए इसको तुरन्त आप को कार्यस्थगन में लेना चाहिए। इससे प्रदेश की आमदनी घट जाएगी। फोर्थ फाइव ईयर प्लान में आप देखें, लिखा हुआ है--

"Besides, the payment will have to be made on account of compensation in respect of land already acquired for Naini Project. This land also

includes the land for setting up telephone project and 50 executive quarters. The land has also to be acquired for Aircraft Accessories factory which is to be located at Lucknow. In order to meet the increasing demand of developed land for setting up of new units, it is proposed to acquire and develop 200 acres of land each at Agra and Varanasi. For this purpose a provision of Rs.61 lakhs is being provided in 1970-71.

तो इस बजट में प्राविधान किया गया है ६१ लाख रुपये का और २०० एकड़ जमीन भी ली जा चुकी है। इसके बावजूद वह कारखाना यहां से जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें, यह अविलम्बनीय महत्व का नहीं है।

श्री बंशीधर पान्डेय---

इससे बढ़ कर भी क्या अविलम्बनीय होगा। इसमें सेन्ट्रल एवं प्रदेश सरकार का का दोष नहीं है। यहां पर दूसरे राज्य की अपेक्षा पर-कैपिटा इन्कम हमेशा कम रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रदेश के सामान्य महत्व का होते हुए भी अविलम्बनीय महत्व का नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, इसका संबंध उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति से है, इसे आप जरूर स्वीकार करें। पहले हम पर-कैपिटा इंकम के मामले में सारे प्रदेशों से काफी आगे थे और आज हम १३वें नम्बर पर आ गये हैं। आप इस दयनीय दशा पर तो विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष---

नियम ५६ में अविलम्बनीय और लोक महत्व का है....

श्री बंशीधर पान्डेय---

इसमें प्रदेश के साढ़े नौ करोड़ लोगों की जिन्दगी का सवाल है। इसको आप कार्य-स्थगन में तो लेना ही चाहिए। इससे अधिक महत्व का कोई काम नहीं हो सकता है। आप अध्यक्ष जी से बात कर लें और आज नहीं तो कल इसको आपको कार्य-स्थगन में लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बात कर लें अध्यक्ष जी से। और 'घटना' के बारे में उन्हें सन्तुष्ट कर लें। जहां तक मेरा ख्याल है, इसे अल्पसूचित प्रश्नों में स्वीकार करके इसका जवाब हो जाएगा।

श्री बंशीधर पान्डेय---

यह इतनी बड़ी समस्या है। यह उत्तर प्रदेश की इकोनामी से संबंध रखती है और इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। जितनी भी हैवी प्रोजेक्ट्स हैं---२,८०० करोड़ रुपये का गवर्नमेन्ट आफ इंडिया सारे देश में करेगी जिसमें चार सौ करोड़ का होना चाहिए। २० करोड़ का भी होगा तो उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? आप इसको लेकर कल अध्यक्ष जी से बात कर लीजिये और इसको करवा दीजिये।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

एक दफा ५२ में दिया था बदरीनाथ टेम्पिल के बारे में। वहां से तार आया है।

श्री उपाध्यक्ष---

कब दिया था ?

श्री दीपनारायण मणि---

आज सुबह दिया गया था। धार्मिक स्थान का मामला है। आधे घंटे का विवाद दे दें।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

सबकी बात सुनी जायगी। लेकिन इस तरह से कैसे ? दीपनारायणमणि का प्रश्न मेरे सामने नहीं है। हो सकता है कि कल इसको देखें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)---

मुझे यह अर्ज करना है कि मैंने आज एक नोटिस रूल ५१ में दिया है, जो नुमाइश लगी है झंडे वाले पार्क अमीनाबाद में, उसमें आर० एस० एस० का स्टाल लगा हुआ है, जिसमें तसवीरों के जरिये मुसलमानों को हमलावारों की कैटेगरी में किया गया है। साथ ही मुसलमानों के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, इंदिरा गांधी को मुल्क दुश्मन करार दिया गया है। यह मामला बहुत अहम है, जिसको मैंने देखा खुद है। लेकिन इसको मंजूर नहीं किया गया। मेरी गुजारिश है कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार किया है। आप बात कर लें, अगर ऐसी महत्व की बात है, जैसा उचित समझेंगे करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय में प्रश्न दिया है---पर्वतीय क्षेत्र में कुछ अराष्ट्रीय तत्व नीति और माना के पास के क्षेत्र को मिला कर एक पर्वतीय राज्य की मांग कर रहे हैं। इस प्रदेश में एक छोटा राज्य बन जायगा और अराष्ट्रीय तत्वों के हाथ में चला जायगा। पर्वतीय क्षेत्र की उपेक्षा की गयी है। यह सरकार उपेक्षा कर रही है। इस लिए वहां के व्यक्तियों में आन्दोलन पैदा हो गया। उनकी साधारण आवश्यकतायें नहीं पूरी हो रही हैं। इसलिए नियम ५१ में प्रश्न दिया है। उस पर विचार किया जाय। एक नया मेघालय बनने से रोका जाय। इस पर अवश्य विचार करें। इसको किसी प्रकार चर्चा के अन्दर आने दें।

श्री उपाध्यक्ष---

अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

तो उसको स्वीकार कर लें।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

रामधारी शास्त्री ने दिया है ५१ के अन्दर, खड्डा मिल के सम्बन्ध में। वहां पर मजदूरों के नेता जगन्नाथ मल्ल और मिल मैनेजर १०७/११७ में हवालात में बन्द थे। कल छूटे हैं। किसानों का गन्ना पड़ा हुआ है। मिल से गन्ने की कीमत नहीं मिली है। मजदूरों का वेतन नहीं मिला है। मिल बंद है गन्ने की फसल खड़ी है, तीन चौथाई गन्ना पड़ा है। रामधारी शास्त्री और मैंने दोनों ने दिया है। मैं गन्ना मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

विष्णु प्रताप शुगर मिल, इसके बारे में है? यह आप के नाम में नहीं है। यह श्री रामधारी शास्त्री, भाभी राम और श्यामसूरत उपाध्याय के नाम में है।

श्री बांकेलाल---

मैं उस जिले का रहने वाला हूं, वहां का निवासी हूं। इसको आप स्वीकार कर लें तो बड़ा भला होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर आप प्रश्न कर लीजिये।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आप इस पर कर लीजिए।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)---

मैंने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा था अध्यक्ष जी के पास। मुख्य मंत्री जी ने १२ तारीख को एक वक्तव्य दिया था, उस सिलसिले में यह कामरोको प्रस्ताव है। आप उसके लिये वक्त मुकर्रर कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका जो प्रस्ताव है वह कार्यवाही से सम्बन्धित है।

श्रीमती कुदसिया बेगम---

उस दिन का यह एक बहुत अहम मसला है और बहुत मामूली तरीके से मुख्य मन्त्री जी ने उसे टाल दिया। सारे प्रदेश की औरतों को इस अफसोसनाक वाकये पर दुख है। अगर औरतों की इज्जत पर विचार नहीं किया जायगा और रेप के मामले को साधारण समझ कर छोड़ दिया जायगा और यह मुख्य मन्त्री द्वारा जो पुलिस मंत्री भी हैं यह कहा जायगा कि ऐसा तो होता ही रहता है तो इस प्रकार प्रदेश में ला ऐण्ड आर्डर नहीं रह सकेगा और इस प्रकार कहने से तो जो अनलाफुल एलिमेंट हैं, जो बदमाश लोग हैं उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। लिहाजा इस पर आप वक्त मुकर्रर करके चर्चा सदन में करने का मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका सवाल कार्यवाही से सम्बन्धित है। माननीय अध्यक्ष जी ने उस पर लिख दिया है कि वह कार्यवाही देखेंगे। जहां तक मुझे स्मरण है मुख्य मन्त्री द्वारा जो कहा गया वह एक कथन था जो चीज होती है उसके बारे में। मान लीजिये डकैतियां ज्यादा हो रही हैं तो डकैती सामान्य घटना है, किसी पर तोहमत नहीं लगाई जा रही है। वैसे कार्यवाही देखकर उस पर विचार किया जायगा।

श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला (जिला बाराबंकी)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अहम मसला है इस पर आप को हमदर्दी जाहिर करनी चाहिये थी और इस अहम मसले को पूरी अहमियत देनी चाहिये। इस पर आप वक्त दें ताकि सदन में इस पर विचार हो सके।

श्रीमती सौभाग्यवती (जिला मुरादाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात के पक्ष में हूं कि इस चीज को सदन में पूरी तरह से उठाया जाय। यह औरत जाति की मर्यादा का प्रश्न है, किसी एक नारी का प्रश्न नहीं।

श्रीमती सिया दुलारी (जिला बांदा)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में नियम ५१ में आये दिन इस प्रकार के प्रस्ताव आया करते हैं और उसकी स्वीकृति से दी जाती है। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगी कि भारतीय समाज की परम्परा है। हम विदेशों की नकल नहीं कर सकते। यहां के समाज में एक नारी जो किसी की भी मां अथवा बहन है वह सब की मां-बहन होती है। हमारे यहां के समाज में नारी की यही मर्यादा है और हमारे देश की यह परम्परा रही है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं में इस बात के लिये विशेष रूप से क्षोभ है जो राम प्यारे जी ने १२ तारीख को प्रश्न उठाया था जिसमें दो आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। इस प्रकार माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अब तक मैं उमरे यह उम्मीद नहीं करती थी क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के पुजारी भी हैं और वे इसे मानते भी हैं, ऐसी बात कही। मुझे यह सुन-कर बड़ा दुखः हुआ कि उन्होंने बड़ी आसानी से इस अहम मसले को यह कह कर टाल दिया कि यह एक मामूली-सी बात है। मान्यवर, अगर इस चीज को प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो हमारे समाज में पशुता बढ़ जायेगी। जहां एक तरफ अराजकता बढ़ रही है वहां महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है तो ऐसे कर्म करने वालों को सख्त से सख्त सजा दे देनी चाहिए। यह एक समाज की मर्यादा का प्रश्न है। मैं समस्त उत्तर प्रदेश की नारी जाति की ओर से आप से यह याचना करना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में सदन में क्षमा मांगनी चाहिए। जो ऐसे कर्म करता है उसे अवश्य सजा मिलनी चाहिए चाहे वह किसी सदस्य या मंत्री का रिश्तेदार ही क्यों न हो। तो मैं अन्त में आपसे निवेदन करूंगी कि आप कार्यवाही को देखने के पश्चात् दो घन्टे का हमें मौका दें ताकि इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जा सके।

श्रीमती सरस्वती देवी (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो मसला बेगम साहिबा ने उठाया है वह स्त्री जाति की मान-मर्यादा और गौरव का प्रश्न है। इस पर अवश्य विचार किया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उस वक्त यहां पर उपस्थित भी नहीं था जिस समय कि यह चर्चा हो रही थी और हमारे मुख्य मन्त्री यह कह कर चले गये कि यह बात रोज हुआ करती है। इस समय इस प्रश्न के दो बड़े शर्मनाक पहलू हैं। पहला तो ये कि मुख्य मन्त्री जी ने किस रोब में आकर ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात सदन में कही कि यह तो रोज हुआ करता है। मगर मैं कहता हूं कि आप पनिशमेंट क्यों नहीं देते ऐसे व्यक्तियों को। जिसके अवगुण होते हैं उसको अवश्य सजा मिलनी चाहिए। यदि ऐसे व्यक्तियों को डेटेरेंट पनिशमेंट न दिया जाय तो जो सैकड़ों केसेज होते हैं उनको रोका जा सकता है। एक तो यहां वैसे ही अराजकता बढ़ रही है, ऐसे कैसेज होने पर न मालूम क्या स्थिति हो सकती है ? मैं जिस दिन से असेम्बली में आया हूं, मैं समझता हूं कि हमारी बहिनों का मनोबल इतना ऊंचा कभी नहीं रहा होगा। दूसरी बात यह है कि समाज में ऐसे तत्व न पनपें जिससे हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचे। हमारी बहिनों ने ठीक ही कहा है कि इसमें उनकी बहुत बड़ी महानता है यदि वे इस सदन में यह कह दें कि मुझे इसमें बड़ा दुख है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिये था। ऐसा कहने से उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। मैं यही दो बातें आप के सामने रखना चाहता था। इसके साथ ही जो रिक्वेस्ट हम लोगों ने की उसे आप मंजूर करें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं आप को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि एक दिन यहां पर इसी प्रकार की घटना के सिलसिले में गोरखपुर स्टेशन पर एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार की चर्चा

हुई थी। चर्चा का विषय यह था कि १० व्यक्तियों ने उस महिला के साथ बलात्कार किया और इस बात को साधारण घटना के रूप में लिया गया और सदन के अन्दर बराबर यह कहा गया—उप-मंत्री जी भी यहां पर मौजूद थे उनसे भी कहा गया कि कृपा करके इस मामले को सी० आई० डी० में भिजवायें। इस गोरखपुर की घटना के सम्बन्ध में अभी तक केवल एक गिरफ्तारी हुई है तो मैं आप को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि बावजूद इतना कहने के उप-मंत्री जी ने इसका जवाब नहीं दिया। माननीय जगन प्रसाद जी रावत यहां पर मौजूद थे उन्होंने टालने की कोशिश की। और वह भी कुछ नहीं कह सके तो एक प्रकार से "अटर डिसगस्ट" में माननीय अध्यक्ष ने यह कहा कि उपमंत्री भी कुछ नहीं कह सकते और जगन प्रसाद रावत भी कुछ नहीं कह सकते। माननीय मुख्य मंत्री को आना चाहिये और वे इस गंभीर मामले में कुछ चर्चा करें। लेकिन आज तक इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। मुख्य मंत्री ने आज तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब दूसरा मामला आ गया और अपनी सब बहनों के साथ मैं अपने को संबद्ध करता हूं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी प्रदेश का मुख्य मंत्री इस प्रकार की बात कहें। यदि किसी स्त्री या स्त्रियों के साथ इस प्रकार बात हो और मुख्य मंत्री यह कहें कि यह तो साधारण सी बात है। आज इस प्रदेश में शायद इस बात की पुनरावृत्ति हो, चाहे देर में हो जबकि किसी भी प्रकार की अराजकता को, बड़ी से बड़ी ला-लेस-नेस को साधारण घटना कह दिया जाय। मैं इस मामले में अपनी सब बहनों के साथ अपने को संबद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लें। मुझे स्मरण है कि माननीय मुख्य मंत्री ने इस प्रकार की बात कही थी और मुझे यह भी याद है कि उन्होंने जिस समय इस चीज को कहा था उस समय भी उनको टोका गया था। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को अपना बयान देना चाहिये और सदन से क्षमा याचना करनी चाहिये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, जब से यह शासन शुरू हुआ है, बीसियों मिसालें इस प्रकार की हो रही हैं। चाहे वह गोरखपुर हो, आजमगढ़ हो, बरेली हो या मुरादाबाद हो, मध्यवर्ती पूर्वी या पश्चिमी, चारों तरफ से इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं अगर हरिजनों और गरीब लोगों की औरतों के साथ इस प्रकार घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। मुरादाबाद जिले में तो एक फ्रेंच फौरेनर के साथ इस प्रकार की घटना घट गई। इससे ज्यादा लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन में लूजनेस आ गई है, कमजोरी आ गई है, जिसकी तरफ शासन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस सिलसिले में २ घंटे के विवाद की इजाजत दे दें। जिससे यह मालूम हो सके कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता में विश्वास पैदा हो सके और वे सदन के सामने जिम्मेदारी के साथ जवाब दे सकें।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिर्जापुर जिले में गरीबों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। वहां आये दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते हैं। इसी सदन में कुछ दिन पहले सतिया कांड की गूंज हुई, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कोई जांच नहीं कराई और अभी आपके सामने एक सवाल माननीय रामप्यारे जी ने उठाया, उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि साधारण सी बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि माननीय मुख्य मंत्री के घर की किसी महिला के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो जाता तो आप क्या यही कहते कि यह साधारण सी बात है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात को वापस ले लें और इसकी सही तरीके से जांच कराएं और जो कुछ उन्होंने कह दिया है उसके लिये माफी मांगें।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि जो चर्चा इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य से प्रारंभ हुई वह सही है और उस पर आपको विवाद कराना चाहिये। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि नियम ५६ में माननीय नित्यानन्द जी ने यह लिखा था कि एक हफ्ते को असेम्बली रोक दी जाय। क्योंकि १४, १५ और १६ में जो प्रदेश में वर्षा हुई है उसमें बहुत से किसानों का गल्ला सड़ गया है, गल गया है और सरकार वसूली कर रही है। यह सारे प्रदेश की समस्या है, फिर इसको माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। अब आप इस आसन पर विराजमान हैं, स्वयं अपने विवेक से आप भी निर्णय ले सकते हैं कि कौन-सा विषय महत्वपूर्ण है। सारे प्रदेश के किसान का हित जिससे मैं समझता हूं समस्त जनता का हित जुड़ा हुआ है। पहले ओला-वर्षा हुई जिससे किसानों की फसल मारी गई और अब किसान का गल्ला खलिहान में फंस गया। किसान आर्थिक संकट में फंस गया और सरकार की तमाम वसूली जारी है। इससे किसानों में बड़ा भारी असंतोष व्याप्त है। इससिये मैं समझता हूं कि इस विषय को आप बहस के लिये रखें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भारतवर्ष में हमारी माताओं और बहनों का एक विशेष इतिहास रहा है चाहे वह राजस्थान की रानी पद्मिनी हों या झांसी की रानी लक्ष्मी बाई हों, या सीता हों, या सावित्री हों। अपनी माताओं और बहनों के बारे में बलात्कार को आप देखें, चाहे वह बरेली की मुन्नी देवी का काण्ड हो, जो एक सिपाही की बीवी थी, उसके साथ बलात्कार किया गया, चाहे कटरा का काण्ड हो, वह भी एक सिपाही की बीवी थी, उसकेसाथ भी बलात्कार किया गया। चाहे वह मिर्जापुर का काण्ड हो, चाहे गोरखपुर फर्टिलाइजर का काण्ड हो, कितने ही केसेज इस सदन के सामने आए। मुख्य मंत्री कहते हैं कि यह तो साधारण घटना है। बलात्कार की घटना अगर साधारण घटना है तो इससे भयानक घटना और क्या होगी। यह सरकार अपने चरित्र से गिर गई है, चरित्र भंगी सरकार है। आप दो घंटे का विवाद करायें। अगर आप कार्य-स्थगन न मंजूर करें तो नियम ५२ मंजूर करें जैसा कि बेगम साहिबा ने कहा है।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि मैंने दो हरिजन महिलाओं का प्रश्न उठाया और वह भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा बलात्कार करने का लेकिन मंत्री जी ने क्या उत्तर दिया, किस तरह से दिया मुझे उससे जरा भी तकलीफ नहीं है। यह सरकार बहुत उटल-पलट उत्तर सर्वदा देती है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बलात्कार की घटना साधारण घटना है .....

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ५६ और ५१ के अन्तर्गत हो तो आप बोलिये।

श्री रामप्यारे--

उसी पर कह रहा हूं। तो जो यह मांग रखी गई है कि पूरा समय देना चाहिये और सदन को दो घंटे बहस करने का मौका मिलना चाहिये। यह बहुत अहम प्रश्न है। यह केवल मिर्जापुर का प्रश्न नहीं है। अभी हरदोई की घटना हुई, गोरखपुर की देख रहे हैं, आश्रम पद्धति विद्यालय की एक छात्रा के साथ हुआ। अगर मुख्य मंत्री जी अपने स्टेटमेंट को नहीं बदलते हैं, यदि प्रदेश के मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि रेप के केसेज साधारण घटना है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में जो सतीत्व का महत्व है और जो केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनियां में जिस सतीत्व का महत्व है वह समाप्त हो जायेगा। यह

प्रदेश की एक, दो लड़कियों का प्रश्न नहीं है, यह सारे देश की महिलाओं का प्रश्न है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप दो घंटे का अवसर दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

जो भावनाएं व्यक्त की गयीं इनसे अगर भिन्न राय हो तो कहिये नहीं तो वही बात कहने से क्या लाभ ?

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

कम से कम दो मिनट मुझे दे दें ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंजूर अहमद, राजित राम, बांके लाल, तीन-तीन सदस्य एक साथ खड़े हैं और तीनों बोल रहे हैं । मैं किसी को अनुमति नहीं देता हूं । आप लोग बैठ जाइए । अगर दल के पांच आदमी खड़े होकर बोलने लगें तो कैसे काम चलेगा ?

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, अभी श्री रामचन्द्र जी विकल ने जो नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना दी है उस विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उनकी मांग कितनी जायज है । इस वक्त प्रदेश में जलवायु बदल जाने की वजह से न जाने कितने किसानों का गल्ला बाहर पड़ा हुआ है । इस विषय में उधर वाले माननीय सदस्य और इधर के महसूस करते हैं कि अगर एक हफ्ते के लिये सदन बन्द हो जाता और इस पर सरकार भी बतलायें कि क्या व्यवस्था करनी है या नहीं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सदन को एक हफ्ते के लिये कम से कम बन्द कर दें ताकि प्रदेश के अन्दर जो इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है उसका हम मुकाबला कर सकें ।

दूसरी बात जो महिलाओं ने उठाई है उसके बारे में इतना कहना है कि इस प्रकार की तमाम घटनाएं---बलात्कार की, और भी---होती रहती हैं । इसके विषय में दो घंटे की चर्चा सोमवार को अवश्य मंजूर कर लें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामचन्द्र विकल जी का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन एक हफ्ते के लिये बन्द हो जायगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, मैं मोहतरिमा बेगम साहिबा का, तमाम महिला सदस्याओं का और जिन सदन के माननीय सदस्यों ने अपनी राय का इजहार किया है उनका मशकूर हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि यह मसला इतना अहमियत का है कि इसको आप कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करें और इस पर सदन को चर्चा का मौका दें ।

मान्यवर, जहां तक कि प्रोसीडिंग्स को देखने का सवाल है उसका प्रश्न भी शायद इसमें नहीं उठता है, क्योंकि सौभाग्य से उस दिन कुर्सी पर आप ही थे जब यह घटना हुई थी । मान्यवर, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि इस सदन में ४ केसेज ऐसे आए हैं जो मुख्य हैं, उनकी तरफ ध्यान इसलिये दिला रहा हूं कि किस तरह से चीजें चल रही हैं । एक तो स्टेटमेंट हुआ है यहां पर ५-५-७० को, नोटिस था, श्री भानु प्रताप सिंह का, बरेली से संबंधित घटना थी कि उल्फत नाम के एक व्यक्ति की मुन्नी नामक पत्नी की कोई न्याय पंचायत का सरपंच जबरदस्ती उठा ले गया । वह आज तक ट्रेसेबिल नहीं है । यहां तक हुआ है कि जो गवाह थे उनके खलिहान फूंक दिये गये, उनको सुरक्षा नहीं मिली वहां । दूसरी घटना हुई है भगवती के केस वाली । यह बरेली की घटना है । उसी जिला बरेली का सिरसा गोदाम है, वहां

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

पर एक चौकीदार शिवदत्त जोशी, उसका भाई मिलिटरी में सिपाही था। वह अपनी नव-विवाहित पत्नी को लेकर भाई के यहां ठहरा था और पहाड़िन पत्नी को उठा ले गया है माननीय उप गृह मंत्री का कोई रिश्तेदार जबरदस्ती २६ को २७ को शिवदत्त जोशी को फिर मारा, २८ को सशस्त्र हमला किया...

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय एक प्रश्न है और वह यह है कि उस दिन जो यहां घटना हुई, उसी के बारे में आप सीमित रखें। औरों की मैं अनुमति नहीं दूंगा, इसके ऊपर ही कहें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ये विक्टिम्स हैं, जो क्षुब्ध पार्टी के हैं उसके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। गोरखपुर की घटना हुई है इसी महीने की ९ तारीख को जिससे सिद्ध हुआ कि रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का अभाव है एक महिला को गोरखपुर स्टेशन से १० आदमी जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं, उसके साथ सब बलात्कार करते हैं। १२ तारीख को माननीय राम धारी ने इस प्रश्न को उठाया। तो देखना यह है कि इस सब के पीछे क्या चीज छिप रही है? जो विक्टिम है उसको यह सरकार सुरक्षा दे नहीं पाती है। या तो वे स्वयं जबरदस्ती आतताइयों को भगा देते हैं या दूसरी जगहों पर चले जाते हैं, जैसे कि भगवती को शिवपुरी, मध्य प्रदेश भाग जाना पड़ा। इसी तरह से कबूतरी और बिरंगिया को आजमगढ़ की हैं उसको डाला शुगर फैक्ट्री से निकाला गया, उसको जाना पड़ा। उसको रहने नहीं दिया गया है। इस तरह से सारी घटनायें रोज होती हैं अगर यह सच है कि मुख्य मंत्री के लिये यह कोई घटना नहीं है, इनको वे साधारण समझते हैं, क्योंकि उनकी निगाह में औरत की कोई इज्जत है ही नहीं लेकिन सभ्य समाज है या नहीं, यह इसी चीज से जाना जाता है कि औरत का उस समाज में दर्जा क्या है। मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि सभ्य समाज की कोई औरत आशंका नहीं कर सकती है कि कोई पुरुष उसके साथ बलात्कार या हिंसा कर सकता है। एक मिनट के लिये उसके ध्यान में यह चीज आती नहीं है और एक जगह से दूसरी जगह उन्हें सुरक्षा के साथ चली जाती हैं, लेकिन, श्रीमन्, यहां पर बिल्कुल वही हालत हो गयी है जो जानवरों में है कि जो जिसके साथ जो काम चाहे करे और माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि यह साधारण घटना है, यह रोज हुआ करती है। इससे जो हम नतीजा निकालते हैं वह यह है कि मुख्य मंत्री जी की निगाह में औरत की इज्जत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बहस की मांग कर सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां। इस सरकार को नादिम होना चाहिये था। यह औरतें जो एक जगह से दूसरी जगह खदेड़ दी जाती हैं, उनको पुलिस की सुरक्षा में रखना चाहिए था जब तक मुकदमा चलता। जब जांच करें तो मैं सवाल पेश करूंगा कि इस सम्मानित सदन के सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाय और उस कमेटी के सामने कबूतरी और बिरंगिया के मामले आवें, गोरखपुर का मामला सामने आवे और इस प्रकार के सारे मामले उस कमेटी के सामने आवें और अगर उसमें मंत्री के कोई रिश्तेदार आते हैं . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इसी तक सीमित रखें। यह सुझाव दूसरा दे रहे हैं। आप जो सुझाव दे रहे हैं उसके अनुरूप सवाल कीजियेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्टेटमेंट से इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा मिला है। मुख्य मंत्रीजी, मालूम नहीं वह इस बात को जानते हैं या नहीं कि यह मामला इतना सीरियस है कि अगर हमारी ब्याहता पत्नी है और वह माइनर है, उसके साथ संभोग करें तो सजा मिल सकती है। लेकिन मुख्य मंत्री जी इस बात को नहीं समझते हैं। जो महिलाओं पर लाठी चार्ज करवा सकता है वह उनके दुख: को समझ नहीं सकता। मैं दोनों बेगम साहिबा का, चाहे वह इस तरफ बैठी हों या उस तरफ बैठी हों और जो दूसरी बहिनें हैं सबका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पूरी नारी जाति के साथ उपकार किया है। आप से मेरा निवेदन है, श्रीमन्, उसको मंजूर करें और इस पर बहस का मौका दें और इस सदन की राय जानें और जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं उनको रोकने में सहायता करें।

श्री उपाध्यक्ष---

अब तो सब सदस्यों की राय हो गई ?

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन् खुदा दो हैं। खल्क का खुदा और मुल्क का खुदा। खल्क का खुदा तो वह है जिसने हमें पैदा किया है और मुल्क का खुदा श्रीमान जो आप बैठे हैं। आप लोगों पर १० हजार रुपया रोजाना खर्च होता है और आप श्रीमन् इसलिये यहां बैठे हैं जिससे प्रदेश में अमन-अमान कायम रहें, लोगों की लाज लज्जा कायम रहे और इस प्रकार के बलात्कार न हों। श्रीमन्, यह वह भारत-वर्ष है, जहां एक नारी के केश खींचने पर यहां महाभारत हुआ था और बड़े-बड़े वीर उस नारी के केश खींचने में दफना दिये गये थे। मुझे दुख: के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह की बात कही गई।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या इसी में समय समाप्त हो जायगा ?

श्री राजित राम पांडेय---

मैं तो कहता हूं कि ख्वाह मैं वहां रहा होता तो मुझे चाहे मरना पड़ता या गोली खानी पड़ती, लेकिन मैं इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। श्रीमन्, इंदिरा गांधी भी एक नारी हैं। उनके हाथ आज सारा हिन्दुस्तान है और उस नारी के बूते पर चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री बने और आज नारी की यह दशा हो कि उसके साथ बलात्कार हो। चौधरी साहब जरा होश में आवें। हमारे कुछ पिट्ठू लोग जो मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तेल लगाते हैं वह हमारे जायसवाल जी को घेरा डाले थे लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि यह सोशलिट पार्टी लोहिया जी की देन है, हम लोगों को यह सीख दी गई है कि यह पार्टी कभी भी जुल्म नहीं बरदाश्त करेगी। व्यवधान . . . हमारे माननीय सदस्य जो मिनिस्टर बनना चाहते हैं वह चाहते थे कि जायसवाल जी को गीदड़भभकी से चुप करा दें तो सोशलिस्ट पार्टी चुप होने वाली नहीं है। इलाहाबाद में तहसील हंडिया, सरांय ममरेज, सरांय इनायत और हरवई में रोजाना डकैती पड़ रही है और पुलिस की वजह से वहां लोगों को लूटा जा रहा है लेकिन यह प्रशासन चुप है। यह मुख्य मंत्री इलाहाबाद चुनाव कराने जा रहे हैं और वहां पर १४४ लागू कर दी गई है। यह चाहते हैं कि नादिरशाही से चुनाव जीत लें तो यह इनकी नादिरशाही चलने वाली नहीं है। अध्यक्ष जी, चले गये, आप इस समय अध्यक्ष हैं और आप सक्षम है फैसला देने के लिये और आप बहस करावें।

श्री उपाध्यक्ष---

आखिर आगे भी कार्य चलेगा। आपके नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये क्या उससे भिन्न आप विचार व्यक्त करना चाहते हैं ? (व्यवधान)

कई सदस्य—

कुछ नई बातें कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इसका कोई अन्त नहीं है। (व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद—

मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप शराफत से समय नहीं देते। आप हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह तो बेगम साहिबा ने मसला उठाया है मान्यवर, इसके बारे में आप भी जानते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठिए।

श्री मंजूर अहमद—

मान्यवर, मैं आज बैठूंगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से नहीं। आप बैठिए।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, नियम ५६ के अन्तर्गत आपको जो सूचना दी गई वह लिखित रूप में दी गई है। मान्यवर, आपने बेगम साहिबा को मौका दिया और उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी कर दिया। मैं यह समझता हूं कि उस पर दूसरे व्याख्यानों की अब आवश्यकता नहीं है। केवल आपके निर्णय की जरूरत है। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मैं नहीं समझता कि सदन में इस पर आगे वाद-विवाद का कोई औचित्य है। अब किसी को भी समय नहीं मिलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अब आगे इस पर वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं समझता।

(सदन में शोर होने लगा)

श्री मंजूर अहमद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं किसी को भी समय नहीं दूंगा। आपके नेताओं ने सभी बातें कह डाली हैं। उससे आप कोई भिन्न बातें कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

जो आगे कार्यक्रम है उस पर आप रुकावट डाल रहे हैं और बिना पूछे बोल रहे हैं। आप कृपा करके बैठ जाएं। मैं किसी को भी समय नहीं दूंगा। जो बात सुन ली गई है उस पर आप बार-बार राय दे रहे हैं।

एक सदस्य---

मैं एक सेकेन्ड लूंगा .....

श्री उपाध्यक्ष---

आपका बोलना अधिक महत्वपूर्ण है या यह सवाल? क्या हर सवाल पर हर व्यक्ति की राय लेना आवश्यक है? आपके नेताओं ने काफी विचार व्यक्त कर दिये हैं। आप कृपा करके बैठ जाएं। आखिर कहीं किसी चीज की रोक होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायण मणि--

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में नियम बिलकुल स्पष्ट है, इसमें केवल अनुज्ञा देने की बात है। इसमें बहस की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था का मतलब यह है कि अगर किसी बात पर सदन उद्वेलित हो और भावना व्यक्त किये जाने लायक हो और यदि सरकार का उस पर स्पष्टीकरण देना अपेक्षणीय है, तो मैं हमेशा मौजूद हूं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन की जो भावना है, उस पर अब यह कर्तव्य हो जाता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसका स्पष्टीकरण कर दें।

(मेज की थपथपाहट)

एक सदस्य--

मेरा निवेदन यह है कि ...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष---

मैंने आपसे कहा कि मैं किसी को समय नहीं दूंगा। कृपया आप सब लोग बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री महीलाल--

श्रीमन्, हमारी प्रक्रिया नियमावली है। सदन में हम जो कुछ कहेंगे वह किसी नियम के अनुसार ही कहेंगे। बेगम साहबा नियम ६० के अन्तर्गत प्रस्ताव लायी हैं। उसकी एक प्रक्रिया है। उसी के अनुसार कार्यवाही हो सकती है। मेरा कहना यह है कि इस समय किसी माननीय सदस्य को कोई अवसर नहीं है वाद-विवाद करने का, जब सदन इसको स्वीकार कर ले तो वाद-विवाद हो सकता है। इस समय कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष---

नियम तो सही है लेकिन लोकशाही मुख्य है, नियम उसके संवर्द्धन और उन्नयन के लिए है। बुनियादी सवाल यह है कि अगर भ्रम है विरोध पक्ष को--जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था, वह कथन उनका सामान्य था, जो स्थिति के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने अगर यह समझा होता तो

[श्री उपाध्यक्ष]

शायद उसी दिन कह देते कि मेरा मतलब यह था तो मामला ठंडा हो जाता। तो विरोध पक्ष वाले कहीं आपकी उंगली पकड़ पाएंगे तो आलोचना का उनको हक है। तो उनको एक मौका मिल गया है। माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकृत तो कर दिया लेकिन यह भी कहा कि कार्यवाही हम देखेंगे, हमारे सामने रखी जाय। अगर अस्वीकृत न लिखा होता तो मैं कुछ कह सकता था। लेकिन अस्वीकृत करके कार्यवाही देखने के लिए सामने रखा जाय, कहा है। तो मैं आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत करा दूंगा और फिर वह इस पर जो भी निर्णय लें नियम ५१ में, ५६ में या अल्पसूचित प्रश्न में।

(व्यवधान)

श्री महीलाल--

अगर नियम के विरुद्ध सदन कोई कार्यवाही करना चाहता है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

नियम में यह कहां है कि किसी को निवेदन करने का हक नहीं है ?

श्री महीलाल--

श्रीमन्, हर कार्य के लिए निवेदन करने के लिए नियम है। नियम के बाहर करना चाहते हैं तो नियम को निलम्बित करने का अधिकार है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

जो कार्यवाही हो रही है वह अनियमित नहीं हो रही है।

श्री महीलाल--

श्रीमन्, नियम ६० का दूसरा खंड देखें। इसमें लिखा है--"यदि अनुज्ञा देने पर आपत्ति की जाय, तो अध्यक्ष उन सदस्यों से, जो अनुज्ञा प्रदान करने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे और यदि तदनुसार कम से कम तात्कालिक सदन के कुल सदस्यों के द्वादशांश सदस्य खड़े हो जायं तो अध्यक्ष सूचित करेंगे कि अनुज्ञा प्रदान की गयी।" तो, मान्यवर, कितनी ही महत्वपूर्ण बात क्यों न हो इस सदन में उस पर किसी नियम के अन्तर्गत ही वाद-विवाद हो सकता है।

(व्यवधान)

अगर नियमों के बाहर बोलने की छूट दी गयी तो सदन का काम चलना मुश्किल हो जायगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, मैं अपने मित्र की बड़ी देर से आलोचना सुन रहा हूं। मुझे मालूम नहीं कि वह नियम ३१३ को क्यों भूल जाते हैं ? मैं इसको पढ़े देता हूं--"ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से संबद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश करें।" क्यों भूल जाते हैं यह समझ में नहीं आता है। हर रोज यहां पर सड़े गले सवाल उठाये जाते हैं। जब कभी ऐसे सवाल उठाये जायंगे तो...

(व्यवधान)

मैंने ठीक ही कहा है। एक हमारे मित्र शिवराज सिंह जी खड़े हो जाते हैं। एक प्रकार से जब कभी इस प्रकार से बातें आ जाती हैं तो लोकशाही में उत्तेजना फैलती है। बड़ी साधारण

बात थी। हमारी बेगम साहिबा ने एक सवाल उठाया। माननीय ने सब को अवसर दिया और सभी ने अपनी भावनाओं को यहां पर व्यक्त किया। उसमें नारी जाति से सम्बन्धित सारी बातें थीं। हमारे मित्र तो किताब उठा कर बातें करने लगते हैं। ३१३ के अन्दर अध्यक्ष को अपरिमित शक्ति दी गई है। उनको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। ३१४ भी उसके आगे दिया है। उनको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मैं उसको भी सदन के समक्ष पढ़ देना चाहता हूं ताकि आये दिन इस प्रकार के प्रश्न न उठाये जायं। सदन में जो पीठासीन अध्यक्ष होता है उसको अपरिमित शक्ति प्राप्त होती है। ३१४ में यह है कि किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी। माननीय ने यह निर्णय दिया था तो हम सब को अवसर मिला और अपनी भावनाओं को हमने व्यक्त किया। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो एक-दो और सदस्य बाकी हैं उनको भी आप मौका दे दें। सरकार उधर चुपचाप बैठी है। यह कहा जा सकता था कि अगर कोई बात मुंह से निकल गई तो उसको वापस लिया जा कता है और बड़ी आसानी से इस चीज को समाप्त किया जा सकता था। ऐसा कर देते तो बात समाप्त हो जाती। किन्तु इस प्रकार से नियम का सहारा लेकर बार-बार सदस्यों की भावनाओं को रोकना अनुचित है।

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मान्यवर, जिस प्रश्न पर इस समय आपने कृपा करके विचार करने के लिये आदेश दिये हैं उनके दो पहलू हैं। एक पहलू तो नारी समाज या मानव समाज की सामान्य प्रतिष्ठा का है। मैं श्रीमन्, अपनी ओर से, इस सरकार की ओर से और अगर आप आज्ञा दें तो माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से भी यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक नारी समाज के सम्मान की रक्षा का प्रश्न है यह सरकार और सदन के प्रत्येक सदस्य चाहे वे इधर के हों और चाहे उधर के हों सब की एक ही राय है कि नारी के सम्मान की पूर्ण रक्षा होनी चाहिये और कठोरतम दंड जो कानून की परिधि के अन्दर हैं; ऐसे लोगों को दिया जा सकता हो, वह कानून के अन्तर्गत दिया जाना चाहिये। तो जहां तक यह प्रश्न है यह कोई विवादास्पद नहीं है।

दूसरा पहलू इस सवाल का यह है कि देश का यह दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में ऐसी अनैतिकता है कि इस प्रकार की घटनायें घटित होती रहें। ऐसी जो घटना घटित हुई उनमें से एक घटना की ओर इस सदन में ध्यान दिलाया गया है। तो दूसरा पहलू यह है कि जहां कठोरतम दंड मिले कानून की परिधि के अनुसार वहीं पर मैं यह नहीं कहता कि इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती या विवाद न हो। पहले भी इस तरह की चीजों पर विवाद हुआ है व्यक्तिगत प्रश्न के आधार पर मैं नहीं कहता। इस संबंध में जो कुछ भी आपका निर्णय होगा वह सरकार को मान्य होगा लेकिन यह कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो बात कही उसी तरह से मुरादाबाद में भी उन्होंने कहा था कि इस तरह की घटनायें पिछले कई दिनों से लगातार घटित हो रही हैं यह सुनने में आ रहा है तो इस प्रकार से जो भी घटना घटित होती है, अगर उन सब पर विस्तार से चर्चा इस सदन में होने लगे तो शायद सदन जो कार्य करना चाहता है वह कार्य न हो सके। तो इस पहलू की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ऐसे तो श्रीमन् का जो भी निर्णय होगा, वह तो सरकार को स्वीकार होगा ही। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि नियम के अनुसार कार्य-स्थगन प्रस्ताव की रूप-रेखा पर जो भी व्यवस्था देना चाहें दें जिससे यह अव्यवस्था समाप्त हो।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था····

(व्यवधान)

श्री उमानाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, यह राम और कृष्ण का प्रदेश है और जैसा कि पांडेय जी ने बतलाया कि एक द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ और एक सीता के कारण राम-रावण युद्ध हुआ। श्रीमन्,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उमानाथ सिंह]

जरा सी उंगली का स्पर्श करने के कारण श्री चतुर्भुज शर्मा को मंत्रिमंडल से अलग होना पड़ा था और इसी तरह से श्री अलगूराय शास्त्री को मंत्रिमंडल से अलग होना पड़ा था।

(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह से कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में यहां लोगों की भावनाओं को जानना चाहते हैं? आज हमारे दोस्त जिस तरह से अपने खयालात का इजहार कर रहे हैं · · · ·

(व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें शर्मा जी भी आ गये, लंका भी आ गया, फिर कल लन्दन और न्यूयार्क आ जायायेगा।

(व्यवधान)

लोग उधर आपका कहना नहीं मान रहे हैं और मैं आपके हुक्म का पालन कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप सब कृपा करके बैठें।

श्री मंजूर अहमद—

अगर गौर से आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारे हकूक की यहां हिफाजत कौन करेगा?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

हमारा तो नम्बर ही नहीं आता, हमारी आप सुनते ही नहीं हैं · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है तो इस तरह से हल्केपन से यदि इसको लिया जायगा और शोर होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? जो आप के भाव हैं और विचार हैं उनसे अपना निकटतम संबंध जोड़ते हुये मैं यह कहता हूं कि अगर इसमें माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकृत न लिखा होता और उन्होंने यह फैसला न किया होता तो मैं कुछ कर सकता था लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकृत किया है। तो अब यह सवाल समाप्त होता है। अब अगर सब बोलने की इस तरह से कोशिश करते हैं तो मैं यह समझूंगा कि आप सदन को इस समय चलाना नहीं चाहते हैं।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

एक बात मैं कहना चाहता हूं · · · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें, इससे ज्यादा पीठासीन अधिकारी और क्या कर सकता है ? अब कार्य सूची का नं० ११ लिया जायगा ।

पर्वतीय क्षेत्रों में ओला वृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व उप-मंत्री (श्री रामकिंकर)—

उत्तर प्रदेश में फरवरी, मार्च, १९७० में उपलवृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में मैं एक वक्तव्य सदन में पहले ही दे चुका हूं । २० मई, १९७० तथा उनके बाद प्रदेश के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा हुई तथा कहीं-कहीं पर ओले भी गिरे । चमोली तथा उत्तर काशी जिलों से यह सूचना मिली है कि वहां फसल आदि को कोई क्षति नहीं हुई है ।

पिथौरागढ़ जिले में २० मई, १९७० को भारी वर्षा होने के कारण ग्राम सेरा उर्फ बड़ौली तथा मनौली सेरा में मलवा आ जाने से क्रमशः १६ तथा २८ मकानों को कुछ क्षति पहुंची जिससे करीब १०,००० रुपये का नुकसान हुआ ।

टिहरी-गढ़वाल जिले में २४-५-७० को चम्बा-मसूरी फलपट्टी के आस-पास के ८ ग्रामों में खड़ी फसल को भारी क्षति हुई है जिसका अनुमानित मूल्यांकन लगभग १०-१२ लाख रुपये हैं । ये गांव हैं:—१—सौड़, २—खुरेत, ३—चौपड़याल, ४—चुरेड़धार, ५—ढुंगली, ६—झकोगी, ७—तिखोन तोक ८—नैरक थौगी । इन ग्रामों में आलू, सेव तथा मटर की फसल को ७५ प्रतिशत तथा गेहूं की फसल को ५० प्रतिशत क्षति होने का अनुमान है । मनुष्यों तथा पशुओं व मकान आदि की कोई क्षति नहीं हुई है । पड़ताल जारी है ।

गढ़वाल जिले में माह मई के अन्तिम सप्ताह में ओलावृष्टि के कारण फलदार पेड़ों को नुकसान तो अवश्य हुआ किन्तु यह लगभग नगण्य है । वर्षा से रबी की फसल व आलू, प्याज आदि को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची । जिले के दक्षिणीपूर्वी भाग पट्टी बिजलौट और इंडिया कोट तला के ग्राम पटौटिया और अपोला में भीषण वर्षा और तुफान के कारण ४ व्यक्तियों की नालों में बह जाने से मृत्यु हो गई, इन व्यक्तियों के नाम हैं —श्री दौलतराम, श्रीमती बवाली देवी, श्रीमती सुशीला देवी तथा श्रीमती दौलतो देवी ।

अल्मोड़ा जिले में २०-५-७० को भीषण वर्षा से दो ग्रामों में अर्थात् ग्राम चक्की पट्टी बारू तथा ग्राम डसीली पट्टी रंगोड़ में जन तथा पशुओं के प्राणों की हानि हुई । ग्राम चल्ली, में लोग, जागेश्वर, वैशाखी पूर्णमासी का मेला देखने आये थे । लौटते समय जब वे लोग पास में बहने वाली नदी को पार कर रहे थे तो भारी वर्षा हो रही थी । नदी को पार करते समय श्रीमती नदुली देवी तथा कुमारी दया देवी नदी में बह गयी । कुमारी दया देवी का शव बहने के स्थान से २ मील दूर मिला । श्रीमती नदुली देवी का शव नहीं मिला । उनके पति श्री डिंकर सिंह को २५ रुपये की अहेतुक सहायता दी गई । ग्राम डसीली में २०-५-७० को भारी वर्षा से श्री हीरा सिंह के मकान पर पानी व मलवा आया जिससे उसमें ठहरे हुए श्री बिशन सिंह की पत्नी तथा तीन बच्चियां दब कर मर गईं । एक अन्य वृद्ध स्त्री जो उनके साथ रह रही थी वह भी उस दुर्घटना की शिकार हो गई । ७ जानवर भी उक्त दुर्घटना में मरे । इस दुर्घटना से २,७५० रुपये की क्षति आंकी गई है । मृतकों में से केवल एक लड़की कुमारी चन्द्रा देवी का शव डेढ़ दो मील दूर पाया गया । मलवा भी खोदा गया उसमें ४ मवशियों के शव मिले । श्री हीरा सिंह के मकान को लगभग ३,००० रु० की क्षति पहुंची । इनके मकान से लगे हुए दो और मकानों को ५००, ५०० रुपये की मामूली क्षति पहुंची है । इसके अलाआ पास की भूमि भी

[श्री राम किंकर]

मलवे से दबी है जिसका रकबा १५ या २० नाली है। इसमें मडुंवा व धान बोया हुआ था जो अभी उग भी न पाया था वह भी नष्ट हो गया। क्षतिग्रस्त मकान से लगभग २०० गज ऊपर वन पंचायत के ठेकेदार की लकड़ियों का चट्टा लगा हुआ था। उसमें पानी व मिट्टी आदि रुकने से दबाव पड़ा और वह भू-स्खलन के रूप में नीचे की ओर बह चला। इसी से मकान, जन तथा पशुओं को क्षति पहुंची। श्री विशन सिंह को २५ रुपये की अहेतुक सहायता तथा रेडक्रास के कम्बल और कपड़ा उपलब्ध कराया गया। श्रीमती नदुली देवी मृतक के पुत्र को २५ रुपये की निःशुल्क सहायता दी गई। श्री हीरा सिंह को १२५ रु० की गृह निर्माण सहायता स्वीकृत की गई है। रानीखेत तथा अल्मोड़ा तहसीलों में मई के अन्तिम सप्ताह में वर्षा तथा ओले से कोई क्षति नहीं हुई है। चम्पावत तहसील में दिनांक २७-५-७० को उपलवृष्टि से ५ से १५ प्रतिशत तक की फलों के पौधों को क्षति हुई है।

नैनीताल जिले में वर्षा तथा ओलावृष्टि से रामगढ़-पहाड़ पानी क्षेत्र की ८ पट्टियों के २८ ग्राम प्रभावित हुए हैं। उनमें हुई क्षति का अनुमानित प्रतिशत निम्नलिखित है :—

नाम पट्टी		सं० ग्राम	अनुमानित क्षति का प्रतिशत
१ चौमेसी	..	८	६ से ३० प्रतिशत तक।
२ नाई	..	४	६ से १२ प्रतिशत तक।
३ पतलिया	..	१	१५ प्रतिशत।
४ सुन्दरखाल	..	२	२० से २५ प्रतिशत तक।
५ पूर्वी आगर	..	५	१० से २५ प्रतिशत तक।
६ सतबुगा	..	४	१० से १५ प्रतिशत तक।
७ मथुऔखान	..	३	१५ से २८ प्रतिशत तक।
८ गहरा	..	१	१० प्रतिशत।

यह क्षति फलों के तथा कटी हुई गेहूं की फसल के सड़ जाने से हुई। जहां तक आलू की फसल में क्षति होने का प्रश्न है, आलू के खेतों में पानी रुक जाने से और बाद को धूप पड़ने से भविष्य में सड़न पैदा होने के कारण क्षति हो सकती है। उपरोक्त २८ ग्रामों की फसल और फल का प्रभावित कुल क्षेत्र ४,५८० एकड़ है। इसमें अनुमानित हानि १,७३,९६० रुपये की हुई है।

*श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, यह जो वक्तव्य है, अपने आप में इतना गलत है कि इसके कुछ अंश में माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछने के पूर्व आपके समक्ष पढ़ कर सुनाता हूं कि किस प्रकार से सरकार वक्तव्य देती है। इस में लिखा है कि क्रमशः १६ तथा २८ मकानों को कुछ क्षति पहुंची है जिससे करीब १०,००० रुपये का नुकसान हुआ है। श्रीमन्, पहाड़ में पक्के मकान कोई भी ५ हजार से कम नहीं बनता है। इनके कहने के अनुसार अगर १६ मकानों की क्षति हुयी है तो यह १० हजार का कैसे नुकसान हुआ है ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आगे टिहरी-गढ़वाल जिले के बारे में लिखा है कि मनुष्यों तथा पशुओं व मकान आदि की कोई क्षति नहीं हुयी है, पड़ताल जारी है। कहते हैं कि जांच-पड़ताल जारी है। मैं स्वयं टिहरी गढ़वाल गया था। मैंने देखा कि जहां सड़कों द्वारा अधिकारी गण जा सकते थे वहां वे गये लेकिन इन्टीरियर में नहीं गये। वहां पर कितनें मकान क्षतिग्रस्त हुए और कितने जानवर मरे लेकिन ये कहते हैं कि जांच-पड़ताल जारी है।

फिर गढ़वाल जिले के बारे में कहते हैं कि वहां पर माह मई के अंतिम सप्ताह में ओलावृष्टि के कारण फलदार पेड़ों को नुकसान तो अवश्य हुआ लेकिन यह नगण्य है। आगे कहते हैं कि जिले के दक्षिणी-पूर्वी भाग पट्टी बिजलोट और इंडिया कोटतला के ग्राम पटौटिया और अपोला में भीषण वर्षा और तूफान के कारण ४ व्यक्तियों की नालों में बह जाने से मृत्यु हो गई। श्रीमन्, चार व्यक्ति मर गये। इतनी भीषण बारिश हुई कि तमाम जो खलिहानों में गेहूं था वह सफा हो गया। यह कहते हैं कि चार व्यक्ति मर गये कोई नुक्सान नहीं हुआ। इसी प्रकार अल्मोड़ा में दिखाया है—अल्मोड़ा जिले में २०-५-७० को भीषण वर्षा से दो ग्रामों में अर्थात् ग्राम चक्की पट्टी दारूं तथा ग्राम हसौली पट्टी रंगोड़ में जन तथा पशुओं के प्राणों की हानि हुई। वहां पर सात पशु मरे हैं। दो नदी में बह गये हैं। इतना भीषण ओला वृष्टि अल्मोड़ा और पहाड़ों में कभी नहीं हुई। आध-आध सेर के ओले गिरे। ये कहते हैं कि फलदार वृक्षों और साग-सब्जी का कोई नुकसान नहीं हुआ। नैनीताल में भी वैसा ही नुकसान हुआ लेकिन कोई नुक्सान नहीं हुआ। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जब ऐसा वक्तव्य आपकी कृपा से नियम ५१ में स्वीकृत होता है तो उसको सही ढंग से देने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में मैं प्रश्न करता हूं—

(१) मंत्री जी इन चीजों को जो मैंने बताईं मद्दे-नजर रखते हुए इसमें दोबारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

(२) जो व्यक्ति मरे हैं और जिनके मकान नष्ट हो गये हैं क्या उनको आप ज्यादा सहायता देने की कृपा करेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था तो दे दी है कि नियम चाहे जैसा हो लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हों उनमें भावनायें जरूर आ जानी चाहिये। माननीय बड़ौनी साहब ने वक्तव्य से कई अंश पढ़ने के बाद यह कहा कि इन बातों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर दिया जाय। आपने जो बातें कही हैं उनको तो मैं देख लूंगा और मुझे इस समय जो याद हैं उनको मैं बता रहा हूं। उन्होंने यह बातें कही कि पहाड़ों में मकान दस हजार का भी बन सकता है। मकान वहां पर तीन हजार का भी हो सकता है। उन्होंने यह नहीं कहा कि फलां आदमी का नुक्सान हुआ है, वह उन्होंने खुद देखा है और उसकी इतनी क्षति हुई है, यह नहीं बताया। उसकी हम बराबर जांच करा लेते। अगर आप डेफिनिटली किन्हीं मामलों में, जिनमें मृत्यु हुई है, चाहे सहायता की बात है, जिक्र करते हैं तो उसके कानून बने हुए हैं। हम विचार कर रहे हैं कि इसमें कोई परिवर्तन करें। पक्के मकान के लिये अहेतुक सहायता १२५ रुपये और वैसे पच्चीस रुपये से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। हम महसूस करते हैं कि कहीं-कहीं सहायता कम होती है। बाकी तकावी वगैरह की सहायता है वह आधिक से अधिक दिलाने की कोशिश की जायगी। दूसरे यह भी कोशिश की जायगी कि ,अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको वाकई में और सहायता की जरूरत हो तकावी के अलावा तो चाहे नियम कुछ भी हो उसमें भी जहां से हो सकता होगा सहायता दिलाने की व्यवस्था करेंगे। मैं बड़ौनी साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे डेफिनिट मामलों को बतायें। मैं नहीं समझता कि हम उसको कहां तक कर सकेंगे पर जो कुछ वे बतायेंगे उसकी पूरी-पूरी कोशिश की जायगी।

श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने जब बारिश होने के बहुत दिनों बाद अपने-अपने क्षेत्र का दौरा किया और यहां लौटकर नियम ५१ के प्रश्न जब दिये हैं तो उसके बाद अधिकारी जांच करते हैं और सरकार को सूचना देते हैं। इतनी भयंकर ओलावृष्टि और बारिश हुई है कि उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में आलू और फल तथा गेहू की फसल नष्ट हो गयी और करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र में साधारण से साधारण मकान भी ५ हजार में बनता है। माननीय मंत्री जी सहायता १२५ रुपये और २५ रुपये देते हैं। इस सहायता से क्या बन सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका सवाल क्या है ?

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

जो सहायता देते हैं मंत्री जी उससे कोई लाभ नहीं होता। इस तरह की घटनाओं में सहायता की धनराशि नुकसान की आधी तक तो होनी ही चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समय नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो सूचना आपके पास हो वह आप मंत्री जी को दे दें, वे उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

माननीय मंत्री जी यह आश्वासन दें कि वे सहायता की धनराशि को बढ़ावेंगे और जो तकावी वसूल की जा रही है उसको स्थगित करने के आदेश जिलाधिकारियों को देंगे।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, इसमें पृष्ठ २ पर देखें। तीन जगह लिखा है २५ रुपये····

एक सदस्य—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, कोरम नहीं है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

इस में कोरम की जरूरत नहीं होती, श्रीमन्।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

सरकार सवालों से बचने के लिये कोरम का सवाल उठा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम की आवश्यकता हर वक्त होती है। कोरम पूरा होने पर ही आप कृपया बोलें। इस बीच यह लिखा नहीं जायगा।

(घंटी बजायी गयी)

श्री उपाध्यक्ष—

घंटी बज रही है, अभी कोरम पूरा नहीं हुआ है। अच्छा अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१८ जून, १९७०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६६ पर)

श्री कृष्णकान्त के दसवें गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के सम्बन्ध में सूचना

अवधि ८ अप्रैल, ६९ से ३१ मई, ७० तक ।

क्रम-संख्या	आवेदन कर्ता का नाम तथा पद	आवेदन-पत्र देने की तिथि	अवकाश की अवधि	आवेदन-पत्र अस्वीकार करने की तिथि	अस्वीकार करने का कारण
१	२	३	४	५	६
१	श्री त्रिभुवन नाथ शुक्ला, तहसीलदार	.. ..	१०–३–७० से ७–४–७० ।	२–५–७०	अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहे ।
२	श्री रामबल्ला श्रीवास्तव, सहायक वासिल बाकी नवीस, तहसील बिसवां ।	१९–६–६९	१९–६–६९ से २३–७–६९ ।	७–७–६९	बिना अवकाश स्वीकृत कराये छुट्टी पर शहर से बाहर चले गये ।
३	श्री गंगा प्रसाद पाण्डे, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो ।	२०–१–७०	२०–१–७० से १५–२–७० ।	७–२–७०	इनका स्थानान्तरण मिश्रिख तहसील से सदर कार्यालय किया गया था वहां पर यह जाना नहीं चाहते थे । इसके लिये उन्होंने राजनैतिक तथा अन्य प्रकार का वाह्य दबाव डलवा रहे थे ।
४	श्री सुरेन्द्र सिंह, अस्थायी अमीन, तहसील सिधौली	९–२–७०	९–२–७० से २२–३–७० ।	१०–३–७०	वस्तुतः बीमार नहीं थे बहाना मात्र था ।
५	श्री भगवान बख्श सिंह, स्थायी अमीन, तहसील मिश्रिख ।	१९–८–६८	१९–८–६८ से ३०–४–७० ।	२९–४–७०	जनपद शल्यक की सम्मति प्राप्त करने को कहा गया परन्तु उनके सम्मुख सूचना पाने के बाद भी नहीं गया ।

अवध प्रदेश विधान सभा

६	श्री प्रताप नरायन मिश्र, स्थायी अमीन, तहसील सिधौली ।	२६–४–६९	२६–४–६९ से ९–७–६९ । ६–२–७० से १९–२–७० ।	२२–७–६९ २५–३–७०	वस्तुतः बीमार नहीं थे बहाना मात्र था ।
७	श्री रुद्र प्रताप सिंह, स्थायी अमीन, तहसील सीतापुर	१–११–६९	१–११–६९ से ५–१२–६९ ।	६–११–६९	वस्तुतः बीमार नहीं थे बहाना मात्र था
८	श्री राम दयाल, स्थायी अमीन, तहसील सिधौली	१–३–७०	१–३–७० से ११–४–७० ।	३–४–७०	उपरोक्त
९	श्री शारदा प्रसाद, अस्थायी अमीन, तहसील सिधौली ।	४–१२–६९	४–१२–६९ से १४–१–७० ।	३१–१२–६९	उपरोक्त
१०	श्री गिरजा दयाल, अस्थायी अमीन, तहसील सिधौली	१–१२–६९	१–१२–६९ से ११–१–७० ।	३१–१२–६९	उपरोक्त
११	श्री तेज राम, स्थायी अमीन, तहसील सिधौली	१–१२–६९	१–१२–६९ से ४–१–७० ।	३१–१२–६९	उपरोक्त
१२	श्री श्रीप्रकाश सिंह, अस्थायी अमीन, तहसील सिधौली	२–१–७०	२–१–७० से १२–२–७० ।	२३–१–७०	उपरोक्त
१३	श्री सूरज बख्श सिंह, स्थायी अमीन, तहसील सिधौली	३१-१२-६९	३१–१२–६९ से २४–३–७० ।	२३–१–७०	उपरोक्त
१४	श्री ब्रह्म दत्त शर्मा, चकबन्दी कर्ता (बन्दोबस्त कार्यालय, सीतापुर) ।	१२–६–६९	१२–६–६९ से १३–८–६९ ।	२४–६–६९	झूटे कारणों को दिखाकर अवकाश ग्रहण करन का प्रयत्न किया ।

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६८ पर)

प्रथम सत्र १९७० के १०वें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री महरम सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तर में वर्णित तालिका

उद्योग का नाम		केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़		जिला कारागार, फतेहगढ़	
		प्रशिक्षण में बन्दियों की संख्या	प्रशिक्षण प्राप्त बन्दियों की संख्या	प्रशिक्षण में बन्दियों की संख्या	प्रशिक्षण प्राप्त बंदियों की संख्या
१—अम्बर चर्खा	..	४७	१६३	१	६
२—कपड़ा बुनाई	..	१९	१६०	—	—
३—टेन्ट उद्योग	..	२०	७३	—	—
४—दरी उद्योग	..	८	१००	२	२
५—निवाड़ उद्योग	..	४३	६९	—	—
६—मैट उद्योग	..	—	४२	—	—
७—सिलाई उद्योग	..	—	६	—	—
८—छपाई उद्योग	..	—	२	—	—
९—रस्सी उद्योग	..	—	२६	—	—
१०—चिक उद्योग	..	—	८	—	—
११—लोहारखाना	..	—	२२	—	—
१२—बढ़ई खाना	..	—	६१	—	—
१३—रंगाई उद्योग	..	—	७	—	—
१४—कालीन उद्योग	..	—	१२	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० सं० ६२ व ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६८ पर)

१-१-७० से १५-५-७० तक इलाहाबाद जिले के फूलपुर, हंडिया और सराय ममरेज थाना के अन्तर्गत पड़ी डकैतियों के बारे में सूचना

क्रम-संख्या व थाना का नाम	घटना का दिनांक	व्यक्तियों का नाम, पता जिनके यहां डकैती पड़ी व वादी का नाम तथा संबंधित व्यक्तियों से उसका संबंध	लूटे गये माल की कीमत (प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार)	की गई कार्यवाही
१	२	३	४	५	६
			रु०	
१ फूलपुर	९/१०-१-७०, आधी रात	राम दुलार, पुत्र बैजनाथ, ग्राम सा० कस्बा डीह, थाना फूलपुर।	१७४३	धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० का मुकदमा कायम किया गया। तीन अभियुक्त गिरफ्तार किये गये और एक ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। इन चार में से २ की शिनाख्त नहीं हो पाई अतः वे छोड़ दिये गये। शेष २ की कार्यवाही शिनाख्त बाकी है।
२ हंडिया	१०/११-४-७०, २-३० रात्रि,	ललई राम वैश्य, पुत्र जानकी प्रसाद, सा० बालीपुर, थाना हंडिया।	६२५	धारा ३९५/३९७/३२३ भा० दं० वि० का मुकदमा दर्ज किया गया। जांच जारी है।
३ सराय ममरेज	२/३-४-७०, १२-०० बजे रात।	कैलाश नरायन, पुत्र हीरालाल, सा० मैठाही, थाना सराय ममरेज।	७०३४	धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० का मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के फलस्वरूप १,३१६ रु० का माल बरामद हुआ और नौ अभियुक्त गिरफ्तार हुए जिनका चालान किया गया।
४ सराय ममरेज	१०/११-४-७०, १२ बजे रात।	देवकान्त पांडे, पुत्र राम अनूप, सा० रोवनीपुर, थाना सराय ममरेज।	३,७८६	धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० का मुकदमा दर्ज किया गया जांच जारी है।

१	२	३	४	५	६
				रु०	
५	सराय ममरेज	१/२–५–७०, आधी रात।	रामलखन, पुत्र रघुबीर यादव, सा० दुधरी, थाना सराय ममरेज।	३,२८७	धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० का मुकदमा दर्ज किया गया। एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। जांच जारी है।
६	सराय ममरेज	१/२–५–७०, १०–३० बजे रात।	कामता, पुत्र जगदेव, सा० मांगीपुर, थाना सराय ममरेज।	१०४	,, ,,
७	सराय-ममरेज	३/४–५–७०, अर्ध रात्रि।	जैकरन, पुत्र बैजू यादव, सा० खामरी, थाना सराय ममरेज।	१,८७२	धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० का मुकदमा दर्ज किया गया। जांच जारी है।
८	सराय ममरेज	१०/११–५–७०, ११ बजे रात।	राम प्रयाग, पुत्र विशेश्वर कुर्मी, सा० आसा ननहीं महीउद्दीनपुर, थाना सराय ममरेज।	२,५६०	धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० का मुकदमा दर्ज किया गया। जांच जारी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्र० सं० ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७२ पर)

कानपुर जिले के मंगलपुर थाने में १–२–७० से ५–५–७० तक की अवधि में जिन–जिन गांवों में जिन–जिन व्यक्तियों की हत्या हुई उनके नाम नीचे दिये हुए हैं :—

ग्राम	कत्ल किये गये व्यक्तियों का नाम
जैतीपुर	(१) उदय पाल सिंह, (२) जगरूप सिंह।

इसी अवधि में थाना मंगलपुर में डकैती, कत्ल, राहजनी और मारपीट की घटनाओं की सूचना निम्नवत् है : —

अपराध	घटनाओं की संख्या	घटनास्थल	की गई कार्यवाही
डकैती	३	(१) नौवन का पुरवां ..	(१) न्यायालय के विचाराधीन।
		(२) सन्दलपुर ..	(२) जांच जारी है।
		(३) झींझक ..	(३) जांच जारी है।
कत्ल ..	१	(१) जैतीपुर ..	(१) जांच जारी है।
राहजनी	१	(१) कचौसी बाजार ..	(१) न्यायालय के विचाराधीन।
मारपीट	९	(१) शाहपुर ..	(१) जांच जारी है।
		(२) अकारन ..	(२) अदम तफतीश।
		(३) अकना ..	(३) अदम तफतीश।
		(४) निघौवा ..	(४) अन्तिम रिपोर्ट।
		(५) बिचौलिया ..	(५) अन्तिम रिपोर्ट।
		(६) गढ़िया सिकन्द्रा ..	(६) न्यायालय में विचाराधीन।
		(७) गढ़िया सिकन्द्रा ..	(७) अदम तफतीश।
		(८) सढ़रामऊ ..	(८) न्यायालय के विचाराधीन।
		(९) कचौसी बाजार ..	(९) न्यायालय के विचाराधीन।

नत्थी 'ङ'

(देखिये ता० प्र० सं० ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७२ पर)

आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना के अन्तर्गत १९६३ में अवधू सिंह कांड में पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमों में पुलिस की ओर से रखे गये गवाहों की सूची ।

१—सब-इ०, श्री सूर्य नरायन दुबे, एस० ओ०, महराजगंज ।
२—सब-इ०, श्री अनवारुल हक, सब-इ० द्वितीय, थाना महराजगंज ।
३—श्री अलताफ बेग, पुत्र शाफत बेग, प्रधान, ग्राम हरवंशपुर, थाना महराजगंज ।
४—श्री बंशराज, पुत्र हरदत्त अहीर, हरवंशपुर, थाना महराजगंज ।
५—श्री इशमद, पुत्र बशीर बेग, ग्राम हरवंशपुर, थाना महराजगंज ।
६—श्री इखलाक, पुत्र हनीफ बेग, ग्राम हरवंशपुर, थाना महराजगंज ।
७—ठकुरी, पुत्र जयपाल अहीर, नि० ग्राम भीलमपुर, थाना महराजगंज ।
८—हे० कां० ४ सी० पी० राम सेकल लाल, थाना महराजगंज ।
९—कां० ७३ सी० पी० अवधेश नरायन लाल, थाना महराजगंज ।
१०—कां० १९८ सी० पी० सरजू उपाध्याय, थाना महराजगंज ।
११—सरमान, पुत्र दुखन्ती बरई, ग्राम हरवंशपुर, थाना महराजगंज ।
१२—कां० ४०० सी० पी० पारसराम सिंह, थाना महराजगंज ।
१३—कां० ५६ सी० पी० मुहम्मद अयूब, थाना महराजगंज ।
१४—कां० ११० सी० पी० मुहम्मद आबिद, थाना महराजगंज ।
१५—कां० १५४ सी० पी० रामचीज सिंह, थाना महराजगंज ।
१६—मुहम्मद इदरीश, पुत्र अख्तर बेग, नि० हरवंशपुर, थाना महराजगंज ।
१७—सिराजुल हक, पुत्र दीन अली बेग ,, ,, ,,
१८—कोमल सिंह, पुत्र बृजमोहन सिंह, ग्राम महनीन, थाना महराजगंज ।
१९—इदरीश, पुत्र खुन्दा, ग्राम सिकन्दरपुर ।
२०—संतू सिंह, पुत्र राम नरेश सिंह, ग्राम हरखपुर, थाना महराजगंज ।
२१—नबी सरवर, पुत्र हंसाली बेग ,, ,, ,,
२२—कां० २१६ सी० पी० बालकरन सिंह, थाना महराजगंज ।
२३—श्री पी० एन० शर्मा, यस० डी० यम०, सगरी, आजमगढ़ ।
२४—डा० बी० बी० माथुर, एम० आई०, सदर अस्पताल, आजमगढ़ ।
२५—हे० कां० शिव सागर सिंह, सदर मालखाना, मुहर्रिर, आजमगढ़ ।
२६—श्री बी० एन० खरे, सी० आई० सेकेन्ड, आजमगढ़ ।

नत्थी 'च'

(देखिये ता० प्र० सं० ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७३ पर)

थाना कंधरापुर क्षेत्र में पड़ी डकैतियों व कत्ल के समय अवकाश पर होने वाले सिपाहियों की सूची

क्रम-सं०	नाम	अवकाश दिन	दिनांक
१	कां० ३८५ सी० पी० परशुराम राम	३	११-३-७०
२	कां० २४४ सी० पी० लाल बाबू मिश्र	३	२८-१-७०
	" " ..	३	४-४-७०
३	कां० ४६८ राम जतन तिवारी	२	२०-२-७०
	" " ..	३०	२५-४-७०
४	का० २८ नगनरायन सिंह	३	२०-२-७०
	" " ..	३	१०-४-७०
५	का० ४७० बच्चा सिंह	३	११-४-७०
६	कां० ५०९ हौसला पाण्डे	३	१-४-७०
	" " ..	३	८-३-७०
	" " ..	३०	२२-४-७०
७	कां० ४६० राम अचल मिश्र	२	२६-२-७०
	" "	२	३१-३-७०
	" " ..	३	६-४-७०
	" " ..	१	१६-४-७०
	" " ..	३	१९-४-७०
८	कां० ४ परमहंस सिंह	२	१७-१-७०
९	कां० ४३१ वसी उल्ला	३	२६-३-७०
	" " ..	२	१-५-७०
१०	कां० २२८ परमेश्वर पाण्डे	३	७-१-७०
	" " ..	३०	२५-२-७०
११	कां० ७९ अब्दुल अजीज	२	२५-२-७०
१२	कां० ३८ जंत्री प्रसाद	५	२-१-७०
१३	कां० १२८ गंगा पाण्डे	३	२-१-७०
	" " ..	१५	१८-१-७०
१४	कां० ४५ अजहर हुसैन	५	१८-२-७०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये ता० प्र० सं० ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७४ पर)

मेरठ डिवीजन के प्रत्येक जिले में मध्यावधि चुनाव से संबंधित मुकदमों का व्योरा ।

क्रम-संख्या	जिला		पुलिस थानों में दर्ज हुए मुकदमों की कुल संख्या	मुकदमों की संख्या जो अदालत को भेजी गईं	मुकदमों की संख्या जो अब भी अदालत में चल रहे हैं
१	बुलन्दशहर	..	१०	..	..
२	देहरादून	..	२	..	..
३	मेरठ	..	४३	३२	२
४	मुजफ्फरनगर	..	८२	३३	६
५	सहारनपुर	..	१५	१५	७
	योग	..	१५२	८०	१५

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ज'

(देखिये ता० प्र० सं० ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७५ पर)

अभियुक्तों के पते

१—रामकिशन, पुत्र राम दयाल, निवासी नरसिंहपुर, थाना कुंडा।
२—शत्रुघन उर्फ कबाड़ी, पुत्र राजाराम, निवासी शुकुलपुर, थाना बाघराय।
३—राजाराम, निवासी हथगवां, थाना कुंडा।
४—त्रियुगी नरायन, पुत्र कालिका प्रसाद, निवासी बिहरिया समसपुर, थाना कुंडा।
५—राम चन्दर, पुत्र रामदत्त, निवासी बिहरिया समसपुर, थाना कुंडा।
६—त्रिलोकी, पुत्र रामदत्त, निवासी बिहरिया समसपुर, थाना कुंडा।
७—सुखराम, पुत्र बाबू पासी, निवासी दयालपुर, थाना कुंडा।
८—राम लखन, पुत्र भैरो प्रसाद, निवासी किलहनापुर, थाना कुंडा।
९—शिव नरायन, पुत्र द्वारिका, निवासी भटपुरवा, थाना कुंडा।
१०—विद्या, पुत्र जगजीत प्रसाद, निवासी बिहरिया, थाना कुंडा।
११—राज बहादुर, पुत्र शम्भू, निवासी बिहरिया, थाना कुंडा।
१२—हौदनाथ, पुत्र बैजनाथ, निवासी बिहरिया, थाना कुंडा।
१३—चुनचुन बनिया, निवासी तेलियरगंज, जिला इलाहाबाद।
१४—रामपाल, पुत्र कल्पनाथ, निवासी बिहरिया, थाना कुंडा।
१५—रामदुलारे, सा० मिश्रपुर, थाना कुंडा।

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये ता० प्र० सं० १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७९ पर)

उर्दू भाषा के लिये दी जाने वाली सुविधाओं की तालिका

शैक्षिक सुविधायें :—

प्राथमिक स्तर पर उर्दू भाषा भाषी बच्चों को अपनी मादरी जबान के जरिये शिक्षा पाने की सुविधायें प्रदत्त हैं। जहां एक कक्षा में १० बच्चे या स्कूल में ४० बच्चे हैं, वहां उर्दू के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था होती है। निजी संचालित उर्दू माध्यम मकतबों और मदरसों आदि को राजकीय अनुदान से सहायता दी जाती है।

२—माध्यमिक स्तर पर जिस कक्षा में ५ या ५ से अधिक विद्यार्थी उर्दू भाषा पढ़ना चाहते हैं इसके लिये सुविधा प्रदान की जाती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल और इन्टर में उर्दू में प्रश्नों के उत्तर देने की सुविधा दी गई है।

३—इन सुविधाओं पर नजर रखने के लिये शिक्षा निदेशालय के स्तर पर एक उच्च अधिकारी होता है और प्रत्येक मण्डल में एक डिप्टी इन्सपेक्टर नियुक्त होता है।

साहित्यिकों को सुविधायें:—

जो उर्दू साहित्यकार अस्वस्थ होते हैं तथा आर्थिक कठिनाई से ग्रस्त होते हैं उन्हें एक मुश्त सहायता शासन के विवेकानुसार प्रदान की जाती है।

२—उर्दू साहित्य में अच्छी कृतियों पर प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिया जाता है।

३—शासन ने उर्दू भाषा की प्रगति तथा विकास के लिये एक उर्दू बोर्ड को कायम किया है, जिसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:—

(क) शासन द्वारा उर्दू की प्रगति के लिये अपनायी योजनाओं का समय-समय पर सिंहावलोकन करना तथा उर्दू भाषा और साहित्य के गतिशील विकास के लिये शासन को सुझाव प्रस्तुत करना,

(ख) शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्रों में उर्दू बोलने वालों को दी गई सुविधाओं का समय-समय पर सिंहावलोकन करके शासन को इनके बारे में संस्तुतियां देना, तथा

(ग) उर्दू बोलने वालों की तकलीफें और शिकायतें, यदि सामने हों, पर विचार करके उनको दूर करने के लिये शासन को संस्तुतियां देना।

यह भी निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक वाचनालयों और पुस्तकालयों के लिये उर्दू पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं का क्रय किया जाय और उर्दू पुस्तकें लिखने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय।

प्रशासन में सुविधायें :—

इस प्रदेश की सभी अदालतों और दफ्तरों में उर्दू मे लिखे हुये आवेदन-पत्र आदि को स्वीकार करने के संबंध में सरकार के आदेश पहले से ही हैं। इसके अलावा रजिस्ट्री के दफ्तरों में उर्दू में लिखी दस्तावेजों की रजिस्ट्री की सुविधा भी है। गजट का सारांश उर्दू में छापा जाता है, ९ जिलों तथा ६ तहसीलों में जहां उर्दू भाषा भाषी १५ प्रतिशत या इससे अधिक

हैं सभी महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों आदि का खुलासा उर्दू में भी छापे जाने के आदेश हैं। राज्य स्तर पर सूचना विभाग द्वारा एक मासिक उर्दू पत्रिका जिसका नाम 'नया दौर' है प्रकाशित की जाती है जिसमें समय-समय पर महत्वपूर्ण कानून, नियम और विनियमों आदि का सारांश भी छापा जाता है।

२.—राज्य के स्तर पर शासन ने एक सदस्यीय, अल्प संख्यक आयोग भी कायम किया है जिनका एक काम यह भी है कि वह उर्दू भाषायी अल्प संख्यकों को प्राप्त संरक्षणों के कार्यान्वयन को देखें तथा इस सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत प्राप्त हो तो उसकी जांच करें।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८२ पर)

जिला रायबरेली में वर्ष १९६७, १९६८ तथा १९६९ में हुई कत्ल, डकैती तथा चोरी की घटनाओं के बारे में विवरण

	कत्ल			डकैती			चोरी		
	१९६७	१९६८	१९६९	१९६७	१९६८	१९६९	१९६७	१९६८	१९६९
जिनकी रिपोर्ट की गई	२३	३७	४४	२४	१९	३७	५४०	४८१	३८२
जिनमें जांच की गई	२३	३७	४४	२४	१९	३७	५३७	४८१	३८२
जिनमें जांच नहीं की गई	—	—	—	—	—	—	३	—	—
जो चालान किये गये	१७	२८	३६	२१	१६	३०	१०४	८४	७४
जो न्यायालय में विचाराधीन हैं	१	४	२८	२	४	२३	६	४२	४३
जो लापता रहे (अंतिम रिपोर्ट लगी)	६	८	४	३	३	२	४२५	३९२	२८७
जिनमें जांच अभी जारी है	—	१	४	—	—	३	—	—	१२
मामले की संख्या जो एक्सपंज हुये	—	—	—	—	—	१	८	५	९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) विधेयक, १९७० में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४७ के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची।

(१) खण्ड २ की पंक्ति १ में शब्द "सेवायोजना" के स्थान पर शब्द "सेवायोजन" रख दिया गया है।

(२) खण्ड ३ में उल्लिखित धारा ८—क के पार्श्ववर्ती शीर्षक में शब्द "कर" के स्थान पर शब्द "करने" रख दिया गया है।

(३) खण्ड ६ में उल्लिखित धारा २०—क के पार्श्ववर्ती शीर्षक में शब्द "की शक्ति" के स्थान पर शब्द "का अधिकार" रख दिये गये है।

(४) खण्ड ६ में उल्लिखित धारा २०—क की पंक्ति ५ में शब्द "प्राधिकारी का या तो यह समाधान हो जाय कि" के स्थान पर शब्द "प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि या तो" रख दिये गये हैं।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १०९ एल० ए०—१९७१—८४५।